खण्ड-406, अंक-5
शुक्रवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1914
(8 मई, 1992 ई0)

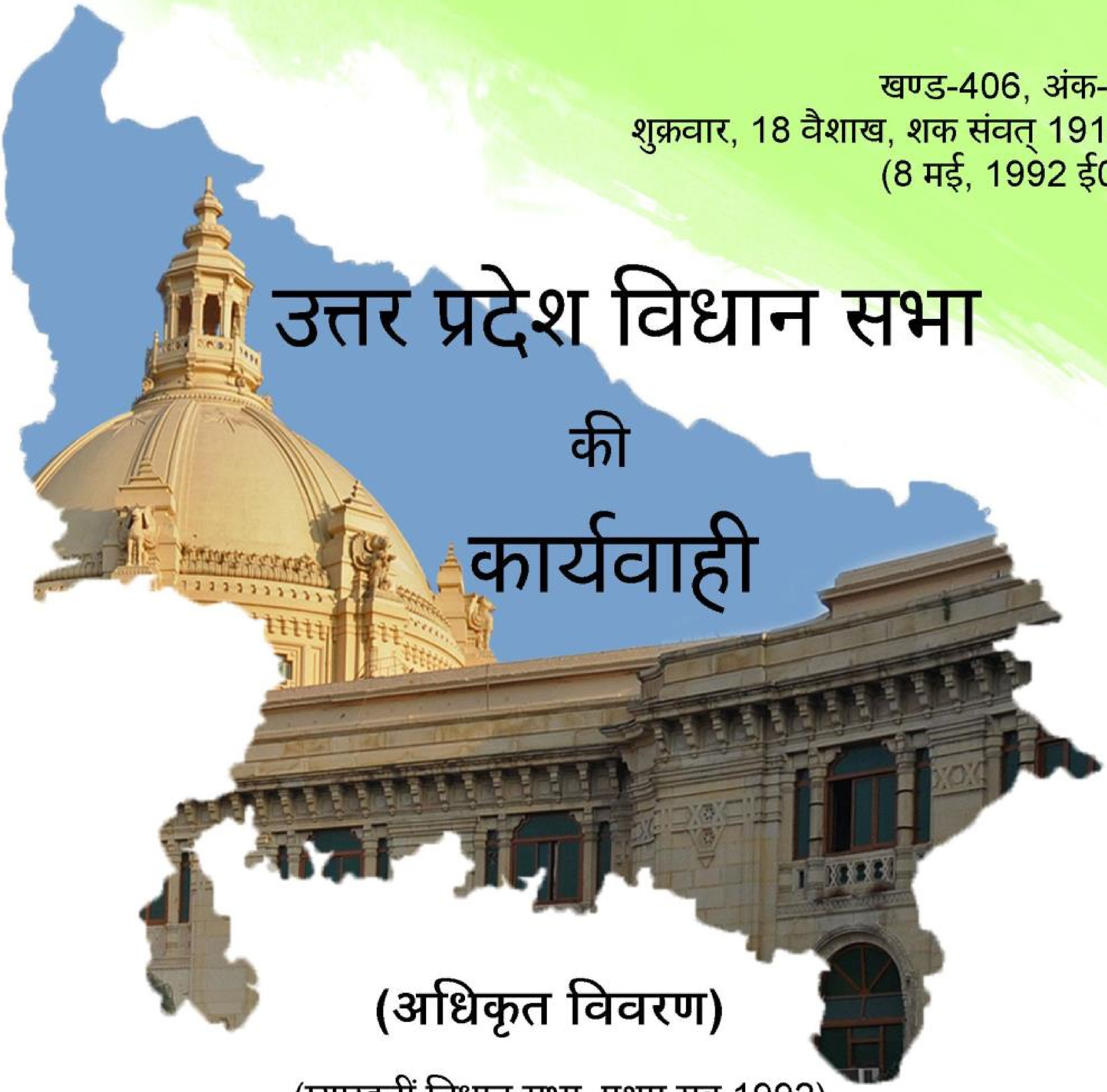

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	1-123
नियम 311 की सूचना को उठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	124-127
नियमावली के नियम 289 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	127-129
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	130
अजुध्या शुगर मिल राजा के सहसपुर, मुरादाबाद द्वारा गत वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान फर्जी दिखाकर अधिकारियों द्वारा धन हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
बांदा में चित्रकूट खोही से मेनहाई मार्ग के डामरीकरण व पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों के मुख्यालयों पर अग्निशमन दस्ता स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
स्व0 श्री रणजीत सिंह, लैव असिस्टेंट, कन्या बैदिक इण्टर कालेज, गाजियाबाद की पत्नी को सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
बांदा नगर तथा कई गांवों में पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
श्री लल्लन यादव ग्राम खड़ेसर, जनपद देवरिया की हत्या की सी0आई0डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
बैक्सीन फैक्टरी, पटवा डांगर, नैनीताल में अभियन्ताओं की नियुक्ति रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
नगरपालिका, आजमगढ़ द्वारा शासनादेशों के विपरीत नियुक्तियों एवं की गई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
गढ़वाल जनपद में कोटद्वार-पदमपुर सड़क पर बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	134
दि गरैला स्पीनिंग एवं विमिंग मिल्स, गरैला, अकबरपुर, फैजाबाद के मिल की मशीनों को अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134-135

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्यवाही से आरोपित शब्दों के निकाले जाने पर व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	135-139
कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1984-85 (पटल पर रखी गई)	139
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का त्रयोदशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1986-87 (पटल पर रखा गया)	139
कार्यवाही से आरोपित शब्दों को निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवसथा का प्रश्न	140-141
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर का 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	141-142
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का एकादश वाषिक प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	142
यू0पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	142
यू0पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	142
दि इण्डियन टर्पेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छयासठवीं वार्षिक रिपोर्ट (पटल पर रखी गयी)	142
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की साविधिक सम्परीक्षकों की रिपोर्ट (पटल पर रखी गयी)	142-143
गोवध निवारण सम्बन्धी विधेयक पर दिये गये संशोधन प्रस्ताव कार्य-सूची में मुद्रित न होने पर व्यवस्था का प्रश्न	143-144
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ) (पुनः पारित)	144-229
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग (जारी)	229-251

विषय	पृष्ठ-संख्या
बजट साहित्य समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	229
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग संख्या-84-सामान्य प्रशासन चिभाग (स्वीकृत)	229-251
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-2-आवास विभाग (स्वीकृत)	251-273
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	273-280
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान-अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	281
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवाआयोग) (स्वीकृत)	281
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	282
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	282
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-39-नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	283
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	283
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	283-284
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	284
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	284-285

विषय	पृष्ठ-संख्या
निमय 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	285-286
विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना से संबंधित सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	286
डा0 बृजभान यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा परगनाधिकारी, हंडिया, इलाहाबाद के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	286-287
श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा कृषि मंत्री, श्री गंगा भक्त सिंह के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	287-288
श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री किशोरी श्याम, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध दी गई सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	288-289
श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा न्याय एवं सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	289-291
श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा के हमलावारों के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	291
श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	291-292
जनपद टिहरी गढ़वाल में देव प्रयाग में गंगा नदी पर अर्द्ध निर्मित पुल का निर्माण पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखी राम जोशी की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	292
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कीर्तिनगर, जखोली देव प्रयाग के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	292-293

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद की नगरमहापालिका सीमान्तर्गत कतिपय मोहल्ले में सीवर, पेयजल एवं सड़कों की खराब स्थिति के कारण श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	294-296
उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा वर्षा के अतिरिक्त जल को वैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी में अवशोशित कराकर भूगर्भ जल सम्पदा बढ़ाने संबंधी श्री हृदय नारायण दीक्षित के प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	296
महंगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा ऐक्शन प्लान बनाने संबंधी श्री श्याम नारायण आदि के प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	296
जनपद रामपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी आदेशों के अनुपालन में सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्धारित राशन न देने संबंधी श्री मोहम्मद आजम खां के प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का व्ययपगत होना	296
नत्थियां	297-304

अग्रिम प्रतिलिपि

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 8 मई, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अंगद सिंह यादव, श्री	आजमगढ़	मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मारकण्डेय, श्री	बलिया
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	रघुराज, श्री	जौनपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
उमानाथ, श्री	जौनपुर	रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
ओम प्रकाश, श्री	बिजनौर	रविकानत गर्ग, श्री	मथुरा
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	राजीव कुमार , श्री	नैनीताल
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	राम प्यारे आजाद, श्री	महराजगंज
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
घुरहू, श्री	बलिया	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
छक्की लाल, श्री	इटावा	लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	विजेन्द्र सिंह, श्री	मथुरा
तेजपाल, श्री	हरिद्वार	शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ श्री	महराजगंज
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर	शिव बाबू, श्री	
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	श्रीराम, श्री	जालौन
परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री	रामपुर	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बृजभान यादव, डा0	इलाहाबाद	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
मदन भैया, श्री	मेरठ	हरिश चन्द्र, श्री	बरेली

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुख्यालय प्रदेश प्रधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 8 मई, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों का 92 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों पर बकाया है ..

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-311 में प्राप्त हुयी थी, मैंने उसे निरस्त कर दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्नों को ले रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इन सब सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है, प्रदेश के किसानों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष-

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

महापालिका अधिनियम की धारा 213 या अन्य संगत धाराओं में संशोधन संबंधी निर्णय की जानकारी

****1.-श्री श्याम देव राय चौधरी-**

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका अधिनियम की धारा 213 का अन्य संगत धाराओं में संशोधन पर सभासदों को प्राप्त अधिकारों

टिप्पणी- (× × ×) यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में कमी करने व उक्त अधिकारों को मुख्य नगर अधिकारियों को सौंपने का कोई निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो वे क्या है और इसका औचित्य क्या है ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जो विवादग्रस्त मुकदमें नहीं होते हैं, क्रेता द्वारा दाखिल किये जाते हैं, उसमें प्राविधान है कि अगर वह विवाद ग्रस्त नहीं है तो क्रेता और विक्रेता को 213 के अन्तर्गत एक नोटिस दी जाती है । यदि इस नोटिस के तामील होने के 30 दिन के अन्दर कोई एतराज नहीं आया तो आटोमेटिकली नाम उसका चढ़ जायेगा । मेरी चिन्ता वाराणसी नगर महापालिका के संबंध में है । मैंने प्रश्न दिया था, विधान सभा में, उत्तर भी मिला है कि वर्षों-वर्षों से जो विवादग्रस्त मुकदमें नहीं है । वह लम्बित पड़े हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समितियों में जो विवाद वर्षों से लम्बित पड़े हैं, लेकिन उनमें कोई विवाद नहीं है, ऐसे दाखिल खारिज के लम्बित केसों में कोई प्राविधान या कोई निर्देश देने की कृपा करेगी कि जब आवेदन पत्र प्राप्त हो, तो एक निश्चित अवधि के अन्दर अविवादित मामलों का निपटारा कर दिया जाय ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

श्रीमन् प्रश्न स्पेसिफिक सभासदों के अधिकारों को लेकर था, फिर भी यह बहुत अच्छा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है । मैं बताना चाहती हूं कि यह समस्या शासन की चिन्ता में है और उस चिन्ता के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 91 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यह प्रयास रहा है कि जो भी इस तरह के मामले हों, जो दाखिल खारिज के अंतर्गत विवादित न हों, किसी तरह का नगरपालिकाओं, नगरमहापालिकाओं का बकाया न हो, उनमें निपटारे के लिए 31 मार्च तक के समय की बात कही है । मैं माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस विषय में हमने 3 पत्र भी लिखे हैं और प्रयास यह है कि निपटारा हो ताकि जनहित में किसी को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, उनकी कृपा पर न छोड़कर शासनादेश हो कि दाखिल होने की तिथि से 3 महीने, 4 महीने में निपटारा कर दिया जायगा, क्या इस तरह का कोई निर्देश देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

व्यवस्था यह है कि नोटिफिकेशन में 30 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद अगर मामला विवादित हुआ तो सभासदों द्वारा निर्मित कार्यकारिणी के अन्तर्गत आता है, वहां से विवादित होने की स्थिति में उस पर अग्रिम कार्यवाही होती है, यह काफी कुछ डिपेन्ड करता है, चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर कि अतिशीघ्र कार्यवाही करें । हमने 30 दिन का समय पहले ही निर्धारित कर रखा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने कहा कि जो 30 दिन का नोटिफिकेशन का टाइम है, उसके समाप्त होने के बाद यदि विवादित मामला है तो विवाद में चला जायेगा । यदि अविवादित है तो सभासदों की कार्यकारिणी के समक्ष पेश होगा एक चीज और मंत्री ने कही कि हमने पत्र लिखे हैं, जिसमें हमने कहा है कि जिनके बकाया नहीं हैं उनके मामलों को शीघ्र निपटा दिया जाय । श्री चौधरी साहब ने जो मंशा व्यक्त की है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई प्राविधान नियमों या अधिनियम में है अथवा आप कोई शासनादेश जारी करने की कृपा करेंगी कि ऐसे मामले जो अविवादित है और 30 दिन के नोटिस का समय भी व्यतीत हो चुका है और वहां से कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को निश्चित समय के अन्दर निपटारा कर दिया जाय ? भले ही वे किसी रूप में किये जायं । क्या इस तरह की भी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिनके ऊपर बकाया है, उनको इस बात का नोटिस दिया जाय कि आप इसे जमा कर दें ताकि आपके मामले पर पूरी कार्यवाही की जा सके ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, बकाये की स्थिति में पक्ष को सूचना दी जाती है । उन्हें बता दिया जाता है कि आपके मामले के निस्तारण में यह भी एक कारण है । जहां तक समय निश्चित करने की बात है, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक निर्धारित कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसमें माननीय सभासद, प्रमुख व अध्यक्ष हैं । जब यहां से मामले को निर्विवाद घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद समय नहीं लगता है । समय न लगे, इसे भी हम सुनिश्चित करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, नगर महापालिका अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यकारिणी गठित होती है उसके बाद उप समितियां गठित होती हैं । जहां पर, चाहे वे विवादित मामले हों या अविवादित हों, उनका निपटारा किया जाता है । लेकिन बनारस नगर महापालिका में यह देखने में आ रहा है कि जो दाखिल खारिज/एसिसमेंट के

मामले आते हैं 50 हजार रुपए के ऊपर के, ऐसे सारे मामलों को वहां के नगर प्रमुख ने अपने पास रख छोड़ा है, जबकि अधिनियम में कहीं भी इसका प्राविधान नहीं है । जबकि यह अधिकार कार्यकारिणी व उसकी उप समितियों को है । क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की विसंगति को दूर कर, ऐसे मामलों को कार्यकारिणी/उप समिति को देने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप तो स्वयं ही कह रहे हैं कि नगर प्रमुख को इस प्रकार के मामलों को अपने पास रखने हेतु अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है । इस प्रकार अधिनियम में कोई विसंगति नहीं है । हां, कार्य-प्रणाली में विसंगति है । माननीय मंत्री जी यदि आप कार्यप्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो कहें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, माननीय सदस्य, इस बात को हमारे संज्ञान में लाये हैं, इसलिए मैं इसको दिखवाऊंगी ।

नगरपालिका विलसी, जनपद बदायूं को कारण बताओं नोटिस जारी करने की जानकारी

**2-श्री भोला शंकर मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बिलसी जनपद बदायूं का, नगर विकास अनुभाग-9 से पत्र संख्या 4587/ना-9-91-135 (11)/91, दिनांक 7-1-92, द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त नोटिस की जानकारी नगर पालिका के सभी सदस्यों को न दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सभी सदस्यों को नोटिस की जानकारी न देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मंत्री जी नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

नगरपालिका को कारण बताओ नोटिस पालिकाध्यक्ष के माध्यम से दी जाती है । सभी सदस्यों की अलग से नोटिस नहीं दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नोटिस दिया गया है, उसका आरोप-पत्र क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, प्रश्न बड़ा संक्षिप्त और स्पेशिफिक था। आरोप क्या लगे, इस संबंध

में प्रश्न में जानकारी नहीं चाही गई थी । इसलिए मैंने केवल प्रश्न का. ही उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास उत्तर है तो दे दीजिए ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, इसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जो उत्तर दिया गयाहै, इसमें इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया है कि नगर महापालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया गया है और उसमें क्या-क्या आरोप थे ? किन-किन आरोपों के खिलाफ नोटिस दी गई ? माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी भी नहीं है । इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजिए ताकि मंत्री जी इस पर पूरी जानकारी कर इस सदन में अपना उत्तर दे सकें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसे आप देखें । उसमें उन्होंने पूछा है "क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका विलसी जनपद बदायूं का, नगर विकास अनुभाग-9 से पत्र संख्या 4587/ना-9-91-135 (11)/91 दिनांक 7-1-92, द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ?"

श्री नरेश अग्रवाल

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है जी हां, तो वह बता दें नोटिस किस धारा में दिया गया है, उसमें और क्या-क्या धारायें थी ? (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह प्रश्न इस तरह का नहीं है जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है । प्रश्न संक्षिप्त है उसमें एक पत्र का संदर्भ भी है और उसकी पत्र संख्या भी दी हुई है जिसके अन्तर्गत शासनादेश निर्गत हुआ है अगर वह उस पत्र को सही पढ़ कर सुना दें तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी तो उस पत्र को न पढ़ने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष-

क्या माननीय मंत्री जी आपके पास पत्र उपलब्ध है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मेरी जानकारी में है कि बोर्ड को अवक्रमित करने की नोटिस दी गयी । पत्र इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आप इसको आज स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

अगला शुक्रवार कब होगा क्योंकि हमारे पास जो कार्यक्रम है उसके अनुसार सदन की बैठक 13 मई तक होनी है तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी इस बात पर विचार कर लूंगा ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

*1-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण निरस्त)

सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में जानकारी

*2-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू हैं ? यदि हां, तो उक्त विभागीय संस्थाओं की सेवाओं में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया है ? क्या सरकार उक्त संस्थाओं में आरक्षण लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? आरक्षित खाली पदों को सरकार कब तक भरेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

संलग्नक-1 में उल्लिखित उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने वाली सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू है ।

संलग्नक-11 में उल्लिखित समितियों में आरक्षण समिति के संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा ही लागू किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथा शीघ्र ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 298 पर)

श्री बनवारी लाल दोहरे-

मान्यवर, मैंने सहकारी संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में प्रश्न किया था जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह बहुत ही कंट्राडिक्टरी विरोधाभाष वाला है । आपने उत्तर में कहा है संलग्नक-1 में उल्लिखित उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने वाली सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू है । इसके भाग 3 में मैंने प्रश्न किया है क्या सरकार उक्त संस्थाओं में आरक्षण लागू करेगी यदि हां, तो कब तक ? जिसका आपने उत्तर दिया है प्रश्न नहीं उठता । तो

एक तरफ तो आप कहते हैं सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने वाली सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू है और यहां कहते हैं-प्रश्न नहीं उठता और उसके आगे भाग में मैंने जहां पूछा है खाली पदों को कब तक भरेगी ? तो उसमें आप कहते हैं यथाशीघ्र ।

श्री विजय सिंह राणा-

यह तो स्पष्ट आरोप है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है, आप अनुपूरक प्रश्न करिये ?

श्री बनवारी लाल दोहरे-

प्रश्न है कि कितने आरक्षित पद हैं, कब तक उन्हें भर लिया जायेगा और अभी तक कितने भरे गये हैं ? (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

माननीय मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है, आप इनका बजट भाषण देख लें ।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितनी संस्थायें हैं जहां आरक्षण लागू नहीं है इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री अध्यक्ष-

सहायता प्राप्त सहकारी संस्थायें कहें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

दूसरा मान्यवर, निबंधक द्वारा प्रत्येक संस्था के लिए कोटा फिक्स कर रखा है । अगर वहां आरक्षण पूरा नहीं है और जगहें भी नहीं है तो आरक्षण पूरा करने के लिए नयी पोस्ट क्रियेट की जायेंगी या दूसरों को रिट्रेंच कर पूरा किया जायेगा ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में ही आरक्षण लागू है । विभिन्न सहकारी संस्थाओं, जिनमें संचालक मण्डल को अधिकार है आरक्षण लागू किये जाने का, क्योंकि वह सहकारी संस्थायें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और उसमें संचालक मण्डल द्वारा ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है । उसमें सरकार का हस्तक्षेप कोई नहीं होता कि आरक्षण लागू किया जाय । इसके अलावा...

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मै यह जानना चाहा था कि जिन सस्थाओ मे आरक्षण पूरा नही हुआ है और निबधक द्वारा जो सरकारी पद है वह पूरे पद भरे जा चुके है तो क्या आरक्षण लागू करने के लिए अलग से पोस्टे बढाई जायेगी या छटनी की जायेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

आरक्षण के लिए तो पहले ही पोस्टो का सृजन किया गया है । अब अलग से पोस्ट सृजन करने का कोई प्रश्न नही उठता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अभी माननीय सहकारिता मत्री ने यह स्वीकार भी कर लिया है कि आरक्षण लागू है, मै उनसे यह जानना चाहता हू कि आरक्षण के तहत कितने प्रतिशत स्थान अभी रिक्त है ? आपकी जितनी ऐसी सस्थाये है प्रदेश स्तर पर उनके सबध मे कोई सूचना हो तो आप दे दे और कितने प्रतिशत स्थानो पर आरक्षण को पूरा नहीं किया गया है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, विभिन्न सस्थाओ मे कितने प्रतिशत पद रिक्त है, इस सबध मे अलग से सूचना मागे तो आपको सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी । इसके साथ ही आप शेष प्रश्न दुबारा कर ले ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश मे आरक्षण के तहत कितने लोगो की नियुक्ति होनी चाहिए और उसके विपरीत कितने लोगो की नियुक्ति की गई है और आरक्षण के तहत जो नही है उनके लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है ? दूसरा प्रश्न मेरा सुझाव के रूप मे यह है कि जब तक उनके पूरे पद भरे न जाये तब तक दूसरो से वह पद न भरे जाये ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

उसके लिए अलग सूचना मागे वह उपलब्ध कराई जायेगी । साथ ही नीति का जो सवाल है, वह नीति पहले ही निर्धारित है और जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायेगा, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा । जैसी स्थित होगी वैसा किया जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान-

अभी मत्री जी ने अपने जबाव मे इस बात को कहा है कि जो सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाये हैं उसमें उसका संचालक मण्डल इस संबध मे निर्णय करता है तो मै यह जानना चाहता हू कि क्या सहायता प्राप्त इन सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल सरकार के दिशा-निर्देश में काम नहीं करते है और क्या उन पर यह लागू नहीं है ? तो पहले तो मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि क्या यह सहकारी संस्थायें, जिनके स्वायत्तशासी प्रबंध तंत्र है वे सरकार के किसी आदेश को नहीं मानते हैं ? यदि हां तो क्या आप आदेश निर्गत करेंगे तो वह शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण को लागू नहीं करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, जितनी सहकारी संस्थायें हैं यह स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनमें शासन संचालक मण्डल को शासन सुझाव दे सकता है और उस पर निर्णय लेने का अधिकार उनका है । नियमों के तहत उसको इसको पूरा अधिकार है । शासन उनमें सीधा आदेश करे यह उचित भी नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाएं और केन्द्रीय संस्थाएं संस्थागत सेवा मण्डल के अन्तर्गत आती हैं ? यदि हां तो वहां कितने प्रतिशत आरक्षण का आदेश कर रखा है और उनका पालन हुआ है कि नहीं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में जो प्रदेश की आरक्षण की नीति है उसके अनुसार आरक्षण लागू करते हैं, अपनी संस्थाओं में और विभिन्न समय में कई वर्षों से संस्थागत सेवा मण्डल ने आरक्षण पूरा करने हेतु निर्देश पारित किए हैं माननीय सदस्य ने प्रतिशत और संख्या की जो जानकारी चाही है उसके लिए अलग से सूचना मांगेंगे तो उपलब्ध करा दी जाएगी जिसके संबंध में मैंने पहले ही कह दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है । मेरा सीधा प्रश्न है कितने प्रतिशत आरक्षण है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि प्रतिशत और संख्या के संबंध में अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह सरकार हरिजन विरोधी है इसलिए आरक्षण को यह सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है । (व्यवधान) मान्यवर, यदि आप भी हमें संरक्षण नहीं देगें तो हम पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं दिला पाएगें और हमारा यहां सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप यह बता दें कि सहकारी संस्थाओं में क्या आरक्षण का प्रतिशत वही है जो सरकारी सेवा में है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि सहकारी संस्थाओं में आरक्षण का वही प्रतिशत है जो सरकारी संस्थाओं में है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, प्रदेश के मंत्री को नहीं मालूम है कि सहकारी संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण है ? तो यह हरिजन विरोधी सरकार, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन से उठकर चले गये)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त सहकारी संस्थायें कितनी हैं और उनमें कितने प्रतिशत आरक्षण लागू है ? प्रदेश में कितनी सहायता प्राप्त सहकारी और कितनी केन्द्रीय समितियां हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रश्न के लिखित उत्तर के संलग्नकों में पूरी सूचना है । प्रतिशत के विषय में ऊपर दिये गये हैं ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, जिस आरक्षण की बात हो रही है वह क्या अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग और राजनीतिक पेंशनर्स से क्या संबंधित है ?

दूसरा प्रश्न है आपने कहा है कि संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा चयन होता है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि कार्मिक विभाग द्वारा अप्रैल, 91 का शासनादेश जारी हुआ है जिसमें लिखा है पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण में शामिल कर लिया जाय, इसके अलावा जो मेरिट के आधार पर आते हैं उनको छोड़ कर बाकी अन्य लोग 27% के आधार पर सेलेक्ट किए जाएंगे तो क्या इस कार्मिक विभाग के शासनादेश के आधार पर माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करायेंगे कि आरक्षण की नीति लागू हो गई है कि नहीं ? तीसरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि संचालक मण्डल द्वारा आरक्षण नीति लागू की जाती है । मेरी निश्चित जानकारी है कि बहुत जगहों पर बहुत समय तक संचालक मण्डल नहीं होते हैं तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी ही संचालित करते हैं । ऐसी स्थिति में क्या वहां सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे कि इनका अभी तक संचालन किया गया है कि नहीं । अगर नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है ?

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले इन प्रश्नों का तो उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जहां आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है, वहां विभागीय अधिकारियों को कड़े आदेश दिये गये हैं कि इसे

यथाशीघ्र पूरा किया जाय । इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है । यहां तक आदेश किये गये हैं कि संबंधित अधिकारियों, जिनकी संस्थाओं में कोटा पूरा नहीं किया गया है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाय ।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । माननीय सदस्य ने पूछा था कि यह जो आरक्षण के बारे में प्रश्न है, यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में है । यह पिछड़े वर्ग के बारे में है, अनुसूचित जाति के बारे में है, अनुसूचित जन जाति के बारे में है, इसको स्पष्ट कर दें ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे के संदर्भ में है ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री भगवन्त प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं को सरकारी ऐड मिलती है वहां आरक्षण नहीं दिया जाता है तो क्या सरकार वहां की ऐड बंद करेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री भोला शंकर मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, दो तरह की संस्थाएं हैं, दोनों को मिलाकर एक कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी तो केवल अनुपूरक प्रश्न पूछा जा रहा है । बाद में चर्चा के समय आप पूछ लें ।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आरक्षण का जो कोटा विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, उसके लिए एक नीति बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, जिन संस्थाओं में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, उसके लिए नीति तो पहले ही बनी हुई है, उसको सुचारु रूप से लागू करने के लिए शासन प्रतिबद्ध

है । मैं सदन के सामने आश्वासन देता हूं कि शासन यथाशीघ्र आरक्षित स्थानों का कोटा पूरा करने के लिए कड़ाई के साथ नियमों के तहत कार्यवाही कर रही है और यथाशीघ्र यह स्थान पूरे किये जाने की सरकार की नीति है और यह पूर्णतया स्पष्ट है ।

*3-श्री प्रेम प्रकाश-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के उर्दू स्कूलों को बंद किये जाने के संबंध में जानकारी

*1-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी के तमाम उर्दू स्कूलों को बंद करने के विरोध में माह नवम्बर, 91 में जी0पी0ओ0 पार्क पर धरना दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने उर्दू स्कूल लखनऊ व कितने राज्य के अन्य जिलों में बंद किए गए हैं और क्यों ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कोई भी उर्दू स्कूल लखनऊ अथवा राज्य के अन्य जिले में बंद नहीं किया गया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि नवम्बर के महीने में जी0पी0ओ0 पार्क पर लखनऊ शहर के तथा प्रदेश के अन्य जिलों में उर्दू स्कूलों के बंद किये जाने के विरोध में एक धरना दिया गया था । सरकार से उत्तर आया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धरने के पूर्व लखनऊ में कितने उर्दू स्कूल थे और अब कितने हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

धरने की जानकारी हमें नहीं है वैसे सूचना दे चुके हैं । जो स्कूल हैं उसमें लखनऊ जनपद में वर्तमान में पांच उर्दू माध्यम के स्कूल थे दो मान्यता प्राप्त मकतब महोना मलिहाबाद कटौली मोहनलालगंज में थे ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह उर्दू के मुताल्लिक प्रश्न है जबान से तास्सुब नहीं होना चाहिए । हिन्दुस्तान में उर्दू जबान मुसलमानों से कम और हिन्दुओं से ज्यादा जानी गई है चाहे आप प्रेमचंद, रघुपति सहाय, नरेश कुमार, कृष्ण चन्द्र, नरेन्द्र सिंह वेदी,

बहुत लम्बी फेहरिस्त है, जिनकी वजह से पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में उर्दू जानी जाती है । गालिब के बाद रघुपति सहाय "फिराक गोरखपुरी" जिनके बारे में कहा गया, आते थे । जिगर मुरादाबादी के शेर-गजल फिराक गोरखपुरी के सामने कोई मायने नहीं रखते थे । शेर-गजल के और उर्दू के मामले में लखनऊ को पहले दर्जे पर रखा गया है और मेरे शहर रामपुर को दूसरा शहर कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष-

उर्दू जबान पर फसाद नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस जुबान के स्कूल बंद किए जाएं इसकी सामूहिक जिम्मेदारी किसी मंत्री की होती है और जवाबदेही होती है । जी0पी0ओ0 पार्क में उर्दू को लेकर धरना हुआ यह शिक्षा विभाग से मुताल्लिक नहीं था लेकिन उर्दू एकेडमी जिसे सरकार चलाती है, और जिसके माध्यम से स्कूल चलते हैं निगरान साहब जिसके चेयरमैन थे, आपके सरकार में आने के बाद उर्दू स्कूल बंद कर दिए गये, उसी के विरोध में धरना दिया गया था कि उर्दू ऐकेडमी द्वारा स्कूल बंद कर दिए गये हैं, तो उर्दू का बजट होता है उसी बजट के पैसे के तहत उर्दू स्कूल चलाए जाते थे जिसको चलाने का कार्य उर्दू ऐकेडमी कर रही थी तो उन स्कूलों को माननीय मंत्री जी चलवाने की कृपा करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उससे स्पष्ट हो गया यह शिक्षा विभाग से संबंधित है । जिन विद्यालयों के संदर्भ में जानकारी चाही है मैं निवेदन कर दूं उर्दू ऐकेडमी सबीना विद्यालय चलाती थी शायद आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं यह उर्दू की सायं कक्षाएं चलाती थी । यह मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं थे वह बन्द कर दिए गए । वर्तमान में शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नही बनती है शिक्षा विभाग से संबंधित कोई विद्यालय खोलना चाहेंगे तो हम सहयोग करेंगे ।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, जब प्रबंध कमेटी में कोई डिस्प्यूट होता है वेतन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंगल आपरेशन कर दिया जाता है उससे वेतन मिलता है । अरबी मदरसों के अध्यापक 15-20 हैं । 12 अरबी मदरसे हैं, सिंगल आपरेशन नहीं किया गया प्रबंध समिति में झगड़ा हो गया । सिंगल आपरेशन कर दिया जाए तो शिक्षा विभाग के जरिए वेतन का वितरण किया जा सकता है ।

मेरा निश्चित आरोप है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि वह अरबी मदरसे हैं । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा शासनादेश है कि अब वेतन बैंक के जरिये से दिया जायगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने वेतन के संबंध में चिंता प्रकट की है । वेतन के संबंध में सरकार ने नियम बना दिया है कि वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जायगा । अगर कोई ऐसी बात होगी तो बता दीजियेगा ।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, मैंने जो अगला प्रश्न किया था उसके बारे में गलती से पूछ लिया है ।

श्री राम किशन ददाजू-

मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने उर्दू के स्कूल हैं और इन स्कूलों में कितने छात्र पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया जा रहा है उसी तरह से उर्दू विद्यालयों को अनुदान देने पर विचार करेंगे । यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

उर्दू विद्यालयों को अनुदान दिया जा रहा है ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों की संख्या तथा बंद मदरसों के संबंध में जानकारी

*2-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सहायता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है ? क्या राज्य सहायता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसे ऐसे भी हैं जिनको प्रबंधकों द्वारा बंद करा दिया गया ? क्या ऐसे बंद मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रबंधक अथवा विभाग द्वारा अन्य पदों पर समायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन्हें राज्य सरकार के अधीन समायोजित करने विषयक व्यवस्था विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इनका समायोजन कर दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रदेश में मान्यता प्राप्त एवं राज्य सहायता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों की कुल संख्या 249 है जिनमें से 20 मदरसों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है ।

किसी मदरसे के बंद होने की सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल एo सलाम-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में मैंने पहले क्वेशचन किया था तो उसके उत्तर में बताया गया था कि प्रदेश में अरबी तथा फारसी विद्यालयों की संख्या 315 है और आज जो उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि 249 हैं । तो यह फर्क क्यों है ?

दूसरा मेरा सवाल था कि कितने मदरसे बंद हो गये हैं तो उसका उत्तर आया है कि किसी मदरसे के बंद होने की सूचना नहीं है । मैं बहराइच जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर मदरसा नूरुल उलूम तथा मदरसा मसूदिया बंद हैं और आप कह रहे हैं कि कोई मदरसा बंद नहीं है । यह बंद हैं तो इनकी ऐड कहां जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि मेरी जानकारी में कोई मदरसा बंद नहीं है । अगर माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो उसको निश्चित रूप से दिखवा लेगें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने जानकारी दे दी है । उसको संज्ञान में ले लें और जांच करवा लें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मंत्री जी का यह कहना है कि 249 मदरसे हैं उनमें से 20 मदरसों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है, किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, नियमों के अनुसार जो संस्थाएं आवेदन पत्र प्रस्तुत करती हैं, उन पर विचार करते हैं और उसके बाद सहायता देते हैं । ये जो 20 संस्थाएं हैं, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कोई आवेदन नहीं दिया है, इसीलिए स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुदान नहीं दिया जा रहा है । दिया ही नहीं है तो न लेना मजबूरी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

कितने आवेदन पत्र उनके प्राप्त हो गये हैं और जिस तरह से माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लेने का निर्धारित किया है 25 और 100 को, उसी तरह से अरबी मदरसों को अनुदान सूची पर लेने के लिए विचार कर रहे हैं, उसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि जो बंद किये गये इसके बारे में कोई सूचना नहीं है । पूरी संख्या 249 है जिसमें से 20 को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रार्थना-पत्र नहीं दिये हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, आवेदन पत्र जो दिये हैं उस पर विचार करके अनुदान देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने आवेदन पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं ? मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आवेदन पत्र देने पर दिया जायगा, तो उसमें से कितनों को देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर का है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें बेसिक समस्या यह है कि कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं, जो सूचना मंत्री जी ने दी है, हम उसको सही मान रहे हैं । पिछली सरकारों में यह मांग होती रही है कि, मदरसों के टीचर्स की ओर से, उनको सीधे वेतन, चेक के जरिये से या जो भी तरीका हो, दिया जाय । मैनेजमेंट यह कहता रहा कि हमें पैसा दिया जाय और तब टीचर्स को वे पैसा दें । मैनेजमेंट यह चाह रहा है कि सीधे मांगने वाला हाथ बढ़ा रहे और जितना चाहे पैसा दें ? यह जो मदरसे बंद होने की शिकायत है, सही है । हम चाहते हैं कि इसका परीक्षण करा लें । यह झगड़े आज भी चल रहे हैं, मैनेजमेंट और टीचरों के बीच में कि पैसा किसे दिया जाय । इसी झगड़े को लेकर मैनेजमेंट ने स्कूल बंद कर दिये हैं, परिणामस्वरूप टीचर्स का पेमेंट नहीं हुआ है । उन मदरसों को चलाने की कोशिश करें । दूसरा प्रश्न यह है कि जो गुजरा हुआ समय है, उसका पैसा आप इन मदरसों को देंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

इन दोनों बातों का परीक्षण करा लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें पैसा बहुत लेट मिलता है ।

श्री अध्यक्ष-

परीक्षण करवाकर माननीय सदस्य को इसकी सूचना दें दें।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, क्या जो इन मदरसों के कर्मचारी, शिक्षक या प्रबंधक हैं, विभाग द्वारा इनका अन्य पदों पर समायोजन कर दिया गया है । यह निश्चित है कि इसका मतलब यह है कि बहराइच में मदरसे बन्द हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा कि परीक्षण करा लेंगे ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान लीजिये कि बंद हैं तो जो उसके कर्मचारी हैं, उनके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

मान्यवर, अभी तक मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है । उलटा सीधा जवाब देते हैं । इन्क्वारी होती है, रिपोर्ट होती है मंत्री जी के पास है, उसके बाद भी कहते हैं कि इन्क्वारी हो रही है । यह वह हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आपने सदन के संज्ञान में ला दिया है कि दो मदरसे बंद हैं । मंत्री जी ने कह दिया परीक्षण करा लेंगे । आप सम्पर्क कर लीजियेगा और मंत्री जी परिणाम से सूचित कर देंगे ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, मदरसे बंद हैं । फिर प्रश्न रखूं कि कर्मचारियों के लिए क्या किया जा रहा है ? तीन-चार महीने में जवाब आएगा कि बंद हैं । यही आएगा कि बंद हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस सूचना को सही मान कर कि बंद हैं क्या जिलाधिकारी को निर्देश चला जायगा कि मैनेजमेंट या प्रधानाचार्य को बुलाकर बंद होने का कारण पूछ लें और कोई वजह माकूल नहीं है बंद होने की तो जो सरकार पैसा दे रही है । टीचर्स को पैसा पहुंचना चाहिए, एक तो उनको सेलरी मिलनी चाहिए और जिलाधिकारी से पूछें कि अगर मदरसे बंद हैं, तो उन्हें खोलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी परीक्षण करवा लेंगे और उसके बाद माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे ।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में कितने सहायता प्राप्त मदरसे हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैंने तो पूरे प्रदेश के मदरसों की संख्या दे दी है ।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, आपने जनपद मुरादाबाद से भी संख्या मांगने के बाद ही प्रदेश के मदरसों की संख्या दी है, तो उसमें से मुरादाबाद के बारे में बता दीजिए ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

माननीय सदस्य हमसे अलग से मिल लें, हम उन्हें सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री गंगा बक्स सिंह-

मान्यवर, उन्नाव जनपद में हड़हा गांव है, जिसके नाम से हड़हा विधान सभा क्षेत्र है । हड़हा ग्राम में एक उर्दू मदरसा संचालित हो रहा है, उसके प्रबन्धक व प्रबंध समिति के कुछ सदस्य बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के यहां मुझसे मिले थे और बताया कि एक वर्ष पहले कुछ अनुदान प्राप्त हुए थे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों की उपेक्षा पूर्ण रवैये से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है और इन विद्यालयों के एफिलिएशन के नियमों को शिथिल करना चाहिए और बराबर अनुदान देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो गत वर्ष का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उसे शीघ्र दिलाने की मंत्री जी व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य से प्रश्न किया है, उसका परीक्षण करवा लें ।

मेडिकल कालेजों के छात्रों के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश

*3-श्री इस्लाम साबिर तथा श्री नरेश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मेडिकल कालेजों के छात्र को एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण करने के लिए मंत्रि परिषद् ने कोई नीति निर्धारित की थी ? यदि हां, तो वह नीति क्या थी ? उसके तहत इस वर्ष कितने विद्यार्थियों का स्थानान्तरण किया गया है ?

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा0 अमर सिंह)-

जी हां ।

स्थानान्तरण नीति संबंधी शासनादेश संलग्न है ।

तीन विद्यार्थियों के स्थानान्तरण किए गए

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 297 पर)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन के प्रति कितना गम्भीर हैं, जिस दिन आपने प्रश्न स्थगित किया था, उस दिन मंत्री जी ने जबाव दिया था कि किसी भी छात्र का स्थानान्तरण नहीं किया गया था और आज उन्होंने जबाव दिया है कि 3 छात्रों का स्थानान्तरण किया गया है मान्यवर, इसकी मैं नियमावली के नियम 63

और 65 के अन्तर्गत आपको सूचना दे रहा हूं और दोनों आपके पास भेजवा देता हूं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन 3 छात्रों के स्थानान्तरण हुए, वह जिस दिन प्रश्न स्थगित हुआ है उसके बाद में हुए हैं या उसके पूर्व में हुए हैं और उन छात्रों के नाम क्या-क्या हैं और वह किस चिकित्सा के छात्र हैं और इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि जो स्थानान्तरण की नीति बताई है, उसके किस बिन्दु के तहस इनका स्थानान्तरण किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)-

जिस दिन प्रश्न स्थगित किया गया था, उस दिन माननीय सदस्य को जानकारी होगी, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एलोपैथिक मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में सूचना दी जा रही है। जिन छात्रों का स्थानान्तरण किया गया है वह मेडिकल कालेजों से संबंधित नहीं है। आज की सूचना मेडिकल, होम्योपैथी और आयुर्वेद सभी की सूचना है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो स्थानान्तरण किये गये हैं, यह आयुर्वेद चिकित्सा महाविधालय से संबंधित हैं। इनके नाम हैं, कु0 ममता सिंह, इनका स्थानान्तरण मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के लिए किया गया है, दिनांक 29-4-1992 को किया गया है, दूसरे छात्र हैं, कु0 शगुफ्ता परवीन, इनका स्थानान्तरण मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के लिए किया गया है, दिनांक 6-3-1992 को किया गया है और तीसरे छात्र हैं संजीव कुमार, इनका स्थानान्तरण गुरुकुल हरिद्वार से लखनऊ के लिए किया गया है, दिनांक 13-2-1992 को किया गया है।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका जो स्थानान्तरण हुआ है वह नीति के किस बिन्दु के आधार पर किया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया है कि एक वर्ष के पूरा हो जाने पर स्थानान्तरण होता है और इनका एक वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही इनका किया गया है।

श्री नरेश अग्रवाल-

किस बिन्दु के तहत किया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रतिबन्धात्मक शासनादेश है। इन लोगों ने स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया होगा और इसीलिए इनका स्थानानतरण किया गया है।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अंकों के अनुसार श्रेणी तय करते हैं, तो ऐसी तमाम शर्तें हैं, केवल एक वर्ष की ही शर्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

जो दूसरा संलग्नक है, उसको आप देखें तो स्पष्ट हो जायेगा । आप दूसरा प्रश्न कर लें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आप बिन्दु 2 (ख) को देखें । इसमें है कि प्रदेश के किसी एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से ऐसे स्थानान्तरण उस महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 में प्रथम सत्र में निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, तो मुझे बता दें कि किस नीति के तहत इनका स्थानानतरण किया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

यह नीति नहीं, शासनादेश है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो यह मंत्रिमंडल ही इसके लिए अनुमति दे सकता है मंत्रिमंडल से ही हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात भी हमारे प्रदेश के सामने हैं, जनता के सामने है और पंजाब के भी तो क्या ऐसे छात्र जो जम्मू कश्मीर या पंजाब से उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज में अपना ट्रान्सफर कराना चाहते हैं, उस पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, प्रदेश से बाहर किसी मेडिकल कालेज से उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण करने पर हमने पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है और न ही इस पर कोई विचार कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इसमें लिखा है कि प्रधानाचार्यों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का प्रतिबन्ध न रखा जाय परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो स्थानान्तरण आदेशित किया जा रहा है, उसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह निर्धारित शर्तें क्या-क्या थीं और जिन लोगों को स्थानान्तरित किया गया है उन्होंने क्या स्थानान्तरित शर्तें पूरी की थीं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, निर्धारित शर्तें हैं प्रार्थना पत्र देने वाला जो ट्रान्सफर चाहता है जिस विद्यालय से स्थानान्तरित दूसरे विद्यालय को कर रहा है तो 5 प्रतिशत से अधिक जिस विद्यालय में हो रहा है और जिस विद्यालय से स्थानान्तरित किया जा रहा है, वहां उन छात्रों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक न हो, एक वर्ष पूरा कर लिया हो आयुर्वेद में और एलोपैथिक के लिए प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा पूरी कर ली हो । यही शर्तें है, वह पात्र पाये गये इसके तहत उनको स्थानान्तरित किया गया है ।

शुक्रवार दिनांक 8 मई 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया)

प्रदेश में नये सहकारी शीतगृहों का निर्माण कराये जाने की मांग

*2-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कितने नये सहकारी शीतगृह निर्मित कराने की शासन की योजना है ? क्या मंत्री जी प्रदेश के आलू उत्पादक क्षेत्रों में निजी शीतगृह मालिकों के एकाधिकार व उनके द्वारा किये जा रहे कृषकों के शोषण को समाप्त करने के लिए सहकारी शीतगृह निर्मित करायेंगे ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

इस वर्ष नये शीतगृह निर्मित कराने की कोई योजना नहीं है ।

निजी क्षेत्र के शीतगृह मालिकों के एकाधिकार व उनके द्वारा कृषकों के शोषण को समाप्त करने हेतु सहकारी क्षेत्र में 91 शीतगृह व 6 अतिरिक्त चेम्बर स्थापित हैं । अतः नये शीतगृह निर्मित कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, प्रदेश में उत्पादित आलू का आधा हिस्सा भी अभी तक कोल्डस्टोरेज में नहीं रखा जा सका है । शीतगृह मालिक उत्पादकों से कृषकों से मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं आलू का सीजन आने से पूर्व ही बाण्ड भरने के नाम पर 10 रुपये अग्रिम ले लिये जाते हैं । कृषकों का जो आलू शीतगृह में रखा जाता है उस पर शीतगृह मालिक बैंकों से कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे को 3 प्रतिशत ब्याज बढ़ाकर कृषकों को देते हैं । मान्यवर, बिजली की नियमित पूर्ति नहीं होती है उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है और आलू सड़ जाने पर कोई प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है । इतनी अव्यवस्था होने के बाद भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि न कोई एकाधिकार की समस्या है और न शोषण की समस्या है कृषकों को तो माननीय मंत्री जी ने किस आधार पर कहा है कि कोई भी नया शीतगृह इस वर्ष निर्मित नहीं कराया जायेगा । मान्यवर, जब सर्वविदित है कि प्रदेश में आलू के भण्डारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष उत्पादन गिरता जा रहा है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में एकाधिकार या कृषकों के शोषण की कोई समस्या नहीं है और दूसरे इस वर्ष कोई नया सरकारी शीतगृह निर्मित नहीं कराया जायेगा तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कदाचित प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एकाधिकार की समस्या नहीं है मैंने कहा था कि शीतगृह मालिकों के एकाधिकार व उनके द्वारा कृषकों के शोषण को समाप्त करने हेतु सहकारी क्षेत्र में 91 शीतगृह व 6 अतिरिक्त चेम्बर स्थापित हैं । जहां तक भंडारण की स्थिति है तो उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सहकारी कोल्ड स्टोरेज की भडारण क्षमता 72 प्रतिशत उपयोग हुई है और विगत वर्षों से आंकड़े देखें तो पिछले वर्ष 50 प्रतिशत उससे पूर्व 56 प्रतिशत और कदाचित उससे पूर्व के कुछ वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक भण्डारण क्षमता का उपयोग हुआ है । अभी भी प्रदेश में इतनी भण्डारण क्षमता शेष है कि नये कोल्ड स्टोरेज बनाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन की आशा की गयी, उत्पादन हुआ है और आपके शीतगृहों में कुल मिलाकर 28 लाख मीट्रिक टन का आलू भंडारण हो पाता है जिसमें आपके भंडार भी सम्मिलित है । यह भी बात सच है कि उत्तर प्रदेश में किसान के कुल मिलाकर 12 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत हो पाती है और आधे से कुछ कम आलू के भण्डारण की समस्या प्रदेश में बराबर बनी रहती है । मान्यवर, किसान के लिए आलू गन्ने के बाद दूसरी व्यवसायिक फसल है । अगर आप शीतगृह नये नहीं खोलना चाहते हैं तो सरकार को आलू के उपयोग की अन्य वैकल्पिक योजना शुरू करनी चाहिए । मेरा प्रश्न जो है, मान्यवर या तो जो अतिरिक्त आलू हमारे यहां है जो कुल पैदावार का आधा भाग है, उसकी खपत के लिए दूसरी समानान्तर योजना आपके पास है यदि है तो वह क्या है ? आप शीतगृह नहीं खोलना चाहते हैं तो आलू पर आधारित अल्कोहल बनाने के कारखाने जैसे ब्राजील में चल रहे हैं उस प्रकार के कारखाने कोआपरेटिव सेक्टर में चलाने हेतु विचार करेंगे उससे सरकार भी लाभान्वित होगी और संस्थायें भी प्रभावित होंगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा जी प्रश्न जो है वह शीतगृहों के निर्माण के बारे में है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आप प्रश्न की भावना को देख लें । उत्तर प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन आलू इस साल उत्पादित हुआ और मंत्री जी ने साफ कहा कि सरकार के, सहकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के जो शीत गृह बने हुए हैं उनमें सिर्फ 28 लाख मीट्रिक टन की क्षमता है । आप नये शीत गृह खोल नहीं सकते हैं तो क्या आलू के वैकल्पिक उपयोग की योजनाओं पर विचार करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, कदाचित जितने लाख मीट्रिक टन के उत्पादन के आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं, स्थिति यह है कि सारा आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में नहीं आता जितना उत्पादन होता है उसका कुछ भाग दूसरे प्रान्तों को जाता है। आप पूरा उत्तर तो सुन लें।

श्री विजय सिंह राणा-

12 लाख मीट्रिक टन की खपत है बाहर जाता है 8 लाख मीट्रिक टन।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रश्न सहकारी क्षेत्र के शीतगृहों के संबंध में पूछा गया जो विभाग के आंकड़े हैं उनका उत्तर दिया है। जहां तक भण्डारण क्षमता बढ़ाने की बात है, निजी क्षेत्र में इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन मैंने अपने विभाग के आंकड़ों के आधार पर उत्तर दिया है। आर्थिक संसाधनों को देखते हुए, पुराने आंकड़ों को देखते हुए...

श्री अध्यक्ष-

आलू की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहा है।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया वह इनसे संदर्भित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इससे संदर्भित है।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, अलग से इसके बारे में प्रश्न कर लें तो उसकी सूचना दी जा सकती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सहकारी क्षेत्र में शीतगृह खोले जाने के संबंध में प्रश्न था, भावना यह है कि नये शीतगृह अधिक खुलें ताकि किसानों द्वारा पैदा किया हुआ आलू शीतगृहों में रखा जा सके। कैश क्राप के 2-3 साधन हैं गन्ना-आलू गन्ने की जो हालत प्रदेश में है उस पर रोज ही बातें चल रही हैं आलू की भी यही दशा होने वाली है। आलू और गन्ने की जो स्थिति है अगर किसानों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसान बिल्कुल मर जायेगा। अगर नये शीतगृह सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नहीं खोलना चाहते हैं तो किसान लोग अपना आलू रखने कहां जायेंगे यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है और इसी विषय पर श्री विजय सिंह राणा जी ने भी प्रश्न पूछा था। हमारी यह मंशा थी कि हम आलू को कहां रखें तो इसलिए एक योजना पर विचार किया गया कि आलू के आधार पर एक बड़ा उद्योग लगाया जायेगा और उस पर वैज्ञानिकों तथा तकनीकी अधिकारियों ने फैसला किया कि

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद मे एक गोद का कारखाना लगाया जाये इससे विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा और किसानो के आलू की खपत भी हो जायेगी और प्रदेश के आय के स्रोत भी बढेगे । इसलिए मै आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से यह जानना चाहता हू कि किसानो के घाटे को लाभ के रूप मे परिणत करने की दृष्टि से और नये शीतगृह खोलने मे अक्षम होने के कारण क्या आलू की खपत के लिए उत्तर प्रदेश मे गोद का कारखाना लगाने पर विचार करेगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, इसके लिए आप नियम-49 मे लिखकर दे दे । अगले सप्ताह मे इस पर चर्चा लगा देता हू इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने से शासन की नीति भी स्पष्ट नही हो पायेगी ।

श्री सुरेश प्रताप गाधी-

मान्यवर, माननीय मत्री जी ने कहा है कि प्रदेश मे पर्याप्त भण्डारण की क्षमता है इसलिए नये सहकारी शीतगृह निर्माण कराने की आवश्यकता नही है । जो उन्होंने 91 शीतगृह बताये है उनमे से कितने लाभ अर्जित कर रहे है और दूसरी बात यह है कि जो अधिकाश शीतगृह इनके घाटे मे चल रहे है उनका घाटे मे चलने का कारण यह है कि उनमें ऋण की पर्याप्त सुविधा नही है इसलिए वह नही चल पाते है जहां 40 हजार मीट्रिक टन की क्षमता है वहा मात्र 20 हजार मीट्रिक टन ही हो पा रही है, क्योंकि बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है, उनका रख रखाव ठीक नहीं है तो घाटा होता है । शासन की नीति आलू का 60 प्रतिशत पर ऋण देने की सुविधा दी जाये, मगर इन्होंने सहकारी शीतगृहों पर आलू रखने पर कैश क्रेडिट 5-6 लाख ही दिया है तो मै यह कहना चाहता हू कि उसे बढ़ाकर 15 लाख किया जाये जिससे घाटा पूरा होगा और नये शीतगृहों के लगने की संभावना भी पूरी होगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह इस वर्ष नये शीतगृह निर्माण के सम्बन्ध मे है । मैने पूर्व मे ही कहा है कि नये शीतगृह का निर्माण नहीं किया जायेगा क्योंकि प्रश्न इस वर्ष के संदर्भ मे था अत उसका उत्तर दे दिया गया है । साथ ही यह भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने शीतगृह इस समय लाभ पर चल रहे है तो मै यह कहना चाहूगा कि इस समय सहकारिता विभाग मे 10 शीतगृह लाभ पर चल रहे है और शेष 81 शीतगृह लाभ पर नही चल रहे है । दूसरा यह कि जो ऋण स्वीकृति की बात है तो हमने यह व्यवस्था की है कि किसानो को उनके भण्डारण का 60 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप मे दी जायेगी ताकि वह आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके और इस वर्ष हमने प्रत्येक शीतगृह के लिए 2, हजार रुपये मीट्रिक टन के लिए दो लाख रुपये और चार हजार मीट्रिक टन पर चार लाख रुपये की बन्धक ऋण की स्वीकृति दी है ताकि किसान उसका आवश्यकतानुसार उपयोग कर सके । जिस शीतगृह मे इससे अधिक ऋण के आवेदन आयेगे उस पर व्यवस्था की जायेगी ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के फार्मूले की जांच, दवा निर्मित कराने से पूर्व कराये जाने का प्राविधान

*3-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माताओं द्वारा कोई दवा निर्मित करने के पूर्व फार्मूले की जांच प्रयोगशाला से कराये जाने के प्राविधान है ? यदि हां, तो ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों के कितने फार्मूले की कैलेण्डर वर्ष 89-90 व 90-91 में प्रयोगशाला को प्राप्त हुए थे ? कितने फार्मूलों को आपत्तिजनक मानकर अनुमति न देने की संस्तुति की गई थी ? क्या यह सच है कि प्रयोगशाला की आपत्ति के बावजूद उन्हीं फार्मूलों पर औषधि निर्माण के अनुमति पत्र जारी किये गये ? यदि हां, तो दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा0 अमर सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई औषधि निर्माता नया ब्राण्ड बनाना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था पहले से है कि उसे अपना फार्मूला पंजीकृत कराना पड़ता है । मान्यवर, इधर जब से नई सरकार आई है, इस बीच में दवा के नाम पर अनेक औषधि निर्माता दारू बेच रहे हैं और बड़े-बड़े सुरा कांड हुए भी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस तरह की जो तमाम घटनायें हो रही है, जिसमें दवा के नाम पर दारू बिक रही है, इस तरह की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में आती है तो उस समय किसी दवा की जांच कराने का कोई प्राविधान है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि दवा निर्मित करने से पूर्व फार्मूले की जांच प्रयोगशाला में कराये जाने का प्राविधान है । दवा निर्मित करने से पूर्व जो दवा निर्मित करने का फार्मूला है उसकी किसी प्रयोगशाला में जांच कराने का

प्राविधान है । लेकिन माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी फार्मूला है, उस फार्मूले को एप्रूव कराने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति है । उस समिति में द्रव्य शास्त्र के रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ, प्रोफेसर रीडर रहते हैं, जब यह फार्मूला एप्रूव कर देते हैं, उसके पश्चात् दवा के निर्माण की अनुमति देते हैं । उसके बाद इसका क्लीनिकल टेस्ट होता हैं, उसके बाद एनीमल टेस्ट भी कराते हैं । इस प्रकार फार्मूले के एप्रूवल, क्लीनिकल टेस्ट और एनीमल टेस्ट के बाद जब दवा उपयोगी पाई जाती है, तब वह बाजार में आती है और औषधालयों को दी जाती है, इसलिए वह संभावना नहीं है, जो माननीय सदस्य ने व्यक्त की है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, करनाल फार्मेसी की सुरा से बहुत से लोग मारे गये थे, इस पर चर्चा भी हुई थी । माननीय मंत्री जी ने जिस समिति के बारे में बताया, क्या इस समिति के द्वारा उक्त फार्मूले की भी जांच सरकार की तरफ से हुयी थी और उसकी रिपोर्ट क्या थी, यह बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जिस करनाल फार्मेसी का नाम लिया गया वह कपूरासव बनाती थी, उसके फार्मूले को भी एप्रूव कराया गया था । अब यह जांच का विषय है, दिल्ली में न्यायिक जांच चल रही है, उसके संबंध में कमेन्ट करना ठीक नहीं है । वैसे प्राथमिक स्थिति में जो तथ्य आये हैं, उससे भी यह नहीं पाया गया कि वह उत्तर प्रदेश में निर्मित हुयी थी । मान्यवर, जो कपूरासव का फार्मूला है, वह शास्त्रोक्त फार्मूला है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है । अब फार्मूला देने के बाद उसमें कोई गड़बड़ हुयी । कोई कन्टेन्ट से ज्यादा मिला दे या कोई कम मिला दें जहां तक फार्मूले की बात है, विशेषज्ञों द्वारा फार्मूला एप्रूव हुआ था और उसमें कोई कमी नहीं थी ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-4 पर प्रश्नकर्ता डा0 दिनेश जौहरी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल व डेन्टल कालेज खोले जाने के संबंध में जानकारी

*4-डा0 दिनेश जौहरी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल व डेन्टल कालेज खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

जी नहीं ।

युक्तिसंगत आधार नहीं पाया गया ।

बांदा जिलान्तर्गत पाठा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट

*5-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (अनुपस्थित)-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बांदा में पाठा क्षेत्र की जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पाठा पेयजल योजना में सुधार करने हेतु दो आगणन तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें कितना कार्य हो चुका है ? क्या उक्त प्राक्कलनों के आधार पर निर्धारित तिथियों तक का कार्य पूर्ण हो जावेगा ? यदि हां, तो कब तक?यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । बूंद-बूंद पानी को तरसने जैसी बात सही नहीं है ।

जी हां । प्रथम आगणन अनुमानित लागत रुपया 87.115 लाख द्वितीय आगणन अनुमानित लागत रुपया 50.00 लाख के है ।

प्रथम आगणन अनुमानित लागत रुपया 87.115 लाख के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के विरुद्ध 95 प्रतिशत तथा द्वितीय आगणन अनुमानित लागत रुपया 50.00 लाख के विरुद्ध 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1992-93 में शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों का विवरण

*6-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के अधीनस्थ कार्यरत कितने अधिशासी अभियन्ता, बिना किसी कार्य के मुख्यालय से सम्बद्ध है ? जल निगम के अधीनस्थ कितने अधिशासी अभियन्ता के पद रिक्त हैं जिन पर सहायक अभियन्ता, प्रभारी नियुक्त किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन प्रभारी सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति का कारण क्या है और उनके स्थान पर नियमित अधिशासी अभियन्ताओं की पद स्थापना अभी तक क्यों नहीं की गयी है ? उक्त अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जल निगम मुख्यालय में बिना किसी कार्य के कोई अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध नहीं है ।

जल निगम में अधिशासी अभियन्ता के सामान्य कार्य को देखने हेतु 59 सहायक अभियन्ताओं को प्राधिकृत किया गया है ।

सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण सामान्य श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । अतः सहायक अभियन्ताओं को कार्य के हित में अधिशासी अभियन्ताओं के कार्य देखने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

ज्येष्ठता संबंधी विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के फलस्वरूप प्रोन्नतियां अवरुद्ध होने के कारण इन सहायक अभियन्ताओं के स्थान पर नियमित अधिशासी अभियन्ताओं की पद स्थापना किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाने के उपरान्त ही अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यालय से किसी भी अधिशासी अभियन्ता को सम्बद्ध नहीं किया गया है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगी कि कितने सहायक अभियन्ता ऐसे हैं, जिनके उच्च न्यायालय में केस चल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप उत्तर को देखें । उसमें कहा गया है कि सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता के संबंध में वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है । किसी एक के बारे में उत्तर में नहीं कहा गया है । इसलिए आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री सुखदेव-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में कई सहायक अभियन्ता ऐसे हैं, जिनसे अधिशासी अभियन्ता का काम लिया जा रहा है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि कितने ऐसे सहायक अभियन्ता हैं, जिनसे अधिशासी अभियन्ता का काम लिया जा रहा है ? क्या वहां पर अधिशासी अभियन्ता उपलब्ध नहीं है ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

मान्यवर, कुल 208 पद हैं, जिसमें से 4 पद रिक्त हैं । अधिशासी अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) के 33 पद हैं, जिनमें से दो पद रिक्त हैं । इस प्रकार कुल 204 पदों पर कार्य लिया जा रहा है ।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस वाद के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है क्या उच्च न्यायालय ने इसकी प्रोन्नति पर कोई रोक लगाई है ? दूसरा, क्या इन अभियन्ताओं की प्रोन्नति हेतु ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया है, वह अभियन्ताओं के पक्ष में है ? तीसरा, क्या उच्च न्यायालय ने 1976 की सूची के आधार पर प्रोन्नति करने हेतु अवसर दिया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, यह सत्य है कि अधिकरण ने इन अभियन्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया था । लेकिन पूर्व के अनेकों वर्षों से यह कार्य सम्पादित होने के नाते विभाग में विवाद हो जाता, इसलिए जल निगम अधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्च-न्यायालय में चला गया ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया सिद्धौर के चेयमरमैन द्वारा टाउन एरिया की भूमि पर अवैध खेती कराये जाने की शिकायत

* 7-श्री हरदेव सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया सिद्धौर के चेयरमैन द्वारा टाउन एरिया की कितनी भूमि पर अवैध रूप से खेती करायी जा रही है ? क्या इस प्रकरण की गोपनीय जांच शासन स्तर से करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पार्टी की स्वच्छ प्रशासन देने की रणनीति के अन्तर्गत इस प्रकरण की जांच शीघ्र पूरी करा ली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) चेयरमैन द्वारा टाउन एरिया की भूमि पर अवैध रूप से खेती नहीं कराई जा रही है ।

नोटः- नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट से जांच कराई जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां । यथाशीघ्र ।

सहकारिता विभाग द्वारा बकाया वसूली के साथ लिये गये कलेक्शन चार्ज का आडिट कराने के सम्बन्ध में जानकारी

*8-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग द्वारा बकाया वसूली के साथ कलेक्शन चार्ज लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या कलेक्शन चार्ज का आडिट कराया जाता है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

जी हां ।

जिला सहकारी कलेक्शन फण्ड का आडिट क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा एवं क्षेत्रीय सहकारी कलेक्शन फण्ड का आडिट मुख्यालय स्थित वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ लेखाधिकारियों द्वारा कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मूड़ा बुजुर्ग, परगना निघासन जनपद खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही

*9-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा मूड़ा बुजुर्ग, परगना निघासन, जनपद खीरी में वर्ष 1988-89 में शासन द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र की स्वीकृति दी जा चुकी है ? क्या यह सही है कि ग्रामसभा द्वारा भूमि का प्रस्ताव, भवन निर्माण हेतु शासन को भेजा गया है ? क्या डाक्टरों की नियुक्ति, फर्नीचर आदि की व्यवस्था होने के बाद भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो चिकित्सा सुविधा एवं भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

ग्राम सभा मूड़ा, बुजुर्ग, परगना निघासन जनपद खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1988-89 में नहीं अपितु वर्ष 1990-91 में दी गई थी ।

जी नहीं ।

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त होने के कारण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निघासन में तैनात चिकित्सा अधिकारी (सामु0 स्वा0) को अस्थायी रूप से तैनात कर दिया गया है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत है । अतएव जिला योजना में भवन निर्माण हेतु परिव्यय उपलब्ध होने तथा स्थल का अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्राप्त होने के उपरान्त ही भवन निर्माण कराये जाने की कार्यवाही सम्भव है ।

*10-श्री ऊदल-

(दिनांक 10-4-92 को ता0 प्र0सं0 16 द्वारा उत्तरित)

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय गांवों में पेयजल संकट

*11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत जल संस्थान कर्वी के अधीनस्थ ग्राम माटा, ताग सहिंगा, पिपरगवां, ग्राम पपरेन्दा वेन्दाघाट एवं ग्राम साड़ी की पेयजल टंकियां गत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं जिससे क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट है ? क्या पेयजल समस्या के निदान हेतु उक्त ग्रामों की टंकियों को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विकास खण्ड नड़ाखेर खुर्द के अन्तर्गत, ग्राम भरौली की टंकी को सुचारु रूप से चलाया जायेगा । यदि हां, तो उसकी समय अवधि क्या रहेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के अन्तर्गत 20 ग्रामों हेतु "तिंदवारी ग्राम समूह पेयजल योजना" वर्ष 1988 में पूर्ण एवं चालू की गई थी । उक्त 20 ग्रामों में प्रश्नगत ग्राम माटा, पिपरगवां, सहिंगा व बेंदा भी सम्मिलित हैं ।

उक्त योजना में 2 नलकूप निर्मित किये गये थे जिनमें से एक नलकूप के खराब हो जाने के कारण उक्त ग्रामों में पाइप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है । उक्त खराब नलकूप के स्थान पर नया नलकूप निर्माणाधीन है ।

उपरोक्त ग्रामों में उक्त स्थिति में भी पेयजल का भारी संकट नहीं है चूंकि ग्राम माटा में 4, ग्राम सहिंगा में 1, ग्राम पिपरगांवा में 4 तथा ग्राम बेंदा में 6 हैण्डपम्प लगाकर जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है ।

प्रश्नगत ग्राम पपरेन्दा एवं साड़ी "खपटियाकला ग्राम समूह पेयजल योजना" में सम्मिलित है । टंकी में कुछ खराबी हो जाने के कारण उक्त ग्रामों की जलापूर्ति बंद है जिसकी जून, 1992 तक चालू करने का प्रयास है । उक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु क्रमशः 5 व 7 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं ।

ग्राम मरौली खण्डेह ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित हैं । टंकी में कुछ खराबी आ जाने के कारण जलापूर्ति बन्द है जिसको मई, 1992 तक चालू करने का प्रयास है । ग्राम में जलापूर्ति हेतु 3 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं ।

बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर एवं झांसी में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित महिला व पुरुषों की नियुक्ति की जानकारी

*12-श्री श्रीराम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड के जनपद-जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी में सभी बी0टी0सी0 प्रशिक्षित महिला व पुरुषों की विद्यालयों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो किस जनपद में कितने सन् तक के बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को अभी तक नियुक्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद जालौन में वर्ष 1974-1975 से लेकर अब तक के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड के जिन अन्य जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित सभी लोगों की नियुक्ति कर दी गयी है, वहां कुछ पद शेष हैं ? यदि हां, तो क्या उन जनपदों में जालौन जनपद के काफी पुराने तथा अधिक संख्या में उपलब्ध बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को समायोजित कर नौकरी पर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

जनपदवार स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद का नाम	वर्ष जब तक के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित नियुक्त हो चुके हैं ।
जालौन	1973 तक (35 अभ्यर्थी के आंशिक शेष हैं)
हमीरपुर	1976 तक (95 अभ्यर्थी के आंशिक शेष हैं)
बांदा	1981
ललितपुर	1974-75 तक
झांसी	1973 तक के आंशिक (86 शेष हैं)

जी हां ।

बुन्देलखण्ड में कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां बी0टी0सी0 प्रशिक्षित सभी व्यक्ति नियुक्त हो गये हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड के अन्य सभी जनपदों में भी बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं ।

अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने संबंधी रूपरेखा की जानकारी

*13-श्री विजय सिंह राणा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से चलाए जाने की दृष्टि से इसे शिक्षण संस्थाओं के साथ या शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की योजना शासन द्वारा क्या अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा और कार्य संचालन प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जल संस्थान में पी0एस0एस0 पदों की संख्या तथा उन पर नियुक्ति के संबंध में जानकारी

*14-श्री सुल्तान रजा मिर्जा-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में कुल कितने पी0एस0एस0 के पद सृजित हैं और इनके सृजन का आधार तथा कार्य की प्रकृति क्या है ? उक्त पदों पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ? क्या उक्त पदों पर नियुक्त पी0एस0एस0 निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं और उक्त पद पर कार्यरत पी0 एस0 एस0 से उक्त पद के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

लखनऊ जल संस्थान में पी0एस0एस0 (पम्पिंग स्टेशन सुपरिटेन्डेट) के कुल 14 पद सृजित हैं ।

पी0एस0एस0 के पद का सृजन जलकल एवं सीवर व्यवस्था के अनुरक्षण/सर्वेक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत जनहित में किया जाता है और तद्नुसार ही उनसे कार्य लिया जाता है ।

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व तीन वर्ष का अनुभव है ।

एक कर्मचारी को छोड़कर, अन्य सभी अपेक्षित अर्हता पूर्ण करते हैं । उक्त कर्मचारी भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग लाइसेंस जारी किये जाने की मांग

*15-श्री खालिद गौरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग लाइसेंस क्यों जारी नहीं किये जाते हैं ? क्या ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग लाइसेंस जारी करने का प्राविधान किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों के विक्रय व निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका हापुड़ जनपद गाजियाबाद में निष्कासित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनःसेवा में लेने की मांग

*16-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका हापुड़, जनपद गाजियाबाद में 107 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लेने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें नियमानुसार न होने एवं पद की अनुपलब्धता के कारण पुनः सेवा में लेने का प्रश्न नहीं है ।

*17-श्री विजय पाल सिंह तोमर-

(9 वें मंगलवार में ता0 प्र0सं0 19 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

इलाहाबाद नगर महापालिका के बारूद खाना रेलवे लाइन से लगी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

*18-श्री भोला सिंह, श्री विश्राम दास, श्री विक्रमाजीत मौर्य तथा महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के बारूद खाना रेलवे लाइन से लगी सरकारी भूमि अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करके बेची जा रही है जिससे सरकार को लाखों-रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इस अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

बारूद खाना रेलवे लाइन से लगी नजूल या नगर महापालिका की कोई भूमि रिक्त नहीं है । क्षेत्र की एक भूमि गाटा सं0-177/2/2 का स्वामित्व रेलवे व विकास प्राधिकरण के मध्य विवादित है । कथित भूमि के एक भाग पर अतिक्रमण का असफल प्रयास किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग तथा और अन्य विभागों के रिक्त पदों की नियुक्तियों पर लगी रोक को कतिपय प्रतिबंधों के साथ हटाया जाना

*19-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकारी नौकरियों में लगी रोक हटा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन विभिन्न चिकित्सालयों में वार्डब्वाय चपरासी एवं सफाई कर्मियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और किस-किस वर्ग के ? क्या सरकार ने सी0एम0ओ0 मैनपुरी को नियुक्तियों हेतु अधिकृत कर दिया है ? यदि हां, तो कितने पदों के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि राज्य के सभी विभागों के रिक्त पद भरने पर शासन की मितव्ययिता नीति के अन्तर्गत रोक लगायी गयी थी जिसे कतिपय प्रतिबन्धों के साथ दिनांक 26-9-91 से हटा लिया गया ।

जी नहीं ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन वार्डब्वाय तथा स्वीपर-कम-चौकीदार के 15-15 नवसृजित पद रिक्त हैं ।

चिकित्सा विभाग के सभी मुख्य चिकित्साधिकारी चतुर्थ श्रेणी पदों के पहले से ही नियुक्ति प्राधिकारी घोषित हैं । अतः इस हेतु किसी अधिकारी को विशेष रूप से प्राधिकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विद्यालयों में नियुक्त उर्दू अध्यापकों की संख्या एवं अन्य विवरण

* 20-श्री श्याद अली-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां प्रदेश के विद्यालयों में की गयी है ? यदि हां, तो उनकी सन् 1985 से नियुक्तियों की क्या संख्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सन् 1985 से 4375 सहायक अध्यापकों (उर्दू) की नियुक्तियां की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री भरत सिंह

(8 वें शुक्र के लिए स्थगित)

2-श्री ऊदल-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

नगर महापालिका वाराणसी द्वारा जलकर में वृद्धि तथा कर वसूली में उत्पीड़न

3-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी में जलकर 90 रुपये से बढ़ाकर तीन सौ साठ रुपया किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बढ़े हुए रेट को घटाकर पुराने रेट पर जलकर वसूल करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि वहां वसूली सख्ती व उत्पीड़न के तरीके से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर जलकर वसूली में उत्पीड़न को देखते हुए वसूली फिलहाल स्थगित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । जलकर वर्ष 1986 से भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 14 प्रतिशत मात्र है ।

वर्ष 1985 में मीटरयुक्त जल संयोजनों पर जल परिव्यय (मूल्य) की दर 90 रुपये से बढ़ाकर 144 रुपये प्रतिवर्ष की गयी थी तथा मात्र मीटरहीन जल संयोजनों पर ही जल परिव्यय दर 90 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये प्रतिवर्ष की गई थी ।

उक्त दरें विगत लगभग 7 वर्षों से लागू हैं एवं तबसे इनमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है अतः घटाने का औचित्य नहीं है ।

जी नहीं । वसूली संबंधी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

जलकर वसूली में कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है एवं वसूली स्थगन, जनहित में नहीं होगा ।

सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की सेवाओं महंगाई का सरकारीकरण करने का प्रस्ताव तथा पेंशन-ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, आदि की सुविधाओं तथा आरक्षण कोटे की मांग

4-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की सेवाओं का सरकारीकरण करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या अध्यापकों व स्थानीय निकाय कर्मचारियों की भांति पेंशन ग्रेच्युटी आदि की सुविधा इन सचिवों को दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं ।

जी नहीं । सचिवों के वेतन हेतु सहकारी समितियों में अंशदान लिया जाता है । समितियों के सक्षम न होने के कारण उनसे प्राप्त अंशदान सचिवों के वेतन भुगतान हेतु भी पर्याप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में उन्हें पेंशन/ग्रेच्युटी आदि की सुविधायें प्रदान करना संभव नहीं है ।

5-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को ग्राम स्तरीय राज्य कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह असमानता कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं । सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिव राजकीय कर्मचारी नहीं हैं । समितियों की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है कि उन्हें ग्राम स्तरीय राज्य कर्मचारी की भांति मंहगाई भत्ता दिया जा सके । उन्हें उक्त प्रकार की सुविधायें प्रदान किया जाना समितियों के स्वाश्रयी होने पर निर्भर करेगा ।

6-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य कर्मचारियों की भांति सहकारी ऋण समितियों के सचिवों का प्रोन्नति कोटा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/(पंचायत)/(समाज कल्याण) आदि के पदों पर आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस अनुपात में और यह कब से लागू किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां । सहकारी ऋण समितियों के सचिवों का केवल सहायक निरीक्षक वर्ग-2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर पदोन्नति का कोटा आरक्षित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । अन्य कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है ।

शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों को सशक्त साधिकार एवं स्वावलम्बी बनाने की योजना की जानकारी

7-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों को सशक्त, साधिकार एवं स्वावलम्बी बनाने की कोई योजना और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो उक्त योजना व प्रस्ताव का प्रारूप क्या है ? और वह कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों को सशक्त साधिकार एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यवसाय विकास योजना लागू की गयी है । प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उक्त योजना दिनांक 1-4-92 से लागू कर दी गयी है । इस योजना का प्रारूप अत्यन्त बृहत एवं व्यापक है । अतः माननीय सदस्य उक्त योजना का अवलोकन विधान भवन (मुख्य भवन) स्थित मेरे कार्यालय कक्ष 90 में कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी बैकों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में जानकारी

8-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरलीकृत ऋण वितरण प्रणाली के अधीन सहकारी बैकों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सचिवों का आमेलन बैंक सेवा वर्ग-3 में प्राविधिक अधिकारियों की भांति किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या चेक सिस्टम प्रणाली में तैनात उक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक, सहकारी समितियों, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 15-10-91 के द्वारा प्रतिनियुक्ति कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेक्टर ए महानगर, लखनऊ के सामने गोबर आदि गन्दगी के ढेर की सफाई के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

9-श्री खालिद गौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-9-91 को मकान नं0 152, 155 व 156-बी, सेक्टर-ए-महानगर, लखनऊ के सामने गोबर आदि की गंदगी के ढेर की सफाई के संदर्भ में श्री जे0पी0 सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी, तो अब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में गोबर आदि गन्दगी के ढेर को हटवा दिया गया है । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सफाई कराये जाने की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष एवं सचिव नगर क्षेत्र समिति काकोरी, लखनऊ के विरुद्ध कथित गम्भीर आरोप की जांच

10-श्री विजय कुमार त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अध्यक्ष एवं सचिव, नगर क्षेत्र समिति (टाउन एरिया) काकोरी के विरुद्ध क्षेत्र समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा शासकीय धन के गबन व फर्जी भुगतान के गम्भीर आरोप सितम्बर, 91 में लगाये गये थे जिसकी जांच अपर नगर मैजिस्ट्रेट, श्री श्रीनाथ श्रीवास्तव द्वारा की गयी थी और आरोप सही पाए गए थे ? यदि हां, तो अब तक अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच के निष्कर्ष के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के पश्चिमी क्षेत्रों में नालियां, खड़ंजे, शौचालयों एवं सड़कों की मरम्मत की मांग

11-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को आगरा पश्चिम क्षेत्र के जिन क्षेत्रों में नालियां/खड़ंजे, शौचालय नहीं हैं इनमें नाली, फर्श, शौचालय बनवाने व जिन क्षेत्रों में 15 से 25 साल पुराने फर्श लगे हैं व टूटे पड़े हैं, उनमें नये फर्श लगाने व सड़क मरम्मत कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

उपलब्ध सीमित संसाधनों के अनुरूप नगर महापालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाता है । किसी क्षेत्र के लिए अलग से कोई विशेष व्यवस्था सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के समस्त कूड़े को आगरा पश्चिम के भीमनगर गड्ढा नौबस्ता व अन्य गड्ढों में डलवाने की व्यवस्था की मांग

12-श्री किशनगोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार आगरा के समस्त कूड़े को आगरा पश्चिम के भीम नगर गड्ढा नौबस्ता व अन्य गड्ढों में डलवाने की व्यवस्था करेगी, जिससे कि उक्त गहरे गड्डे बंद हो सकें ? क्या यह सत्य है कि भीम नगर गड्ढे में कूड़ा डालने के लिए एम0एन0ए0 व बी0एन0एस0 ए0 नगर महापालिका के आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या वहां पर कूड़ा डालना शुरू हुआ ? यदि नहीं, तो क्या तुरन्त इस कार्य को शुरू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत गड्डे स्थानीय तालाब के रूप में है जिसमें क्षेत्र की आबादी व आस-पास की आबादी का पानी इकट्ठा होता है । गड्ढा भरने से क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जायेगी ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम अमारा के मजरा मरोहला डेरा में प्राथमिक पाठशाला खुलवाने की मांग

13-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या शिक्षा मंत्री जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम अमारा के मजरा मरोहला डेरा में प्राथमिक पाठशाला खुलवायेंगे ? यदि हां, तो विद्यालय कब तक खुलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका औरैया, इटावा द्वारा कराये गये प्रमुख बाजारों एवं मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत का भुगतान कराने की मांग

14-श्री हरिचरन यादव-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका, औरैया इटावा द्वारा कराये गये वर्ष 1991 में नगर औरैया के प्रमुख बाजारों एवं मोहल्लों की सड़कों की

मरम्मत कार्य एवं डामर रोड कान्स्ट्रक्शन कार्य का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 13-1-92 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के प्रमुख बिन्दु क्या है तथा उन पर अब तक (दिनांक 10-2-92 तक) क्या कार्यवाही की गयी है ? समस्त देय धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

पत्र में मुख्य बिन्दु नगरपालिका औरैया, इटावा द्वारा नगर औरैया के प्रमुख बाजारों एवं मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत कार्य का ठेकेदारों को भुगतान किए जाने के संबंध में है ।

समस्त ठेकेदारों को दिनांक 31-3-92 को भुगतान कर दिया गया है ।

समस्त देय धनराशि का भुगतान करा दिया गया है ।

मोहल्ला हटोडा जलेसर, जिला एटा में गम्भीर पेयजल संकट

15-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जलेसर (जिला एटा) में मोहल्ला हटोडा में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस समस्या का समाधान शीघ्र करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक पेयजल समस्या का समाधान किया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मोहल्ला हटोडा जलेसर नगर का एक नवविकसित क्षेत्र है जहां पर पेयजल हेतु पाइप लाइन वर्तमान में नहीं है । पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु पालिका जलेसर द्वारा अपने संसाधनों एवं नेहरू रोजगार योजना में 10 हैंड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था की गई है । कोई गम्भीर संकट नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जलेसर, एटा में नगरपालिका के दो स्वर्गीय सदस्यों के नाम पर मार्गों का नामकरण करने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको विधान परिषद् सदस्य, खान अब्दुल वदूद का पत्र संख्या-1448 बावत जलेसर (एटा) में नगर

पालिका के दो स्वर्गीय वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने के बारे में दिनांक 24-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वर्गीय सदस्यों के नाम पर मार्गों का नामकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा जनपद के जलेसर नगरपालिका के दो स्वर्गीय वरिष्ठ सदस्यों के नाम पर मार्गों का नामकरण किये जाने की मांग के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री यदुनाथ सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक मार्गों का नामकरण क्यों और कैसे नहीं किया गया है ? अब नामकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जिलान्तर्गत लालगंज, ब्लाक में लम्बे समय से कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

18-श्री पूरन प्रकाश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में लालगंज ब्लाक में सर्वश्री राज किशोर दुबे, अमृत लाल यादव, श्रीराम मौर्य, राज नरायन सिंह, श्यामा चरण सिंह, अमर नाथ दुबे अपने गृह ब्लाक में ही लम्बे समय से सेवारत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन शिक्षकों को लम्बे समय से अपने ब्लाक में सेवारत किए जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है ? क्या मंत्री जी इन शिक्षकों को चुनार सदर तहसील में शीघ्र स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो श्री राज किशोर दुबे को (नरायनपुर), श्री राम मौर्य (सीखण), अमृत लाल यादव (जमालपुर), राजनरायन सिंह (मझवां), श्यामा चरण सिंह (छन्बे), अमर नाथ दुबे (पहाड़ी) ब्लाक में स्थानान्तरित करने का प्रभावी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

श्री अमर नाथ दुबे, जनवरी, 92 में सोनभद्र से आये हैं शेष शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियमों के अनुसार परिषदीय अध्यापकों के अपने गृह विकास खण्ड में ठहराव की कोई अवधि निर्धारित नहीं है और न ही अकारण स्थानान्तरण करने का ही कोई नियम है । शिक्षकों के आवेदन करने पर या शिकायत होने पर जांचोपरान्त शिकायत सत्य होने पर स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

इलाहाबाद जिले के माण्डा विकास खण्डान्तर्गत प्राथमिक पाठशाला ऊंचाडीह में लम्बे समय से सेवारत कतिपय शिक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

19-श्री पूरन प्रकाश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले के माण्डा विकास खण्डान्तर्गत प्राथमिक पाठशाला ऊंचाडीह (उपरौध) के अध्यापक सर्वश्री कमलेश्वर सिंह, दिनेश सिंह प्रश्नगत पाठशाला में ही सेवारत किए जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त दोनों शिक्षक अपने गांव में लम्बे समय से सेवारत हैं और पठनपाठन को पक्षपात करके प्रभावित करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को गैर जिले में शीघ्र स्थानान्तरित करेगी ? क्या उक्त अध्यापकों के लम्बे समय से उक्त गांव में कार्यरत किए जाने तथा गांव के विद्यार्थियों की पढ़ाई पक्षपात करने के कारणों की उपनिदेशक स्तर से जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

श्री कमलेश्वर सिंह दिनांक 18-9-71 तथा श्री दिनेश सिंह दिनांक 23-7-76 से कार्यरत है ।

शिक्षकों के एक स्थान पर ठहराव की समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

जी हां ।

जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

जी नहीं । बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षकों का संवर्ग जनपद के इकाई का ही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के गत वर्ष में अनुदान सूची पर लाये गये अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने की सूचना

20-श्री फरीद महफूज किदवई, श्री राम लखन तथा श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मार्च, 90-91 में जिन बारह (12) अरबी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया था उनके अध्यापकों एवं

कर्मचारियों को वर्ष 91-92 में जनवरी, 92 तक वेतन भुगतान किन परिस्थितियों में नहीं किया गया ? वर्ष 91-92 में, 92-93 में इनके वेतन भुगतान के लिए धन की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में एवं सम्बन्धित जिला योजनान्तर्गत अपेक्षित धनराशि का प्राविधान न होने के कारण वर्ष 1991-92 के लिए 30 मार्च 1992 के शासनादेश द्वारा प्रश्नगत मदरसों के अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु धन की स्वीकृति दी जा चुकी है । वर्ष 1992-93 के लिए धन की व्यवस्था प्राविधान कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

आदर्श हस्तकला जूनियर हाईस्कूल बांदा का त्रिभाषा अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में पत्र

21-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का उनको सम्बोधित एक पत्र संख्या-ग 330485 दिनांक 14-7-91 आदर्श हस्तकला जूनियर हाई स्कूल बांदा का अकारण रोका गया त्रिभाषा अनुदान दिलवाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शीघ्र ही यह अनुदान दिलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

निदेशालय के पत्रांक-अर्थ (1) 252 दिनांक 13-4-92 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) झांसी को भुगतान हेतु आदेश कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22-श्री बची सिंह रावत-

(8 वें मंगल में अता0 प्र0सं0 6 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश जल निगम में मानचित्रक से संगणक के पद पर पदोन्नति की जानकारी

23-श्री बची सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 जल निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 7-9-91 की मद संख्या 102-09 में विभाग द्वारा पूर्ण

औचित्य दर्शाते हुए मानचित्रक से संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) तक बढ़ाये जाने का विषय, कार्य सूची में सम्मिलित था, जिसमें कोई वित्तीय प्रकरण भी अन्तर्निहित था ? यदि हां, तो क्या इस विषय को नगर विकास सचिव तथा सचिव ब्यूरो द्वारा अनावश्यक रूप से लम्बित करके कर्मचारियों के साथ असमानता बरती गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जीहां ।

जी नहीं ।

50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कोटा बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण किया जाये कि इससे अन्य संवर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इस सम्बन्ध में कार्मिक/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का मत भी प्राप्त किया जाये ।

कार्मिक/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के परामर्शानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी प्रश्न नहीं उठता ।

24-श्री किशन गोपाल-

(8 वें मंगल में अता0 प्र0सं0 129 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

25-श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री अनिल कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को वर्ष 1991-92 में उनके पद से कार्यमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन आरोपों के अनुसार ? शासन द्वारा उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ? उक्त अधिकारी वर्तमान समय में अपने पद पर किस आधार पर काम कर रहा है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अनियमित नियुक्तियां, पदोन्नतियां, समायोजन, स्थानान्तरण में अनियमितता एवं प्राइमरी पाठशाला के अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराये जाने में रूचि न लेने की शिकायत के आधार पर ।

विभागीय जांच करायी जा रही है ।

उक्त अधिकारी वर्तमान समय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के पद पर कार्यरत नहीं है ।

पर्वतीय अंचलों के सहकारी समितियों में चुनाव कराने की मांग

26-श्री कृष्ण चन्द्र-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय अंचलों (उत्तरांचल) में जबसे सहकारी समितियों में ए0डी0ओ0 तथा ए0डी0सी0ओ0 को प्रशासक नियुक्त किया गया है, तबसे समितियों के क्रिया कलापों में शिथिलता आने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कृषकों/सदस्यों की कठिनाइयां ऋण वसूली तथा समितियों का प्रभावी नियंत्रण कम होने से बढ़ गयी हें ? यदि हां, तो क्या शासन स्तर से इन समितियों के लिए चुनाव कराके पुनः संचालक नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29 (3) के अंतर्गत सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन कराने का दायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ का है ।

विधिक एवं प्रशासनिक कठिनाईयों के दूर होने पर यथासमय निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुहल्ला सुतरखाना बांदा के आवासियों द्वारा दिये गये पेयजल समस्या विषयक पत्र के संबंध में जानकारी

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुहल्ला सुतरखाना (अम्बेदकर नगर) बांदा के आवासियों का सामूहिक पत्र, जिलाध्यक्ष, बी0एस0पी0, बांदा के माध्यम से पेयजल समस्या के निदान विषयक पत्र 3/8-91 (जुलाई/अगस्त 91) जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? पेयजल पाइप लाइन वहां कब तक बिछा दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28-श्री लाखी राम जोशी-

(8 वें शुक्र के लिए स्थगित)

29-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 21-4-92 को अता0 प्र0 सं0 70 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ में वाटर वर्कस रोड पर आई0टी0 कालोनी में सड़क नालियां पार्क आदि बनाये जाने की मांग

30-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में वाटर वर्क्स रोड पर आई0टी0 कालोनी में सड़कें व पार्कों की दीवारें गत दस वर्ष से नहीं बनी है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-89, प्रशासक, नगर महापालिका के कार्यालय में ता0 29-8-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? अब कब तक उक्त सड़क, नालियां, पार्क की बाउन्ड्री व फुटपाथ बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां । उक्त आशय का पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत क्षेत्र में वर्ष 1987 से मार्च 1990 तक 74,000 रुपये व्यय करके सड़क नाली खड़ंजें आदि के कार्य कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार सड़क पैच, नालियों की मरम्मत आदि का कार्य कराया जाता है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर के नवनिर्मित नलकूप को शीघ्र चालू कराने की मांग

31-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में नवनिर्मित नलकूप को 4 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक चालू नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस नलकूप को ग्रीष्म ऋतु से पूर्व चालू कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

नगर जल संपूर्ति कार्यक्रम के लिए सीमित धन उपलब्ध हुआ । इसी कारण सम्भव नहीं हुआ ।

विद्युत कनेक्शन हेतु 1-12 लाख रुपया जमा किया जा चुका है । संयोजन प्राप्त होते ही नलकूप चालू करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा पश्चिमी अनु0 क्षेत्र में स्वीकृत समुचित हैण्ड पम्प लगाने की मांग

32-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहरी क्षेत्र के लिए वर्ष 1991-92 में कितने हैण्ड पम्प शासन से स्वीकृत हुए उनमे से कितने हैण्ड पम्प आगरा पश्चिमी अनु0 क्षेत्र में लगाये गये ? क्या आगरा शहर में मिले कुछ हैण्ड पम्पों में से 1/3 भाग जो कि नियमानुसार आगरा पश्चिम को मिलना चाहिए दिलाये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

आगरा शहरी क्षेत्र के लिए वर्ष 1991-92 में 250 हैण्ड पम्प उ0प्र0 जल निगम द्वारा एवं 152 हैण्ड पम्प जल संस्थान द्वारा इस तरह कुल 402 हैण्ड पम्प सूखा राहत एवं माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैं । इनमें से 116 आगरा पश्चिमी क्षेत्र के लिए हैं ।

जी नहीं । इस तरह का कोई नियम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम व ब्लाक कुठौंद जनपद जालौन में माधोगढ़ रोड पर अविलम्ब पेयजल लाइन बिछाने की मांग

33-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व ब्लाक कठौंद जनपद जालौन में माधोगढ़ रोड पर चार इंची 8 सौ मीटर की पेयजल लाइन जनवरी, 1991 से स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या जनता की पेयजल समस्या को देखते हुए अबिलम्ब पेयजल लाइन डलवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

कुठौंद ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ किया गया एवं एक नलकूप, 35 मीटर राइजिंग मेन तथा 700 मीटर वितरण प्रणाली डालकर उक्त वर्ष में ही नलकूप चालू कर दिया गया है ।

योजना 3 कि0मी0 वितरण प्रणाली और डाली जानी है जिसमें से प्रश्नगत ग्राम व ब्लाक कुठौंद में [illegible]गढ़ रोड पर 75 किमी0 व्यास की 800 मीटर पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त शेष पाइप लाईन वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन की उपलब्धता के अनुसार डाली जानी है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम का एक कार्यालय तहसील भिकियासेन जिला अल्मोड़ा में स्थापित करने की मांग

34-श्री बची सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के अधीक्षक अभियन्ता रानीखेत, अल्मोड़ा का एक कार्यालय द्वितीय प्रकल्प शाखा, काठगोदाम, जिला नैनीताल में स्थित है ? क्या इसका कार्यक्षेत्र रानीखेत भिकियासेन तहसील, जिला अल्मोड़ा, में स्थित है जो कि काठगोदाम से करीब 200 किमी0दूरी पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस कार्यालय के अपने क्षेत्र में न होने से तमाम योजनाओं का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इस कार्यालय को तहसील भिकियासैन, जिला अल्मोड़ा में स्थापित करने हेतु उत्तरांचल विकास विभाग के राज्य मंत्री ने सचिव, नगर विकास को दिनांक 29-11-91 को पत्र द्वारा निर्देशित भी किया है ? यदि हां, तो इस कार्यालय को अभी तक तहसील भिकियासैन में स्थापित क्यों नहीं, किया गया है ? कब तक इसे वहां पर स्थापित किया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । उक्त शाखा योजना विचरन का भी कार्य कर रही है, अतः निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है ।

जी हां । माननीय राज्य मंत्री, उत्तरांचल विकास विभाग ने उक्त कार्यालय, को तहसील भिकियासेन, जिला अल्मोड़ा में स्थापित करने के लिए लिखा है ।

कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, अतः आवश्यकता नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

35-कृष्ण चन्द्र-

(8 वें मंगल में अता0 प्र0सं0 130 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

36-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में, पृथक-पृथक कुल कितने-कितने प्रधान अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद उन्नाव में प्रधानाध्यापिकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:-

विद्यालय	प्रधानाध्यापक के रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	81
उच्च प्राथ0 विद्यालय	58

बेसिक शिक्षा परिषदीय सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण संबंधी वाद विशेष अनुज्ञा याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णय होने तक प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है ।

37-श्री भगवती सिंह विशारद-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

राजकीय मेडिकल कालेजों में रीडर इन रेडियोलाजी के पदों पर दो व्यक्तियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

38-श्री दीप लाल भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में शासन ने दिनांक 14 मई, 1991 के आदेश द्वारा वर्ष 1980 से निरन्तर राजकीय मेडिकल कालेजों में रीडर इन रेडियोलाजी के पदों पर कार्यरत दो व्यक्तियों को, उनकी

विशिष्टता रेडियोलाजी विषय पर होने के कारण विनियमितीकरण न करके वर्ष 1987 तथा 1989 में स्थानान्तरित अस्थायी पदों पर रेडियोथिरैपी विभाग में उनका विनियमितीकरण किया है ?

श्री कल्याण-

शासनादेश संख्या-4936 सेक-1/पांच-जी-14/86 दिनांक 3 अगस्त, 1987 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों की रेडियोलाजी विशिष्ठता को रेडियोडायग्नोसिस एवं रेडियोथिरेपी विशिष्टताओं में विभक्त किया गया था एवं संबंधित अध्यापकों से विकल्प लेकर रेडियोथिरेपी अथवा रेडियोडायग्नोसिस विशिष्टताओं में समायोजित किया गया था ।

प्रश्नगत दो व्यक्तियों के विवरण न होने के कारण उत्तर देना संभव नहीं है ।

जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उ0प्र0, बिजनौर पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच

39-श्री बसंत लाल गुप्त-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, बिजनौर पर भ्रष्टाचार के आरोप जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्रांक 345/आ0लि0 91 दिनांक 28-6-91 के द्वारा लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक जांच कराई जायेगी ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं । जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0, बिजनौर श्री बी0एल सिंह चन्दौल को लापरवाही, उदासीनता, अच्छी ख्याति न होने के कारण तथा आदेशों की अवहेलना करने के कारण कार्य एवं जनहित में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया था । श्री चन्द्रौल का स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के म्युन्सिपैलिटी बांसी में सार्वजनिक मार्ग को गंदा करके रास्ते को बाधित करने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

40-श्री सतीश भाटिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर के

म्युन्सिपैलिटी, बांसी में कुछ नागरिक सड़क पर खुला नावदान बनाकर गंदा पानी बहा रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सार्वजनिक मार्ग को गंदा करके रास्ते को बाधित करने के लिए क्या कर्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही करके नालियों के गंदे पानी का बहने से रोका जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में चिकित्सकों के स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

41-श्री लाल जी वर्मा

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय लखनऊ में संयुक्त निदेशक स्तर की ऐसी चिकित्सक जो लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से लखनऊ जनपद में ही कार्यरत है, को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कब तक लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आगामी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

जनपद एटा के नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेसिक अध्यापकों का नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

42-श्री अवध पाल सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि जनपद एटा के नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षे9 के बेसिक अध्यापकों के स्थानान्तरण 30 अगस्त, 1991 के पश्चात् किये गये हैं और अब भी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो मध्य सत्र में स्थानान्तरण किये जाने का क्या औचित्य है ? नियम विरुद्ध बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्थानान्तरण करते रहने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा को सचेत कर दिया गया है ।

43-श्री अवध पाल सिंह-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

लखनऊ स्थित मोहल्ला स्नेह (दक्षिणी) आलमबाग में खडंजा, नालियों आदि की व्यवस्था की मांग

44-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मो0-स्नेह (दक्षिणी) आलमबाग में जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था, खड़ंजा बिछवाने की कोई व्यवस्था पिछले 5 वर्षों के अन्तर्गत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बराबर 12 महीने पानी भरा रहता है, जिसके कारण विशेष प्रकार के मच्छरों की उत्पत्ति के फलस्वरूप आये दिन बच्चे व स्त्रियां बीमार रहती हैं ? यदि हां, तो इसके लिए शासन के पास क्या योजना है ? कब तक इस योजना को कार्यरूप में बदल दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्नगत मोहल्ला भट्टी की ऊंची नीची जमीन पर बिना स्वीकृत ले आउट के अनाधिकृत अनियमित रूप से बसा हुआ है जिसको विकसित किये जाने की कोई योजना नहीं है । वर्षा ऋतु में तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर महापालिका द्वारा पम्प लगाकर पानी की निकासी की जाती रहती है । मच्छरों के निदान हेतु मलेरिया विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

अनाधिकृत व अविकसित क्षेत्रों को विकास शुक्ल जमा कराकर विकसित करने का दायित्व प्राधिकरण का है ।

नौगढ़ बाजार, ब्लाक नौगढ़ तहसील चकिया जिला वाराणसी के नवनिर्मित अस्पताल को शीघ्र चालू करने की मांग

45-श्री ऊदल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान नौगढ़ बाजार, ब्लाक नौगढ़ त0 चकिया जिला वाराणसी में अस्पताल की इमारत बनकर कई माह से तैयार है ? यदि हां, तो अब तक अस्पताल को उसमें न ले जाने का कारण क्या है ? क्या कारण इसकी जांच करायेगी ? क्या अस्पताल को नये भवन में ले जाने का शीघ्र आदेश देगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सेवानिवृत्त सिस्टर, श्रीमती वी0एम0 निगम के उपार्जित अवकाश का नगदीकरण की जानकारी

46-श्री संत बख्श रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, एडवोकेट, सी 8/5, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ का पत्रांक संख्या शून्य दिनांक 27-8-91 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निदेशक का पत्र संख्या 19 प/30-एम-1600, दिनांक 6 अप्रैल, 1991 जो कि श्रीमती वी0एम0 निगम, सेवानिवृत्त सिस्टर के उपार्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति के बारे में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारी उपभोक्ता संघ, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से गोदाम परियोजना हेतु लिये गये ऋण के संबंध में जानकारी

47-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी उपभोक्ता संघ, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से तथा सीधे गोदाम परियोजना के लिए विश्व बैंक से आवश्यक वस्तु आदि का भण्डारण करने, योग्य गोदामों का निर्माण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 में कितना-कितना रुपया कर्ज लेकर प्रदेश के किन-किन जनपदों में गोदामों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि निर्मित करायी गये गोदामों को, किस-किस प्रयोजन में लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त गोदाम रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं । इन वर्षों में कोई ऋण संघ द्वारा नहीं लिया गया है । अपितु वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में प्रति वर्ष 202, 90,500-00 रुपये कुल 4,05,81,000-00 रुपये का ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त करके संघ ने 44 जनपदों टेहरी गढ़वाल, कानपुर, बांदा, महोबा, इटावा,फर्रूखाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, बहराइच, गोण्डा, उरई, ललितपुर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, फैजाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, आगरा,अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी, हल्द्वानी, लखीमपुर-खीरी, रामपुर,

गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर,बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, अल्मोड़ा, पर निर्माण कराया गया है ।

17 गोदाम संघ के उपयोग में हैं एवं 10 गोदाम किराये पर हैं ।

17 गोदाम रिक्त हैं ।

संघ के नवसृजित डिपो/शाखाओं हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा किराये पर भी दिये जाने की कार्यवाही जा रही है ।

पुरानी कालोनियों को शासन द्वारा अधिग्रहण करने संबंधी कार्यवाही की जानकारी

48-श्री सतीश भाटिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालोनियों को अधिग्रहित करने संबंधी नीति में शासन उन पुरानी कालोनियों को जिनको बनाने वाले अब नहीं हैं को बिना किसी शुल्क के अधिग्रहीत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिग्रहीत करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद एटा में ग्राम धीमरपुर में स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला को ग्राम धीमरपुर के मजरा टपरी में बनाये जाने पर आपत्ति

49-श्री अवधपाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला ग्राम धीमरपुर को कहीं दूसरे स्थान पर बनवाया जा रहा है ? क्या शिक्षा समिति के नियमों के मुताबिक प्राइमरी पाठशाला धीमरपुर में ही बनना चाहिए किन्तु धीमरपुर के मजरा टपरी में बनाया जा रहा है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

ग्राम धीमरपुर के मजरा टपरी में भवन निर्मित कर दिया गया है ।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति की स्वीकृति के अनुसार ग्राम धीमरपुर में मजरा टपरी में प्राइमरी पाठशाला भवन निर्मित कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50-श्री चरन सिंह-

(दिनांक 24-4-92 को अताप0 प्र0 सं0 31 द्वारा उत्तरित)

51-श्री राम औतार शाक्य-
(दिनांक 28-4-92 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित)

52-श्री ऊदल-
(दिनांक 24-4-92 को अता0 प्र0 सं0 143 द्वारा उत्तरित)

कुवा बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुवा, जिला आजमगढ़ को अनुदान सूची पर लाये जाने की मांग

53-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुवा बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिला आजमगढ़ को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता सन् 88 में दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कुवा बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुवा, आजमगढ़ को आर्थिक ऐड देने पर विचार करेगी ताकि बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत वहां बढ़ सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार यथासमय आवेदन करने पर निर्धारित मानक के अनुसार विचार किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक शिक्षा अधीक्षक व उप शिक्षा अधीक्षक के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग

54-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधीक्षक व उप शिक्षा अधीक्षक के अधीन होते हैं ? यदि हां, तो इन अधिकारियों का वेतनक्रम अन्य प्रधानाध्यापकों से कम क्यों हैं ? क्या इस विसंगति को दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के नियुक्ति प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं । नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक इन अध्यापकों के निरीक्षक वर्गीय अधिकारी होते हैं ।

उप शिक्षा अधीक्षक का पद नहीं है ।
प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षा अधीक्षकों के संवर्ग पृथक-पृथक हैं ।
प्रकरण विचाराधीन है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शिक्षा अधीक्षकों के रिक्त पद पर सहायक शिक्षा अधीक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही

55-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा अधीक्षकों के कितने ऐसे स्थान रिक्त हैं, जिन्हें सहायक शिक्षा अधीक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाना है ? कब से उक्त पद रिक्त हैं ? इन्हें अब तक भरे न जाने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र ही यह रिक्त स्थान भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-
12 पद ।
अक्टूबर, 1991
प्रोन्नति द्वारा पदों को भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
जी हां । यथाशीघ्र चयन कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1989-90 में दस हजार रुपये तक के ऋण माफ करने की सरकार द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद ऋण की वसूली

56-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1989-90 में यह घोषणा की गयी थी कि गरीब किसानों की गरीबी व भुखमरी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दस हजार रुपये तक के ऋण माफ कर दिये गये ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त घोषणा करने के बाद भी यह वसूली आर0सी0 के द्वारा जबरदस्ती क्यों की जा रही है ? यदि सरकार द्वारा उक्त घोषणा की गयी थी, तो बीच में दो वर्ष तक वसूली रोककर ऋण लेने वालों के ऊपर, मूलधन पर ब्याज बढ़ाने का औचित्य क्या था ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं, अपितु दिनांक 2-10-89 को दस हजार तक की अधिकतम सीमा तक जिसमें दिनांक 2-10-89 तक का ब्याज भी सम्मिलित है, निम्नलिखित श्रेणी के ऋण माफ किये गये हैं:-

श्रेणी-1:-

अल्पकालीन ऋण जो 2-10-86 को या उसके पूर्व अतिदेय हो एवं टर्म लोन (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) की वे किश्तें जो दिनांक 2-10-86 तक अतिदेय हों तथा ऐसे ऋण यदि दिनांक 2-10-89 को भी अतिदेय (बकाया) में रहे हों, तो ऐसे सभी ऋणों को तीन वर्ष से अधिक का बकाया समझा जायेगा जिसे नांन विलफुल बकाया की श्रेणी में मानकर माफ किया जायेगा इसमें अनवारी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्रेणी-2

1 अप्रैल, 1986 को या उसके पश्चात् लिये गये अल्पकालीन ऋण एवं लांग टर्म लोन (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) की वे किश्तें जो दिनांक 2-10-86 के बाद देय हों तथा यह ऋण 2-10-89 को अतिदेय (बकाया) हों तथा यदि ऐसे ऋणियों के गांव में दो या उससे अधिक वर्षों, चाहे वे लगातार हों या न हों, में खराब फसल वर्षों का सामना करना पड़ा हो और उनमें से एक वर्ष, वह हो जिसमें ऋणी ने ऋण अदा करने में चूक की हो तो ऐसे ऋणियों के बकाया राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी अनवारी प्रमाण-पत्र के आधार पर माफ किये जायेंगे ।

श्रेणी-3

ऐसे ऋणियों जिनकी दिनांक 2-10-89 या उसके पूर्व मृत्यु हो गई हो, संबंधित ऋणी के ऊपर दिनांक 2-10-89 को लगे हुए ऋण माफ किये जायेंगे । इसमें अनवारी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्रेणी 4-

ऐसे ऋणियों जो दिनांक 2-10-89 या उसके पूर्व दिवालिया घोषित कर दिये गये हों या दिवालिया घोषित किये जाने के लिए याचिका न्यायालय में दिनांक 2-10-89 या उसके पहले दायर कर रखी हो, जो लम्बित हों, ऐसे ऋणियों के दिनांक 2-10-89 के अतिदेय माफ किये जायेंगे । इसमें अनवारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्रेणी 5-

ऐसे कारीगरों अथवा बुनकरों, जिनका अतिदेय दिनांक 2-10-86 के पश्चात् पड़ा हो तथा जिनकी परिसम्पत्तियों की क्षति दिनांक 2-10-89 या उसके पूर्व हुई है, उनमें दिनांक 2-10-89 के अतिदेय को माफ किया जायेगा।

बकायादार सदस्य जो ऋण माफी के पात्र नहीं पाये गये, उनसे बकाया ऋणों की वसूली नियमों के अन्तर्गत की जा रही है ।

दो वर्ष तक वसूली नहीं रोकी गयी । ऋण माफी योजना में मात्र दिनांक 2-10-89 तक का ब्याज माफ किया गया है, अतः दिनांक 2-10-89 के पश्चात् का ब्याज बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत लगाया गया है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को तथा शासन द्वारा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-91 व दिनांक 14-1-92 प्राप्त हुआ है । क्या कोई पत्र दिनांक 27-12-91 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को शासन द्वारा भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

पत्र दिनांक 23-12-91 जो श्री घनश्याम, परिवार कल्याण निदेशालय के सम्पत्ति विवाद के विषय से संबंधित था, को गृह विभाग को यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । दिनांक 14-1-92 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी हां । उक्त पत्र मेडिकल मन्थन योजना को सुचारु रूप से चलाने विषयक था । इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना भेजने हेतु मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देश दिये गये हैं ।

सहकारी शीतगृह, राजा तालाब, वाराणसी व गिरजन हितार्थ वाराणसी द्वारा यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ से व्यवसाय हेतु लिये गये रुपये के संबंध में जानकारी

58-श्री ऊदल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी शीतगृह, राजा तालाब, वाराणसी व गिरजन हितार्थ वाराणसी ने यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ से कितने रुपये का व्यापार वर्ष 85 से लेकर दिसम्बर, 90 तक किया है ? क्या यह सही है कि वही संस्थाये यू0पी0 उपभोक्ता संघ, उत्तर प्रदेश

का सदस्य बन सकती हैं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त दोनों संस्थाओं को यू0पी0 उपभोक्ता संघ का सदस्य कैसे बनाया गया ? यू0पी0 उपभोक्ता भण्डार के प्रबंध संचालन में कौन से प्रतिनिधि भाग लेते रहे है ? उनके नाम व पते क्या है और उनको कितने रुपये टी0ए0 व डी0ए0 में सरकार को उक्त अवधि में देना पड़ा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या सरकार श्रीमती राजकुमार देवी, जोकि वाराणसी होल सेल कोआपरेटिव वाराणसी की सदस्या नहीं है, को यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ का प्रतिनिधि बनाये जाने की जांच करायेगी ? वह किन नियमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि बनायी गयी हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

सहकारी शीतगृह, राजा तालाब वाराणसी ने 1,172-60 पैसे का और गिरजन हितार्थ सहकारी क्रय-विक्रय समिति, वाराणसी ने 13,626 रुपये का यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ से व्यवसाय किया ।

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की उपविधि-5 में यह प्राविधान भीं है कि "ख" श्रेणी की सदस्यता हेतु, वे सभी लीड समितियों, जो ग्रामीण उपभोक्ता कार्य हेतु निबंधक द्वारा स्वीकृत हों तथा ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां भी जिनका उपभोक्ता व्यवसाय 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक रहा हो और इस व्यवसाय में कम से कम 50 % व्यवसाय अनियंत्रित वस्तुओं का रहा हो, पात्र होंगी ।

सहकारी शीतगृह राजा तालाब (पंजीकृत नाम सहकारी शीतगृह नदेसर), वाराणसी का व्यवसाय 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक होने तथा उसमें अनियंत्रित व्यवसाय 50% से अधिक होने के कारण दिनांक 4-1-84 को सदस्य बनाया गया तथा गिरिजन हितार्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति को लीड समिति का कार्य करने के आधार पर दिनांक 3-4-89 को उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है ।

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रबंध संचालन में संघ के निम्नलिखित संचालक अपनी-अपनी कार्यावधि में भाग लेते रहे हैं, उनके नाम व पते अधोलिखित हैं:-

1-श्री दीनानाथ सेवक, 382, प्रभू टाउन रायबरेली ।

2-श्री महिपाल सिंह, उपाध्यक्ष, ग्राम रजपुरी नवादा, पो0 भुगतान, जिला रायबरेली ।

3-श्री हरिओम अग्रवाल, संचालक, घीया मण्डी, मथुरा ।

4-श्री लक्ष्मण सिंह, संचालक, 21 बी, स्टेशन रोड, छितवापुर पुलिस चौकी, लखनऊ ।

5-डा0 किरन यादव, सिरवां, फर्रुखाबाद (भू0पू0) ।
6-श्रीमती लज्जा पन्त, क्रान्ती कुटीर, अल्मोड़ा (भू0पू0) ।
7-श्री पूरब सिंह नेगी, 62, चना खेत, टिहरी गढ़वाल ।
8-श्री सूरज कान्त द्विवेदी, गांधी नगर, महोबा, हमीरपुर ।
9-श्री अजय प्रताप सिंह, 115, साहबगंज, पो0 बड़ागांव, निकट पंजाब नेशनल बैंक, गोण्डा ।
10-श्री ओम प्रताप सिंह 627, रेवतीकुंज, हापुड़, गाजियाबाद ।
11-श्री हरवंश पाण्डेय, म0नं0-डी-65, 431, लहरतारा, वाराणसी ।
12-श्री सुदामा सिंह, होटल राज, रेलवे स्टेशन के सामने, गोरखपुर ।
13-स्व0 श्री साजिद अली खां, घेर आजम खां, रामपुर ।
14-श्रीमती इन्द्रा सिंह, 4/214 बी-1, विष्णुपुरी, कानपुर ।
15-कुमारी ममता पलडिया, एडवोकेट, ग्राम गजेपुर, पो0 कुंवरपुर, गोलपारा, हल्द्वानी, नैनीताल ।
16-श्री सुरेश चन्द्र सेनी, ग्राम-सैदपुर, डा0 सरसवां, जिला सहारनपुर (भू0पू0)
17-श्री करीम बक्श अंसारी, कांठ, जिला-मुरादाबाद (भू0पू0) ।

सरकार को टी0ए0 व डी0ए0 के रूप में कोई धनराशि नहीं देनी पड़ी । क्योंकि यह दायित्व संघ का ही होता हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वह सदस्या हैं । जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-444-ख (3) (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ की प्रतिनिधि हैं ।

टाउन एरिया के अध्यक्ष आदि के चुनाव में समुचित संशोधन की मांग

59-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जब अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो नगरपालिका अधिनियम के प्राविधान इस पर लागू होते हैं ? क्या उक्त प्रक्रिया नियमानुसार सही है ? क्या सरकार इस अधिनियम के उक्त प्राविधान को समाप्त करते हुए इसमें समुचित संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि आगरा मण्डल में उक्त प्राविधानों के तहत कितने टाउन एरिया अध्यक्षों के मामले विचाराधीन हैं ? जनपद मथुरा में कितने ऐसे मामले हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) क्योंकि यू0पी0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-87 का विस्तार नियमानुसार टाउन एरियाओं पर भी किया गया है ।

(ज) उपलब्ध सूचनानुसार टाउन एरिया कमेटी, जसराना, जनपद फिरोजाबाद तथा टाउन एरिया, पिनाहट, जनपद आगरा के मामले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के फलस्वरूप विचाराधीन है ।

(झ) कोई नहीं ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

60-श्री विशुन दयाल तथा श्री महेन्द्र जैन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच निदेशक (प्रशासन) द्वारा की गयी थी एवं आरोप सिद्ध होने पर उन्हें फरवरी, 1991 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो मई, 1991 में उनका निलम्बन किन परिस्थितियों में वापस लिया गया था ? क्या यह सही है कि उनका स्थानान्तरण पहले देवरिया तथा बाद में बलिया जनपद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए किया गया था किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया एवं न ही कैश चार्ज दिया जिसमें लगभग रु0 46,000 था ? यदि हां, तो शासन द्वारा दोषी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल तथा संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा की गई थी जिसके आधार पर उन्हें फरवरी, 1991 में निलम्बित किया गया था । तदुपरान्त जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या एवं प्रकरण से संबंधित तथ्यों पर भली-भांति परीक्षणोपरान्त उनके निलम्बन को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया । यह सही है कि उनका

स्थानान्तरण पहले देवरिया तथा बाद में बलिया जनपद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर किया गया था जिसके विरोध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायलय ने उक्त रिट याचिका में स्थगन आदेश पारित किये हैं और उन्होंने अपनी तैनाती के पद पर कर्यभार ग्रहण नहीं किया है । उनके कैश चार्ज में रु0 39112-05 पैसे थे । उनसे कैश का चार्ज वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को दिलाये जाने हेतु निदेशक (प्रशासन) को निर्देश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ नगरमहापालिका में फर्जी भुगतान की जांच

61-श्री विशुन दयाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ नगरमहापालिका में रु0 85,000 के फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशुन दयाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र जनवरी/फरवरी, 92 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

मामले की जांच डा0बी0सी0 गोयल, उप नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कराई गई तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हजरतगंज थाने में दिनांक 14-3-91 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सात एलोपैथी मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में मुख्य लिपिक तथा प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों के सम्बन्ध में जानकारी

62-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 7 एलोपैथी राजकीय मेडिकल कालेजों तथा उससे सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में मुख्य लिपिक तथा प्रशासनिक अधिकारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं तथा इन आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नति हो गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सूची उपलब्ध करायेंगे, आरक्षित पदों को भरने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निबन्धक स्तर पर प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

63-श्री ऊदल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उ0प्र0, लखनऊ में संस्थाओं की सदस्यता का नियम यह है कि सहकारी समितियां प्रारम्भिक सहकारी संघ, क्रय विक्रय समितियां लीड समिति न होने से इस दशा में सदस्य हो सकती हैं कि जब वे यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ से 1 वर्ष में दस लाख रुपये के ऊपर व्यवसाय की हों? यदि हां, तो क्या इन शर्तों के विपरीत सहकारी शीत गृह राजा तालाब, वारणसी व क्रय विक्रय गिरजन हितार्थ सहकारी- समिति, वाराणसी को एक वर्ष पूर्व से ही सदस्य बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?क्या यह सही है कि सहकारी शीतगृह, राजा तालाब, वाराणसी में 1 करोड़ का घाटा है और वर्ष 90-91 में आलू का भण्डारण नहीं किया गया तथा 15 लाख रुपये जिला सहकारी बैंक, वाराणसी से वर्ष 90-91 में आलू भण्डारण के लिए लिया गया और पुनः लाखों रुपये लिया गया है ? क्या सरकार को पता है कि इस सम्बन्ध में निबंधक, उत्तर प्रदेश को श्री विभूति नारायण सिंह ग्राम प्रधान, पिंडरा, वाराणसी ने प्रार्थना-पत्र भेजा है और उसकी प्रति को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ सहकारिता मंत्री को दिनांक 5-2-92 को दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की उपविधि-5 में यह प्राविधान भी है कि "ख" की सदस्यता हेतु वे सभी लीड समितियों को जो ग्रामीण उपभोक्ता कार्य हेतु निबन्धक द्वारा स्वीकृत हों तथा ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां भी जिनका उपभोक्ता व्यवसाय 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक रहा हो और इस व्यवसाय में कम से कम 50% व्यवसाय अनियंत्रित वस्तुओं का रहा हो, पात्र होंगी।

जी नहीं। सहकारी शीत गृह राजा तालाब (पंजीकृत नाम सहकारी शीत गृह नदेसर, वाराणसी), वाराणसी का व्यवसाय 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक होने तथा उसमें अनियत्रित व्यवसाय 50% अधिक होने के कारण दिनांक 4-1-84 को सदस्य बनाया गया तथा गिरिजन हितार्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति को लीड समिति का कार्य करने के आधार पर दिनांक 3-4-89 को उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है।

सहकारी शीत गृह के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से संतुलन-पत्र नहीं बना है । जिससे घाटे की धनराशि का आंकलन नहीं हो सकता । वर्ष 1990 में आलू का भण्डारण किया गया तथा उक्त वर्ष में 14,98,273-00 रुपये जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया ।

वर्ष 91 में न तो आलू भण्डारण हुआ और न ही पुनः कोई ऋण लिया गया ।

निबंधक, स्तर पर प्राप्त शिकायती पत्र की जांच उप निबन्धक, सहकारी समितियां, वाराणसी मण्डल द्वारा करायी गयी है । उक्त दोनों समितियों की सदस्या से संबंधित प्रकरण पर उचित कार्यवाही हेतु उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ ही सक्षम हैं । जांच रिपोर्ट उपभोक्ता संघ के संज्ञान में लायी जा चुकी है ।

रेडक्रास तथा मोहान जनपद अल्मोड़ा स्थित आयुर्वेदिक फैक्ट्री एम0पी0सी0एल0 को दवा क्रय संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें रेडक्रास तथा मोहान, जनपद अल्मोड़ा स्थित आयुर्वेदिक दवाएं बनाने की फैक्ट्री एम0पी0सी0एल0 को 50 लाख की दवा क्रय करने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने दिनांक 18-1-92 को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, परन्तु प्रश्न में इंगित पत्र में आई0एम0पी0सी0एल0को 50लाख की दवा के क्रय आदेश दिये जाने का उल्लेख है, रेडक्रास को नहीं ।

प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति हेतु आई0एम0पी0सी0एल0 मोहान, जनपद अल्मोड़ा को वित्तीय वर्ष 1991-92 में रुपये 9,70,241-80 पैसे का आपूर्ति आदेश दिया गया है ।

प्रदेश में डायेक्ट्रोमैगनेटिव मेडिकल कालेज की डिग्री को सरकार द्वारा मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी

65-डा0 दिनेश जौहरी, श्री नन्दराम तथा श्री श्याम बिहारी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रोमैगनेटिव मेडिकल कालेज इनमें दी जाने वाली डिग्री को सरकार ने मान्यता दे रखी है ? यदि हां, तो इन कालेजों को कौन संचालित कर रहा है व सरकार से उसका क्या सम्बन्ध है ? यदि नहीं, तो उन्हें बंद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

किसी भी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करना भारत सरकार के क्षेत्रान्तर्गत आता है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ की अन्तर्गत फार्मेसिस्टों की पदोन्नति में आरक्षित कोटे के सम्बन्ध में जानकारी

66-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासकीय आदेश संख्या-3048/से-9/पांच-86/67, दिनांक 5-10-89 एवं संख्या-507 से-9/पांच-26/67, दिनांक 17-3-90 तथा संख्या 1640-से-9/पांच-86-87, दिनांक 3-8-90 के तहत 18 फार्मेसिस्टों की पदोन्नति होनी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसमें से निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या-20228-74/अधि0 दिनांक 26-9-90 के द्वारा 15 फार्मेसिस्टों की पदोन्नति कर दी है ? क्या 3 आरक्षित कोटे की पदोन्नति के पद छोड़ दिये थे, जिनकी अभी तक पदोन्नति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि उन पदों पर पदोन्नति होगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, अनुसूचित/अनुसूचित जन जाति के फार्मेसिस्टों की वरिष्ठता सूची में कतिपय त्रुटियां होने के कारण 3 आरक्षित कोटे के पद पदोन्नति हेतु छोड़ दिये गये हैं ।

उक्त अतिरिक्त कोटे के पदों पर पदोन्नति के आदेश क्रमशः दिनांक 20-12-90/10-2-90 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

बांदा जनपद में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने की मांग

67-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जनपद में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दो बार टेस्ट आगे बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्या कुछ समय पूर्व से ही इस नियुक्ति में शासन द्वारा रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में नियुक्ति पर लगी रोक को विशेष परिस्थितियों में हटा कर शीघ्र उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां करवायी जावेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

गत वर्ष शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटाया जा चुका है ।

आगामी शिक्षा के सत्र के प्रारम्भ होते ही नियुक्ति करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक शिक्षा अधीक्षकों के पद पर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में परिवर्तन

68-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि क्या सन् 1984 तक सहायक शिक्षा अधीक्षकों के पद जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति करके भरे जाते थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पद अब प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति से भरे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? प्रक्रिया परिवर्तन के यह आदेश कब दिए गये थे और क्यों ? क्या पूर्व जैसी व्यवस्था सहायक शिक्षा अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु पुनः लागू की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी हां ।

सहायक शिक्षा अधीक्षक का वेतनमान कम होने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 8-2-1986 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रक्रिया परिवर्तन किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य परिवहन अनुभाग-12 के श्री डी0एन0 राम को नियमित करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की मांग

69-श्री घुरहू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-89 द्वारा एक आदेश स्वास्थ्य परिवहन अनुभाग-12 के श्री डी0एन0 राम को नियमित करने के सम्बन्ध में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित किया जायेगा ? क्या इनको दिनांक 7-8-81 का वेतनमान भी सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य परिवहन अनुभाग-12 द्वारा जूनियर फोरमैन के पदों पर अनुसूचित जातियों के कोटे को पूर्ण करने की मांग

70-श्री घुरहू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत परिवहन अनुभाग-12 द्वारा जूनियर फोरमैन के पदों में अनुसूचित जातियों के कोटे पूरे कर लिए गए है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

स्वास्थ्य विभाग में जूनियर फोरमैन के कुल 5 पद स्वीकृत हैं । अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पद पर श्री एस0एन0वी0 मोहन नियुक्त थे, जिनकी मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 को पेंशन एवं अवकाश वेतन जमा कराये जाने आदि विषयक निबंधक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन की मांग

71-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 को पेंशन एवं अवकाश वेतन जमा कराये जाने आदि विषयों से संबंधित, निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा संवर्ग प्राधिकारी उ0प्र0 सहकारी उपभोक्ता

भण्डार केन्द्रीयत सेवा, लखनऊ को प्रेषित कराये गये पत्रांक 20209-13/स्था0-क/ए दिनांक 1-2-90 तथा पत्रांक 22822-25/स्था0/ए, दिनांक 31-1-91 का अनुपालन पूरा कराते हुए, निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 के आदेश/निर्देश के अनुसार, कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो सहकारी निरीक्षक-1 वर्ग को विभिन्न सुविधायें दिये जाने विषयक निबंधक सहकारी समितियां, उ0प्र0 के पत्रानुसार निर्गत आदेशों/निर्देशों का अब तक पालन न किये जाने के क्या कारण रहे हैं ? इन्हें कब तक पूरी सुविधाओं से लाभान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा फेज-ए-आम, जनपद मऊ के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्रों की जांच

72-श्री इम्तियाज अहमद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा फेज-ए-आम, जनपद मऊ की जांच के सम्बन्ध में श्री मुश्ताक अहमद के शिकायती पत्रों की कोई जांच के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ओर जांच में कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने आया ? क्या विभागीय जांच संतोषजनक है ? यदि हां, बार-बार जांच कराने का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

पूर्व शिकायती पत्रों की जांच कराई गई । जांच में कई आपत्तिजनक तथ्य पाये गये । पुनः अन्य प्रकरण पर शिकायती-पत्र प्राप्त होने पर जांच कराने हेतु आदेश दिये गये । प्राप्त सूचनानुसार जांच की कार्यवाही प्रश्नगत प्रबंधक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेश के परिपेक्ष्य में रोक दी गयी है । इस मामले में स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

शिक्षा विभाग में लिपिक तथा नगर शिक्षा अधिकारी निरीक्षक के वेतनमान में समानता पर आपत्ति

73-श्री इम्तियाज अहमद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय स्तर पर एक लिपिक तथा एक नगर शिक्षा अधिकारी, (निरीक्षक वर्ग) के स्तरों में अन्तर है ? यदि हां, तो दोनों वर्गों का वेतन समान रखने का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

नगर शिक्षा अधिकारी (निरीक्षक वर्ग) का कोई पद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हमीरपुर नगर में नगरपालिका द्वारा यातायात दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने हेतु अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

74-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हमीरपुर में अतिक्रमण के नाम पर हजारों पटरी दुकानदारों को उत्पीड़ित करके बेरोजगार कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन्हीं स्थानों पर सम्प्रति रोड कन्ट्रोल ऐक्ट के विरुद्ध स्थाई निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

हमीरपुर नगर में नगरपालिका द्वारा मार्ग, संकीर्णता आवागमन में कठिनाई को देखते हुए, यातायात दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने एवं नगर की सार्वजनिक भूमि पर से अधिक्रमण हटाने हेतु पुलिस सहायता लेकर पटरियों पर से गुमटी इत्यादि अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही की गई तथा पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न नहीं किया गया। शासनादेश संख्या-यू0ओ0।5।/9-7-9।, दिनांक ।6-।।-9। के माध्यम से इस प्रकार की कार्यवाही के निर्देश भेजे गये थे । इन्हीं निर्देशों के अधीन कार्यवाही की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श जूनियर हाई स्कूल बरबर जिला लखीमपुर खीरी को दी गई मान्यता के सम्बन्ध में जानकारी

75-श्री इजहार आलम खां-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-4-87 को मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने अपने आ0/।93/77/94 द्वारा जब आदर्श जूनियर हाई स्कूल बरवर जिला लखीमपुर खीरी को मान्यता दी, उस समय आदर्श स्कूल के पास मिल्कियत की भूमि या कोई भवन था ? यदि नहीं था, तो निजी मान्यता किस आधार पर दी गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा स्थित भीम नगर गड्ढे सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी

76-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित भीम नगर गड्ढे की परिवहन सम्बन्धी प्राइवेट जमीन का 60 प्रतिशत भाग सरकार को दे दिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या इस गड्ढे को बन्द कराकर गन्दे पानी की निकासी का साधन बनाने की योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो उक्त कार्य जल्द से जल्द कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थल गड्ढा नहीं वरन् तालाब के रूप में है, जो इस क्षेत्र की जल निकासी का साधन है । अतः इस गड्ढे को पटवाना एवं बन्द कराना जनहित में नहीं है ।

77-श्री किशन गोपाल-

(8वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जैथरा, एटा में कताई बुनाई शिक्षक के पद पर श्री राम भरोसे सिंह की नियुक्ति विषयक जानकारी

78-श्री अवध पाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जैथरा, एटा में कताई-बुनाई विषय की जूनियर कक्षाओं तक मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो विद्यालय में उक्त विषय का अध्यापक कौन है ? क्या श्री सरोज प्रकाश दुबे के विद्यालय से त्याग पत्र देने के बाद, रिक्त कताई बुनाई शिक्षक के पद पर श्री राम भरोसे सिंह की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि श्री राम भरोसे सिंह ने कताई-बुनाई विषय की कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर वह कताई बुनाई शिक्षक नियुक्त हुए हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में दो सौ हैण्ड पम्प लगाने की योजना की जानकारी

79-श्री किशन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में

दो सौ हैण्ड पम्प लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या यह कार्य जल्द से जल्द कराया जायेगा ताकि उक्त क्षेत्र को जनता को पेयजल शीघ्र उपलब्ध हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में दो सौ हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगर में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था हेतु 200 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु रु0 32-00 लाख तथा 200 हैण्ड पम्पों को रिबोर करने हेतु 16-00 लाख की धनराशि जल निगम को दी जा चुकी है ।

80-श्री मुहम्मद मुकीम-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां व भरावन में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय प्राप्ति में कठिनाई

81-श्री राम पाल वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार के समस्त सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह नगद कार्यालय में अथवा निकटवर्ती बैंक से मिलता है ? यदि हां, तो जनपद हरदोई में अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के अधीन विकास खण्ड कोथावां व भरावन में कार्यरत अनुदेशकों को जिन्हें मात्र रुपये 105 (एक सौ पांच रुपया) मानदेय मिलता है ? दो-तीन माह बाद न्यू बैंक आफ इण्डिया, हरदोई में दिये जाने की विषमता का कारण क्या है ? मात्र रुपये 105 मानदेय 70 कि0मी0 चल कर जिला स्तर से पाने के लिए अनुदेशकों की जटिल समस्या के निदान के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां,

केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत अंशकालिक अनुदेशकों को अनुदान प्राप्त होने पर विभागीय नियमानुसार पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से उनके नाम खुले खातों के माध्यम से मानदेय भुगतान किया जाता है । प्रश्नगत अंशकालिक स्वैच्छिक अनुदेशक नियत मानदेय पर कार्यरत हैं, जो राजकीय कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में परियोजना अधिकारी तिन्दवारी के संबंध में जांच

82-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ परियोजना अधिकारी, तिन्दवारी के बारे में कतिपय बिन्दुओं की स्थलीय जांच करने हेतु विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी में पत्रांक संख्या-2645/अनौ0शि0जांच 91-92 दिनांक 2-12-91 द्वारा सूचित करके जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक जांच का क्या परिणाम निकला तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण के उपरान्त शीघ्र यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अरुण कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम श्रीनगर (गढ़वाल) को उच्चतम वेतनमान की स्वीकृति

83-श्री गया चरन दिनकर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरुण कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) को जल निगम प्रशासन द्वारा उच्च वेतनमान दो वर्ष तक देने के बाद, उसकी कटौती के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 3 वर्ष के बाद पुनः श्री गुप्ता, अवर अभियन्ता को निर्दोष पाकर जल निगम प्रशासन द्वारा उच्च वेतनमान देना शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारी दण्डित किये गये ? यदि हां, तो कब ? श्री गुप्ता, अवर अभियन्ता को समयमान वेतन जो कि दिनांक 26-8-88 से पुनः देय होता है, उन्हें अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?यदि उक्त वेतन दिया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

यह सही नहीं है कि श्री गुप्ता को निर्दोष पाकर पुनः उच्च वेतनमान देना शुरू किया गया, बल्कि मामले का पुनः परीक्षणोपरान्त तकनीकी आधार पर इन्हें उच्च वेतनमान देना शुरू किया गया ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

श्री गुप्ता को समयमान वेतनमान दिनांक 26-8-88 के बजाए दिनांक 1-10-88 से देय होता है, जो चयन समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने के कारण उन्हें नहीं दिया जा सका है ।

चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर उक्त वेतनमान यथा समय दिया जायेगा ।

उन्नाव जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचलगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राम सरोज यादव ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र की जांच

84-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम सरोज यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा लोहचा, तहसील उन्नाव, जिला उन्नाव का कोई शिकायती पत्र उक्त जनपद में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचलगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जनवरी, 1992 से 10 फरवरी, 1992 के मध्य में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जांचोपरान्त दोषी लिपिक को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अचलगंज, उन्नाव में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राम नरेश वर्मा के पत्र पर कार्यवाही की मांग

85-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम नरेश वर्मा, वरिष्ठ महामंत्री ब्लाक युवक कांग्रेस (आई), उन्नाव का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचलगंज, उन्नाव में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय, उ0प्र0 अनुभाग-2 के पत्र संख्या-पी0एस0/1220/सी0एम0-2-92 दिनांक 4-2-1992 द्वारा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेडिकल कालेज, लखनऊ व बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में लम्बे समय से कार्यरत पी0एच0एन0, ट्यूटर एवं जनरल ट्यूटर के स्थानान्तरण की मांग

86-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मेडिकल कालेज, लखनऊ व बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में पी0एच0एन0 ट्यूटर एवं जनरल ट्यूटर के कितने कर्मचारी 7 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनको निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत आगामी स्थानान्तरण सत्र में अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला चिकित्सालय, बरेली में कार्यरत सभी पी0एच0एन0 ट्यूटर एवं जनरल ट्यूटरों को पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेषों के भुगतान की मांग

87-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, बरेली में कार्यरत सभी पी0एच0एन0 ट्यटर एवं जनरल ट्यूटरों को दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेषों का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवशेष का भुगतान यदि नहीं किया गया, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद, लखनऊ के टी0बी0 क्लीनिक, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में कुछ सम्बद्ध चिकित्सकों के संबंध में अनियमितता

88-श्री बलराम यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बद्धता समाप्तिकरण संबंधी शासनादेश हो जाने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के टी0बी0 क्लीनिक, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में कुछ चिकित्सक आज भी सम्बद्ध हैं? यदि हां, तो नियमों का पालन न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के मुहल्ला शक्तिनगर को, ए ब्लाक, इन्दिरा मजार रोड से शक्तिनगर गली नं0 2 पर सीवर लाइन आदि की व्यवस्था करने की मांग

89-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ के अंतर्गत मुहल्ला-शक्तिनगर को ए0 ब्लाक इन्दिरा मजार रोड से शक्ति नगर गली नं0 2 का सम्पर्क मार्ग निर्मित करा कर जोड़ने हेतु तथा जल आपूर्ति व सीवर लाइन विछाने हेतु गत वर्षों में धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो आज तक उक्त कार्यों को न प्रारम्भ कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कार्यों को जनहित में अविलम्ब प्रारम्भ कराने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत क्षेत्र में ड्रेनेज एवं सड़कों के अनुरक्षण हेतु क्रमशः 10-00 लाख रुपया एवं 5-00 लाख रुपये का अनुदान नगर महापालिका, लखनऊ को दिया गया था ।

जल आपूर्ति हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

ड्रेनेज एवं सड़कों के अनुरक्षरण हेतु निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है । निविदा की स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । उपलब्ध संसाधनों के अनुसार शक्ति नगर में एक नलकूप का छिद्रण तथा विकास कार्य पूर्ण कराया गया है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पाइप लाइन बिछाने का कार्य नहीं कराया जा सका ।

ड्रेनेज एवं सड़कों के अनुरक्षण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यक कार्यवाही चल रही है पाइप लाइन बिछाने का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कुष्ठ निवारण कार्यक्रम बलिया को सुचारु रूप से चलाने की मांग

90-श्री ऊदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कुष्ठ अधिकारी, बलिया के बारे में स्वास्थ्य निदेशक के पत्रांक-11फु0 कुष्ठ/89-90/2735, दिनांक 28-1-90 तथा अपर निदेशक, वाराणसी मण्डल के आदेश संख्या-अ0नि0/सी0/एस0 टी0 90/1161, दिनांक 14-3-90 का अनुपालन अब तक किया गया ? उक्त दोनों अधिकारियों के पत्रों में क्या आदेश निर्गत किया गया था ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच करायेगी और कुष्ठ कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाराजगंज जनपद प्रा0 स्वा0 केन्द्र धुधली के चिकित्साधिकारी डा0 रमेश पटेल एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र, परतावल के चिकित्साधिकारी डा0 आर0 के0 गुप्ता के स्थानान्तरण की मांग

91-श्री ज्ञानेन्द्र -

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद प्रा0 स्वा0 केन्द्र धुधली के चिकित्साधिकारी डा0 रमेश पटेल 10 वर्ष एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र परतावल के चिकित्साधिकारी डा0 आर0के0 गुप्ता 1 वर्ष से कार्यरत हैं जो डाक्टर एक ही विधान सभा क्षेत्र के हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त डाक्टरों का स्थानान्तरण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

डा0 रमेश पटेल, प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र, धुधली जनपद महराजगंज में तथा डा0 आर0के0 गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतावल में क्रमशः जनवरी, 1991 तथा जुलाई, 1989 से कार्यरत हैं। यह दोनों डाक्टर विधान सभा क्षेत्र श्याम देउरवा, जनपद महराजगंज क्षेत्र में है ।

वार्षिक स्थानान्तरण की निर्धारित नीति के अंतर्गत अभी ये स्थानान्तरण के लिए अर्ह नहीं है ।

92-श्री मोहम्मद रिजवानुलहक-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, बलिया में कार्यरत डा0 मुक्तिनाथ सिंह के स्थानान्तरण की मांग

93-श्री अवध पाल सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर (विल्थरा रोड), बलिया में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत मुक्तिनाथ सिंह (आयुर्वेदिक यूनानी) में कितने दिनों से उसी अस्पताल में कार्यरत हैं ? क्या यह सच है कि ये अपने गृह जनपद के पास ही रह कर अपनी निजी प्रैक्टिस चलाते हैं ? क्या सरकार ऐसे डा0 को वाराणसी मण्डल से किसी दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित करने जा रही है ? क्या इन्हें पहाड़ी जनपदों में भी कुछ दिनों तक तैनात रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, बलिया में डा0 मुक्ति नाथ सिंह, चिकित्साधिकारी (तृतीय) के पद पर दिनांक 13-2-86 से कार्यरत हैं ।

डा0 मुक्ति नाथ सिंह का गृह जनपद देवरिया है । आयुर्वेदिक/यूनानी के चिकित्साधिकारियों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट शासन द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि निजी प्रैक्टिस डयूटी समय में नहीं की जायेगी तथा निजी प्रैक्टिस करने से शासकीय कार्य के निर्वहन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस प्रकार डा0 सिंह द्वारा वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन निजी प्रैक्टिस किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है ।

शासन की नीति के अनुसार मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण के लिए मण्डलीय अधिकारी अधिकृत हैं । जनहित केवल अनिवार्य एवं आवश्यक स्थानान्तरण किये जाने के आदेश हैं ।

अंशकालिक महिला डाक्टरों की नियमितीकरण की मांग

94-श्री ऊदल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासनादेश संख्या 4445/चिकित्सा/4-5माह 16/85 दिनांक 16 अगस्त, 85 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एम0बी0बी0एस0 महिला डाक्टरों को अंशकालिक तरीके पर नियुक्त किया जाय ? यदि हां, तो क्या मैदानी क्षेत्रों में महिला डाक्टरों की नियुक्ति में बहुत कम डाक्टरों ने इसे स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-62/13/चिकि/1-4-5/माह-16/1985, दिनांक 28 अगस्त, 86 द्वारा बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 द्वारा पास महिला चिकित्सकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि सन् 86 में महिला डाक्टरों की नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या उनका नियमितीकरण किया जा रहा है ?यदि नहीं, तो क्यों ? पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष 87 में की गयी नियुक्तियों के संबंध में डाक्टरों का नियमितीकरण कब किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 86 में नियुक्त अंशकालिक महिला डाक्टरों का भी नियमितीकरण करने पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

उनकी तदर्थ नियुक्ति करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1987 में उत्तरांचल में नियुक्ति उन अंशकालिक चिकित्साधिकारियों को जो दिनांक 17-5-90 को कार्यरत थे, की तदर्थ नियुक्ति शासनादेश सं0 1408/सेक-9/पांच-1992-408/88टी0सी0, दिनांक 28-2-92 द्वारा की जा चुकी है ।

जी हां ।

95-श्री यदुनाथ सिंह-
(दिनांक 7-5-92 को अता0 प्र0सं0-153 द्वारा उत्तरित)

जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढ़नी को उच्चीकृत करने की योजना की जानकारी

96-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढ़नी को उच्चीकृत करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को किस स्तर तक उच्चीकृत किया जा सकेगा ।

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवां शरीफ, जनपद बाराबंकी के प्रबन्धक द्वारा अनियमितता करने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

97-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-11-91 को किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निरीक्षण के समय कार्यवाहक प्रधानाचार्य, श्रीमती मकबूल इफ्फत आरा अथवा लिपिक द्वारा मदरसे के अभिलेख जांच हेतु अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी को मदरसा लिपिक ने लिखित दिया है कि मदरसे में रहने वाले सभी अभिलेख उपस्थिति पंजिका सहित मदरसे में नहीं वरन् प्रबन्धक स्वयं अपने घर पर रखते हैं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता हेतु विभाग द्वारा दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो किस प्रकार की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी हां ।

मदरसा के लिपिक को निरीक्षण के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया था कि पत्र व्यवहार पंजिका, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, सेवा पंजिका तथा छात्र वृत्ति लिस्ट प्रबन्धक के पास है । नियम अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

98-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-9-91 को प्रबंधक मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद-बाराबंकी द्वारा प्रधानाचार्य मदरसा को चिकित्सीय अवकाश के मामले में निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक द्वारा निलम्बन पत्र प्रधानाचार्य के स्थायी निवास पर पंजीकृत डाक से भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 8-9-91 से निलम्बन तिथि तक प्रधानाचार्य के प्रबंधक अथवा उनके सहयोगियों द्वारा रास्ते में रोक लिया गया और उन्हीं मदरसे तक नहीं पहुंचाने दिया गया है ? क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य मदरसा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को दिनांक 6-9-91, 9-9-91, 3-9-91, 16-9-91, 19-9-91, 22-9-91 को पत्र लिख कर मदरसा न जाने देने प्रबंधक द्वारा अपमानित करके प्रताड़ित करने एवं मदरसे से निकाल देने की सूचना दी है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा प्रधानाचार्य का निलम्बन सही व न्यायोचित मान लेने का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं, प्रधानाचार्य मदरसा को चिकित्सीय अवकाश के मामले नहीं वरन् अन्य आरोपों के कारण प्रबंधक द्वारा निलम्बित किया गया है ।

इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जी हां ।

नियमावली की धारा 33 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय करने का अधिकार प्रबन्धक को है । विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रधानाचार्य के निलम्बन को सही व न्यायोचित मान लेने का प्रश्न नहीं उठता । निलम्बित प्रधानाचार्य के द्वारा प्रत्यावेदन देने पर विभाग द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

99-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

100-101-श्री चरन सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को समयबद्ध वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने की मांग

102-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों के संदर्भ में क्या वर्ष 1977 में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को अभी तक 5 वर्षीय समयबद्ध वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सका है ? क्या वर्ष 1984 में नियुक्त किये गये कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है ? वर्ष 1977 में नियुक्त किये गये वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को कब तक समयबद्ध वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के वर्ष 1977 में नियुक्त 24 चिकित्साधिकारियों को छोड़ कर सभी चिकित्साधिकारियों को पांच वर्ष का प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ।

जी हां ।

चूंकि कोई अनियमितता नहीं की गई है, अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1977 में नियुक्त 24 चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृति किये जाने का मामला विचाराधीन है जिसके संबंध में वांछित औपचारिकतायें/ अभिलेख पूर्ण कराये जा रहे हैं । औपचारिकता एवं अभिलेख पूर्ण हो जाने के बाद प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत कर दिया जायेगा ।

वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी, अलीगढ़ के डा0 राम चन्द्र चौहान के संबंध में स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन

103-श्री इस्लाम साबिर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी, अलीगढ़, डा0 राम चन्द्र चौहान का स्थानान्तरण बुलन्दशहर हुआ था ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करके उन्हें अलीगढ़ किन परिस्थितियां में रोका गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

उक्त स्थानान्तरण आदेश जनहित में निरस्त किया गया ।

मनिहारी, बांदा में श्रीमती चुन्नी देबी की दुकान में टीन शेड अवैध रूप से लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को दिये गये पत्र के संबंध में जानकारी

104-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने जो जिलाधिकारी बांदा को पत्रांक ख नं0 575883 दिनांक 25-8-91 को पत्र मनिहारी, बांदा में श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी श्री राम कृपाल को दुकान को भेदभाव पूर्ण ढंग से टीन शेड अवैध रूप में लगाने के सम्बन्ध में लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उसमें अन्य दुकानदारों को न्याय प्रदान किया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

संदर्भगत क्रमांक का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि पत्र संख्या-575884 दिनांक 25-8-91 जो इसी प्रकरण से संबंधित था, दिनांक 19-9-91 को माननीय नगर विकास मंत्री जी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था ।

मामले की जांच परगनाधिकारी, बांदा द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105-श्री शिव लाल मित्तल-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद बरेली के कतिपय विधान सभा क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरियों में डाक्टरों, स्टाफ एवं भवन आदि की व्यवस्था

106-श्री इस्लाम साबिर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष बरेली जनपद के नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र, बरेली विधान सभा तिलहर विधान सभा क्षेत्रों में कुछ नये आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरी खोली गयी थी जिसमें से तीन का उद्घाटन स्वयं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने किया था ? यदि हां, तो क्या कुछ में आयुर्वेदिक निदेशक भी उपस्थित थे ? यदि हां, तो इन डिस्पेंसरियों के लिए अभी तक डाक्टर व स्टाफ तथा भवन का किराया आदि स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन इन डिस्पेंसरियों के लिए तुरन्त ही डाक्टरों/स्टाफ/भवन के किराये आदि की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

विगत वर्ष 1991 में जनपद बरेली के हजियापुर (संजय नगर) एवं जखीरा में चिकित्सालयों का उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा0 दिनेश जौहरी द्वारा शासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया था, किन्तु तिलहर विधान सभा क्षेत्र में किसी चिकित्सालय का उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा नहीं किया गया था ।

उपर्युक्त दो स्थानो मे उद्घाटन के अवसर पर निदेशक, आयुर्वेदिक एव यूनानी सेवाये, उ0प्र0 उपस्थित थे । उक्त चिकित्सालयो हेतु जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एव चिकित्सालयो की स्थापना हेतु परिव्यय न उपलब्ध करा पाने के कारण स्थापना की स्वीकृति नही जारी हो सकी । चूकि स्थापना सबधी स्वीकृति ही नहीं जारी हो सकी, अत उसके लिए डाक्टरो/स्टाफ की व्यवस्था तथा भवन किराये की स्वीकृति का प्रश्न नही उठता ।

सी0एच0जी0 स्कीम के अन्तर्गत स्टील किट-क्रय करने हेतु आवटित धनराशि के सबंध मे जानकारी

107-श्री मिहो लाल-

क्या स्वास्थ्य मत्री कृपया बतायगे कि शासन द्वारा वर्ष 1988-89 मे सी0एच0जी0 स्कीम के अन्तर्गत 78 लाख की धनराशि की स्टील किट क्रय करने हेतु आवटित की गयी थी ? यदि हा, तो उक्त सी0एच0जी0 स्कीम की स्टील किट क्रय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत स्टील किट न खरीद करके ए0एन0एम0 किट क्रय की गयी जो निम्न स्तर की थी ? यदि हा, तो इस सबध मे दोषी अधिकारियो एव कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री कल्याण सिह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108-श्री मिही लाल-
(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला मे विश्लेषको की सख्या मे वृद्धि किये जाने की माग

109-श्री देवेन्द्र पाल सिह-

क्या मुख्य मत्री जी बतायेगे कि औषधि निरीक्षको की सख्या बढाकर विगत 5 वर्षो मे लगभग 60 कर दी गयी है जबकि राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला मे विश्लेषको की सख्या गत 20 वर्षो मे कोई भी वृद्धि नही की गयी जिसके कारण औषधिक के बहुत से नमूने जाच हेतु लम्बित है ? क्या सरकार राजकीय जन विश्लेषको को सख्या बढाने पर विचार करेगी ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यो ? क्या विभाग ने विश्लेषको की सख्या बढाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ? यदि हा, तो इस सबध मे सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यो ? इस समय राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला मे औषधियो के कितने नमूने लम्बित पडे है तथा क्या वह विश्लेषको की सख्या कम होने की वजह से पडे है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां । लेकिन विश्लेषकों की संख्या में भी वृद्धि की गयी है जन विश्लेषकों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रयोगशाला के औषधि अनुभाग में लगभग 5670 नमूने जांच हेतु लम्बित हैं इसका कारण विश्लेषकों की कमी है ।

जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं के उत्तर दाखिला में विलम्ब से लाखों रुपये की क्षति के संबंध में जानकारी

110-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत याचिकाओं श्री देवीदयाल आदि बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा आदि व श्री केशव चन्द बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा आदि में उच्च न्यायालय में नोटिस का जवाब वाद लिपिक द्वारा समय से उत्तर दाखिला में विलम्ब से दाखिल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि न्यायालय में समय से उत्तर के अभाव में पारित महादेश उच्च न्यायालय से विभाग को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ी है ? क्या वाद लिपिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा की इस उदासीनता की जांच की गयी ? यदि हां, तो कब ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगमंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अन्तर्गत गांव वरद्वारा में सीनियर बेसिक स्कूल में विज्ञान अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

111-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अन्तर्गत गांव वरद्वारा में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सीनियर बेसिक स्कूल चालू है जिसमें विज्ञान विषय की पढ़ाई चल रही है परन्तु विज्ञान अध्यापक का पद रिक्त है ? क्या क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा, विज्ञान शिक्षा पढ़ाने हेतु सक्षम अध्यापक की अन्तरिम व्यवस्था करके ड्यूटी लगायी गयी थी, जिसको मध्य सत्र में दिसम्बर, 91 में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? क्या विज्ञान अध्यापक के असामयिक स्थानान्तरण को रोकने हेतु प्रधान ग्राम सभा वरद्वारा एवं प्रधानाध्यापक व प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 13-12-91 को जिला अधिकारी, बांदा को सीतापुर कैम्प में पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या विज्ञान अध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति होने तक स्थानीय व्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की व्यवस्था अन्तर्गत अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था जारी रखी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः अस्थायी व्यवस्था कर दी गयी है ।

इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । संबंधित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नति पर रोक लगने के कारण ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा की पटियाली पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करने की स्वीकृति तथा भवन निर्माण के संबंध में जानकारी

112-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की पटियाली, पी0एच0सी0 को उच्चीकृत कराने की शासन द्वारा स्वीकृति मिल गयी है ? क्या भवन निर्माण हेतु जगह भी उपलब्ध करा दी गई है ? क्या निर्माण कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? भवन निर्माण कब तक सम्भव होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के स्थल की शासन द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही भवन निर्माण संभव होगा ।

113 एवं 114-श्री स्वामी नाथ यादव-

(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

डा0 मदन मोहन जिला कुष्ठ निवारण अधिकारी बलिया के संबंध में शिकायती पत्र की जांच

115-श्री ऊदल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल के अपर निदेशक ने अर्ध0 शा0प0 संख्या-अति/सी-1/एस0 टी0-91-2824, दिनांक 24 जुलाई, सन् 91 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया डा0 जेड0ए0 अहमद को लिखा है ? यदि हां, तो क्या उसमें डा0 मदन मोहन, जिला कुष्ठ अधिकारी, बलिया के बारे में शिकायती पत्र दिनांक 25-10-89 के बारे में जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर भेज देने हेतु निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट अपर निदेशक, वाराणसी मण्डल को सी0एम0ओ0, बलिया ने भेज दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शिकायती पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

116-श्री ऊदल-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

देवरिया जनपद के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत रेत के बहुचर्चित गांव मरचहवां में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

117-श्री दीप लाल भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के विकास खण्ड-खड्डा अन्तर्गत रेता के बहुचर्चित गांव मरचहवां में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय सही रूप से निर्मित हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अगर निर्मित हो गया तो उक्त विद्यालय में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? अगर नियुक्ति हुई तो शिक्षक वहां क्यों नहीं गये ? क्या प्रस्तावित जूनियर हाई स्कूल वहां भूमि अधिग्रहीत होने के बाद बनेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

निर्मित भवन प्लास्टर, फर्श फाटक एवं शौचालय का कार्य शेष है जिसे पूरा कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को निदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियां हुयी है । एक अध्यापक कार्यरत हैं और विद्यालय जाते हैं ।

एक अन्य नवनियुक्त अध्यापक ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।

ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित भू-स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के टाउन एरिया कमेटी-खड्डा देवरिया को उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा, देवरिया द्वारा पार्किंग शुल्क के संबंध में जानकारी

118-श्री दीप लाल भारती-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के टाउन एरिया कमेटी-खड्डा (देवरिया) को उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा देवरिया द्वारा गत वर्षों तक नियमानुसार अनुबन्ध के अनुसार मिलने वाली पार्किंग शुल्क करीब रू0 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) प्रतिवर्ष आय के रूप में मिलती थी, क्या वह अब नहीं दी जा ही है ? क्या वह पथकर, चुंगीकर है ? अगर वह चुंगी कर है, तो चुंगीकर समाप्त करके उक्त टाउन एरिया को बदले में क्या क्षतिपूर्ति दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद के विकास खण्ड-खड्डा के ग्राम भैंसहा के पश्चिम पुराना गांव मदनपुर भेंडिहारी में पाठशाला संचालित करने का प्रस्ताव

119-श्री दीप लाल भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ग्राम भैसहा के पश्चिम पुराना गांव मदनपुर-भेंड़िहारी में स्थापित प्राइमरी पाठशाला के खाली भवन में 20 वर्षों से विद्यालय चलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां सैकड़ों गरीब एवं पिछड़े वर्ग के परिवार अभी मौजूद हैं ? क्या सरकार उक्त स्थान पर खाली पड़े अच्छे भवनों में राजकीय प्राइमरी पाठशाला चलायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यूनतम जनसंख्या को देखते हुए वहां पाठशाला संचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 6-5-92 को अता0 प्र0 सं0 116 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ में ऐशबाग पुरानी श्रमिक बस्ती व आई0टी0 कालोनी में स्थित शाही जमाने के कुओं का जीर्णोद्धार कराने की मांग

121-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में ऐशबाग पुरानी श्रमिक

बस्ती व आई0 टी0 कालोनी में स्थित शाही जमाने के कुओं का जीर्णोद्धार करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-9085 नगर विकास राज्य मंत्री के कार्यालय में दिनांक 16-6-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? दोनों कुओं का जीर्णोद्धार कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र के कुओं को क्षेत्र के निवासियों द्वारा काफी मात्रा में कूड़ा-करवट डालकर पाट दिया गया है जिससे इसका पानी पीने योग्य नहीं है किन्तु कुओं के जल का उपयोग अन्य कार्यों हेतु किया जा सकता है । जीर्णोद्धार महापालिका के पास वित्तीय संसाधनों की उपलबधता पर निर्भर करता है ।

सीतापुर जनपद के समस्त जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त उर्दू एवं संस्कृत अध्यापकों के संबंध में जानकारी

122-श्री अनिल कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के समस्त जूनियर हाई स्कूलों में कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? कितने संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? क्या संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव उर्दू अध्यापकों के बराबर ही करने हेतु सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है ? कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति अभी शेष है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद सीतापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार 135 उर्दू अध्यापक कार्यरत है ।

इसी प्रकार संस्कृत भाषा को पढ़ाने हेतु 23 संस्कृत अध्यापक कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन गोपाल सिंघल, सहायक अभियन्ता के लखनऊ से नैनीताल किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करने की मांग संबंधी श्रीमती लोकेश व विद्यादेवी का पत्र

123-श्री चरन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती लोकेश निवासी, लखनऊ का कोई प्रार्थना-पत्र अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के संबंध में दिनांक 12-3-91 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्तुत किया गया था जिस पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित उनके कार्यालय पत्र संख्या-2190/एच0एम0जी0-जी0 91, दिनांक 13-3-91 द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार ही आदेश जारी किये गये हैं यदि हां, तो वह आदेश क्या है ?

श्री कल्याण सिंह -

श्रीमती लौकेश सिंघल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12-3-91 में अपने पति श्री मदन गोपाल सिंघल, सहायक अभियन्ता के लखनऊ से नैनीताल किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करने की मांग की थी । प्रार्थना-पत्र पर विचारोपरांत यह पाया गया कि उनका स्थानान्तरण आदेश निरस्त करना संभव नहीं है, अतएव कोई आदेश जारी नहीं किये गये ।

124-श्री चरन सिंह -

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त विषय में ही 82 वर्षीया विकलांग महिला श्रीमती विद्या देवी, निवासी लखनऊ द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र सहित कोई आवेदन फरवरी, 1991 के पहले पखवाड़े में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय प्राप्त होकर शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शपथ-पत्र की प्रतिलिपि या उसका विवरण मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि शपथ-पत्र के तथ्यों की शासन द्वारा कब समीक्षा की गयी एवं क्या कोई तथ्य असत्य पाए गए है ? यदि हां, तो उक्त असत्य पाए गए तथ्य क्या हैं ? उक्त शपथ पत्र के समीक्षा के उपरान्त शपथ-पत्र को स्वास्थ्य मंत्री के अवलोकन एवं निर्णय हेतु कब प्रस्तुत किया गया उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या आदेश दिये हैं ? यदि शपथ-पत्र पर निर्णय संबंधी समयोचित उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गयी तो सरकार ने मानवीय एवं न्यायिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिला अस्पताल में लम्बे समय से कार्यरत श्री श्याम लाल लिपिक के स्थानान्तरण की मांग

125-श्री श्याम बिहारी सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल में श्री श्याम लाल, लिपिक लगभग 15 वर्ष से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनको एक ही स्थान पर इतने लम्बे समय तक रखे जाने का औचित्य क्या है ? उक्त लिपिक का जिला अस्पताल, शाहजहांपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह -

शाहजहांपुर जिला अस्पताल में श्याम लाल नाम का कोई लिपिक कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी -

(8 वें मंगल में अता0 प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

127-श्री अवध पाल सिंह-
(दिनांक 14-2-92 को अता0 प्र0सं0149 द्वारा उत्तरित)

128-श्री प्रेम प्रकाश-
(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

शिवकुमार स्टोर कीपर का जनपद उन्नाव से महिला अस्पताल, लखनऊ में पुनः स्थानान्तरण

129-श्री जटांशकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शिव कुमार, स्टोर कीपर महिला अस्पताल, लखनऊ का स्थानान्तरण लगभग 15 वर्ष एक ही स्थान पर कार्यरत रहने के बाद जनपद उन्नाव के लिए अप्रैल, 1991 में हुआ था ? क्या यह सत्य है कि अब मात्र 9 माह में ही पुनः उक्त पद एवं उसी स्थान पर उन्हें स्थानान्तरित करके तैनात किया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य शासन की किस नीति के तहत किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह-

यह सही है कि श्री शिव कुमार, स्टोर कीपर का महिला अस्पताल, लखनऊ में लगभग 12 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद अप्रैल, 1991 में जनपद उन्नाव के लिए स्थानान्तरण किया गया था ।

पहले निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षिका, महिला अस्पताल की संस्तुति पर उनका स्थानान्तरण दिनांक 30-6-91 तक स्थगित किया गया था और बाद में शासकीय कार्य हित में फरवरी, 1992 में निरस्त कर दिया गया । स्वास्थ्य महानिदेशक को इनके स्थानान्तरण पर पुनः विचार करके आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

मालवीय आयुर्वेद कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया में बी0ए0एम0एस0 डिग्री हेतु नामांकित छात्रों के संबंध में जानकारी

130-श्री हरिवंश सहाय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मालवीय आयुर्वेद कालेज, भाटपाररानी जिला देवरिया में दिनांक 1-7-87 से 31-8-92 तक कितने छात्रों का नाम बी0ए0एम0एस0 डिग्री के लिए नामांकित किया गया ? कितना धन उनसे वसूल हुआ तथा किस बैंक में जमा हुआ ? दिनांक 31-1-92 तक बैंक के खाते में कितना धन अवशेष है ?

श्री कल्याण सिंह -

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम 1982 के प्राविधानों के अनुसार मालवीय आयुर्वेदिक कालेज, भाटपाररानी, देवरिया एक गैर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था है । इनके लिए छात्रों को नामांकित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त संस्था का लेखा-जोखा चिकित्सा शिक्षा विभाग में रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आयुर्वेद कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया द्वारा बी0ए0एम0एस0 की डिग्री दिये जाने की मान्यता के संबंध में

131-श्री हरिवंश सहाय-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-152 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि धोखाधड़ी करके फर्जी बी0ए0एम0एस0 की डिग्री देने के नाम पर नामांकन करने के संबंध में प्रबंधक मण्डल के विरुद्ध धोखाधड़ी करने तथा धन उगाही का मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम की रिंग मशीन नं0 एल0टी0 1,500 के प्रयोग में अनियमितता की तकनीकी जांच की मांग

132-श्री विश्वनाथ तथा डा0 बृजभान यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम की रिंग मशीन नं0 एल0टी0 1,500 दिनांक 4 अप्रैल, 1989 से दिसम्बर, 1991 तक किस अवर अभियन्ता (वि0/यां0) के संरक्षण में कार्य करती रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस रिंग मशीन द्वारा जनपद इटावा की अपेक्षा जनपद सीतापुर में नलकूप की बोरिंग कार्य मात्रा और समय के अनुपात में व्यापक अन्तर लगाया गया? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या अप्रैल, 1989 से दिसम्बर, 1991 तक लगाए गए सभी नलकूपों तथा हेण्ड पम्पों के स्ट्रेटा तथा ईंधन की मात्रा की तकनीकी जांच कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

दिनांक 4 अप्रैल, 1989 से 31 अक्टूबर, 1989 तक श्री राम समुझ, अवर अभियन्ता तथा 1 नवम्बर, 1989 से दिसम्बर, 1991 तक श्री शमीम अहमद, अवर अभियन्ता के संरक्षण में कार्य करती रही ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि दोनों जनपदों के स्ट्रेटा व ईंधन की खपत लगभग समान है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दोनों जनपदों के स्ट्रेटा व ईंधन की खपत लगभग समान है ।

उत्तर प्रदेश जल निमग वि0/यां0 शाखा सीतापुर में कार्यरत श्री शमीम अहमद, अवर अभियन्ता रामपुर व बरेली द्वारा किये गये अनियमितता की जांच

133-श्री विश्वनाथ तथा श्री बृजभान यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम वि0/यां0 शाखा सीतापुर में कार्यरत श्री शमीम अहमद अवर अभियन्ता रामपुर तथा बरेली में कब से कब तक तैनात थे ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवर अभियन्ता द्वारा यहां किए गए कथित धपलों के कारण निगम के तत्कालीन मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री हरिशंकर चौरसिया द्वारा अक्टूबर/नवम्बर, 1989 में कोई आरोप पत्र जारी किया था ? यदि हां, तो क्या उसका जबाव उक्त अवर अभियन्ता द्वारा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवर अभियन्ता के कार्य कलापों तथा इसके द्वारा किए गए फर्जी भुगतानों की कितनी जांचें चल रही है ? कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

रामपुर में दिनांक 28-4-81 से दिनांक 24-8-85 तक तथा बरेली में दिनांक 28-8-85 से 1-7-86 तक ।

केवल रामपुर में की गयी अनियमितताओं के लिए वर्ष 1988 में आरोप पत्र जारी किया गया था ।

जी हां । अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20-11-89 को आरोप पत्र का जवाब दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक ही जांच चल रही थी, जिसमें जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी । उक्त जांच में श्री शमीम अहमद, अवर अभियन्ता के अतिरिक्त सर्वश्री एल0एम0 पंत, अधिशासी अभियन्ता, ओ0पी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, पी0एन0 मिश्रा, मण्डलीय लेखाकार ए0के0 नैयर, मुख्य लिपिक तथा ओ0पी0 श्रीवास्तव, नैत्यिक लिपिक भी अन्तर्ग्रस्त पाये गये । जल निगम द्वारा उक्त सभी अधिकारियों/कमर्तचारियों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित करते हुए 3 स्थाई वेतन वृद्धियां रोकने से प्रविष्टि देने तथा असंवेदनशील पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री एस0एम0 इकबाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच की गयी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम की वि0/यां0 शाखा सीतापुर की रिंग मशीन संख्या एल0टी0 1,500 की मरम्मत में धांधली

श्री विश्वनाथ तथा डा0 बृजभान यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम की वि0/यां शाखा, सीतापुर की रिंग मशीन संख्या एल0टी0 1,500 की मरम्मत हेतु जनवरी वर्ष 1990 में कुछ धनराशि मुख्यालय द्वारा प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार को जानकारी है रानू रिपेयरिंग वर्क्स, बूटगंज, सीतापुर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या उससे वियरिंग फिटिंग का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उसका लाइसेंस नम्बर क्या है ? क्या इस मशीन में नई बेयरिंग डलवायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या पुरानी वियरिंग की मरम्मत करायी गयी है ? विगत पांच साल से रानू रिपयेरिंग वर्क्स तथा शानू इंजीनियरिंग वर्क्स, सीतापुर कितना पैसा सीतापुर शाखा से भुगतान किया गया है ? क्या सरकार इन फर्मों के पेमेंट बिलों के सही होने की तकनीकी जांच या सी0आई0डी0 से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

कोई धनराशि नहीं दी गयी थी । जी हां । रिंग रिपयरिंग वर्क्स को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती ।

जी हां ।

रिंग रिपेयरिंग वर्क्स को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है ।

जी हां ।

पुरानी वियरिंग की मरम्मत नहीं करायी गयी है ।

विगत पांच साल में निम्नांकित फर्मों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किया गया है:-

1- रानू रिपेयरिंग वर्क्स रु0 2,32,381.00

2- शानू इंजीनियरिंग वर्क्स रु0 72,174.00

तकनीकी जांच या सी0आई0डी0 से जाचं कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एच0एन0 सिंह, फार्मासिस्ट, आजमगढ़ की दवा संबंधी अनियमितताओं की जांच कराने की मांग

135-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री एच0एन0 सिंह, फार्मासिस्ट, आजमगढ़ को दवा संबंधी अनियमितताओं में दिनांक 22-1-88 को निलम्बित कियागया था ? क्या उसमे निदेशक (स्वास्थ्य) के द्वारा जांच के बाद निर्दोष पाये जाने पर दिनांक 9-3-88 को निलम्बन वापिस लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको यह भी जानकारी है कि दिनांक 22-1-88 को निलम्बन के ही मामले को आधार बनाकर श्री सिंह को पुनः निलम्बित किये जाने हेतु शासन ने निर्णय लिया है ? क्या इस प्रकरण में अभी कोई वाद भी लम्बित चल रहा है ? यदि हां, तो एक ही मामले में दो बार निलम्बन की कार्यवाही का औचित्य क्या है ? क्या उक्त वाद के फैसला होने तक, एक ही मामले में अनियमित रूप से दुबारा उनके निलम्बन की कार्यवाही को रोकने के आदेश देगें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । दिनांक 22-1-88 के कोई निलम्बन आदेश नहीं थे ।

मुख्य चिकित्साअधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25-1-88 को श्री एच0एन0 सिंह का किया गया निलम्बन दिनांक 9-3-88 को वापस लिया गया था परन्तु श्री सिंह के विरुद्ध दवाओं की हेराफेरी/अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की शिकायतों की जांच जारी थी । सतर्कता/विभाग की जांच में श्री सिंह के विरुद्ध शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर पुनः इन्हें निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

डा0 धीरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध दिनांक 1-3-88 को अपराध संख्या-187-88 धारा 409, 420, 467, 468 भा0 द0वि0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज कराया गया था जो अभी सिविल कोर्ट आजमगढ़ में लम्बित है ।

सतर्कता/विभागीय जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर ही पुनः निलम्बन का निर्णय लिया गया है ।

उक्त वर्णित स्थिति में निलम्बन की कार्यवाही को रोकने का औचित्य नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में पेयजल समस्या हेतु जल निगम की द्वितीय निर्माण शाखा की स्थापना

136-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पेयजल समस्या को देखते हुए योजनायें सरकार चला रही है ? यदि हां, तो क्या उन्हें त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु जल निगम की शाखायें स्थापित करने का काम चल रहा है ? क्या काम एवं बजट की अधिकता के बावजूद द्वितीय निर्माण शाखा बांदा का स्थानानतरण झासी किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं, बांदा में पूर्व से ही जल निगम की दो शाखायें स्थापित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में चिकित्सालय कर्वी के अधीक्षक के ऊपर घटित घटनाओं की जांच कराने की मांग

137-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय, कर्वी के अधीक्षक के ऊपर घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-1-92को मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन को, उनकी पत्नी के शिकायती पत्र को संलग्न करके भेजा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षक, संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र, कर्वी ने दिनांक 11-8-91 को थाना कर्वी में रपट दर्ज करायी है ? यदि हां, तो अपराध संख्या व धारायें कौन-कौन सी है ? क्या अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस मामले में अपराधी लाइसेन्सी है ? यदि हां तो क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षक, संयुक्त अस्पताल, कर्वी के विरुद्ध दिनांक 4-12-91 को अपराधिक मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

138-श्री हरदेव सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-1-91 को उत्तर प्रदेश प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने तत्कालीन युवा कल्याण मंत्री एवं प्रभारी 21 सूत्रीय कार्यक्रम जनपद बाराबंकी के माध्यम से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को जनपद बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी के अनियमित कार्यों के संबंध में 21 आरोपों का एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में पाये गये ? जांच किसने की और जांच के आधार पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त तदनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

जल निगम खण्ड, शाखा रायबरेली में की गयी अनियमितताओं हेतु श्री डी0के0 श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता का निलम्बन

139-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में श्री डी0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जल निगम खण्ड, शाखा-4, रायबरेली को जल निगम खण्ड, शाखा-1 रायबरेली में की गयी अनियमितताओं हेतु निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बित रहते हुए उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा दूसरे विभाग के कार्यालय लोक निर्माण विभाग, बहराइच में वर्ष 1983 में किस आधार पर योगदान दिया गया ? क्या उक्त व्यक्ति वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बहराइच में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । श्री डी0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता को दिनांक 20 अप्रैल, 1983 को प्रथम निर्माण शाखा, रायबरेली में की गई अनियमितताओं के लिए निलम्बत किया गया था ।

जल निगम द्वारा निलम्बन समाप्त किये जाने के उपरान्त उक्त सहायक अभियन्ता ने दिनांक 14-10-83 को प्रथम प्रकल्प शाखा, जल निगम, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था । इसके बाद वे विभाग (जल निगम) छोड़कर चले

गये और दिनांक 2-12-83 को अस्थाई खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बहराइच में सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार ग्रहण किया । इस प्रकार उक्त सहायक अभियन्ता ने निलम्बित रहते हुए लोक निर्माण विभाग, बहराइच में योगदान नहीं दिया था ।

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के नगर अकबरपुर में स्थित आदर्श जनता जूनियर हाईस्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र

140-श्री बंशीधर राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फैजाबाद, नगर अकबरपुर में स्थित आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल के द्वारा सवर्ण बच्चों को, अनुसूचित जाति व जनजाति का बनाकर छात्र वृत्ति निकालने की शिकायत माह नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण शिकायती पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त के संबंध में किस अधिकारी से जांच कराने के आदेश जारी किये गये हैं और कब ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं । प्राप्त सूचना के आधार पर आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल नाम का कोई विद्यालय, अकबरपुर जनपद फैजाबाद में स्थित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर, जिला अस्पताल फैजाबाद स्थित डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक महिला एवं पुरुष संयुक्त चिकित्सालय के बने भवन निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही की मांग

141-श्री बंशीधर राज-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या 148 जो कि डा0 गनेश कृष्ण जेतली स्मारक संयुक्त चिकित्सालय के बने भवन के निर्माण में मानक के आधार पर काम न होने की शिकायतों के संबंध में था के उत्तर के आधार पर क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करे कि क्या उक्त सभी पांच अनियमितताओं के आधार पर कोई कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, फैजाबाद में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अनियमितता के संबंध में शिकायती पत्र

142-श्री राम लखन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर (फैजाबाद) में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-7-91 तथा 11-10-91 का शिकायती पत्र क्रमशः स्वास्थ्य मंत्री, अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वा0 एवं परि0 कल्याण, फैजाबाद मंडल तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या उन पत्रों पर जांच करायी गयी ? क्या यह सही है कि जांच के दौरान उक्त कर्मचारी कहीं कार्यरत रहकर जांच कार्य प्रभावित कर रहा है ? अभी तक जांच में बिन्दुवार क्या-क्या अनियमिततायें प्रकाश में आयीं ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 16-7-91 तथा दिनांक 11-10-91 में से कोई भी स्वास्थ्य मंत्री अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा फैजाबाद मण्डल को नहीं प्राप्त हुआ । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 11-10-91 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ।

शिकायती पत्र दिनांक 11-10-91 पर जांच करायी गयी ।

जी नहीं ।

जांच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी है:-

1 वर्ष 1986 में बढ़े हुए एरियर वेतन भुगतान के अभिलेखों में कटिंग ।

2 वर्ष 1986 में बढ़े हुए एरियर का 50% भाग जी0पी0एफ0 में जमा न करके कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर नगद भुगान किया जाना ।

3 वर्ष 1988-89 में परिवार कल्याण नसबंदी के अन्तर्गत कम्बलों के वितरण में अनियमितता ।

श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । श्री श्रीवास्तव को फैजाबाद से हमीरपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

यू0पी0डी0पी0एल0 औषधि कम्पनी द्वारा दवाओं की आपूर्ति में घपला किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

143-श्री प्रेम प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में कुल मिलाकर 3 करोड़ 30 लाख रुपयों की दवाओं की आपूर्ति के आदेश, सी0एम0एस0डी0 द्वारा

यू0पी0डी0पी0एल0 नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को दिए गये, जिसमें से 1 करोड़ 22 लाख रुपये की दवा का आपूर्ति पूरे वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गयी है ? जबकि संस्था को कुल भुगतान की धनराशि के विरुद्ध 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया है ?? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दवा आपूर्ति की अनुबंध की शर्तों के अनुसार, डेढ़ माह के अन्दर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दवाओं की आपूर्ति न कर पाने पर, उसके विरुद्ध कार्यवाही एवं आपूर्ति आदेश निरस्त किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो यू0पी0डी0पी0एल0 के आपूर्ति आदेश निरस्त करने एवं शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

वर्ष 1990-91 में यू0पी0 डी0पी0एल0 को केन्द्रीय औषधि भंडार डिपो द्वारा रुपये 3,03,91, 000.00 (तीन करोड़ तीन लाख इक्यानबे हजार रुपये मात्र) की धनराशि की औषधि की आपूर्ति के आदेश दिये गये थे, जिसमें से रुपये 1, 13, 47,440.00 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख सैंतालिस हजार चार सौ चालीस मात्र) की धनराशि की औषधि की आपूर्ति उनके द्वारा नहीं की गयी है । फर्म को कुल क्रय आदेश की धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है वरन् रु0 1,90,43, 560-00 की आपूर्ति की गयी औषधियों के विपरीत 1,88,37,000-00 रु0 का भुगतान किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के लेखाधिकारी कार्यालय हेतु मोहल्ला खाईंपार बांदा में श्रीमती अकरमी बेगम के मकान को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति

144-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के लेखाधिकारी कार्यालय हेतु, मोहल्ला खाईंपार, बांदा में श्रीमती अकरमी बेगम का मकान दो हजार रुपये प्रति माह की दर से किराये पर लिया गया था ? क्या इसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग, बांदा द्वारा कई बार लिखने पर भी आज तक शासन से नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या शासन द्वारा शीघ्र स्वीकृति देकर इस कार्यालय को किराया देने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 1992 द्वारा किराये के भुगतान की वांछित स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के छितौनी व लक्ष्मीगंज कस्बों को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

145-श्री दीप लाल भारती-

क्या सरकार ने प्रदेश में नयी टाउन एरिया कमेटियां बनाने की योजना बनायी है ? क्या सरकार देवरिया जनपद के छितौनी व लक्ष्मीगंज कस्बों को टाउन एरिया बनायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । प्रस्ताव प्राप्त हुए थे किन्तु निर्धारित मानकों की परिधि में न आने के कारण इन्हें नियमानुसार टाउन एरिया बनाया जाना सम्भव नहीं हो सका

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

146-श्री बंशीधर राज-

(8 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

ग्राम सभा तड़म जिला अल्मोड़ा को सिमलगैर लोक समूह पेयजल योजना हेतु अनुमानित रुपये के आगणन की स्वीकृति के संबंध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा भारत सरकार को पत्र

147-श्री बची सिंह रावत-

क्या शासन को जानकारी है कि ग्राम सभा तड़म, जिला अल्मोड़ा को सिमलगैर लोक समूह पेयजल योजना हेतु अनुमानित लागत 6.25 लाख रुपये का आगणन मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय) उ0प्र0 जल निगम, देहरादून द्वारा ए0आर0 पी0 के अन्तर्गत दिनांक 30 मई, 1989 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गयी ? क्या आज तक इस योजना पर कोई कार्य हुआ ? यदि नहीं, तो सरकार पेयजल समस्या हल करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां । ग्राम सभा तड़म जिला अल्मोड़ा का सिमलगेर लोक समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत 6.06 लाख (सेंटेज सहित लागत रु0 7.21 लाख) का विस्तृत प्राक्कलन त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (पूर्व) देहरादून द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति हेतु उनके पत्रांक 294/ए0आर0पी0/65, दिनांक 30-5-89 द्वारा भेजा गया था ।

जी नहीं । भारत सरकार से अभी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कोई कार्य नहीं कराया जा सका है ।

पेयजल समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में रु0 पांच लाख का प्राविधान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुहागपुर धामपुर बिजनौर को किसी भी विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध करने की मांग

148-श्री प्रमोद तिवारी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुहागपुर, धामपुर, बिजनौर किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र ही इन्हें किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 के प्राविधानों के अनुसार यह एक गैरमान्यता प्राप्त संस्था है अतः किसी विश्व विद्यालय से सम्बद्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विधायकगणों के नाम टाउन एरिया म्युनिसिपैलिटी एवं क्षेत्र समितियों में सदस्य के रूप में नामित न किये जाने की शिकायत

149-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि पूरे प्रदेश में विधायकगणों के नाम उनके विधान सभा क्षेत्रों में आने वाली टाउन एरिया म्युनिसिपैलिटी एवं क्षेत्र समितियों में अब तक सदस्यों के रूप में नामित नहीं किये गये है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मैनपुरी जनपद में प्रश्नकर्ता ने ऐसा शिकायती पत्र फरवरी, 92 में जिलाधिकारी, मैनपुरी को लिखित रूप से दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता को टाउन एरिया भोगांव बेवर तथा क्षेत्र समिति किशनी एवं जागीर में किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) क्योंकि अभी इस संबंध में विधायी प्राविधान नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) नगर पालिकाओं के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जा चुके हैं । टाउन एरिया में माननीय विधायक गण को बैठक में भाग लेने हेतु अभी विधायी व्यवस्था नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) जी हां ।

(ज) क्योंकि प्रचलित नियमों के अनुसार टाउन एरिया के संदर्भ में ऐसी विधिक व्यवस्था नहीं है ।

(झ) कोई दोष नहीं है, प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के सहकारी शीतगृह राजा तालाब को सहकारी बैंक वाराणसी द्वारा दिये गये ऋण की जांच

150-श्री ऊदल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी शीतगृह राजा तालाब, जिला वाराणसी को सन् 89-90 से कितने रुपये का ऋण सहकारी बैंक वाराणसी ने दिया है ? क्या यह सही है कि 15 लाख रुपये आलू खरीदने हेतु भी सहकारी बैंक ने ऋण दिया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त शीतगृह वर्ष 90-91 को सीजन से चला ही नहीं ? क्या इसकी जांच रजिस्ट्रार से कराकर जिम्मेदारी निश्चित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

आलू भण्डारण सत्र, 1989 में मु0 14,18, 102.70 रुपये तथा भण्डारण सत्र 1990 में 14, 98, 273.00 रुपये ।

जी नहीं, बल्कि मु0 14, 98, 273.00 रुपये आलू खरीदने हेतु ऋण दिया गया है ।

जी नहीं, उक्त शीतगृह आलू भण्डारण सन् 1990 में चला किन्तु भण्डारण सत्र 1991 से नहीं चला ।

जी हां ।

डा0 महेन्द्र कुमार डिप्टी सी0एम0ओ0 बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 409 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी रिपोर्ट की जानकारी

151-श्री प्रमोद कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 महेन्द्र कुमार, डिप्टी सी0एम0ओ0, बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 409 आई0पी0सी0 की रिपोर्ट मुजफ्फरनगर जनपद के जहांगीराबाद थाने में दिनांक 20-1-92 को एवं उसी दिन थाना कोतवाली में भी दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक इनके आहरण/वितरण अधिकार वापस न लिए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी तुरन्त उक्त अधिकार वापस लेकर मामले की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

152-श्री रवीन्द्र प्रताप-

(8 वें शुक्र के लिए स्थगित)

निदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 के लिए सहवर्ती स्टाफ के पदों के संबंध में अनियमितता

153-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 के लिए सहवर्ती स्टाफ के पदों की निरन्तरता की स्वीकृति लिए बिना, कितने लोग वर्ष 1986 से अब तक कार्य कर रहे हैं ? इस वित्तीय अनियमितता के लिए कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

निदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उ0 प्र0 के लिए 5 सहवर्ती स्टाफ के अस्थायी पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध चार कर्मचारी कार्यरत हैं । इन पदों की निरन्तरता की स्वीकृति दिनांक 28-2-86 के बाद प्रतिवर्ष प्रस्ताव के अभाव में नहीं दी गयी थी । इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी निदेशक, परिवार कल्याण एवं दो वरिष्ठ तथा एक कनिष्ट लिपिक उत्तरदायी है, उन्हें इसके लिए सचेत कर दिया गया है ।

154-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 27-4-92 को अता0 प्र0 सं0-198 द्वारा उत्तरित)

श्री सूर्य नारायण शुक्ल प्रबन्धक कार्यरत केन्द्रीय इंजीनियरिंग केन्द्र सहकारी समिति लिमिटेड, सुल्तानपुर के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

155-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य नारायण शुक्ल, प्रबंधक, कृषि सेवायी केन्द्र द्वारा कैडर फैक्सफैड, उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ वर्तमान में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सहकारी समिति लि0, सुल्तानपुर में कार्यरत है ? यदि हां, तो श्री शुक्ल को वेतन का भुगतान कब से नहीं कराया गया है ? क्या वेतन का भुगतान उन्हें शीघ्र कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

दिनांक 26-5-1990 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है । व्यवस्था होते ही भुगतान किया जाएगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूर्य नारायण शुक्ल का कैडर फैक्सफेड से उनके मूल विभाग एवं केन्द्रीय इंजीनियरिंग सहकारी समिति सुल्तानपुर में सचिव प्रबन्धक के पद पर प्रत्यावर्तन

156-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सूर्य नारायण शुक्ल को कैडर फैक्सफैड से उनके मूल विभाग एवं केन्द्रीय इंजीनियरिंग सहकारी समिति, सुल्तानपुर में सचिव प्रबन्धक के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है ? क्या प्रत्यावर्तन आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच, लखनऊ द्वारा श्री शुक्ल को स्थगन आदेश दिनांकित 22-10-90 प्राप्त है ? उक्त स्थगन आदेश होने पर क्या फैक्सफैड द्वारा प्रतिमाह वेतन का भुगतान करने का दायित्व निर्धारित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । श्री शुक्ल फैक्सफैड के कर्मचारी नहीं हैं । अपितु उ0प्र0 सहकारी प्रसंस्करण इकाई एवं कोल्ड स्टोरेज केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी है, जिसके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है । वित्तीय साधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के विकास खण्ड-खड्डा अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय छितौनी (देवरिया) के कमरों में अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा

157-श्री दीप लाल भारती-

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के विकास खण्ड-खड्डा अंतर्गत एक मात्र राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी (देवरिया) के चार कमरों में सन् 1985 से ही किसी बाहरी अराजक तत्व द्वारा अवैधानिक तरीके से कब्जा करके अस्पताल परिसर में निवास बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त दोषी व्यक्ति के खिलाफ सभी कार्यवाही करने के बाद भी अब तक कमरे खाली नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो कब तक अवैध कब्जा हटेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में स्थित फार्मासिस्ट के आवासीय भवन में वर्ष 1987 से तथा उपकेन्द्र के भवन में वर्ष 1986 से क्रमशः श्री अरुण कुमार दुबे तथा श्री प्रभात कुमार द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

जी हां ।

अवैध कब्जा हटाने के लिए परगनाधिकारी पडरौना द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दी गई है, जिसमें दिनांक 3-5-92 तक भवन खाली करने को कहा गया है । उक्त तिथि तक भवन खाली न होने पर अवैध कब्जा हटाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में नियमित कार्य प्रभारित तथा कार्य प्रभारित दो अधिष्ठानों के सम्बन्ध में जानकारी

158-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 जल निगम में नियमित कार्य प्रभारित तथा कार्य प्रभारित दो अधिष्ठान है ? क्या यह सत्य है कि किसी अन्य सरकारी विभाग में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो जल निगम में उक्त व्यवस्था क्यों अपनायी गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि वहां भी इस तरह की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अशोक कुमार सोनी मुख्य लिपिक प्रकल्प शाखा उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की जांच

159-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, द्वारा दिनांक 29-1-91 में श्री अशोक कुमार सोनी, मुख्य लिपिक, प्रकल्प शाखा उ0प्र0 जल निगम फैजाबाद के बारे में की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

शिकायत पर जांच करायी गयी । जांच में श्री सोनी दोषी नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर क्षेत्र समिति उसांवा जनपद बदायूं के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता एवं लिपिक श्री विष्णु शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

160-श्री बनवारी सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र दिनांक 4-1-92 को रजिस्ट्री द्वारा उन्हें प्रेषित किया है, जिसमें नगर क्षेत्र समिति उसांवा, जनपद बदायूं के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता एवं लिपिक श्री विष्णु शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) मुख्य आरोप, वित्तीय अनियमितता, शासकीय अनुदान के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसकी जांच जिलाधिकारी, बदायूं से कराये जाने हेतु दिनांक 24-1-92 को आदेश भेजे गये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी की टाउन एरिया भोगांव में तहसील के समक्ष नगर क्षेत्र समिति द्वारा कई दुकानों के निर्माण में किये गये घपले की जांच

161-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में टाउन एरिया भोगांव में तहसील के समक्ष, नगर क्षेत्र समिति द्वारा विगत वर्ष कई दुकानों का निर्माण कराया गया, जिनकी छतें चटक गयी हैं ? यदि हां, तो इस पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही

की गयी ? क्या यह सच है कि वर्ष 1991 में तत्कालीन सदस्या टाउन एरिया, श्रीमती शहजहां बेगम ने इस सबंध मे शिकायती पत्र भी परगनाधिकारी/जिलाधिकारी को प्रेषित की थी ? यदि हा, तो उसमें जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यो ?क्या यह सच है कि उस निर्माण कार्य में लाखो रुपये का गोलमाल किया गया है ?क्या दुकानो में नक्शे के विरुद्ध खम्भे लगाए गये ? यदि हा, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हा ।

(ख) इस सम्बन्ध परगना मैजिस्ट्रेट भोगाव से जाच करायी गयी ।

(ग) जी नही । इस सम्बन्ध मे तकनीकी जाच हेतु तीन अभियन्ताओ की उच्च स्तरीय समिति 18 अप्रैल, 1992 को गठित की गयी है ।

(घ) जी नही ।

(ड) प्रश्न नही उठता ।

(छ) चूकि अभी जाच की कार्यवाही चल रही है, अत घपले के सदर्भ मे पूर्वानुमान सम्भव नही है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालय देहरादून कार्यालय मे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत श्री सुभाष चन्द्र पेन्यूली, को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति की मांग

162-श्री लाखी राम जोशी-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सुभाष चन्द्र पेन्यूली, चतुर्थ श्रेणी पद पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालय, देहरादून मे कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति 7 जून, 1972 में विभाग में की गयी थी ? क्या यह सत्य है कि विभागीय सेवा के दौरान ही, अधिकारियों की अनुमति से, श्री पेन्युली ने एम0ए0 तक की शिक्षा प्राप्त की ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा अपनी पदोन्नति हेतु 1978 से लगातार आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या अभी तक उन्हें निदेशक, द्वारा तृतीय श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नत किया गया है ?यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उनसे कनिष्ठ अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे, कि उच्च शिक्षा प्राप्त, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री पेन्युली की पदोन्नति, तृतीय श्रेणी मे लिपिक पद पर कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हा ।

जी हा ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी नही । चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का प्रकरण इस हेतु गठित चयन समिति के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

दिनांक 15 एवं 16 जनवरी, 1990 को समिति द्वारा किये गये साक्षात्कार परिणाम घोषित होने पर चयनित कर्मचारियों की पदोन्नतियों के संबंध में कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सोनभद्र जनपद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सरकार द्वारा स्वयं न चलाकर एक स्वयं सेवी संस्था से चलवाने के संबंध में जानकारी

163-श्री तीरथ राज-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल सोनभद्र जनपद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सरकार स्वयं न चलाकर एक स्वयं सेवी संस्था से चलवा रही है ? यदि हां, तो किससे और क्यों ? क्या प्रदेश में अन्य जिलों में भी यही व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो सोनभद्र में ही ऐसी अवस्था लागू करने के औचित्य क्या हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की "स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा के लिए सहायता की योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई ।

जी नहीं ।

स्वैच्छिक संस्था-बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

जनपद-फर्रुखाबाद के जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लाये जाने की मांग

164-श्री छक्की लाल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कितने जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में इस वर्ष सम्मिलित कर लिया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि किस वर्ष तक के स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल इस सूची में शामिल किए गए हैं ? क्या शासन द्वारा इस अनुदान सूची में शमसुल उलूम जूनियर हाई स्कूल को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इसके साथ के अन्य स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय अनुदान सूची में शामिल है ? यदि हां, तो क्या शासन इसे भी अनुदान सूची में शामिल करने पर इस वर्ष विचार करेगा ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वर्ष 1990-91 में जनपद फर्रुखाबाद के 14 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिया गया है ।

दिनांक 26-2-82 तक बालक तथा दिनांक 24-3-86 तक बालिका स्थाई मान्यता प्राप्त अर्ह विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है ।

जी नहीं । शासन द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों की पूर्ति न करने के कारण निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले अर्ह विद्यालयों को स्थाई मान्यता तिथि के वरीयताक्रम में अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है ।

शासन के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार यथासमय आवेदन करने पर निर्धारित मानक के अनुसार विचार किया जाता है ।

165-168-श्री अब्दुल ए0 एलाम-
(8 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

169-श्री पूरन चन्द-
(दिनांक 28-4-92 को अता0 प्र0सं0 80 द्वारा उत्तरित)

जनपद देवरिया विकास खण्ड रुद्रपुर के ग्राम सभा पचरुख में अस्पताल निर्माण कराने की मांग

170-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विकास खण्ड रुद्रपुर ग्राम सभा पचरुखा में गांव सभा की 1.69 एकड़ भूमि अस्पताल हेतु प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर अस्पताल निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा पचरुख में कोई भी चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है ।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ द्वारा जिला सहकारी बैंकों हेतु चयनित अभ्यार्थियों के संबंध में जानकारी

171-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा वर्ष 90-91 एवं 91-92 में कितने प्रत्याशियों का चयन वर्गवार जिला सहकारी बैंकों हेतु किया गया । क्या सम्पूर्ण चयनित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करा लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा वर्ष 90-91में वर्ग-1 (वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक) के पदों पर 4, वर्ग-2, (कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक) के पदों पर 73, तथा वर्ग-3, (लिपिक/कैशियर/टंकक) के पदों पर 27 प्रत्याशियों का चयन जिला सहकारी बैंकों हेतु किया गया है । वर्ग 91-92 में उपरोक्त वर्णित पदों के लिए क्रमशः 10, 17 तथा 15 प्रत्याशियों का चयन किया गया है ।

जी नहीं ।

मितव्ययता किये जाने के आशय से कतिपय चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

गोरखपुर मण्डल के जिला सहकारी बैंको में की गयी नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

172-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल के जिला सहकारी बैंकों ने वर्ष 90-91 एवं 91-92 में स्वयं कितनी नियुक्तियां की है ? क्या नियुक्ति हेतु निबन्धक की पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को बिना अधियाचन भेजे गये, नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

गोरखपुर मण्डल में जिला सहकारी बैकों द्वारा वर्ष 90-91 में वर्ग-3 में 4, वर्ग-4 में 22 तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं । वर्ष 91-92 में वर्ग-3 पद पर 14 व वर्ग-4 पद पर 20 तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी नहीं ।

नियमानुसार तदर्थ नियुक्ति हेतु निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

जिन पदों हेतु सेवामण्डल को अधियाचन भेजना वांछित था उन पदों पर अधियाचन भेजने के बाद सेवामण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्तियां की गयी हैं । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

173-174- श्री रमेश पोखरियाल-
(दिनांक 28-4-92 को अता0 प्र0 सं0 81 द्वारा उत्तरित)

रज्जब अली मेमोरियल एलोपैथिक अस्पताल बरही नेवादा जिला वाराणसी के नाम करण लैट्रिन, बाथरुम आदि का निर्माण कराये जाने के संबंध में जानकारी

175-श्री ऊदल-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सख्या-31 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल का नाम रज्जब अली मेमोरियल एलोपैथिक अस्पताल, बरही, नेवादा, जिला वाराणसी शासन के पास कितने दिनों से विचाराधीन है ? क्या सरकार जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज तथा सभी कागजात सी0एम0ओ0 वाराणसी तथा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन वाराणसी मण्डल से मंगाकर प्रकरण की समीक्षा करायेगी ? क्या इस प्रश्न को भी उसमें देखेगी कि रजिस्ट्री रज्जब अली मेमोरियल के पैरा के साथ ही की गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त अस्पताल में लैट्रिने बाथरुम तथा अधूरे कमरों का निर्माण और अस्पताल की चहारदीवारी कब तक बना दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1990 से विचाराधीन है ।

जी हां ।

जी हां ।

उक्त अस्पताल के लैट्रिन, बाथरुम तथा छोटे मोटे अधूरे कार्यों को वर्ष 1991-92 में पूर्ण करा दिया है । अस्पताल की चहारदीवारी का आगणन तैयार कराया जा रहा है । धन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र निर्माण करा दिया जायेगा ।

उ0प्र0 जल निगम में ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स की आरक्षित पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

176-श्री इम्तियाज अहमद

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम में सन् 1990 व 1991 मे ग्रेजुएट्स इजीनियर्स के जिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को भरने के लिए इण्टरव्यू लिये गये थे तथा नियुक्तियां नहीं की गयी थी, उन पदों को सरकार शीघ्र भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नही । जल निगम मे कार्यभार कम होने के कारण इन पदो को फिलहाल भरे जाने की आवश्यकता नही है ।

आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास शौचालय सीवर आदि की व्यवस्था हेतु धन की मांग

177-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शौचालय, सीवर, गन्दे पानी के निकासी हेतु नाले व घनी आबादी के बीच बने गड्ढे व नालों, खड़ंजों व सड़कों के विकास हेतु नगरमहापालिका, आगरा को पैसा देने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी सत्य है कि इस पश्चिम क्षेत्र के विकास हेतु 26 पत्र पूर्ववर्ती सरकार को व 16 पत्र वर्तमान सरकार को अपने कार्यकाल में प्रश्नकर्ता द्वारा दिए जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र हेतु नगरमहापालिका, आगरा को कितना धन दिया जाना इस वित्तीय वर्ष में सम्भव है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आई0डी0 पी0एल0, लखनऊ की संस्था द्वारा भूकम्प पीड़ितों को दान में दी गयी इक्सपायर्ड दवाओं के संबंध में कार्यवाही की मांग

178-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री बच्चा पाठक तथा श्री भारत सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मेसर्स इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि0 के मण्डलीय कार्यालय लखनऊ द्वारा माह अक्टूबर, 1991 में भूकम्प पीड़ितों के लिए करीब दो लाख रुपये की दवायें दान में दी गयी थीं जिनमें अधिकांशतः इक्सपायर्ड दवायें थीं जो रोगियों को वितरित की गयीं ? यदि हां, तो क्या भूकम्प पीड़ितों के लिए उक्त दवाइयां भेजने वाले मेसर्स आई0डी0 पी0एल0 लखनऊ के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । आई0डी0पी0एल0 द्वारा दान में दी गई दवाओं में कुछ दवाएं ऐसी थीं जिनकी एक्सपायरी डेट अत्यन्त निकट थी । अतः उन्हें रोगियों में नहीं वितरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

179-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

हरदोई की नगरपालिका, सण्डीला कस्बे की सड़क लाइट हेतु क्रय किये गये बल्बों की चोरी के संबंध में कार्यवाही की मांग

180-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला में जनवरी, 1991 से कस्बे की सड़क लाइट हेतु खरीदे गये लगभग 280 बल्ब चोरी चले गये ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? उनको क्या दण्ड दिया गया ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, श्री डी0डी0 शर्मा द्वारा की गयी ।

जांच में यह पाया गया कि श्री टीकाराम, श्री मेहदी हसन चौकीदार तथा श्री मो0 शरीफ दीप, ज्वालक की लापरवाही से यह चोरी हुयी है इसलिए इनको दोषी पाया गया ।

चोरी से हुई हानि की क्षतिपूर्ति उपरोक्त तीनों कर्मचारियों से की जा रही है तथा तीनों कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है ।

जनपद हरदोई की नगरपालिका, सण्डीला को नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध धन के संबंध में जानकारी

181-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला को वर्ष 1991-92 में नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत एवं अन्य सड़क अनुदान के रूप में कितना धन उपलब्ध कराया गया ? उक्त धनराशि से किन-किन मार्गों का निर्माण कराया गया ? क्या यह सही है कि नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत दिए गए निर्देशानुसार एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं कराए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने अथवा टी0ए0सी0 से जांच कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगरपालिका, सण्डीला, जनपद हरदोई को वर्ष 1991-92 में नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत रुपये 5,37,056-00 एवं सड़क अनुदान के रूप में रुपये 15,90,000-00 उपलब्ध कराये गये । उक्त धनराशि से नगर के विभिन्न वार्डों में खड़ंजा नाली, पुलिया आदि का निर्माण कार्य कराया गया । नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सभी कार्य योजना के निर्देशों एवं मानक के अनुरूप कराये गये हैं ।

182-श्री लालजी वर्मा-
(8वें सोमवार में अता0 प्र0स0 191 के अतर्गत स्थानान्तरित)

मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा, बाराबकी में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रबधक के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही की मांग

183-श्री अब्दल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा, बाराबकी के श्री मो0 आसिम, श्री सलीमुउद्दीन, श्री मो0 अजीम बेग सहित 8 अध्यापकों द्वारा दिनाक 22-8-91 को पंजीकृत डाक से दिये गये शिकायती पत्र पर विभाग के सक्षम अधिकारियो द्वारा जांच करा ली गयी है ? क्या जांच के उपरान्त शिकायती-पत्र मे लगाये गये इस आरोप का सत्यापन हो गया है कि मदरसे मे कार्यरत शिक्षको एवं कर्मचारियो से प्रतिमाह 20-20 रुपये प्रबंधक द्वारा अवैधानिक रूप से वसूले जाते हैं ? यदि हा, तो प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?यदि नही, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-
प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा0स्वा0 केन्द्र, सीयर, जनपद बलिया में कार्यरत श्रीमती बिमला देवी स्वा0 निरीक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में जानकारी

184-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सीयर, जनपद बलिया में कार्यरत श्रीमती विमला देवी, स्वा0 निरीक्षका को तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी ने दिनांक 5-8-91 से 7-8-91 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो उक्त स्वा0 निरीक्षिका को दिनांक 7-8-91 को कार्यमुक्त करने का क्या औचित्य है ? क्या इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

185-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या मुख्य मत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर पर कितने चिकित्साधिकारी व कर्मचारी कब-कब से तैनात हैं तथा

कितने ऐसे कर्मचारी उक्त केन्द्र पर 10 वर्षों से अधिक दिनों से स्थानान्तरण आदेशों को रोकवा कर या निरस्त कराकर कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत सरकारी निर्देश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संलग्न है ।

उक्त केन्द्र के अंतर्गत 32 कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर के अन्तर्गत स्वास्थ्य अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 302 पर)

उन्नाव जिले की असोहा पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा फर्जी नसबंदी किये जाने संबंधी प्रकरणों की जांच

186-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की असोहा पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी पर वर्ष 89-90 व 90-91 में फर्जी नसबंदी किये जाने के प्रकरणों की जांच चल रही है ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध ही प्रश्नकर्ता के गलत डाक्टरी मुआइना किये जाने विषयक पत्र दिनांक 4-12-91 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित है की भी जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी अवगत है कि अनुसूचित जाति के गरीबों ने उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध चिकित्सा उपचार न करने की शिकायतें की हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि रामपाल पासी आदि नि0 भाऊमऊ का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग-पत्र दिनांक 27-12-91 पत्रांक 315/91, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को मिला है ? यदि हां, तो जांच किसने की ? क्या जांच प्रश्नकर्ता के अनुरोध के किन्हीं सं0 निदेशक/अति0 निदेशक ने की है ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? उक्त सभी प्रकरणों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 4-12-91 का न होकर दिनांक 7-12-91 का है ।

जी हां ।

जी हां ।

जाच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल से कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जांच कराई जा रही है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कम्पाउण्डर पद पर फर्जी नियुक्तियों की जाच

187-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या स्वास्थ्य मत्री कृपया बतायेगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो मे कम्पाउण्डर पद पर फर्जी नियुक्तियो का प्रकरण प्रकाश मे आया है ? यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्या यह सत्य है कि होम्योपैथिक निदेशालय का डिस्पैच रजिस्टर वर्ष 1987-88 व 88-89 का गायब हो गया है ? यदि हा, तो क्या निदेशक, होम्योपैथी को निलम्बित कर सतर्कता अधिष्ठान से जाच कराने का कष्ट करेगे ?

श्री कल्याण सिह-

जी हा ।

एक कम्पाउण्डर की सेवा समाप्त कर दी गई है, शेष के सबध मे मुख्य चिकित्साधिकारियो से सूचनाये एकत्र की जा रही है, सूचनाये एकत्र होने पर कार्यवाही की जायगी । 24 जुलाई, 1991 से पूर्व इन पदो के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी थे तदोपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक (होम्योपैथी) है ।

होम्योपैथिक निदेशालय का डिस्पैच रजिस्टर कलेण्डर वर्ष विशेष के लिए होता है । केवल वर्ष 1987 का डिस्पैच रजिस्टर सुलभ नही हो पा रहा है । वर्ष 1988 व 1989 के डिस्पैच रजिस्टर निदेशालय में सुलभ हैं । इस संदर्भ में संबंधित सहायक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निबंधक, सहकारिता, पर्वतीय क्षेत्र, अल्मोड़ा के कार्यालय की स्थापना, उद्देश्यों एवं उसमें रिक्त पदों के संबंध में जानकारी

188-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर निबंधक सहकारिता पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा के कार्यालय की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी ? स्थापना से लेकर अब तक उन उद्देश्यों में प्रगति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि अपर निबंधक के अधीन पर्वतीय क्षेत्र में किस स्तर के कितने पद किस वर्ष से रिक्त हैं ? क्या यह सच है कि वर्ग-3 की रिक्तियों की पूर्ति विभागाध्यक्षों व अपर निबंधक के स्तर से अलग-अलग हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रिक्तियो की आपूर्ति मे पहाडी क्षेत्रो के कितने लोग समायोजित किये गये है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

अपर निबंधक, पर्वतीय क्षेत्र सहकारी समितिया, उ0प्र0 अल्मोडा का कार्यालय वर्ष-1985-86 में स्थापित किया गया था । स्थापना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र की सहकारिता आयोजनागत कार्यक्रमो का प्रभावी ढग से क्रियान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण करना था ।

उद्देश्यो की पूर्ति मे सातवी योजना मे उपलब्ध परिव्यय 850 लाख रुपये सापेक्ष 844 लाख परिव्यय के अन्तर्गत व 138.5 लाख रुपये परिव्यय के बाहर की स्वीकृतिया, वर्ष 1991-92 मे 230 लाख रुपये के परिव्यय के सापेक्ष 176 लाख रुपये के अंतर्गत व 40 लाख रुपये परिव्यय के बाहर स्वीकृतियां प्राप्त की गयी । मुख्य भौतिक उपलब्धियां वर्ष 1985-86 के स्तर की स्थिति के सापेक्ष को वर्ष 1991-92 के अन्त मे निम्न प्रकार बढाया गया -

अल्पाकलीन ऋण वितरण रुपये 1281 लाख से बढाकर 2470 लाख रुपये के स्तर पर, मध्यकालीन ऋण रु0 939 लाख से बढ़ाकर 1053 लाख रुपये स्तर पर, दीर्घकालीन ऋण वितरण 95 लाख रुपये से 182 लाख रुपये के स्तर पर, समितियो में अशंधन वृद्धि 41.39 लाख रुपये के स्तर से बढ़ाकर 112 लाख रुपये के स्तर पर, उर्वरक वितरण 14.411 मे0 टन से बढ़ाकर 21.522 मे0टन बीज वितरण 633 कु0 स्तर से बढ़ाकर 6750 कु0 के स्तर पर, उपभोक्ता व्यवसाय 2890 लाख रुपये के स्तर से 3192 लाख रुपये के स्तर पर बढाया गया ।

क्र0स0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पद किस वर्ष से रिक्त हैं
1	2	3	4
1	निरीक्षक वर्ग-1	3 पद	वर्ष 1990 से
		19 पद	वर्ष 1991 से
2	निरीक्षक वर्ग-2	6 पद	वर्ष 1992 से
3	महिला निरीक्षक	1 पद	वर्ष 1987 से
4	अन्वेषक कम	2 पद	वर्ष 1988 से
	संगणक	1 पद	वर्ष 1991 से
5	सहायक लेखाकार	6 पद	वर्ष 1989 से
		1 पद	वर्ष 1990 से
6	अवर अभियन्ता	1 पद	वर्ष 1990 से (प्रतिनियुक्ति पर जाने से)
7	ग्राम्यसेवक (कृषि)	1 पद	वर्ष 1984 से
8	लेखाकार	1 पद	वर्ष 1991 से
9	राजकीय सहकारी	7 पद	वर्ष 1988 से
	पर्यवेक्षक	14 पद	वर्ष 1992 से

1	2	3	4
10	सहकारी कृषि पर्यवेक्षक	1 पद	वर्ष 1985 से
11	वरिष्ठ लिपिक	4 पद	वर्ष 1990 से
12	वरिष्ठ सहायक	1 पद	वर्ष 1990 से
13	कनिष्ठ लिपिक	2 पद	वर्ष 1992 से
		6 पद	वर्ष 1989 से
14	ग्रेडिंग असिस्टेंट	1 पद	वर्ष 1991 से
15	सहायक विकास अधिकारी जड़ी बूटी	2 पद	वर्ष 1990 से
16	जड़ीबूटी पर्यवेक्षक	4 पद	वर्ष 1989 से
17	वर्गीकरण पर्यवेक्षक	7 पद	वर्ष 1989 से

जी हां ।

67 व्यक्ति समायोजित किये गये हैं ।

नगर कालपी, जनपद जालौन में प्रस्तावित एवं स्वीकृत 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन के हस्तान्तरण की कार्यवाही

189-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 5-7-91 के प्रत्युत्तर में मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन, उरई ने दिनांक 30-11-91 को पत्र संख्या-स0से0एम0ओ0-91-4869 द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र की बिन्दुवार आख्या अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, झांसी को देते हुए उसकी एक प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को भी उपलब्ध कराई है ? यदि हां, तो क्या पत्र के पैरा छः में नगर कालपी, जनपद जालौन में प्रस्तावित एवं स्वीकृत 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में, जमीन के हस्तान्तरण में आ रही बाधाओं के कारण बिलम्ब होना बताया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हुए वगैर निवर्तमान सरकार के कृषि मंत्री द्वारा शिलान्यास कराया गया है ? क्या जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी जालौन उरई ने पूर्व कृषि मंत्री से गत 1991 के सामान्य लोक सभा व विधान सभाओं के निर्वाचन से कुछ माह पूर्व शिलान्यास करा दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?क्या उक्त अधिकारियों के राजनीति से जुड़े होने की जांच कराकर उन्हें शासन द्वारा उक्त जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

निर्वाचन की विज्ञप्ति दिनांक 19 अप्रैल, 1991 को जारी हुई थी जबकि शिलान्यास दिनांक 1 अप्रैल, 1991 को हुआ था ।

भूमि हस्तान्तरण के पूर्व शिलान्यास कराये जाने की जांच करायी जा रही है । मुख्य चिकित्साधिकारी को सामान्य स्थानान्तरण के समय जुलाई, 1991 में अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

प्रबन्धक मदरसा, मिस्वाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी की अनियमितताओं के विरुद्ध जांच आख्या पर कार्यवाही की मांग

190-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी तथा उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-11-91 को मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा, बाराबंकी का किए गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में दिनांक 5-9-91 की मदरसे में घटी घटना तथा अभिलेखों के प्रबन्धक के घर पर होने और छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 400-00 चार सौ रुपये श्रीमती मकबूल इफफत आरा के पास होने एवं छात्रवृत्ति की सूची प्रबन्धक मदरसा के पास होने और श्रीमती आरा के मांगने पर प्रबंधक द्वारा सूची उपलब्ध न कराने की पुष्टि कार्यवाहक प्रधानाचार्या श्रीमती मकबूल इफफत आरा द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या पूर्वोक्त अनियमितताओं पर प्रबन्धक मदरसा के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा मिस्वाहुल, उलूम, देवा शरीफ जनपद बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

191-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1980 से फरवरी, 1989 तक नौ वर्षों में मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ जनपद बाराबंकी में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक कितना वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस की धनराशि प्रबन्धक मदरसा के खाते में व सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा कुल कितना धन दिया गया है ? क्या इन वर्षों में

प्रबन्धक द्वारा श्री रहमत अली तथा श्री मुहम्मद जुबेर का वेतन वितरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उपर्युक्त कर्मचारियों को उनका देय वेतन आदि प्रबन्धक से दिलाया जायेगा तथा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक फूलपुर केन्द्र पर बन रहे तीस शैय्या वाले अस्पताल के निर्माण को रोके जाने के संबंध में जानकारी

192-श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री भोला सिंह, श्री विश्राम दास तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के ब्लाक फूलपुर केन्द्र पर बन रहे तीस शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है ? यह निर्माण कार्य जनहित में कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फूलपुर का भवन निर्माण स्थल के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था ।

निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषदीय नियंत्रणाधीन विभिन्न ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षकों के नियुक्ति के संबंध में जानकारी

193-श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा कोबिद कुमार सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बेसिक कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषदीय नियंत्रणाधीन विभिन ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान/उर्दू/संस्कृत एवं सामान्य शिक्षक/शिक्षिकाओं के कौन-कौन से पद किस-किस विद्यालय में कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या शासन अपने स्तर से पात्र व्यक्तियों की वहां नियुक्तियां शीघ्र करवा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के (ग्रामीण क्षेत्र) में सहायक अध्यापक (सामान्य) 31, व उर्दू अध्यापक 2 कुल 33 रिक्तियां हैं । नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक (सामान्य) की 48 रिक्तियां हैं ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक (सामान्य) 3 व उर्दू अध्यापक 3 कुल 6 रिक्तियां तथा नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक (सामान्य) 6, विज्ञान अध्यापक तथा संस्कृत अध्यापक-1 कुल 8 रिक्तियां हैं । विषयवार, वर्षवार तथा विद्यालय वार रिक्तियों की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रिक्तियों की पूर्ति यथासमय आवश्यकतानुसार सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता श्रीवास्तव को कम्पलसरी रिटायर किये जाने तथा दूसरे अधिशासी अभियन्ता श्री यज्ञ नारायण पाठक की नियुक्ति पर आपत्ति

194-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता श्रीवास्तव को कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया और एक दूसरे अधिशासी अभियन्ता श्री यज्ञ नारायण पाठक को नियुक्त किया गया जो 307 के मुलजिम हैं ? पाण्डेपुर हाउसिंग स्कीम में काफी जमीन जो विकास प्राधिकरण ने एक्वायर की थी निजी लोगों से मकान बनवाने और जमीन को समझौता करके छोड़ देने के संबंध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इस संबंध में नगर विकास मंत्री से 11 अक्टूबर, 1991 को मिलकर प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ जो सभी कागजात दिए थे उस पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच किससे करायी गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । जहां तक श्री पाठक के 307 का मुलजिम होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण से आख्या मांगी गयी है ।

आ0लि0 फतेहपुर ककडिल्ला विद्यालय के संबंध में राम प्यारे सुमन सांसद द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिये गये पत्र के संबंध में जांच की जानकारी

195-श्री बच्चा पाठक-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1988, 30 दिसम्बर को श्री राम प्यारे सुमन, सांसद ने कोई पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को उनके पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 अ0शा0 पत्र संख्या 1935/आ0लि0 फतेहपुर ककडिल्ला विद्यालय के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह भी बतायेंगे कि सांसद द्वारा लिखे गये तथ्यों की कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

196-श्री दीप लाल भारती-

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 311 की सूचना को उठाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियमों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 311 में मेरा एक प्रस्ताव है । आपको अधिकार है कि आप मेरा प्रस्ताव पर मतदान करा लें अगर वह अस्वीकार हो जाता है तो हो जाय लेकिन उस पर न सुनना हमारे अधिकारों का हनन है । नियम 311 में दिया है कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समय किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो वह नियम उस समय तक के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा । ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी । तो आप मेरे प्रस्ताव पर वोटिंग करा लीजिए । अगर मेरा प्रस्ताव सदन में स्वीकार नहीं होता है तो मैं नहीं बोलूंगा । इस समय प्रदेश के गन्ना किसानों का 92 करोड़ रुपया सरकार के नियंत्रण में चलने वाली मिलों पर बकाया है ।

श्री अध्यक्ष-

अब इसके बाद जितना बोलेंगे नहीं लिखा जायेगा (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

नहीं लिखा जायेगा आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल जी 6 मई को इसी सदन ने निर्णय लिया था कि 7 और 8 मई को नियम 311, नियम 56 और 300 की सूचना नहीं ली जायेगीं, यह सदन का निर्णय है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

311 में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में तो आप सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:- (× × ×) यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

कार्य मत्रणा समिति ने सदन के सचालन के सबध मे एक निर्णय ले लिया उसी के अनुसार चले ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

चूकि एक बात यहा पर कही गयी है उसी के सदर्भ मे कहना चाहता हू यह सपूर्ण सदन नियमो को अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है और उसमे परिवर्तन भी कर सकता है यह कोई विवाद का विषय नही है । जिस समय हमने यह निर्णय लिया था कि नियम 56, 311 और 300 लेगे उस समय यह परिस्थिति नही थी और इसी सदन मे कार्यमत्रणा समिति का निर्णय लिया गया । आज अपरिहार्य परिस्थितिया आ गई है तो सदन को अधिकार है कि वह उसे बदल सकते है । एक विषय जो उठाया जा रहा है कि इस सरकार ने किसानो का 92 करोड रुपये का गबन किया है ।

श्री अध्यक्ष-

कितने दिन पहले हुआ जो आज आप उठा रहे है नियम 311 मे ?

श्री नरेश अग्रवाल-

आज सूचना मिली है यह 7 दिन पहले हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब आप बैठ जाय, माननीय नरेश जी की बात हो रही है । (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैं आपके अधिकारो को चैलेंज नहीं कर रहा हू ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो यह प्रकरण चल रहा है इसी पर व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, जब कोई कार्यक्रम के सम्बन्ध मे कार्यमत्रणा समिति की सिफारिश इस सदन मे प्रस्तुत हो जाती है तो उनको पूरा सदन मानता है और उसी के अनुरूप हम लोग अपनी बाते कहते है । कार्यमत्रणा समिति ने एक प्रस्ताव कर दिया कि इस दिन नियम 311, 300 और 56 नही लिये जायेगे । फिर उस पर आपको सुनने के लिए जोर देना कहा तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष-

मैने पहले ही कहा कि कार्यमत्रणा समिति का यह निर्णय है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नही तो कार्यमत्रणा समिति को बिल्कुल समाप्त कर दीजिए । या उसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं तो कार्य-मंत्रणा समिति को बिल्कुल समाप्त कर दीजिए या उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाय । आए दिन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों का यहां उल्लंघन होता है । यह कार्य-मंत्रणा समिति की महत्ता और उसकी गम्भीरता को समाप्त करने का एक प्रयास है । इसलिए कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही यह सदन चले, यह मैं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो पहले ही यह कह दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हम कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव की महत्ता को नहीं कम करना चाहते हैं लेकिन कोई चीज ऐसी आ जाए जो अति महत्वपूर्ण हो तो उसको यह सदन कैसे नजरन्दाज कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने विचार कर लिया है और उसके बाद ही इस विषय पर सूचित कर दिया है, आज इसको लेने की आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)... अब मैं इसमें कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, आप बैठे ।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी आपने जितनी संगत बात कहनी थी कह ली है और नरेश अग्रवाल ने भी कह लिया है और राम गोविन्द चौधरी ने अपनी बात कह ली है । इसलिए अब आप सब बैठ जायं ।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मैं समझता हूं और मेरा केवल इतना कहना है कि इस तरह से कोई प्रक्रिया या परम्परा न बन जाए कि वहां कोई निर्णय लेने के बाद की कोई अपरिहार्य स्थितियों में भी उसको बदला न जा सके । मैं चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए उसको लिया जाय और यह विषय भी वैसा ही है । यह आवश्यक नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति में कोई निर्णय कर लें तो हम पूर्णतया उससे बंध जायं । सदन को यह अधिकार है कि किसी नियम को शिथिल करके किसी अन्य विषय को लिया जा सकता है ।

इसलिए जब पूरा सदन इस विषय को लेने के लिए सहमत है और वह इसके लिए सक्षम भी है, तो ...

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए यह प्रकरण पर्याप्त नहीं है अब आप बैठें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

सरकार ने चूंकि इस विषय में हमको सुना नहीं है और आपने इजाजत नहीं दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और इसमें मेरा यह कहना है कि सरकार ने 92 करोड़ रुपये का घपला किया है और 92 करोड़ रुपये का गबन किया है । यह किसानों के हित के सर्वथा विपरीत है, इसलिए विरोध में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी और उनके दल के सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

नियमावली के नियम 289 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 289 (क) को देखने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मेरा एक व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित जी भी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । मैं एक साथ दो बात नहीं सुनूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

कार्य मंत्रणा समिति ने नियम 300, 56 और 311 न लेने का निर्णय लिया था, वह स्वीकार हो गया, लेकिन आप नियमावली का 289 देखने का कष्ट करें, इसमें दिया हुआ है:- किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके । मैंने और आजम खां ने (× × ×) मैंने नियमानुसार आपको लिखकर दिया है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसका परीक्षण करवा रहा हूं ।

(× × ×) और इसको नियम 289 (क) में सुनने के लिए कार्य-मंत्रणा समिति ने कोई रोक भी नहीं लगाई है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बड़ा गम्भीर मामला है । सदन में यह बात बार-बार आई है कि यह सरकार माफिया ग्रुप सारा यहां बैठा है । जब मैंने एक मंत्री के बारे में कुछ कहना चाहा था तो आपने कहा था कि जब तक कोई प्रमाण नहीं होगा किसी मंत्री के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे । आज मैं प्रमाण लेकर आया हूं और मामला नियमों में ही दिया है ।

नोट:- (× × ×) यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, (× × ×) ..(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग व्यवधान न पैदा करें । आप लोग बैठ जायं । मैंने पहले ही कह दिया है कि परीक्षण करा रहा हूं । आप लोग बैठ जायं ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि सदन में कार्य नियमों के अधीन संचालित हो मैं समझता हूं कि उससे सभी सहमत होंगे । मान्यवर, यह नियम कहां लागू होता है कि जब कोई चर्चा हो रही हो उस बीच में आरोप लगाने का, और नियमावली के नियम 289 (क) के बहाने आरोप लगाएं (व्यवधान) (श्री मोहम्मद आजम खां और हृदय नारायण दीक्षित ने खड़े होकर कुछ कागज माननीय अध्यक्ष को दिखाए) (व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

(घोर व्यवधान के मध्य) (× × ×) (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहे और बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर मैं कह रहा था नियम 311 हमें कुछ अधिकार देता है । नियम 289 (क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में हमें अधिकार देता है । लेकिन जिस सदस्य के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया जाएगा तो उसकी सूचना पहले आपके पास और फिर माननीय सदस्य के पास भेजी जाएगी ।

लेकिन जब आप कहेंगे तब उस पर चर्चा होगी । यह नियम हमें यह अधिकार नहीं देता है कि किसी समय भी किसी मामले को वह जब चाहें तब उठा दें । इस पर मान्यवर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । (घोर व्यवधान) मान्यवर, मेरी बात पूरी सुन लें । नियम 289 (क) आप देख लें, इसमें अधिकार आपको दिया गया है । यह व्यवस्था क्यों बनाई गई है ? यह व्यवस्था पहले नहीं थी, बल्कि माननीय नेताओं ने तय किया था और उस समय मैं भी मीटिंग में था तो यह तय हुआ था कि आरोप लगाने से पहले क्या आरोप लगाये जायेंगे । उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और आप इसका परीक्षण करायेंगे । यदि आप समझते हैं कि आरोप लगाना सर्वथा उपयुक्त है तो.... ।

नोट:- (× × ×) यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपकी अनुमति से आरोप लगाया जायेगा । मैं विनम्रतापूर्वक आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सब बातें आपको लिखकर दी हैं और आपका समाधान हो गया है कि आरोप लगाये जाने लायक है और वह आरोप किस प्रकरण में किस भाषण के बीच लगाये जायेंगे । किसी प्रकरण का पालन होता है तो हमको आरोप सुनने में कोई आपत्ति नहीं है । अगर उस प्रकरण का अनुपालन नहीं हुआ है तो इसे कार्यवाही का अंग न बनने दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अभी अनुमति नहीं दी है । मेरी अनुमति के बिना जो भी शब्द बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैंने जब माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने प्रश्न उठाया था, उस समय व्यवस्था दे दी थी कि माननीय मंत्री जी को इसकी प्रति भेज दी गई है, उनका उत्तर आने पर उसका परीक्षण करा लिया जायेगा । इस समय इस प्रकरण पर कोई बात नहीं होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं व्यवस्था दे चुका हूं । इस पर किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है । आप लोग कृपया शान्त रहें । इस सूचना के सम्बन्ध में निर्देश दे रहा हूं कि कल के समाचार पत्रों में एक भी शब्द इससे संबंधित प्रकाशित नहीं किया जायेगा । यह भी प्रकाशित नहीं किया जायेगा कि अमुक सदस्य ने किस मंत्री के विरुद्ध सूचना दी । यह भी प्रकाशित नहीं किया जायेगा कि सदन में इस पर कोई बात हुई । यह भी प्रकाशित नहीं होगा कि अध्यक्ष ने कोई भी उत्तर माननीय मंत्री जी से मांगा या अपनी व्यवस्था सुनिश्चित की । एक शब्द भी इसके बारे में समाचार पत्र में नहीं छापा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 मई, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से चयनित एवं शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 10 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री अकबर व श्री राम गोविन्द चौधरी की है, दूसरी श्री रामप्रसाद सिंह, तीसरी श्री बलराम यादव, चौथी श्री महेन्द्र सिंह भाटी, पांचवीं श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, छठीं श्री हरिवंश सहाय, सातवीं श्री चरन सिंह, आठवीं श्री बी0आर0 वर्मा, नवीं श्री भारत सिंह रावत व दसवीं सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की है ।

(संलग्न सूचनाए पढ़ी हुई मान ली गईं)

अजुध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद द्वारा गत वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान फर्जी दिखाकर अधिकारियों द्वारा धन हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर-

(मान्यवर, अजुध्या सुगर मिल, राजा का सहसपुर, जनपद मुरादाबाद पर गत वर्ष का किसानों का गन्ने का मूल्य लगभग 4 (चार) लाख रुपये बकाया है, मेरी जानकारी है कि प्रबंधकों द्वारा स्थानीय गन्ना अधिकारियों की मिलीभगत से गत वर्ष का बकाया मूल्य का भुगतान कागजों में दिखा दिया गया है, वास्तविकता यह है कि भुगतान किया ही नहीं गया । उक्त बकाया के फर्जी रूप से भुगतान दिखाये जाने से किसानों में चिन्ता व असंतोष व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अंतर्गत सरकार से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।)

बांदा में चित्रकूट खोही से मैनहाई मार्ग के डामरीकरण और उस पर पुलिया बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद सिंह-

(मान्यवर, जनपद बांदा के तहसील कर्वी अंतर्गत चित्रकूट खोही से मैनहाई तक सम्पर्क मार्ग में मिट्टी पड़ चुकी है परन्तु विगत कई वर्षों से आगे काम नहीं हो रहा है जिससे उक्त मार्ग कई जगह विखण्डित हो गया है कई जगह नाले एवं कटाव हैं पुलियों की आवश्यकता है लगभग दस गांव के वासियों के आवागमन का एक मात्र मार्ग है ।

अस्तु आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि चित्रकूट के लिए एक मात्र खोही मैनहाई मार्ग का डामरीकरण एवं पुलियों का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाय ।)

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों के मुख्यालयों पर अग्निशमन दस्ता स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव-

(मान्यवर, सम्पूर्ण जनपद में जिला मुख्यालय पर ही मात्र एक फायर ब्रिगेड यूनिट है जिला मुख्यालय से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पर चारों दिशाओं में जनपद की सीमायें हैं । इतने बड़े क्षेत्र में मात्र एक यूनिट अग्नि शमन हेतु पर्याप्त नहीं है प्रति वर्ष लाखों की सम्पत्ति तथा जन एवं पशुधन आग की चपेट में आते रहते हैं । पिछले लगभग एक माह में ही मेरे क्षेत्र अतरौलिया एवं तहसील बुढ़नपुर में लगभग 15 ग्रामों में आग लगने के कारण हजारों लोगों की जीविका जल कर राख हो गई है तथा हजारों लोग बेघरबार हो गये हैं जिला मुख्यालय से सुदूर बसे अतरौलिया, कोयलसा एवं अहरौला विकास खण्डों में आग लगने पर अग्निशमन दस्तों के आने में लगभग 2 घण्टे से ज्यादा समय लगने के कारण भयंकर क्षति हो जाती है । आये दिन लग रही आगों को बुझाने हेतु कोई व्यवस्था न होने से जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतएव लोक महत्व के इस निश्चित विषय को आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाकर जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया, कोयलसा तथा अहरौला के मुख्यालयों पर फायर ब्रिगेड यूनिट की स्थापना की माग करता हूं ।)

स्व0 श्री रणजीत सिंह, लैब असिस्टेंट, कन्या वैदिक इण्टर कालेज, गाजियाबाद की पत्नी को सेवा में समायोजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

(मान्यवर, स्व0 श्री रणजीत सिंह, लैब असिस्टेट प्रयोगशाला कर्मी, कन्या वैदिक इण्टर कालेज गाजियाबाद की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 30-3-90 को हो गई । शासनादेशानुसार इनके आश्रित इनकी पत्नी रमावती को चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित कराने के लिए मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक, प्रथम ने दिनांक 25-1-91, 9-7-91, 24-10-91 को प्रधानाचार्य वैदिक कन्या इण्टर कालेज, गाजियाबाद को आदेश दिया लेकिन प्रधानाचार्य ने इन आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और यह कहा कि मेरे यहां चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है सफाई कर्मचारी का एक पद रिक्त है । इनके पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उस पद को अतिरिक्त पद बताया गया है जिस पर समायोजन करना नहीं चाहती हैं आश्रित भुखमरी के शिकार हैं तथा बच्चे पीड़ित हैं ।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि रिक्त पद लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला कर्मी के बाद पर समायोजित करने तथा आदेशों को न मानने वाले प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

बांदा नगर तथा कई गांवों में पेयजल के गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, उपरोक्त विषय में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा नगर में पेयजल का गम्भीर संकट है लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं पेयजल के लिए आपस में लडते-झगड़ते हैं । यही हाल ग्रामों में है, यदि पूरे नगर में शीघ्र ही पाइप लाइन जल संस्थान से डलवाकर पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो और भी गम्भीर स्थिति हो जायेगी और ग्रामों में अधिक से अधिक यदि हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाते हैं तो वहां की भी स्थिति गम्भीर हो जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बांदा नगर में पाइप लाइन डालने हेतु जल संस्थान बांदा को व ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु जल निगम बांदा को धन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

श्री लल्लन यादव ग्राम खडेसर, जनपद देवरिया की हत्या की सी0आई0डी0 जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय-

मान्यवर, श्री लल्लन यादव, ग्राम खडेसर, थाना भाटपाररानी, जिला देवरिया की हत्या थाना बनकटा क्षेत्र में कर दी गई तथा उसकी लाश को बिहार सीमा में फेंक दी गई । आम चर्चा है कि इस हत्या में पुलिस का हाथ है जिसके कारण पुलिस ने कोई रुचि नहीं ली थाना भाटपारानी के एस0ओ0 ने इसकी जांच पड़ताल करके मामले को प्रकाश में लाया था परन्तु उसे दबा दिया गया । इससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करते हैं कि मामले की जांच सी0आई0डी0 से कराने का कष्ट करें ।

वैक्सीन फैक्टरी, पटवा डांगर, नैनीताल में अभियन्ताओं की नियुक्ति रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चरन सिंह-

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीन फैक्ट्री पटवा डांगर नैनीताल में विभागीय हितों के विपरीत अभियन्ताओं की नियुक्ति को रोकने सम्बन्धी लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

नोटः- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1975 तक वैक्सीन उत्पादन में देश में शिखर पर रहे इस संस्थान में विभाग की बिना सोची समझी एवं एक पद पर दो व्यक्तियों की तैनाती की गलत कार्यवाही से उत्पन्न हालातों से वर्ष 1983 से 1986 तक अभियन्ताओं की बिना कार्य के वेतन भुगतान से लाखों रुपयों का दुरुपयोग, वैक्सीन उत्पादन में हुई अत्यधिक गिरावट व हानि, वहां के तकनीक कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच फौजदारी दफा 107/116 की मुकदमेंबाजी तक की स्थिति से संस्थान की शान्ति व्यवस्था तथा आपसी सद्भाव को स्थाई क्षति जैसे गम्भीर तथ्यों को दबाया जा रहा है और संस्थान के कई संयुक्त निदेशकों की निरन्तर मांग एवं सचिव स्वास्थ्य श्री श्याम सूरी की जून 1986 की विशेष निरीक्षण रिपोर्ट के आधार 1986 से 1988 के बीच मुश्किल से हटाये गये अभियन्ताओं की पुनः वहीं की जारी नियुक्तियों को रोका जाय क्योंकि इससे पूर्व हालातों की पुनरावृत्ति होगी इस मामले में पटवा डांगर के संयुक्त निदेशक द्वारा निदेशकों दिनांक 12-7-88 एवं दिनांक 15-7-88 को मिले पत्रों, सचिव स्वास्थ्य की जून 1986 की उल्लिखित जांच रिपोर्ट चिकित्सा अनुभाग-14 एवं 5 की राजाज्ञाएं दिनांक 10-7-86, 9-8-88, 16-8-89, 11-9-90, आदि को तथा निदेशालय के 18-8-89, 29-6-88, 18-7-86, 3-2-83, व 4-8-75 को पारित आदेशों के दबाये जा रहे तथ्यों को सदन को अवगत कराते हुए तुरन्त कार्यवाही की जाय। परिवहन, विद्युत सेलों एवं वैक्सीन की योजनाओं को पृथक कैडर तथा सेवाएं मानते हुए वैक्सीन योजनाओं के अभियन्ता पदों को विभाग के अभियन्ता पदों के अन्य संवर्गों से अलग रखना नियमों एवं औचित्य के विपरीत है। अन्यथा सुसंगत नियमों तथा औचित्य से अवगत कराया जाय। इन योजनाओं के लिपिकों, डाक्टरों, चालकों, इत्यादि पदों को विभाग के सामान्य कैडरों में रखने की भांति सभी योजनाओं के अभियन्ताओं को भी विभाग के एकीकृत कैडर में रखा जाय। श्री भगवान बक्श सिंह, श्री जयवन्त सिंह, डा0 छत्रपाल सिंह आदि विधायकों, सांसदों के नवम्बर, 91 के बाद पत्रों एवं चिकित्सा अनुभाग-10 के तत्संबंधी 7-2-92 आदि पत्रों पर पाये तथ्यों एवं कार्यवाही व निर्णय से भी सदन को अवगत कराया जाय।)

नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा शासनादेशों के विपरीत नियुक्तियां एवं की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी0आर0 वर्मा-

(मान्यवर, सरकार ने दिनांक 3-2-92 को जारी शासनादेश में समस्त नगरपालिका, टाउन एरिया में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित करने की व्यवस्था की है। इसका उल्लंघन करके शासन द्वारा स्वीकृत 35 पदों पर अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी ने कुछ ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जो

(यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश की शर्तों को पूरा नहीं करते थे जैसे स्नेहलता राय जो 11 अक्टूबर, 89 को मात्र 8 माह सेवा पूरी की थी लेखाधिकारी द्वारा ट्रेजरी से इनका वेतन भुगतान न करने पर अध्यक्ष ने बोर्ड फण्ड से श्रीमती स्नेहलता राय का वेतन भुगतान किया। इसी प्रकार निर्माण आदि फार्मों में अनेक प्रकार की वित्तीय अनियमिततायें नगरपालिका आजमगढ़ में की जा रही हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए पात्र व्यक्तियों को नियमित कराने का कष्ट करें।

गढ़वाल जनपद में कोटद्वार पदमपुर सड़क पर बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, गढ़वाल जनपद के कोटद्वार नगर से ग्राम पदमपुर सिताबपुर, मानपुर व लालपुर, सड़क पर बना पुल तीन साल पूर्व बाढ़ से टूट गया है। उपरोक्त गांवों को मिलाने वाली कोटद्वार पदमपुर सड़क एक मात्र यातायात की साधन है। लोक निर्माण विभाग कोटद्वार प्रखण्ड के अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने पर भी क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। इसी सड़क पर पदमपुर में औद्योगिक आस्थान डेरी कार्यालय तथा कई विद्यालय हैं इस पुल के न बनने से विद्यालयों में आने जाने वाले छात्र-छात्राओं को अनेक असुविधाएं हो रही हैं। साथ ही औद्योगिक आस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और व्यवसाईयों को भी कठिनाईयां हैं। जनता की मांग लगातार शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से हो रही है किन्तु अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। इससे जन आक्रोष बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि पुल का प्राक्कलन शासन के पास लम्बित पड़ा हुआ है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।

दि मरैला स्पिनिंग एवं वीवींग मिल्स, मरैला, अकबरपुर, फैजाबाद की मिल की मशीनों को अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, "दि मरैला स्पिनिंग एण्ड बीबिंग मिल्स मरैला", अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की गत दो वर्षों से ज्यादा समय से चली आ रही तालाबंदी के कारण भुखमरी के शिकार श्रमिक व उनके परिवार जन पहले से ही मिल चलाये जाने की मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं और धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं इसी बीच बंद

नोटः- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ी इस मिल की मशीनें भी कहीं अन्यत्र ले जाने का क्रम शुरू हो जाने से सारे श्रमिकों में भारी क्षोभ और रोष व्याप्त हो गया है । मशीनें अन्यत्र ले जाये जाने की खबर ज्यों-ज्यों फैलती जा रही है वैसे-वैसे क्षेत्रीय सामान्य जन और कृषकों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है ।

मिल से संबंधित श्रमिक बड़े और उग्र आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में जनजागरण का कार्यक्रम चलाने सहित छात्रों और किसानों को भी आन्दोलन में साथ लेने के लिए सम्पर्क अभियान जारी है । किसी भी समय श्रमिक और क्षेत्रीय नागरिकों तथा छात्रों का उग्र आनदोलन प्रारम्भ हो सकता है जिससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए मिल की मशीनों का हस्तानान्तिरण रोककर मिल चलाये जाने अथवा मशीनों के साथ-साथ श्रमिकों का भी समायोजन दूसरी मिल में कराये जाने की मांग करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 1-00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं । जैसा कि मैंने निर्देश दिया है उस प्रकरण के संबंध में एक भी शब्द समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।

(12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई । 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

कार्यवाही से आरोपित शब्दों को निकालने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है नियमावली देख लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया बैठ जाएं । मेरा निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं । आप लोग अपना प्रश्न बाद में उठा लें मैं पहले नरेश जी को बुलवा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पिछले हफ्ते इस सदन में एक बात उठी थी विधायकों की आपराधिक लिस्ट अखबारों में प्रकाशित हुई थी हृदय नारायण दीक्षित जी उस लिस्ट

को सदन मे लाये थे जब एक चीज सदन के सज्ञान मे आ गई वह सदन की सम्पदा बन गई तो इस पर चर्चा की जा सकती है । आपराधिक शब्द का तात्पर्य क्या है

श्री उपाध्यक्ष-

जिस प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था दे चुके है उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मै नही देता हू कृपया बैठ जाए ।

(व्यवधान)

अब आप बैठ जाए दीक्षित जी को मैने बुला लिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आप मेरी पूरी बात तो सुन ले । व्यवस्था का जो प्रश्न है उसको सुन तो ले मै अध्यक्ष द्वारा दिए गये निर्णयो को चैलेज नही कर रहा हू मै दूसरी बात उठा रहा हू । आपराधिक इतिहास की लिस्ट आई उसमे चर्चा हुई संसदीय कार्य मंत्री ने आपराधिक शब्द के बारे मे कहा, मान्यवर जिसके खिलाफ अदालत मे चार्जशीट जारी हो गई हो हमारे माननीय सदस्य ने इसके बारे मे बताया 292 मे दिया गया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

जिस पर व्यवस्था दी जा चुकी है उसको उठाने की अनुमति नही दे रहा हू आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

(× × ×)

(व्यवधान)

(× × ×) मै आपकी व्यवस्था के विरोध मे सदन का त्याग करता हू ।

(श्री नरेश अग्रवाल ने सदन का त्याग किया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 304 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । सदन की एक नियमावली है उसके तहत सदन चलता है इस सदन मे जो कुछ भी आप और हम बोलते हैं वह कार्यवाही में आता है । सदन की कार्यवाही से शब्दो का निकाला जाना नियमावली मे परिभाषित है मान्यवर, अभी मै थोडी देर पहले बोल रहा था नियमों के अन्तर्गत बोल रहा था आपकी अनुमति से बोल रहा था जो मामला चल रहा था गम्भीर मामला था नियम 289 (क) में लिखकर मैने दिया है ।

मेरा भाषण पूरा का पूरा, और सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मत्री ने जो तथ्य रखे और माननीय मोहम्मद आजम खा ने जो तथ्य रखे वह बडे गम्भीर थे । संभवत उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास मे इस प्रकार पहली बार

नोट -( ) यह अश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ऐसा अवसर आया जब मंत्रिमंडल के एक सदस्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये । आप मान्यवर नियम 304 को देखने की कृपा करें-यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हों जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं, तो मान्यवर जहां तक मेरी जानकारी है कि मैंने अपने भाषण में कोई मानहानिकारक या असंसदीय शब्द प्रयोग नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कृपया मेरी व्यवस्था सुने । आपकी बात आ गयी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इस नियमावली से बड़ा कोई नहीं हैं । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आपकी पीठ पर बैठा कोई व्यक्ति नियमावली से बड़ा नहीं है । मैंने नियम 289 (क) में लिखित नोटिस दिया है और निर्धारित समय मे दिया है मंत्री जी के पास नोटिस पहुंच गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि वह संबंधित मंत्री से आदरणीय सदन में इस्तीफा दिलवाते ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

माननीय चौधरी जी आपका क्या प्रश्न है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अभी मेरी बात नहीं आयी है । मेरी बात सुनकर उस पर व्यवस्था दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो कहा है व्यवस्था के प्रश्न के बारे में उस पर व्यवस्था देने से पहले मुझको सुन लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे पुकारा है मेरी बात पहले सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दूंगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियमावली से संबंधित है ।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-
आप लोग कृपया बैठ जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-
(घोर व्यवधान के मध्य) आपने हमारा स्वीकार कर लिया है तो क्यों बैठ जायं ? आपने नाम पुकार लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष-
आप बैठें, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने नियम 304 का हवाला दिया और कहा कि सदन का काम नियमो के अनुसार होना चाहिए लेकिन आप नियम 304 देखने की कृपा करें जिसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हू कि क्या माननीय अध्यक्ष या पीठ पर कोई दूसरे सदस्य बैठे हैं, क्या उनकी राय को चुनौती दी जा सकती है ? माननीय अध्यक्ष की राय थी कि उस समय जो भी कहा गया, सही नहीं था और उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया । यह अधिकार माननीय पीठ में निहित है । संयोग से उस समय माननीय अध्यक्ष जी विराजमान थे तो यदि ऐसे शब्द प्रयोग किये गये जो सदन की कार्यवाही के अंग नहीं हो सकते थे तो कार्यवाही से निकाल दिये गये । नियमो में कहां व्यवस्था है कि माननीय अध्यक्ष की राय को चुनौती दी जायगी । यह जो नियमो की दुहाई देने का काम है, यही नियमो के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-
मान्यवर, माननीय अध्यक्ष को और आपको अधिकार होता तो नियम 304 की आवश्यकता ही नही होती ।

श्री उपाध्यक्ष-
आप कृपया बैठ जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-
मान्यवर, चूकि यह मामला गम्भीर था, मैं जानना चाहता हू कि क्या हम लोगो ने कुछ असंसदीय शब्द ऐसे प्रयोग किये जो मानहानिकारक थे और नियमो के विपरीत थे, वे कौन से शब्द थे, बता दे ताकि आगे से हम कोई हानिकारक वाक्य नही बोलेंगे । इस पर व्यवस्था चाहता हू । यदि अध्यक्ष को ही पूरा अधिकार होता तो नियम 304 की आवश्यकता ही नहीं थी और वे जब चाहें किसी भी वाक्य, शब्द या उद्धरण को निकाल सकते थे ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें । जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दे दी है, उसके बाद कोई दूसरी व्यवस्था देने का औचित्य नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

आप नियमावली के नियम 43 में पढ़ लें जिसमें माननीय अध्यक्ष से भी प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं नियम 304 के बारे में कहना चाहता हूं कि शब्द और वाक्य में क्या अन्तर है । शब्द निकाला गया है या वाक्य निकाला गया है । इसमें है कि मानहानिकारक, अशिष्ट, अभद्र या असंसदीय शब्द हों तो निकाले जा सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो निकाला वह कौन सा शब्द है या कौन सा वाक्य है ?

श्री उपाध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । अब आप बैठिये ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिये जाने के बावजूद भी श्री स्वामी नाथ यादव निरन्तर बोलते रहे, जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा आगे की मदें ले लिये जाने के कारण सुनाई नहीं पड़ा ।)

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1984-85 +

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)-

मानयवर, मैं आपकी अनुमति से कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1984-85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का त्रयोदशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1986-87 +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का त्रयोदशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1986-87 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापे नहीं गये ।

कार्यवाही से आरोपित शब्दों को निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य दीक्षित जी ने जो बात उठाई है, यह सदन निमयावली, प्रक्रिया से चलता है और हम लोग भी सदन में बैठे थे, पता नहीं कौन सी बात पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दे दी । मैं आपसे सविनय आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, कोई भी शब्द जहां तक हम लोगों ने सुना है, कोई ऐसे शब्द या शब्दावली का प्रयोग माननीय दीक्षित जी और माननीय मोहम्मद आजम खां ने नहीं किया है, जिससे माननीय अध्यक्ष या माननीय सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचे। मान्यवर, अगर ऐसी कोई शब्दावली हो, तो नियम 304 में किन शब्दों को निकाला जा सकता है । मान्यवर, यह सदन अभी तक इस बात से अवगत भी नहीं हो पाया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी ।

मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन उस पर पुनर्विचार हो सकता है, कई बार ऐसे विचार इस सदन में हुए हैं । माननीय गुप्त जी, एक परम्परा बनाने के लिए जहां हम लोगों का दायित्व है, उससे ज्यादा दायित्व आपका भी है ऐसा न लगे कि किसी प्रकरण को जबरदस्ती दबाने के लिए या जो सत्यता है वह विधान सभा में न आने पाये, उसको दबाने के लिए इस तरह से सदन की कार्यवाही की जा रही है कि जो सही बात है, वह नहीं आ पा रही है । माननीय दीक्षित जी ने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जिसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। तो मान्यवर, यह हम लोग अज्ञानतावश जानना चाहते हैं कि वह कौन से दीक्षित जी के शब्द या कौन से वाक्य को माननीय अध्यक्ष ने निकाल दिया है और माननीय अध्यक्ष ने एक रूलिंग दे दी है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित कर दें और माननीय अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हो जायं और वह हम लोगों की बात को सुन लें और हम लोगों ने जो उस नियमावली के अन्तर्गत बात उठाई है, उसका निराकरण कर दें । हम लोगों को कोई एतराज नहीं है ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जो मामला चल रहा था, जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमावली की दुहाई दी है बड़ा गम्भीर है । माननीय अध्यक्ष जी को अधिकार है और आपको अधिकार है कि कार्यवाही के किसी अंश को निकाल सकते हैं । माननीय

अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिये हैं, उनको तो हम लोग कष्ट के साथ शिरोधार्य करेंगे ही, लेकिन मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है । सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य पर आपराधिक आरोप लगाये गये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमावली का बहाना लेकर उनको बचाने का प्रयास किया है, तो इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है । अगर आरोप लगाये गये हैं तो मुख्य मंत्री जी को उनका खंडन करना चाहिए । जो आरोप लगाया गया है, वह बिल्कुल सही है और उसको छिपाने का प्रयास किया गया है, सरकार उसको छिपाना चाहती है । आपने जो व्यवस्था दे दी है, वह शिरोधार्य है, लेकिन जब एक मामला आपके संज्ञान में आ गया, जनता के संज्ञान में आ गया, तो आप इस पर सुन लें, यह मेरा आग्रह है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । प्रदेश का राजनैतिक वातावरण दूषित हो चुका है । बी0जे0पी0 के अध्यक्ष ने एक सूची प्रकाशित की है, प्रदेश का राजनैतिक वातावरण दूषित हो गया है, जनता सोचती है कि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, उनका आचरण किस प्रकार का है ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम आपकी व्यवस्था के विरुद्ध बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा । जब आप के ऊपर शंका हो रही है, तो पीठ से किस प्रकार से न्याय मिलेगा ? आप इस पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है । जिस प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था दे दी है, उस पर किसी प्रकार कोई विचार करना उचित नहीं है । मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें । आप शांत रहे+ । कृपया आप बैठ जायें ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर का 31 मार्च, 1987 को समापत होने वाले वर्ष के लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन +

वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर वित्तीय निगम, कानपुर के 31 मार्च, 1987 को

+ छापी नहीं गई ।

समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अपराधी मंत्री को बचाया गया है, इसके विरोध में में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड लखनऊ का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन +

वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मैं यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मैं यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छियासठवीं वार्षिक रिपोर्ट+

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मैं आपकी आज्ञा से दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छियासठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की सांविधिक सम्परीक्षाकों की रिपोर्ट+

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की सांविधिक सम्परीक्षकों की रिपोर्ट स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा वर्ष

+ छापा नहीं गयी ।

1988-89 को भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

गोवध निवारण सम्बन्धी विधेयक पर दिये गये संशोधन प्रस्ताव कार्य सूची से मुद्रित न होने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 11, 12, 13, 14 में कुछ नहीं है ।

(मद संख्या 15 पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, प्रस्ताव संख्या 15 पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

काहे पर व्यवस्था उठा रहे है ?

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, कल मैंने और सोमांश प्रकाश जी ने समय से पहले प्रस्ताव दिया, संशोधन प्रस्ताव दिया और संशोधन प्रस्ताव कार्यवाही में नहीं आया उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, कल हम लोगों ने संशोधन प्रस्ताव समय से पहले दिया था और आज जब कार्यवाही पढ़ी गयी तो कहीं भी हम लोगों का नाम संशोधन प्रस्ताव में जोड़ा नहीं गया इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, कैसे चर्चा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष-

जो संशोधन आया था वो सब अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, संशोधन अस्वीकार सदन में होगा या सदन के बाहर होगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

संशोधन कुछ नियमों के तहत ही लिये जाते हैं और जब नियमानुसार नहीं दिया जाता है तो अस्वीकार कर दिया जाता है । तो वह नियमों के अनुसार नहीं था इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो आपने कह दिया कि नियमों के अन्दर नहीं आया । मान्यवर, विधान परिषद ने उसमें कुछ संशोधन करके यहां वापस भेज दिया और उसकी चर्चा यहां न हो और एकाएक बिल पास कर दिया जाय, यह कैसे होगा । मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ लोगों के विचार जरूर सुन लें ।

+ छापी नहीं गयी ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो कहा है उस पर माननीय सदस्यों से कुछ को सुन लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

क्या पशुधन मंत्री जी नहीं हैं, उनको प्रस्तुत करना चाहिए था ?

(पशुधन राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने (× × × ×) कहा (शोर)

आप लोग (× × ×) बनने के लिए तैयार हो और हम आपत्ति कर रहे हैं । (व्यवधान) मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आज जब यहां से शाम को जायेंगे तो कान साफ करवा लीजिएगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने सत्तारूढ़ इन्सानों को (× × ×) कह दिया तो क्या मैं इस पर आपत्ति नहीं कर सकता । आप सत्तारूढ़ दल के मंत्री को (× × ×) कहें तो क्या मैं आपत्ति नहीं कर सकता ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान हो गया)

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

+ दिनांक 23 अप्रैल, 1992 की कार्यवाही से ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है और मैं चाहता हूं कि जब हम सब इस विषय पर चर्चा करें तो दलगत नीतियों से ऊपर उठकर करें । मान्यवर, एक गम्भीर प्रयास 1955 में हुआ था गोवध पर रोक लगाने का, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वह प्रयास किया था । लेकिन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ आपत्तियां प्रकट की थीं । नतीजे के तौर पर यह सम्पूर्ण प्रकरण प्रवर समिति को सौंप दिया गया था । उस समय प्रवर समिति के सम्मानित सदस्य हमारे स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी थे, आज तो भारतीय जनता पार्टी है उस समय वह तत्कालीन जनसंघ के मूर्धन्य नेता थे, सभी उनका आदर करते थे ।

जो सिफारिश की थी उसमें एक तरह से गोवध पर पूर्ण नियंत्रण नहीं लगाया उस पर कुछ न कुछ गोवघ करने की छूट दे दी थी । मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार उसी अपराध बोध से ग्रस्त है, अपने अपराध बोध से प्रायश्चित करने के लिए आधे मन से इस विधेयक को ले आयी है । मान्यवर, इस सरकार की बदनीयती को पहचानते हुए कहना चाहता हूं कि यह वह लोग हैं जो वक्त पड़ने पर माता कहते हैं और जब जरूरत नहीं रह जाती है तो कसाई बाड़ा भेजने में आपत्ति नहीं करते हैं । मान्यवर, मैं सुझाव रखना चाहता हूं (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी जो खासियत रही है, यह मौका पड़ने पर अपने माता-पिता दोनों को बदल लेते हैं, यह इनकी पुरानी नीति है अगर कहेंगे तो विस्तार से बता भी दूंगा । मान्यवर, इसमें संशोधन किये गये विधान परिषद् द्वारा उस पर विचार कर लें । मान्यवर, जो गायों की परिभाषा दी है, यह उन्हीं गायों की परिभाषा दी गई है जो घरों में पाली जाती है । हमारा यह कहना है जो नील गाय हैं, जो जंगल में विचरण करने वाली गाय हैं, उसको कहीं से गाय नहीं मानते हैं और न स्वीकार करते हैं । जो वन गाय हैं वह पूरी तरह से गौ माता वंशज तो हैं तो उनकी हत्या करने की इजाजत इस विधेयक में क्यों दे रहे हैं ? उस गौ माता की हत्या को क्यों नहीं रोकना चाहते हैं ? उन गौ माता को वन गाय कह सकते हैं उनको रोकने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है ।

एक सदस्य-

यह किस गाय का दूध पीते हैं ? (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर आप संरक्षण नहीं देगें तो कैसे बोल पाऊंगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया बीच में न बोले, समय बरबाद होता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा एक सुझाव है इस सरकार को कि हर प्रकार की गाय पर चाहे वह पालतू गाय हो या वन गाय हो उनके वध पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए ? मेरा सुझाव है जो विधान परिषद से सुझाव आये हैं उन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए । जो व्यवहारिक प्रश्न है वह यह है कि गाय का जो जीवन होता है वह दूध देती है उसके बाद उनका उपयोग खत्म हो जाता है । जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है, सरकार की बदनियती इस प्रकार की प्रदर्शित होती है, इस पर क्या व्यवस्था की है, वह आप करेंगे नहीं । तो दूसरे तौर तरीकों से मारेंगे उसमें क्या करेंगे जिन गायों का उपयोग नहीं रह जायगा वह सीधे लोग वध नहीं करेंगे स्लो प्वायंजनिंग करके मार देंगे । जो उस तरह की बाते रहेगी उसको रोकने का प्राविधान आपने नहीं किया है । एक बात हो सकती है अगर सरकार इसे साफ नियत से करना चाहती है तो एक कार्य करें जो गाय लोग रखें वह रखें, जो गौशालायें सरकार के संरक्षण में हैं, अनुदान पर चलती हैं, उसमें व्यवस्था हो जाय कि अगर कोई वहां गाय सौंपना चाहे तो मना करने का अधिकार न रह जाय । और अगर कोई मना करता है तो उसमें एड देने की बात न रहे । हो सकता है कि गौशालाओं की संख्या सीमित हो तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब गौ माता का उपयोग न रह जाय दूध दही की दृष्टि से जब दूध न दे सके तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी गोपालक को यह अधिकार हो कि वह अपनी गौ माता को डी0एम0 या उसके द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी को सौंप दें और फिर सरकार की यह जिम्मेदारी हो कि जब तक उस गाय का जीवन रहे तब तक वह उसका संरक्षण करें । आज मान्यवर, यह देखें कि गाय का आहार क्या है । सामान्यतया गाय एक दिन में 20 किलो भूसा, 10 किलो चारा और एक किलो अनाज खा सकती है तो वह चीजे उसे मुहैय्या करायी जायें और उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो, 25 वर्ग फुट का उनका आवास हो । मान्यवर, यह विधेयक तभी प्रभावी हो सकता है जब इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, तो सरकार इसकी व्यवस्था करे । जो गाय न पाल सकें वह सरकार को, जिलाधिकारी को या जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी, एस0डी0एम0 या तहसीलदार या किसी अधिकारी को वह सौंप दे और जब वहउसे सौंप दे तो फिर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जब तक उसका जीवन रहे उसे 20 किलो भूसा, 10 किलो

हरा चारा और एक किलो अनाज उसे देती रहे और मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति इन्हें नहीं होनी चाहिए । जब तक आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी कानून न बना दें गाय कटती रहीं हैं और कटती रहेंगी, आप उसे रोक नहीं पायेंगे और देखते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं रिलेवेन्ट बात कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

यहां पर कोई रिलेवेन्ट बात भी करता है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कुछ लोग यहां पर बैठे हुए करते थे मगर अब वह चले गये हैं । मैं आपको नहीं कह रहा हूं ।

तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने गोवध के लिए संज्ञेय अपराध तो घोषित कर दिया । जो गाय की हत्या करेगा आप उस पर हत्या का अभियोग साबित करेंगे लेकिन जो गोशालाएं सरकारी संरक्षण में चल रही हैं और गाय को उसमें जो अनुदान मिलता है वह अनुदान का पैसा वह गाय पर खर्च न करके उसके संचालक स्वयं अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आपने उनके लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया है जो गोशालाएं चला रहे हैं और जो अनुदान मिलता है गाय के आहार के लिए अगर वह उन्हें नहीं दिया जाता है तो उन पर भी वहीं अभियोग होना चाहिए जो गो हत्या पर होता है, उन्हें भी संज्ञेय अपराध घोषित करें । एक ने चाकू से सीधा वार किया और दूसरा चाकू रोज मार रहा है तो उसके लिए भी वहां सजा होनी चाहिए जो गो हत्या करने वालों को दी जाये । चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने बहुत से लोगों को मंदिरों के नाम लूटा है तो क्यों नहीं उस पैसे से, जो उन्होंने तमाम चन्दे के रूप में इकट्ठा किया है, गोशालाओं का निर्माण करा दते हैं ? अगर वे भी नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । तो मान्यवर आज गायों को संरक्षण देने की आवश्यकता है इनकी नियत साफ नहीं है और यह सरकार बदनियती से कार्य कर रही है, आप समुचित प्राविधान करें और बजट में भी इसका प्राविधान करें । आप इसका उपयोग नारों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं । इनकी मंशा गायों को संरक्षण देने की नहीं है बल्कि अपने संरक्षण इसके नाम पर इनके तथाकथित नेता चुनाव में लड़ रहे हैं, मैं

इनकी बदनियती का विरोध का विरोध करता हूं और अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । जब तक सरकार उन गायों को संरक्षण नहीं देगी तब तक इस विधेयक का कोई उपयोग नहीं है। यह केवल इनकी बदनियती है ।

*श्री सोमांश प्रकाश-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद तिवारी के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं । श्रीमन् मेरा कहना यह है कि अगर आप ईमानदारी से यह चाहते हैं कि गो हत्या बंद होनी चाहिए लेकिन श्रीमन् इसको राजनीति स्टन्ट न बनाया जाय । अगर भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति स्टन्ट बना रही है, तो अलग बात है वरना सबसे पहले सोचने की बात यह है कि जो गायें अलाभकारी हो जाती हैं, दूध नहीं देती हैं, बीमार हैं, बूढ़ी हैं, जिनको लोग घर में नहीं रखते हैं, किसान तो रख भी लेता है, शहर वाले तो सड़कों पर छोड़ देते हैं, उन गायों के लिए कोई प्रतिबद्धता, कोई नियम आपने नहीं बनाया कि इस तरह की गायें कहां रहेंगी ? बहुत सी गायें बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं, उसके लिए भी नियम बनना चाहिए । जब कोई बूढ़ी गाय को लेकर बाजार में चला जायगा तो कोई न कोई उसको खरीद लेगा, तो वह नियम विरुद्ध काम हो जायेगा, उसको काटेगा या कुछ और करेगा, आप उस पर कैसे रोक लगायेंगे, इस तरह की बहुत सी घटनायें हुयी भी हैं कि गायों को पकड़ कर पुलिस थाने में ले गये, लेकिन वहां न तो किसी ने घास दिया, न पानी दिया और वह मर गयीं । आप जो गो हत्या का कानून बना रहे हैं हम भी चाहते हैं कि बनाया जाय । गाय आपकी माता है, हमारी भी माता है आपका उससे नाता है, हमारा भी नाता है । मान्यवर, तीसरी चीज कहना चाहता हूं कि जब तक आप इसको संज्ञेय अपराध नहीं बनायेंगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है और कोई दूसरी सरकार आयेगी, वह कोई और संशोधन कर देगी ।

श्रीमन्, आप गोशालाओं के लिए भी कानून बनायें और बजट में पैसे का प्राविधान भी करें या जिलाधिकारी के पास कोई बजट रखें । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जैसा कि गायों के घास, भूसा या दाने के बारे में बताया उसका भी आपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है । अगर आप ईमानदारी से इसको करना चाह रहे हैं, अगर आप गाय को माता मानते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको जरूर इस तरह का प्राविधान या नियम बनाना पड़ेगा, जिससे उनकी सच्चाई के साथ रक्षा हो सके ।

* श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, जिस दिन यह अध्यादेश लाया जा रहा था, उस दिन भी मैंने इसके बारे में कहा था । मान्यवर, यह सरकार पूंजीपतियों की है, डंडीमारों की है,

---

* वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह सारा पुण्य किसान की जान पर करना चाहते हैं, यह किसान के सिर पर धर्म पुण्य लूट रहे हैं, अपनी कमाई से कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, सब काम यह किसान के सिर पर करना चाहते हैं । मान्यवर, नीलगायें जो हैं, उन्होंने किसानों की फसल को चौपट कर दिया है, यहां उनकी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है, खुद कोई प्राविधान करना नहीं चाहते और दोष केन्द्र सरकार के नाम देते हैं । दूसरी बात यह है कि जो वन गायें आवारा हो गयी हैं, जंगल में घूमने लगी हैं, जो किसानों को खेती को ध्वस्त करे दे रही हैं, उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसी प्रकार जो घोसी हैं, वह रात को अपनी गायों को किसान के खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह दुहने के लिए खुद आ जाते हैं, ऐसे में उसकी क्या व्यवस्था करेंगे ? इसीलिए मान्यवर, विधान परिषद ने जैसा पारित किया है, वह सही किया है । उसमें तीन तरह की व्यवस्थायें की गयी हैं और उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं । अगर यह सरकार पूरी तरह गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कटिबद्ध हैं तो किसान के सिर पर सब काम न करें, कुछ अपना भी खर्च करें । जो तीन व्यवस्थायें की गयी हैं, उसमें एक तो यह है कि गोशाला, संस्था और राज्य सरकार ये तीनों उसके लिए जिम्मेदार हैं । यदि किसी की गाय अलाभकारी हो जाती है या बेकार हो जाती है तो वह किसान या व्यक्ति अपनी गाय को किसी तीन में से एक को अभ्यर्पित कर सकता है । गौशाला को अभ्यर्पित कर सकता है, संस्था को अभ्यर्पित कर सकता है या राज्य सरकार को अभ्यर्पित कर सकता है । अभ्यर्पित करते वक्त किसान के सामने कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसके लिए भी इसमें प्राविधान किया गया है । इसमें कहा गया है कि गाय को लेना अनिवार्य होगा । चाहे उसको गौशाला ले, चाहे संस्था ले या चाहे फिर उसे राज्य सरकार ले । गौशाला और संस्था को अन्य प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं । इसलिए उसके लिए भी प्राविधान किया गया है । इस स्थिति में राज्य सरकार को उस गाय को अपने यहां अभ्यर्पित मानना पड़ेगा । जिलाधिकारी को अभ्यर्पित करेगा या फिर जिलाधिकारी जिस भी अधिकारी को अधिकृत करें । उस अधिकारी के यहां जब किसान अपना प्रार्थना पत्र देता है कि मेरी गाय अलाभकारी हो गई है इसलिए मैं इसे अभ्यर्पित करना चाहता हूं । उसके बाद वह अधिकारी उस गाय को कहीं पर भी रखें । अगर वह अधिकारी भी लेने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए भी इसमें प्राविधान किया गयाहे कि वह उसका खर्चा-20 किलो भूसा, 10 किलो हरा चारा व 1 किलो अन्न देगा प्रति के हिसाब से । अगर यह भी नहीं करना चाहते हैं तो 600 रुपये महीने के हिसाब से देना होगा और साथ में उसके रखने की व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी होगी । इसलिए यह अभ्यर्पण सरकार अवश्य ले केवल किसानों पर ही इसे नहीं छोड़े । यदि सरकार व उसके अधिकारी इसे नहीं करते हैं तो उनके लिए भी दण्ड की प्रक्रिया इसमें है ।

जिस प्रकार सामान्य किसान व जनता के लिए दण्ड की प्रक्रिया है, उसी प्रकार दण्ड की प्रक्रिया भी सरकार व उसके अधिकारियों के लिए इसमें निर्धारित की गई है। इसमें सरकार भी स्वयं शामिल है । खण्ड-9 व खण्ड-10 में इसका प्राविधान किया गया है । खण्ड-9(4) में इस बात का प्राविधान किया गया है "जो किसी अलाभकारी गाय अथवा लावारिस गाय के अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया में बाधा डाले अथवा बाधा डालने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करे वह इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित दण्ड का भागी चाहे वह सरकार ही क्यों न हो या उसके अधिकारी क्यों न हों, उन्हें दण्ड दिया जायेगा । परन्तु यह बात सही है कि धर्म पुण्य के नाम पर आप किसान के नाम को लूटना चाहे तो यह बिल्कुल अक्षम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि जो संशोधन विधान परिषद् से रखा गया है, उसी संशोधन तक यदि आप अपने को सीमित रखें तो उचित होगा।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं उससे एक अक्षर भी बाहर नहीं बोल रहा हूं ।

अन्त में जो प्राविधान किया गया है । उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। अगर कोई गौशाला या संस्था उस अलाभकारी गाय को नहीं लेना चाहता और मुकदमा दायर करने की स्थिति आती है तो उसके लिए भी इसमें प्राविधान किया गया है कि मुकदमा चलाने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । इस प्रकार दण्ड देने की व्यवस्था इसमें की गई है । मैं भी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं और यह आवश्यक भी है । गाय को आप माता माने, बैल को पिता मानें और बछियों को आप बच्चे मानें परन्तु धर्मपुण्य के नाम पर किसान की लूट नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत ही खतरनाक होगा और किसान के लिए विध्वंसकारी होगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । गोवध इस प्रदेश में बिल्कुल बंद हो, इसे सभी लोग चाहते हैं ।....

श्री उपाध्यक्ष-

(श्री किशोरी श्याम जी के खड़े होने पर) आप बैठ जायं सदन का समय कीमती होता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, गो-बध बंद किया जाय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । सम्पूर्ण सदन चाहेगा कि गोवध बंद हो । जिस परिवार से हम लोग आते हैं उसमें गाय बहुत

प्रतिष्ठित पूज्य मानी गयी है । हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि गो-बध पर प्रतिबंध लगे लेकिन कानून बनाकर गो-हत्या बंद नहीं की जा सकी है और यह मुमकिन भी नहीं है । गाय के साथ ही बछिया, बछड़ा और बैल को भी सम्मिलित करने के लिए विधान परिषद् ने कहा है । क्योंकि गाय से ही बछिया और बछड़ा पैदा होते हैं और बछड़ा बैल बनता है । अब वैज्ञानिक तरीको से खेती होने लगी है तो कुछ दिनों बाद बैलों की उपयोगिता ही समाप्त हो जायेगी, फिर उनका क्या होगा । आपने कानून बना दिया कि गायों को कसाई बाड़े में नहीं काटा जायेगा वह अपनी जगह ठीक है लेकिन जो गाय बिना खाये ही मर जाय तो यह भी गो-हत्या होती है । इसलिए विधान परिषद् ने यह व्यवस्था की है कि इसमें गाय, बछड़े बैल या जो लावारिश गाये हैं उसी के साथ नील गाय को भी सम्मिलित करने के लिए विधान परिषद ने कहा है । जैसा राणा जी ने कहा अगर गोशालायें या ऐसी संस्थायें उन्हें पालने से मना कर दें तो फिर वह कहां जायेंगे । इसलिए विधान परिषद् ने कहा है कि जो आदमी इस संस्थाओं में गायों को अभ्यर्पित करने जायेगा उसे न करने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा । गरीब किसान जो बैल पालता है, बछड़ा या बछिया पालता है वह उसे अपने लाभ के लिए पालता है । जब वह अलाभकारी हो जाता है उसको वह चारा कहां से देगा, उसकी स्थिति इनके साथ और भी दयनीय हो जाती है । इस कानून से तो गरीब किसान पर दोहरी मार पड़ेगी ।

गो-बध बंद होना चाहिए लेकिन उसके लिए चारे की व्यवस्था सुचारु रूप से करनी चाहिए, अगर हिम्मत हो तो उसके भोजन की आप व्यवस्था करें आप तो थोथे नारे देते हैं । नहीं तो जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक व्यवस्था की कि 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति (बूढ़े-बूढ़ी) जिनके पालन पोषण के लिए सक्षम नहीं हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट पेंशन देगी । तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की घोषणा करें कि माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जैसे बूढ़े बुढ़ियों के लिए इंतजाम किया तो यह भी गाय, बैल, बछिया और बछड़ों के लिए पेंशन देने की व्यवस्था करें तो निश्चितरूप से यह गोबध बंद करने के लिए प्रभावशाली होगा । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि गो-बध बंद करने का यह विधेयक राजनीति से प्रेरित है, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का झूठा नारा है और इसे लोगों की हमदर्दी हासिल करने वाला कहा जायेगा । इसलिए आज ही सदन में यह घोषणा करें जैसा मुलायम सिंह यादव सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर के बूढ़ों और बुढ़ियों के लिए पेंशन देने का काम किया था वैसे ही यह बूढ़ी गाय, बूढ़े बैल और लावारिस बछड़ों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 300 रु0 पेंशन देने की व्यवस्था करें तभी इसका औचित्य साबित होगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गो-बध के संबंध में जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि विधान परिषद् ने जो संशोधन पेश किये हैं, सही हैं ।

मान्यवर, बड़ी ईमानदारी से विपक्ष इस बात को कहने के लिए तैयार है, हम मूल रूप से गोवध बन्द करना चाहते हैं । लेकिन इसमें सरकार की नीयत साफ हो। विधान परिषद् द्वारा संशोधित बातें हम मूल रूप से इसमें शामिल करके देखना चाहते हैं । गायों और बैलों का वध न किया जाय लेकिन इनकी परिभाषा में एक शब्द छूट गया है । वन गाय, उसके बारे में कोई मूल्य व्यवस्था होनी चाहिए । नील गायें झुण्ड में चलती हैं और इसको कोई मार दे तो आप कहेंगे कि उसनें गोवध किया है तो क्या वह जो अलाभकर गाय है, उसके बारे में काई सुव्यवस्थित व्यवस्था आपने कर दी है, जिससे ऐसी कोई स्थिति बाद में न पैदा हो । केवल मात्र राजनैतिक लाभ लेने के लिए आप यह करें तो यह उचित नहीं होगा ।

माननीय गुप्ता जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, उनको स्मरण होगा कि इस सम्बन्ध में एक समिति सन् 1955 में बैठी थी और उसमें स्व0 माधव प्रसाद त्रिपाठी सदस्य थे, उसकी रिपोर्ट में उनके भी दस्तखत हैं । तो उस रिपोर्ट की उन चीजों को पढ़ने के बाद आप एक विधेयक लाये हैं या ऐसे ही ले आये हैं । या सिर्फ इसलिए कि आप राम के और धर्म के ठेकेदार हैं और उसी तरह गाय बैल के भी ठेकेदार हैं । क्या आप दिल और दिमाग से कहते हैं कि देश-धर्म का नाता है गाय हमारी माता है तो जो गाय है उसमें बैल भी हो सकते हैं इसलिए आप डी0एम0 को अनिवार्य रूप से निर्देशित करें कि अलाभकर गायों की व्यवस्था करें । जो इस तरह की गाय हैं, लोग गायें पालते हैं उनका दूध निकाल लेगें फिर गायों को सड़कों पर छुट्टा किसानों के खेतों पर चरने के लिए छोड़ देंगे । वह उन्हें दूहने के बाद दिन भर के लिए छोड़ देते हैं । हम गो पालते हैं और वास्तव में उसके सबसे ज्यादा हमदर्द हैं, आपके यहां तो नौकर पालते होंगे और वहीं उनकी सारी देखभाल करते होंगे आप केवल धार्मिक भावना उभारने वाले हैं और इनकी रक्षा से आपका कुछ लेना देना नहीं है । इस दिशा में यदि आप वास्तव में उसकी रक्षा चाहते हैं, तो जो भी विधान परिषद् में संशोधन हुआ है, उसको आप सीधे-साधे स्वीकार कर लें मैं इस बात पर अपना पूरा बल देता हूं और आप विधान परिषद् के संशोधनों को मानते हुए इस विधेयक को पास कर लें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुप्त जी थोड़ी देर ट्रान्सफर वाला काम बंद करके मेरी बात सुन लें । यदि आप गोवध को सही में सही ढंग से बन्द करना चाहते हैं तो मेरा आपसे कुछ आग्रह और निवेदन है, जो विधान परिषद् में जो संशोधन भेजे हैं, वे अपनी जगह पर बहुत ही सही और यर्थात हैं और आपकी मंशा सही में गो वध

रोकने की है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण क्या है। यदि आज इसको यों ही पास कर देंगे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। आज से नहीं, अनादि काल से पंजाब और हरियाणा से पशुधन यहां आता रहा है और यहां से बिहार और बंगाल की तरफ जाता है। यह हजारों साल से परम्परा चली आ रही है।

मान्यवर, आपने यह रोक लगा दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में हजारों गायें सड़कों पर घूमती मिलेंगी जिनका पुरसाहाल नहीं है। आपने भाषण में कहा था कि हम गोशालाओं का सुदृढीकरण करेंगे और उसमें व्यवस्था की जाएगी। तो आपका क्या रिकार्ड है ? हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने गायें, बैल बछड़े हैं और कितने अलाभकारी पशु हो चुके हैं ? इसका क्या कोई आपके पास आंकड़ा है ? जो तमाम लोगों ने संस्था बना रखी है पशुओं की रखने की उसमें आप विचार करें तो 1/100 हिस्सा भी इसमें समायोजित नहीं हो सकता है। आपने जो बजट में प्राविधान की बात कही है उसका आंकड़े से निकालें तो मुश्किल से 5-10 हजार गायों की आप व्यवस्था कर पाएगें। आप बिहार राज्य में पशुओं को नहीं जाने देंगे, हरियाणा और पंजाब से नहीं जाने देंगे, तो बिहार के हाट जो उत्तर प्रदेश से लगे हैं वहां बिहार और बंगाल के लोग यहां से पशुओं को खरीदते हैं और आप रोक लगा देंगे तो बिहार और बंगाल वाले कह देंगे कि हम कोयला और अन्य सामग्री आपको नहीं देगें। मान्यवर, आपकी मंशा है गोवध रुके, या उसके नाम पर जो प्रदेश की पूरी अर्थ नीति है उसको आप बिगाड़ देना चाहते हैं। मेरा दावा है कि प्रदेश में लगभग दो ढाई करोड़ अलाभकारी पशु हैं जिनकी कोई व्यवस्था आप करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपकी नीयत पर मुझे शक होता है।

हम सभी गोबध बंद कराना चाहते हैं लेकिन कानून बना देने से भी गोवध बंद नहीं होगा बल्कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी उसमें आपको आंकड़े के साथ यह करना पड़ेगा कि पहले साल इतना, दूसरे साल इतना और तीसरे साल इतने गोपालकों की व्यवस्था की जाएगी यह सरकार की तरफ से व्यवस्था होगी या संस्थाएं व्यवस्था करेंगी और उनके चेकिंग की व्यवस्था आपको करनी होगी। लेकिन मान्यवर होने क्या जा रहा है कि हमारे प्रदेश में गोवंश के हाट और मेले जो लगते हैं वह बंद हो जाएगें। मान्यवर, कलेक्टर ने नियम बना दिया है जो पिछले साल गोवध किया था उसकी रसीद जब तक सत्यापित नहीं हो जाएगी तब तक गोवंशें नहीं जाने देंगे। मान्यवर, पुराने गोवध कानून को देख लें और जो आज संशोधन ला रहे हैं उससे वह बेहतर है और जैसा यह कर रहे हैं उसमें मेरा निश्चित मत है कि यह केवल आप धार्मिक भावनाओं को उभारने के लिए

नारा दे रहे हैं और गोवध रोकना नहीं चाहते हैं जो गायें अलाभकारी हैं उसके संबंध में यदि ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे और कोई संस्था नहीं बनायेंगे कि जिला अधिकारी अवश्य उन अलाभकारी गायों को ले लें । तब तक पूरे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था आप बिगाड़ देंगे । मान्यवर, आपको मालूम नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में केवल अभी 1/3 खेत ट्रैक्टरों से जोते जाते हैं और 2/3 खेत बैलों से जोतते हैं । यदि इस तरह की नियमावली बनायेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोवंश जाने नहीं देगें तो दूसरे राज्यों से यहां पशु नहीं आ पाएगें । इसलिए पुनः विधान परिषद् से जो संशोधन आया है और जो बाते यहां माननीय सदस्यों ने कही है उसमें मेरी मांग है कि इसे प्रवर समिति को भेज दें और विचार हो जाने दें । हम सभी इसके पक्ष में हैं लेकिन जल्दबाजी में इसको पास करायेंगे तो आपकी नीयत पर शक होगा कि गोवध को आप रोकना नहीं चाहते ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह सरकार राम, रोटी और इन्साफ के मामले में अब विफल हो गयी है । धीरे-धीरे विफल हो रही है और वह मुद्दा खत्म हो गया है तो इन्होंने दूसरा मुद्दा निकाला है, गोबध रोकने का। इसलिए मैं माननीय गुप्ता जी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप धर्म के ठेकेदार बने हैं । यह जितना गोवंश हुआ चाहे वह आपकी मां है या बाप । गाय आपकी माता है तो बाप कौन होगा । कोई होगा कि नहीं ? मैं एक बात बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं आज बंगाल, बम्बई तथा मद्रास, इन पांच-छः जगहों पर हमारे देश में गोवध होता है, आपको भी मालूम होगा, न मालूम हो तो जानकारी कर लें । अंग्रेज जाने लगे थे तो उस समय समझौता हो गया था । उस समझौते में है, इसे आप हटा नहीं सकते । गोवध कौन कराता है ? आप जिस भावना को उभार रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवध के लिए हिन्दू लोग ही बेचते हैं । कौन लोग गोवंश ज्यादा पालते हैं । मैं एक सवाल और करना चाहता हूं आप अपने नेताओं से पूछकर बताइये दूसरा महायुद्ध विश्व में हो रहा था उसमें गाय का मांस कौन सप्लाई करता था । राम कृष्ण डालमिया, जो कि हिन्दू महासभा के थे वह सप्लाई कराते थे । अगर मेरी बात झूठी निकल जाय तो मैं सदन से और राजनीति से, दोनों से इस्तीफा दे सकता हूं । आज गोवध बंद होना चाहिए ।

यह कई माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है । उनकी व्यवस्था आप करेंगे । लेकिन आप उनकी व्यवस्था कर नहीं सकते । उसके चारे, भूसे, खली, दाने की व्यवस्था यह सरकार कर सकती है ? नहीं कर पायेगी । इतनी गौशालायें कहां हैं, न आप और नई बना सकते हैं । गौशाला का धन भी पुजारी लोग खा जाते हैं । माननीय गंगा भक्त सिंह जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज हर जगह गौपालक

गौशालाओ का पैसा खा रहे है । गौशालाओ की जमीन को बेचकर उसका पैसा खा रहे है । मै अपने क्षेत्र की ही नही हर जगह की बात बता रहा हू । आपने कोई व्यवस्था नही की है और आप कर भी नही सकते है । गऊ हमारी माता है। ऐसा कहकर धार्मिक भावनाए फैला रहे हे । राम, रोटी और इसाफ की बात कितने दिन तक करेगे । आखिर राम का नाम आप कितने दिन तक भजते रहेगे ? राम तो सर्व-व्यापी है ।

मोहि मे तोहि मे खरग
खम्भ मे घटघट व्यापी राम ।

मर्यादा परुषोत्तम भगवान राम तो सर्वव्यापी है । सारे जगत मे है आपने तो उसको अपनी थैली मे रख लिया । हमारे प्रदेश, देश की जनता इतनी भोली नही है । अब वह समझ गई है कि राम राम कब तक भजेंगे यह लोग । अभी मैं एक बात बता रहा हू । मैं आ रहा था तो रास्ते मे एक बुड्ढा आदमी बैठा था वह कहने लगा कि यह सरकार कितने दिन राम का मुद्दा चलायेगी ? वह आदमी राजनीतिक नहीं था और वह यह पूछ रहा था । यह सरकार इसी बुनियाद पर बनी है । हिन्दुस्तान की जनता चालाक भी है और समझदार भी है । यह गोहत्या निवारण वाला विधेयक आप महीने दो महीने तक खींच लेगें इससे ज्यादा नहीं ले जा पायेंगे। मेरा निवेदन है कि विधान परिषद् का जो संशोधन है इसको कृपया मान लें अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हें, रक्षा नही कर सकते हैं उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इनको कहां ले जाया जाएगा तो आप विनम्रतापूर्वक इस सच्चाई को समझिए और विधान परिषद का संशोधन मान लीजिए । नहीं तो इसको वापस ले लीजिए । धार्मिक रूप से जो आपके बाप हैं उनके बारे में कहूंगा क्योंकि माता बिना बाप के तो हो नहीं सकती है ।

(व्यवधान)

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा हम गोवध नहीं होने देना चाहते हैं उसकी वैकल्पिक पूर्ण व्यवस्था करें वरना इस धार्मिक स्टैण्ड पर आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत संशोधन को मान लें ।

(ससदीय कार्य मंत्री को बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब सबके विचार आ गये हैं । ससदीय कार्यमत्री के बाद दो-तीन सदस्य को और बुलवा देगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

ससदीय कार्य मत्री को सुन ले ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं ।

श्री इकबाल महमूद-

किसी माननीय अल्पसंख्यक सदस्य को नहीं बुलवाया जा रहा है इसलिए मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री इकवाल महमूद सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय सदस्यों का भाषण मैंने ध्यान से सुनने का प्रयास किया । नेता विरोधी दल अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे । माननीय नेता विरोधी दल शायद आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए इसको पढ़ नहीं पाए अगर इस विधेयक को वह पढ़े होते तो आरोप न लगाते हरियाणा और कहीं से आने पर रोक नहीं लगाई गई है और न जाने पर रोक लगाई है । हमने रोक लगाई है गो मांस और गोमांस की बिक्री, प्रदर्शन पर रोक लगाई है इस पर रोक लगी है । जैसा प्रमोद तिवारी जी ने शंका व्यक्त की थी, तो जो कमियां रह गई थीं उनको भरने का प्रयास किया गया है । गोमांस की परिभाषा, जो गोमांस बंद डिब्बों में होता था उस पर प्रतिबन्ध कर दिया है । हमने इसके आयात को प्रतिबंधित कर दिया है । लेकिन गाय, बछिया, बैल आदि के प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह पर आने-जाने में प्रतिबंध नहीं है । जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा, सही बात कही कि ऐसे प्रदेश भी हैं जहां गोवध हो रहा है बड़े-बड़े बूचड़खाने हैं । वहां पर गोवंश न जाने पाये इसको रोकने के लिए हमने व्यवस्था की है, गाय बैल सांड, बछिया, बछड़ा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी स्थान को परिवहन किये जाने पर निषेध किया है । एक बाजार से दूसरे बाजार तथा एक हाट से दूसरे हाट को जाने पर रोक नहीं लगायी है । अगर उत्तर प्रदेश के बाहर भेजा जाता है तो राज्य सरकार की अनुमति लेकर, जिलाधिकारी का परमिट लेकर ही भेजा जा सकता है । अगर किसी का भाई दिल्ली में रहता है कहता है भाई साहब एक बछिया ले जायेंगे बच्चों के दूध के लिए तो उसके लिए परमिट लेकर ले जाया जा सकता है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वध के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा है, हमने यह व्यवस्था की है ।

हमने जानबूझकर ऐसा किया है, एक कहावत है चलनी में दूध दुहोगे तो दूध नीचे गिरेगा ही । हमने चलनी के छेदों को बंद करने का प्रयास किया है । इसको हिन्दू और मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए । माननीय ऊदल जी ने कहा कि 90 फीसदी हिंदू ऐसा करते हैं उन्होंने एक नाम भी लिया । क्षमा कीजियेगा, दंड की व्यवस्था हमने इसलिए रखी है, किसी जाति को दंड से इक्जेम्प्ट नहीं किया है । जो दोषी है वे दोषी हैं इसमें जाति का कोई सवाल नहीं है मा0 नेता विरोधी दल ने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और तनाव होगा । तनाव इस विधेयक से नहीं होगा । तनाव यदि भाषण तनाव भरे होगें तो उससे होगा । विधान परिषद् में मैं स्वयं था । माननीय अम्मार रिजवी ने बाबरनामा पढ़कर सुनाया । हमारे मुसलमान राजा महराजा थे उनके जमाने में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध था । इसको हिंदू या मुसलमान में नहीं विभाजित करना चाहिए । यहां किसी जाति की बात नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुवर रेवती रमण सिह -

माननीय ससदीय कार्य मत्री जी, जो मैने बोला है, शब्दो के अर्थ का अनर्थ मत करिये । मैने कही मुसलमान शब्द का प्रयोग नही किया और न मैने कहा है कि दूरगामी परिणाम होगे या तनाव पैदा होगा । चूकि आपकी मानसिकता ऐसी है इसलिए आप उसी ढग से सोचते हैं, हिंदू मुसलमान के बारे मे । आपने कहा है कि हमने राज्य के अदर प्रतिबंध नहीं लगाया है । मान्यवर, प्रतिबंध लगना शुरू हो गया है । यहां से बिहार, बगाल जाने पर प्रतिबंध लग गया है । 36 घटे परमिट बनाने मे लगेगे तो आप बतायें कि मेले में कौन व्यापारी पशुओं को रखेगा । 36-48 घंटे पशुओं को चारा पानी कौन देगा, चारा पानी देने की व्यवस्था आपने कहां की है । अभी यह संशोधन स्वीकार नहीं हुआ है लेकिन जिलो में प्रतिबंध शुरू हो गया है । पिछले मेलों में जो पशु गये थे उनकी रसीदें पहले उनको सत्यापित किया जायगा । इससे क्या होने वाला है क्या आपने सोचा है ? जो अलाभकर पशु है उनकी संख्या कितनी है ? आप बिल ले आये हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि प्रदेश में कितने अलाभकारी पशु हैं । उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे ? हिंदू मुसलमान की बात आप हर जगह न लायें यह मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं । अगर आप गाय को माता मानते हैं तो क्या आप किसी माता की खाल खीचने देंगे, गाय की बैल की खाल आप कैसे खींचने दे रहे हैं । इस तरह की बातें आपने बहुत कर लीं, (समय 2 बजकर 20 मिनट) एक बार गद्दी पर आ गये, लेकिन बार-बार उसी बात को मत कहें, बहुत हो चुका ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर अगर माननीय नेता विरोधी दल कुछ गलत समझ गये तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैंने उनके भाषण को और ऊदल जी के भाषण को मिला दिया । उन्होने एक नाम लिया, मैंने दोहराया नहीं था, नाम हिन्दुओं का लिया था, इसलिए कहा कि वह भी दण्डित होंगे, इसलिए दण्ड मे भेद नहीं किया है । तनाव का सवाल भी पैदा नही होता । एक बात और कही गयी, तर्क कुतर्क भी हो सकता है । ऊदल जी ने कहा कि गाय मा है तो बैल बाप है । हम कुतर्क का उत्तर नही देते हैं लेकिन यह सही है कि गाय की परिभाषा मे गाय, बैल, साड बछिया, बछडा सभी को जोड लिया है । जो बात गाय के लिए है, वही सांड, बैल, बछिया, बछडा के लिए भी है । दूसरे जो बात विधान परिषद् मे संशोधन आया, ग्राह्य करने के बारे मे बल दिया, मैं दो-चार बाते तथ्य के रूप मे कहना चाहता हूं । यह एक विधेयक बनाया गया और विधान परिषद मे और यहां पर भी, मै आभारी हूं, माननीय सदस्यो ने सबने स्वागत किया है और कुछ व्यवहारिक सुझाव दिये है । मैं 2-3 बातो के बारे मे स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । आप मूल बात को देखें तो सारी शकाओं का समाधान इस सशोधन विधेयक में है । एक संशोधन दिया है जिस पर माननीय सिंघारी जी ने काफी बल दिया कि गाय की परिभाषा मे क्या है । उसमे गाय, बैल, सांड, बछिया, बछडा भी शामिल है । एक सुझाव था कि वन गाय

व नील गाय को भी जोड़ दिया जाय ।

हम जानते हैं कि नील गाय, गाय के बंश की नहीं है इसलिए उसको नहीं जोड़ा, लेकिन वन गाय गाय की परिभाषा में सन्निहित है । गाय को बहुवचन माना जाय, तो गाय एक बचन और बहुवचन दोनों हैं । वन गाय को गाय में जोड़ दिया है । गाय एक बचन और बहुवचन दोनों है । दो बातें और रखी कि धारा 3 में संशोधन में रखा है । गोवंश के वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है । धारा 7 में कहा गया है कि धारा 3 और धारा 7 दोनों के बारे में दण्डित अपराधी माना जायगा । यह सुझाव दिया है कि अगर कोई गोवंश लेकर जाता है और गोशाला का मैनेजर कहता है कि स्थान नहीं है तो जिलाधिकारी के पास जायगा । तो जिलाधिकारी और एस0डी0एम0 के पास पहले से ही इतना काम है कि उनको यह सब देना व्यवहारिक नहीं होगा । तर्क के लिए दे दें लेकिन यह स्थिति नहीं है । अलाभकारी गायों के लिए, उनकी देखभाल के लिए अन्य अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, जैसी आवश्यक समझी जायगी । मैं कहना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये गये, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई विधेयक बनता है, तो उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नियम बनाने की व्यवस्था होती है । अलाभकारी गायों की व्यवस्था कैसे की जायगी, गोशालाओं में ले जाएंगे, इन सबके लिए नियम बनेंगे तो उस समय इन सब बातों का, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं, समावेश किया जायगा । एक और महत्वपूर्ण बात कही गयी कि अगर कोई अधिकारी गाय लेने से मना कर दे तो उसके ऊपर संज्ञेय अपराध का मुकदमा चले तो क्या सी0आर0पी0सी0 की धारा 80, अनुमान है कि लोगों को मालूम होगा, उसकी वैधता समाप्त कर दी जायगी । माननीय तिवारी जी ने कहा तो संशोधन तो वहां भी करना पड़ेगा । इसके साथ ही वहां भी संशोधन करना पड़ेगा, तभी आपकी बात मान्य होगी । अब दो बातें आप समझ लें, कोई भी सरकारी अधिकारी है, एक तो अपने अधिकारिता के क्षेत्र में कोई काम करता है, अगर प्राइवेट लाइफ का कोई काम है, उसमें दफा 80 की जरूरत तो है नहीं, अगर हम धारा 7 के संशोधन को स्वीकार कर लें, तो उसके बाद जरूरत होगी, तब तो अपराध माना जायगा । एक बात और कहकर समाप्त करता हूं । दो सुझाव हमारे सामने आये हैं । संज्ञेय अपराध, गोशाला के रखरखाव, उन सभी बातों का समावेश कर दिया गया है । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि अभी भी ट्रैक्टर से खेती हो रही है । लेकिन 75 प्रतिशत खेती तो बैलों के सहारे होती है । अगर उनको पूरा-पूरा संरक्षण नहीं दिया जायगा, तो माननीय नेता विरोधी दल की जो इच्छा है, उसके अनुरूप हमारे प्रदेश में खेती का उन्नयन नहीं होगा । इसलिए यह जो विधेयक रखा गया है, यह राष्ट्र की स्मिता है । आपने जो भावना रखी है, एक ही भावना को लेकर सर्वसम्मति से इसको पारित करें और विधान परिषद् से जो संशोधन आ गये हैं, उसकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए इसको पारित करें ।

श्री सुरेश प्रताप गाधी-

मान्यवर, पिछले सप्ताह जब यह विधेयक सदन मे लाया गया था, गोवध उ0प्र0 निवारण (संशोधन) विधेयक उसी समय विधेयक को व्यवहारिक रूप देना था विधेयक पर विचार के समय संसदीय कार्य मत्री जी ने कहा था कि इसे व्यापक आधार देना है । और अगर ऐसी भावना तो विधान परिषद् से जो संशोधन प्राप्त हुए हैं, वे व्यवहारिक और व्यापक आधार पर हैं, प्राविधान किया है विधेयक में संशोधन करके कि गायें किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित की जायगी, अलाभकारी हो या लावारिस कोई व्यक्ति उसे किसी संस्था को या गोशाला को देना चाहता है यदि वहां स्थान नही है या संस्था लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । आपको पशुपालन विभाग के अन्तर्गत चरागाहों की भी व्यवस्था करनी चाहिए, आपको आरक्षित चरागाह घोषित करना चाहिए । प्रदेश में पशुपालन विभाग की चरागाहें आरक्षित घोषित करने की योजना भी है, परन्तु होता यह है कि ग्राम समाज की जो परती जमीन है, उसे राजस्व विभाग के अधिकारी और प्रधान मिलकर बांट रहे लें। अगर वास्तव में आपकी यह भावना थी, जैसा कि नेता विरोधी दल की भावना है कि कोई भी सदन का सदस्य इसका विरोधी नहीं है कि गोवध निषेध नहीं होना चाहिए । किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि यह व्यवस्था लागू नही होना चाहिए । लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था या जो संशोधन विधान परिषद् से आया है, उसके लिए स्वीकार करने मे सरकार को क्या कठिनाई है । अगर अभ्यर्पित गाय की कोई संस्था न ले गोशाला में स्थान न हो तो राज्य सरकार को दिया जाय आप जिलाधिकारी को व्यस्त बताते हैं तो जिला पशुधन अधिकारी ले लें, उसमें हमें क्या आपत्ति है, यह व्यवस्था तो पशुपालन विभाग को दे दें, माननीय नेता विरोधी दल की यही भावना थी कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए । इस विधेयक के आने के बाद गोवंशीय पशुओं द्वारा किसी को कोई क्षति होती है, तो झूठे विवाद होगे, झूठी, रिपोर्ट होंगी । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मत्री जी जब पिछले सप्ताह विधेयक पर विचार के समय बोल रहे थे, तो वह कह रहे थे कि मैं यह नहीं मानता हू कि गाय कभी अलाभकारी या अनइकोनामिक होती नही है । अगर सरकार के पास यह आकड़े है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करने मे क्या कठिनाइया हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी गाय या वन गाय अभ्यर्पित करने के लिए कहा जाता है, तो सरकार को उसे लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए विधान परिषद् ने विधेयक को संशोधित कर यही व्यवस्था सुनिश्चित की है । अलाभकर गायो के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए । मान्यवर, दूसरी इन्होंने यह बात कही है कि गाय से हमारी संस्कृति का नाता है, उसको माता का स्थान दिया गया है, उसको संस्कृति से जोड़ा है और कहा है कि हमारी संस्कृति में गाय का प्रमुख स्थान है, लेकिन अगर इस भावना से इस विधेयक को लाया गया होता और यह व्यवस्था की गयी होती, तो कोई बात नहीं थी । 1955 का जो गोबध निवारण अधिनियम है, उसके द्वारा गोबध पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है, केवल श्रेय लेने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है

अभी आपने दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसूचित जातियों के बारे में संशोधन विधेयक लाये हैं, उसके बारे में भी पहले से ही व्यवस्था थी, लेकिन वाह-वाही के लिए विधेयक ले आये । इस प्रकार से आप ओवर डूइंग कर रहे हैं । गम्भीरता नहीं दिखाई गयी है, सरकार ने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है, केवल प्रचार और प्रसार करने के लिए तथा अनावश्यक श्रेय लेने के लिए इसको लाया गया है । अगर चरागाहों की व्यवस्था की गयी होती और लावारिश गायों के बारे में कोई व्यवस्था की गयी होती, तो विधेयक व्यवहारिक रूप में आता हम लोग उससे सहमत होते ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

गुप्ता जी ने अभी पढ़कर सुनाया कि यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकार ऐसी अलाभकर गायों की देखभाल के लिए वैकल्पिक और अतिरिक्त व्यवस्था कर सकती है । यह विधेयक में किये गये प्राविधान वर्तमान में पर्याप्त होते तब इस क्लाज या वाक्यांश को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

अगर हमारे सुझावों को मान लिया जाता है, तो इसको पास करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर भाषण नहीं दिया है, इसलिए अभी स्पष्टीकरण कैसे करेंगे ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार से इन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है । कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पशु अधिक हैं, उनकी देखभाल और रख रखाव कैसे करेंगे, अगर वह अधिक हैं तो क्या उनका बध करा दें । मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका में..

श्री उपाध्यक्ष-

आप पूछिये नहीं, बता दें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर पशुओं की एक बड़ी भूमिका है । हमारी सरकार ने आंकड़े मंगाये हैं और उनके अनुसार 145 गौशालायें हैं और उनके पास 3631.51 एकड़ भूमि है । और उनसे पशुओं की रक्षा की जायेगी हमारे यहां अभी 91-92 में 10 गौशालाओं को 20 लाख 30 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया गया है । हमने कटैगरी की है और एक का नाम गौशाला रखा गया है और दूसरा का नाम गोसदन रखा गया है गौशाला में जो दूध देने वाली हैं उनको रखा जायेगा और गौसदन में जो अनुपयोगी हैं उनको रखा जायेगा । हमारी सरकार ने हर जिले से इस पर सोच करके कि किस प्रकार से गौ रक्षा कर पायेंगे और गौ की उपयोगिता को देखते हुए ही हमने यह किया है (शोर)

श्री उपाध्यक्ष-

आपका उत्तर भाषण करीब-करीब पूरा हो गया है और सारे बिन्दु आ गये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे खुद ही संकोच हो रहा है कि जो मंत्री खुद ही स्पष्ट नहीं है उससे क्या स्पष्टीकरण लेना लेकिन मान्यवर, कर्तव्य है इसलिए पूछ रहा हूं । मान्यवर, पशुधन मंत्री से आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर इसका असर आ गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ऐसा ही है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक आंकड़ा जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है उसके अनुसार लगभग 1100 करोड़ रुपये अगर आप गोबध बंदी करें और गोरक्षा के लिए आप उन पशुओं को जो बीमार हैं या जिनकी अवस्था ज्यादा हो गयी है तो इन सब पर लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च होगा और आपके बजट में एक पैसे का प्राविधान नहीं है और आपने बताया कि 20 गौशालाए हैं और कुछ गोसदन हैं तो इसमें कितनी गायें रख पायेंगे यह आप देखें मेरा एक स्पष्ट स्पष्टीकरण है । मैं चाहूगा कि पूर्ण गोवध बंदी करने के लिये तथा गोरक्षा के लिए 1100 करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रदेश सरकार को है तो क्या इसका प्राविधान बजट में किसी रूप में करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, समय की कमी थी इसलिए मैंने इसे पहले स्पष्ट नहीं किया लेकिन माननीय तिवारी जी को याद होगा कि जब पहली बार इस सदन में विधेयक पेश हुआ था तो उसमें शासन की नीति स्पष्ट कर दी गयी थी, गौशाला का निर्माण

करना हो या अनुदान देना हो यह सब शासन की नीति में है यह ऐसा आवश्यक और उपयोगी कदम है इसको सफल बनाने के लिए चाहे जो भी आवश्यक होगा, सरकार के द्वारा किया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे सुन लें, इनकी इच्छा गोवध रोकने की नहीं है, गोरक्षा की नहीं है (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जो-जो आवश्यक होगा सरकार करेगी उसके बाद भी शंका रह गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार चूंकि फर्जी है इनकी गोरक्षा और गोबध बंदी नीति भी फर्जी है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन से चले गये)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 (ख) के स्थान पर निम्नलिखि रख दिया जायः-

(क्ष) "गाय" में सांड, बैल, बछिया, बछड़ा तथा वन गाय सम्मिलित है तथा इसका अभिप्राय एक से अधिक गायों से भी है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(3) प्रश्न यह है कि खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

"7-(1) कोई व्यक्ति अपनी अलाभकर गाय अथवा लावारिश गाय को किसी गोशाला या संस्था या राज्य सरकार को अभ्यर्पित कर सकता है तथा स्थान उपलब्ध होने पर किसी भी गोशाला अथवा संस्था को अभ्यर्पित अलाभकर गाय अथवा लावारिस गाय को लेने से मना करने का अधिकार न होगा परन्तु यदि गोशाला या संस्था उस अलाभकर लावारिस गाय को स्थान उपलब्ध न होने के कारण स्वीकार न कर सके तो उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस अलाभकर अथवा लावारिस गाय को अपने जिले के जिला अधिकारी अथवा जिला अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी से अन्यून स्तर मैजिस्ट्रेट के कार्यालय पर अभ्यर्पित करे । तदोपरान्त जिला मैजिस्ट्रेट अथवा जिला अधिकारी द्वारा अधिकृत मैजिस्ट्रेट उस अलाभकर गाय अथवा लावारिस गाय को अपनी अभिरक्षा में लेने को बाध्य होगा ।

(2)राज्य सरकार ऐसी अलाभकर अथवा लावारिस गायों की देख-भाल के लिए अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था करेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी गाय के लिए न्यूनतम 20 किलो भूसा अथवा दस किलो हरा चारा तथा एक किलो अनाज प्रतिदिन हो तथा उसके रहने के लिए पक्के भवन में 25 वर्ग फुट क्षेत्रफल उपलब्ध हो।

प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार उपधारा (2) में वर्णित व्यवस्था करने में असमर्थ रहती है तो जो नागरिक, ऐसी गाय को सुरक्षा और पालन-पोषण करता है उसके प्रार्थना पत्र पर जिला मैजिस्ट्रेट उस गाय के लिए पक्के आश्रम भवन बनाने का खर्च एक माह के भीतर तथा तदोपरांत प्रत्येक माह 600 किलोग्राम भूसा एवं 30 किलो अनाज प्रतिगाय प्रतिमाह उपलब्ध कराएगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किय गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-9

(4) प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में शब्द "धारा 8 (1) ऐसे किसी व्यक्ति को जो धारा-3" के पश्चात् शब्द "अथवा धारा-7" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(5) प्रश्न यह है कि खण्ड 9 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (4) बढ़ा ही जाय:-

"(4) कोई भी वह व्यक्ति चाहे वह साधारण नागरिक हो अथवा राज्य सरकार के कोई कर्मचारी, अधिकारी अथवा मंत्री हो, जो किसी अलाभकर गाय अथवा लावारिस गाय के अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया में बाधा डाले अथवा बाधा डालने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करे वह इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित दण्ड का भागी होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड 10

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में शब्द "9-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे" के पश्चात् निम्नलिखि शब्द बढ़ा दिये जायं:-

"तथा किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी दोषी राजकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी पर मुकदमा चलाने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता न होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)+

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पुलिस और सामान्य प्रशासन के बजट पर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और न केवल

इसकी आलोचना बल्कि समालोचना के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि 24 जून, 91 को हम सरकार में आये, मान्यवर अगली 24 जून आने वाली है और इन ग्यारह महीनों का लेखा जोखा जो आपने इस सदन में प्रस्तुत किया है । मैं वही से प्रारम्भ करूंगा । जहां से कुछ नारों को लेकर आप चले थे । आपने यह वायदा किया था कि इस प्रदेश को दंगा रहित बनायेंगे, प्रदेश को भयमुक्त बनायेंगे और समाजवादी समाज की रचना में योगदान करेंगे । इन 11 महीनों के बाद जो पहले अपने भाषण में शुरू में कहा था आज उस धारणा को और भी बल मिला है । यह प्रदेश दंगा रहित तो नहीं हुआ लेकिन इस धारणा को बल मिला, जो हम यहां पर बैठकर कहा करते थे कि जो लोग दंगा कराने वाले हैं, क्योंकि वह शासन में आ गये हैं इसलिए उन्हें प्रदेश दंगा रहित दिखायी पड़ता है । आपने भयमुक्त बनाने के नारे पर और आतंकवाद पर चर्चा की यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम आप लोगों को जरूर आमंत्रित करेंगे । बहुत पहले इस आदरणीय सदन में मैंने अपने किसी वक्तव्य के दौरान यह कहा था कि अच्छा होगा आप हम सब लोगों को, जो विपक्ष में हैं, की सर्वदलीय बैठक बुलाकर हमारी राय ले लेते तो आतंकवाद दूर करने में सहायता मिलती मगर आपने बैठक नहीं बुलायी, कोई राय हम लोगों की जानने की कोशिश आपने नहीं की और आज आतंकवाद ऐसी समस्या बन गयी है, जो निसंदेह एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन तराई के इलाके में अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें आप क्या कर रहे हैं ? आपने नारा दिया था कि तराई के इलाके को भयमुक्त बनायेंगे जो निरीह प्राणी गांव में रहते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे । लेकिन आज हो क्या रहा है । हमारी पुलिस सादी वर्दी में घूम रही है उसने अपनी वर्दी को उतारकर रख दिया है ।

मैंने सवाल किया था कि आप यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर, बाजपुर और टांडा की पुलिस चौकियां क्यों आपने बंद कर दीं तो आपने कहा था कि निगरानी के लिये चौकियां खुली हैं, खुलनी भी चाहिए । जितनी चौकियां खुलेंगी उतनी ही सुरक्षा बढ़ेगी लेकिन जब आप सुरक्षा चौकियों के अलावा पुलिस चौकियों को बंद करेंगे तो सुरक्षा आप कहां से प्रदान करेंगे । मान्यवर, निघासन तहसील में सम्पूर्णानगर थाने के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि शाम 6 बजे के बाद जनता का कोई भी आदमी अपनी फरियाद लेकर न आये । जब पुलिस थानों का यह हाल होगा, पुलिस के लोग ही असुरक्षित हो गये तो निरीह जनता का क्या होगा ? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । इस आतंकवाद से ग्रस्त एक लखीमपुर जिला है । वहां 31-12-91 को ग्राम हरसिंह पुर पो0 फरधन, जिला खीरी में सिख आतंकवादियों द्वारा कई हरिजनों की हत्या कर दी गयी । उसके बाद अनुसूचितों

को सुरक्षा प्रदान करने की बात थी । आप भी कहते हैं कि अनुसूचितों पर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे । मैं इसीलिए यह केस यहां कोट कर रहा हूं । उस वक्त वहां पर पी0ए0सी0 की व्यवस्था कर दी गयी और सुरक्षा के नाम पर थोड़े से लोग चले गये, लेकिन बाद में वह पी0ए0सी0 भी आपने वहां से हटा लिया, उसके बाद मुआवजा देने की बात हुयी है, क्षेत्र को आतंक रहित करने की बात हुयी है । आज वहां पर लोग भय और आतंक के वातवरण में जी रहे हैं । आपने यहां कहा कि हरिजनों अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को मिटाने का हम काम कर रहे हैं । मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम इस विशेष स्थान पर सिख आतंकवादियों के द्वारा जहां लोगों की हत्यायें हुयी हैं, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था दी जाय । वह सारे परिवार आज भी भय और आतंक के वातवरण में जी रहे हैं, उनको राहत देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ।

मान्यवर, बड़ी चर्चायें इस सदन के अन्दर हुयी हैं । अभी पिछले दिनों एक पार्टी ने एक लिस्ट आउट किया कि यहां के लोग अपराधी हैं, दूसरे दिन मैंने यह पढ़ा कि अमुक पार्टी के लोगों ने कहा, दूसरे लोग अपराधी हैं, इस प्रकार दो पार्टियों ने यह बात कही । एक हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री । मैं विपक्ष की ओर से मांग कर रहा हूं कि इसको छिपाइये मत, अगर कोई अपराधी हैं, कोई कत्ली है, कोई किसी केस में फंसा है, चार्जशीटेड है, तो उसको यहां बताने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए । यह नैतिकता का तकाजा है कि आप उस लिस्ट को आउट करें और बतायें । रोज-रोज आप धमकी देते हैं कि मैं अगर उस लिस्ट को आउट कर दूंगा, लिस्ट को खोल दूंगा तो आपके लोगों की कलई खुल जायेगी । हमारे यहां विजय सिंह राणा बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर । मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा । लिस्ट में आपने उनका नाम प्रकाशित किया, उन्होंने तुरन्त माननीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा, माननीय अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया । साहस था, नैतिक बल था, चरित्र बल था, इन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो जाय तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें । जब फाइनल रिपोर्ट लग गयी, तो आपको क्या अधिकार था कि इनके ऊपर आरोप लगाते मैं तो चाहता हूं और बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप रोज-रोज के झगड़े को खत्म कर दें और सूची को आउट करें । कौन-कौन यहां दुर्दान्त डाकू है, कौन-कौन माफिया सरगना हैं, कौन कत्ली हैं, जो यहां सदन में बैठे हुए हैं, जिसमें चारित्रिक बल होगा, अगर वह इस तरह का आदमी है तो वह स्वयं यहां आने से कतरा जायेगा ।

एतद् देशस्य प्रसूतस्य, सका सादाग्र जन्मनाः,
स्व स्व चरित्रम शिक्षरेन, पृथिव्याम सर्वमानवः।

अगर आप मानव के कल्याण की बात कर रहे हों, भयमुक्त समाज की बात कर रहे हों, तो आप सूची को आउट कीजिये । मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे दल का कोई व्यक्ति इस तरह का होगा, तो मैं स्वयं उससे इस्तीफा देकर चला जाने को कहूंगा, यह रोज-रोज का आप रोना रोते रहते हैं, कि प्रदेश की सरकार क्या करं, केन्द्र की सरकार कुछ नहीं देती । मैं कहना चाहता हूं कि आप साफ-साफ बता दें कि कितने दिन और इसका रोना रोयेंगे ? आप को ।। महीने हो गये, अभी तक संसाधन नहीं जुटा पाये ।

हमारे पास कौन से शस्त्र हैं और कौन से आयुध हैं इसकी गोपनीयता तो कम से कम जनता के भीतर नहीं जानी चाहिए । आपने ए0के0-47, ए0के0-56 व एस0एल0आर0 की मांग केन्द्र सरकार से की होगी मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि जब हम किसी चीज के लिए उपाय ढूढते हैं तो डकैत व आतंकवादी उसके काट की उपाय निकाल लेते हैं इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाये रखें । जब आप यह कहेंगे कि हमारे पास तो केवल 100 ए0के0-47 और 200 एस0एल0आर हैं तो जो दुर्दान्त आतंकवादी/डकैत हैं वह समझने लगते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है और निहत्थे हैं ये जनता की मदद नहीं कर सकते । इसलिए गोपनीयता को बनाये रखते हुए आप केवल इतना ही कहें कि हमने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है और हमारे पी0ए0सी0 व पुलिस के जवान आतंकवादी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा होगा ।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अपराधों की संख्या में बड़ी कमी आ गयी । यदि मैं पीछे से अपराधों की संख्या बताना शुरू कर दूं तो वह बहुत लम्बा हो जायेगा इसलिए मैं केवल राजधानी के बारे में ही बताना चाहूंगा । अक्टूबर से 15 नवम्बर तक और इधर जनवरी से मार्च तक जितनी हत्यायें हुई है वे सारी की सारी हत्यायें सरे-आम दोपहर के वक्त हुई हैं, सड़क पर हुई हैं और बैंकों के सामने हुई हैं । चूंकि आप इन अपराधों को रोकने में नाकामयाब थे इसलिए आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हम अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाये हैं । मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा । इसी लखनऊ के अन्दर ज्यादातर हत्यायें जो हुई हैं वह इस प्रकार से हुई हैं जैसे मानों समाज तो भयमुक्त नहीं हो पाया परन्तु हां, अपराधों बदमाश व गुण्डे भयमुक्त अवश्य हो गये हैं । अभी 3 अक्टूबर को 26 वर्षीय लक्ष्मी देवी का अपहरण महानगर कोतवाली के सामने से हो गया ठीक इसी अपहरण के बाद 26 वर्षीय एक क्रिकेटर श्री गणपति भूषण की हत्या हो गयी दोपहर के वक्त । आपने बहुत अच्छी बात कही कि वह बड़ा अच्छा दिन आयेगा, वह स्वर्णिम युग होगा जब रात को महिलाएं गहने पहनकर बाहर निकलेंगी । अभी मैं कल सांध्य जागरण पढ़ रहा था तो उसमें ऊपर ही मोटी हेडिंग में लिखा था "पिस्तौल दिखाकर महिला को लूटा । दोपहर में हम चर्चा कर रहे हैं

और उसी दिन शाम को महिला लूट गयी । राजधानी में बलात्कार हुए और आज भी दिन दहाड़े कत्ले आम हो रहे हैं । यदि आप राजधानी में इन सब चीजों को नहीं रोक पा रहे तो दूसरे जिलों की बात ही आप छोड़िए । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर नियंत्रण कीजिए । पुलिस में सारे आफीसर खराब नहीं है काफी ईमानदार लोग भी पुलिस में है । इसी लखनऊ में दो-तीन दरोगाओं की सर्विस रिवाल्वर गायब हो गयी है । उसमें मंत्री जी का एक शैडो या गनर रहा होगा । एक दरोगा तो शराब के नशे में घूम रहा था यद्यपि उसका नाम मेरे पास है परन्तु मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसलिए कम से कम आप पुलिस के लोगों से शराब पीकर सड़क पर घूमने के लिए मना करें । जब इस प्रकार पुलिस के लोग शराब पीकर सड़क पर घूमेंगे । सर्विस रिवाल्वर गायब होगी और आपके यहां ही शैडो और गनर आपस में एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे की सुरक्षा कैसे कर पायेंगे ? आज ब्यूरोक्रेट आपके ऊपर हावी हो गया है और प्रशासन पर आपकी पकड़ ढीली हो गयी है । उसका नतीजा यह हुआ कि डा0 दिनेश जौहरी जैसे व्यक्ति को मंत्री मंडल से हटा दिया गया और सारे के सारे आई0ए0एस0 आफीसर वैसे के वैसे ही रहे केन्द्र तो केवल बन्दर घुड़की देने जैसी बात करता है । इसी सदन में कदाचित आप भी उस समय थे । बनारसी दास जी ने भी बड़ा तगड़ा बयान दिया था उन्होंने कहा था कि नरायनपुर कांड के मामले में निपट लूंगा । उसी प्रकार केन्द्र सरकार आपको बन्दर घुड़की देती है कि हम 356 लागू कर देंगे परन्तु दूसरे दिन जब इधर से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो कह दिया जाता है कि हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । हम आपकी इस नूरा कुश्ती को नहीं समझ पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं बार-बार यह भाषण हो रहे हैं। ऐसा लगता है आप दोनों की यह मिली कुश्ती है माननीय वर्मा जी कह रहे हैं चोर-चोर मौसेरे भाई। एक दिन कहा जाता है कि हम देख लेगें यहां बातें आती हैं कि 356 में हटा देंगे लेकिन फिर पता चलता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है । तो मुझे लगता है कि केन्द्र और आपकी यह मिलीभगत है, दोनों की साजिश है कि इसके द्वारा एक दूसरे की बात को समझ कर एक दूसरे का काम कर रहे हैं । आपने कुछ और बातें रखी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन दो तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा ।

अभी कुछ घटनायें ऐसे लोगों की हुई हैं जिन घटनाओं के संबंध में यहां पर भी बातें हुई सदन में मांग की गयी लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया । मैं प्रतापगढ़ की घटना बताता हूं । प्रतापगढ़ के थाना गढ़वारा में आपकी पुलिस क्या करती है । थाने के अंदर दो पार्टियों में चली आई झगड़े में नामजद रिपोर्ट हुई होगी हमारे एक विधायक वहां पहुंच गये जी0डी0 में उनका भी नाम लिख लिया गया तो उन्होंने इसको ललकार कर कहा यह कैसे हो गया मेरा नाम कैसे आ गया । तो

दूसरे दिन दरोगा आकर कहता है जी0डी0 से आपका नाम निकाल दिया गया। तो जरा बतायें कि यह कौन सी प्रणाली है जब आप ललकारेंगे तो जी0डी0 से नाम वापस ले लिया जायेगा। आपके यहां सी0ओ0 और इसपेक्टर में झगड़ा हो गया यहीं की बात है हजरतगंज और आलमबाग का मामला है आपने इंसपेक्टर को हटा दिया और सी0ओ0 को रोक दिया है। तो मान्यवर लोगों के साथ एक समान न्याय कीजिये। माननीय गृह राज्य मंत्री जी लाभ हानि, सुख दोनों में समान व्यवहार करते हैं वह सदा बहार हैं सुख:दुख में सदा मुस्कराते रहते हैं, आंसुओं की धारा नहीं दिखाई देती अगर कोई मर भी गया तो उस पर भी मुस्कराते रहते हैं वह सदाबहार हैं। शोक प्रस्ताव में भी मा0 गृह मंत्री जी मुस्कराते रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी को एक मामला भेजा था जिस पर उन्होंने कहा भेज दिया है लेकिन एक महीना एक कि0मी0 चलने में लग गया एस0एस0पी तक जाने में उसके बाद मालूम किया तो मालूम हुआ कि एल0आई0यू0 दफ्तर में 10 दिन पड़ा रहेगा। जब आदमी की हत्या हो जाय उसके बाद आपका आदमी पहुंचता है। तो फिर सुरक्षा कौन करेगा ?

एक मामला मिर्जापुर का है वहां बूढ़े बाप के सामने उसके बच्चे को पीट-पीट कर मार दिया गया मामला सोहन पुत्र राम चरन का है। रात को पकड़ कर ले गये और पीट-पीट कर मार दिया आज तक उसकी एफ0आई0आर0 नहीं हुई बूढ़ा बाप चिल्लाता रह गया उसे इतना मारा कि वह मर गया उसके बाद उसे जीप में लाद कर ले गये और बाप को भी साथ ले गये और स्वयं लकड़ी का इंतजाम कर उसे आग लगा दी और जला दिया। तो आपने कहा थानों में रिपोर्ट दर्ज करायेंगे, कहा कि कोई कारण नहीं कि मामला दर्ज न हो तो मैं यही उदाहरण दे रहा हूं। बनारस के डी0आई0जी0 के आदेश के बावजूद क्या कारण है कि एस0पी0 मिर्जापुर रिपोर्ट थाने में दर्ज न कराये। तो वह रिपोर्ट नहीं हुई। तो आपके नारे खोखले साबित होने जा रहे हैं।

इसी तरह से एक और मामला सदन में उठा जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मुरादाबाद में कुछ लोग आ गये हैं जो गला रेत-रेत कर मार रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर 13 आदमियों को गला रेत-रेत कर मार दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शांत रहे, उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे आप व्यवधान न करें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कह रहा हूं इस सदन में यह मामला उठा उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आपकी कार्य प्रणाली क्या है। तुरन्त एक्सन क्यों नहीं लेते आपको संकोच क्यों हो रहा है ? मैं आभारी हूं डी0जी0पी0

का उनको धन्यवाद दूंगा उस दिन गंगोह थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के बारे में मेरे सामने आपने आदेश दिया था, प्रशासनिक अधिकारयों को आदेश दिया था और मैंने इस पर आपको धन्यवाद दिया था । लेकिन 15 दिन बाद भी वहां कोई आदेश नहीं पहुंचा फिर इस सम्बन्ध में जब मैंने डी0जी0पी0 से बात किया, तब जाकर उन्होंने बाद में उसको हटाया । वहां के एस0एस0पी0 नागर जी या कौन हैं इसे आप फिर से दिखवा लीजिए आपके आदेश के बाद भी सारी कार्यवाही उलटी हो रही है और अधिकारी लोग इनक्वारी के द्वारा आपके आदेश पर परदा डालने का काम कर रहे हैं। बनारस में बलुवाघाट पीपे के पुल के प्रान्तीयकरण के बारे में पंचायती राज और सड़क निर्माण मंत्री दोनों ने काम कर दिया कमिश्नर को अधिकार भी दे रखा है किन्तु सात मार्च को नोटिफिकेशन हुआ और आज उसके बाद आपके आदेश का कोई पालन नहीं हुआ । कम से कम शासन और प्रशासन की व्यवस्था ऐसी चुस्त की जाए कि कार्य हो जाये । जिला परिषद् वाले पी0डब्लू0डी को पुल हैण्ड ओवर नहीं कर रहे हैं । आपने 7 मार्च को जो व्यवस्था की थी इसको अब तक उन्होंने क्यों नहीं किया है । आपके एक मुजफ्फर नगर के जिलाधीश है उन्होंने जिले में और उसके आस-पास प्रदर्शनी लगा दी और 100 रुपये का उसका टिकट छपवा दिया लेकिन टिकट पर नम्बर गायब था । साथ ही उन्होंने इस इतने बड़े आयोजन के सम्बन्ध में बैंक में कोई हिसाब नहीं रखा, बैंक में कोई खाता नहीं खोला । उसमें उन्होंने 12 लाख और उससे ऊपर कमाया लेकिन एक लाख की आमदनी दिखायी है ।

एक और छोटा जिला है जौनपुर, यहां पर विगत 15 दिन के अन्दर इतने हत्या और अपहरण के केशेज हुए जितने मैं समझता हूं कि 11 महीने में भी नहीं हुए थे । आपने सदन में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण की जो घटनाएं हो रही हैं, हम उसको रोकेंगे, लेकिन अपहरण की घटनाएं आज भी जारी हैं और उसी रफ्तार से जारी हैं और अपहरण के द्वारा बेतहाशा पैसा वसूला जा रहा है । इस सम्बन्ध में आप जो माफिया सरगना का जिक्र करते हैं तो इन मामलों में इनका कोई वहां जिक्र नहीं आता है, केवल कुछ छुटभय्ये लोग ही यह दुस्साहस कर रहे हैं । आपने अपराधों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये थे और नेता विरोधी दल ने भी उस ओर अपना इशारा किया था । मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय के आंकड़े हमारे पास है और मुलायम सिंह यादव जी के समय के भी आंकड़े हमारे पास है और इस समय के नेता सदन के भी आंकड़े हमारे पास हैं, आप इन सारे आंकड़ों को अपने पास मंगा कर देख ले तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपके समय में ज्यादा हत्यायें हुई हैं, ज्यादा बलात्कार हुए हैं । चूंकि आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर रोक लगाने का कोई कारगर उपाय करें। मैं जो सुझाव दे रहा हूं उस पर भी अमल होना चाहिए।

मैं यह भी आपसे कहूंगा कि पीछे आपने आपेक्षित कर कहा था कि 100 मीटर की दूरी पर गन्ने का खेत नहीं होगा । आपने कहा मक्के का खेत नहीं होगा और अरहर का खेत नहीं होगा तो क्या इससे आतंकवाद रूक जायेगा । आप दूसरे उपाय सोचिये । हम सब मिलकर एक दूसरे को सहयोग दें काम करें तो इसमें सफलता मिलने की अधिक उम्मीद है । आप एक पार्टी के मुख्य मंत्री नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । अच्छे काम में आपको हमारा सहयोग होगा और बुरा काम करेंगे तो सदन में उसे बताऊंगा कि आप अच्छा काम इस प्रकार करो । एक एम0पी0 हाजीगुलाम मोहम्मद साहब हैं उनके बारे में 24 एम0पी0 ने चिट्ठी लिख कर आपको दिया है, आप उसकी जांच करा लीजिए । सी0आई0डी0 की जाचं तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको धमका रहे हैं । धारा 153, 171, 245 ए, 248, 465 475 आदि धाराएं आई0पी0सी के अन्तर्गत उसके खिलाफ लगा दी गई । हमको इमरजेंसी का समय याद आ गया जब जेल में हम सब साथ-साथ थे । इसलिए इसको दिखवा लें चूंकि 24 एम0पी0, हमने और विधायकों ने लिखकर दिया है, इसलिए इसकी जांच करवा लें और न्यायोचित निर्णय लें इतनी धाराएं उसके खिलाफ लगा दिया उससे मुझे इमरेजंसी का जमाना याद आ गया । आपके वह श्री सिंहल जी समर्थक है, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे जिनको आपकी मान्यता है, उनके कारण यह सब चल रहा है । मैं चाहता हूं कि उनको इसमें नही पड़ना चाहिए ।

मान्यवर मुख्य मंत्री जी वकीलों की हड़ताल के सम्बन्ध में अपने भाषण में बतायेंगे कि न्याय मंत्री ने जो बयान दिया था वह सही नहीं निकला है, हमें उम्मीद है कि एल0आर0 ने उन्हें जो रिपोर्ट दिया था उसको उन्होंने पढ़ दिया था । जबकि वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक जजों ने फैसला किया था और जिस न्यायिक संघ ने प्रस्ताव पास किया था उसके संबंध में वकीलों ने हड़ताल किया । इसलिए मैं चाहता हूं कि वकीलों की हड़ताल को आप वापस करायें ।

मान्यवर, प्रशासन की व्यवस्थाओं से ऐसी चीजें छनकर आ रही हैं जिनका आप निस्तारण कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

एक डा0 सुनील कुमार हैं और एक डा0 एस0एस0 यादव हैं जिनके संबंध में प्रश्न उठाया था और चैलेंज किया था कि इससे ज्यादा दूसरे क्वालीफाइड हों तो वह बता दें । लेकिन् डा0 एस0एस0 यादव से प्रशासनिक अधिकारियों ने काम क्यों छीन लिया ? डा0 सुनील कुमार के एम0डी0 मेडिसिन में प्रवेश के संबंध में हाईकोर्ट का फैसला हो गया है अतः उसको प्रवेश दिलवा दें । मान्यवर, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है । इसे आप देखें और पालन करायें ।

मान्यवर, जब शासन में यह लोग आए थे तो उस समय बहुत अच्छे-अच्छे नारे लगाए गये थे । लेकिन आज वह नारे खोखले साबित हो रहे हैं । मान्यवर, आज यह बातें जो चल रही हैं उनको आप व्यक्तिगत रूप से देखें ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल, मंत्रीगण या और जो कैबिनेट स्तर के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपके पास ज्यादा जीपें नहीं हैं जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए लगा सकें और जो जीपें हैं वह सही नहीं हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि कैबिनेट स्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए जीपों और जिप्सी की जिलों में व्यवस्था करा दें । चूंकि हम लोग जब प्रोग्राम में जब कहीं जाते हैं तो गाड़ियां खराब होने से प्रोग्राम में काफी देर से पहुंचते हैं ।

मान्यवर, हम यह समझते हैं कि कई लोगों पर, मंत्रियों पर, भा0ज0पा0 संगठन पर, एम0पीज पर और विधायकों पर आरोप लगते हैं, इसमें मैं व्यक्ति रूप में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर करें कि जब लिस्ट आउट करते हैं तो देखें कि आपके भी कितने लोग हैं ? हम ही दुखी नहीं हैं । आपके यहां के विधायक भी दुखी हैं इनकी कार्य प्रणाली से । माननीय मुख्य मंत्री जी को तो समय ही नहीं मिलता है, हम लोगों से मिलने का । हम लोगों से बात करने के लिए इनके पास समय कहां है ? कभी मीटिंग में चाय-पानी जरूर पिला देते हैं । आपसे अनुरोध है कि कम से कम इन बातों पर भी ध्यान रखें । माननीय ऊदल जी कह रहे हैं कि नियोजन वाले दिन बुलाया था और हम लोग पहुंचे भी थे अपने सुझाव देने के लिए । हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, हमारे जो सुझाव हों, उन्हें आप सुनें और मानें ।

इसी तरह से मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । आतंकवाद की जड़ में जो बिन्दु हैं, उन पर विचार करें । हम इस पर बहस नहीं करते कि कौन लोग मारे या मरे । पुलिस के लोग मारे गये हैं, हमारे जवान मारे गये हैं । जवानों का खून बहा है और भी लोग मारे गये हैं, वह अपनी जगह है । मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं । मुजफ्फर नगर में एक पेड़ के नीचे सब-इन्सपेक्टर की लाश बिना कफन के पड़ी रही तीन दिन तक । वहां आपका प्रशासन मौन रहा । मैं पुलिस की खिलाफत ही नहीं करता । उनकी तारीफ भी करता हूं । ऐसे लोगों को गैलेन्टरी एवार्ड मैडिल दिया जाना चाहिए । उनके भी बाल-बच्चे होंगे । इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए । ।। महीने पहले आपकी सरकार जब आई थी तो वह दिन भी क्या दिन थे । आप लोगों ने बहुत नारे दिये थे । नारी का सम्मान, गांव का किसान और झोपड़ी का इंसान । आज यह नारी सम्मान के

नारे नारी के लिए अत्याचार हो गये है । मुझे आज भी जय शकर प्रसाद जी की कही पक्तिया याद आ जाती है ।

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल मे,
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ।"

आज नारी का कितना सम्मान हो रहा है ? नारी को इज्जत आबरू लुट रही है । और कुछ लोग पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे है । इस तरह से क्या सम्मान आप लोग नारी का करेंगे ? अबला नारी का अपमान कब तक होता रहेगा ? नारी के अपमान की राख में दबे तो इस सरकार में फिर नहीं आ पायेंगे । आज परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए मैं यह कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री कैलाश नाथ सिह यादव-

मान्यवर, बस एक शेर कह कर खत्म कर रहा हूं ।

वह दिन भी क्या दिन थे जब पसीना गुलाब था,
आज इत्र भी मलते है तो खुशबू नहीं आती ।

मान्यवर, ग्यारह महीने पहले क्या था ? पसीना भी गुलाब था लेकिन आज ग्यारह महीने के बाद इत्र भी मलते है तो खुशबू नहीं आती । मान्यवर, आपने मुझे इतना समय दे दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मै आपका आभारी हू कि आपने मुझे गृह और सामान्य प्रशासन की अनुदान मागो पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर हमे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, बडी तन्मयता से मैने माननीय मत्री जी का भाषण सुना । श्रीमन्, यह पहली बार हो रहा है कि नेता सदन का सामान्य प्रशासन का भाषण है जो वीररस मे विपक्ष को चुनौती देने वाला रहा है । इससे पहले शायद ही कभी इस तरह का भाषण किसी नेता सदन ने दिया हो । नेता सदन अपने दल के नेता नही होते, सदन के नेता होते है इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि थोडी बहुत आलोचना के साथ-साथ पूरे सदन के मार्ग दर्शन वाला भाषण दे ।

श्री उपाध्यक्ष-

इससे पहले तो माननीय मुख्य मत्री जी चुनौती स्वीकार करने वालो के साथ बैठते थे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

लेकिन मैं फिर भी उन्हें इस मार्ग दर्शन विहीन भाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ । हमारा देश ऐसा है, जहां पर धार्मिक और सौहार्द का वातावरण है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

विशेष रूप से हिन्दू मुसलमान मिलकर रहेंगे। उनमें भाईचारे की भावना का विकास होगा और इससे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे यह भावना तभी हो सकती है, जब मिलकर रहेंगे । मुख्य मंत्री जी ने एक बात को पहले भी कहा था कि राम हिन्दू मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पूर्वज थे लेकिन आपको इस भावना का भी विस्तार करना होगा कि शेरशाह, रजिया, अकबर भी हमारे पूर्वज थे । यह भावना विकसित होगी तभी हिन्दू मुसलमान की एकता बढ़ेगी । जब तक हिन्दू मुसलमान की एकता नहीं बढ़ेगी आप इस समस्या का कोई निराकरण नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमन्, अगर मुसलमान के प्रति नफरत और संदेह बढ़ेगा तो इस देश को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी । सरकार को जो कश्मीर, पंजाब और आसाम में जो प्रवृत्तियां पनप रही हैं उनसे सीखने समझने का प्रयास करना चाहिए । कालीदास की तरह सरकार काम कर रही है जिस डाल पर बैठी है उसी को काटने का काम कर रही हैं । जो व्यक्ति अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानता है और दूसरे के धर्म को नीचा मानता है वह व्यक्ति उस धर्म का सबसे बड़ा शत्रु होता है । यह सरकार हिन्दू धर्म के धार्मिक उन्माद के लिए राजनीतिक लाभ के लिए ऊंचा दर्जा अपने धर्म को दे रही है लेकिन इस्लाम धर्म को नीचा करने की कुत्सित भावना जो है यह सही नहीं है । हम भी कहते थे कि पुरुषोत्तम राम सबके पूज्य हैं उनका मन्दिर बनना चाहिये कल भी इस बात को कहते थे और आज भी इस बात को कहते हैं लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद भी सुरक्षित रहनी चाहिए । आप कहते थे कि गर्भगृह में मंदिर बनायेंगे आज सरकार को बने ।। महीने हो गये आज प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि मंदिर कहां बनायेंगे ? गर्भ गृह में, शिलान्यास स्थल या रामकथा पार्क में (व्यवधान)। आपमें हिम्मत नहीं है आपने चुनाव में वायदा किया था आप कहा करते थे गर्भगृह में बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनायेंगे, तो अगर आप में हिम्मत है तो मंदिर बनाइए । आप भी कानून के जानकार हैं । हम सब लोग सदन में बैठे हैं संविधान की शपथ लेकर, मैं आपका ध्यान उधर ले जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमन् भारतीय संवधिान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (2) 25, 26, 27 को नहीं देखा । अनुच्छेदों में लिखा है धर्म के संबंध में हमारा क्या अधिकार है, इसको देख लेते आपको तकलीफ तो होती, आपकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । धार्मिक स्थल को बनाने में, मदद करने में, कोई अधिकार हमको नहीं है । इस संविधान के तहत, किसी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करा सकते हैं । अगर कोई ऐसी घोषणा होती है जिससे संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य होता है ।

श्रीमन्, संविधान को बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर जी ने । आज उनकी जन्म-शताब्दी का वर्ष चल रहा है । संविधान का इतना अपमान मैं समझता हूं कि और किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना यह सरकार कर रही है । इस सरकार ने सबसे बड़ा अपमान उस महापुरुष का किया है ।

श्रीमन्, धर्म निरपेक्षता की नयी परिभाषा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और इस सरकार ने निकाल दी है । वह कहते हैं कि देश हिन्दू राष्ट्र था, हिन्दू राष्ट्र है और हिन्दू राष्ट्र रहेगा । वित्त मंत्री जी भी कहते हैं । हम लोगों ने नियम 300 में यहां पर प्रश्न भी उपस्थित किया था । श्रीमन्, वित्त मंत्री जी ने एक नयी परिभाषा दे दी और कहा कि राज्य संवैधानिक शब्द है । यह देश हिन्दू राष्ट्र था, आज भी है और कल भी रहेगा । राष्ट्रपति को राजपति कर दिया । संविधान को तोड़-मरोड़ कर यह लोग बात किया करते हैं । यहां के लोगों ने हजारों साल की गुलामी के बाद, धर्म निरपेक्षता के रास्ते पर चलकर, गांधी जी की अगुवाई में चलकर, आजादी हासिल की । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे जितना प्रयास कर लें यह मुठ्ठी भर लोग इस देश की आजादी को खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं । यह देश धर्म-निरपेक्ष रहा है, धर्म निरपेक्ष है, और धर्म-निरपेक्ष रहेगा । इस देश का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, जिस दिन इस देश की जनता यह समझ लेगी तो इसको बर्दास्त नहीं करेगी । हमें यह भी विश्वास है कि अगला बजट या अनुदान पेश करने को इन लोगों को नहीं मिलेगा और इधर के बैठे हुए लोग पेश करेंगे ।

मान्यवर, कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी आतंकवाद के संबंध में अपनी बात कह रहे थे तो उस समय हमारे साथी कासिम साहब ने मज़ाक में हाफ पैंट वाले कह दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया और कहा कि आतंकवाद को हम ही मिटा सकते हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार होनी चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके यही कार्य-कलाप रहे जो पिछले ।। महीनों से चले आ रहे हैं तो दिल्ली तो बहुत दूर है, भा0ज0पा0 का कोई भी सदस्य गांव का प्रधान नहीं बन पायेगा, प्रधान बनना मुश्किल हो जायगा । श्रीमन्, साम्प्रदायिक उन्माद और दंगा फैलाने वाले लोग आज हमें नसीहत दे रहे हैं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की । हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जमाने में बहुत ज्यादा दंगे हुए और इनके जमाने में केवल बनारस, जलालपुर, हापुड़ में ही दंगे हुए वैसे क्या कोई नहीं जानता है कि उस समय यह दंगे किसने कराये ? कितने प्रदेश में, प्रदेश से तथा प्रदेश से बाहर के लोगों को बुलाकर पूरे प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की कोशिश की मैं मानता हूं कि पिछली

सरकार के समय में ज्यादा दंगे हुए थे लेकिन वह दंगे किसने करवाये और किसने प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की कोशिश की ? जिन लोगों ने दंगे करवाये थे । वही आज दावा पेश कर रहे हैं कि हमने दंगे खत्म करवायें हैं । श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार में आने के पहले, उस समय तीन विधायक दंगा फैलाने के जुर्म में बंद किये गये थे और मुख्य मंत्री जी ने उस समय हमसे कहा था कि इनको किसी तरह से छुड़वा दिया था और मैं बताना चाहता हूं कि उन जिलों में कोई दंगा नहीं हुआ था मुख्य मंत्री जी जानते हैं । हम बोलेंगे तो हल्ला मच जायगा, व्यंग करेंगे, मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो मेजें पीटेंगे । श्रीमन्, आपको मालूम होगा जनरल अयूब खां पाकिस्तान में तानाशाह राष्ट्रपति हुआ, तो उसने एक बार सोचा कि देखा जाय कि लोगों की उसके बारे में राय क्या है ? सिनेमा देखने चला गया । ऐसा सिनेमा था जिसमें अयूब खां की तस्वीर थी, लियाकत अली, जिन्ना की तस्वीर थी । जब लियाकत अली, जिन्ना की तस्वीर आयी तो लोगों ने खूब ताली बजायी । अयूब खां की आयी तो भी बजायी । अयूब खां की बगल में एक आदमी बैठा था, उसने ताली नहीं बजायी । तो उसके बगल वाले आदमी ने कहा कि अरे ताली क्यों नही बजायी, अयूब खां को मालूम हो जायगा तो फांसी पर चढ़ा देगा । नागपुर की फांसी के डर से ये ढोलक बजा रहे हैं । जब जानते हैं कि सरकार भयभीत है । ।। महीने में जो किया है, जनता के पास दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो लोग दरवाजे पर बैठने नहीं देंगे । लेकिन आप नागपुर के डर से ढोल बजा रहे हैं उनको खुश करने के लिए । अपनी असलियत जानते हैं कि क्या उपलब्धि हुई है ।। महीने में ? दंगे आज नहीं हो रहे हैं, सही है, कम हुए हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आज इस सरकार में हैं तो दंगे कम हो रहे हैं ।

जब सरकार को खतरा पैदा हो जायगा, चुनाव नजदीक होंगे तो दंगे बढ़ जायेंगे । प्रमोद तिवारी जी बर्खास्त कर देंगे तो दंगे शुरू हो जायेंगे । राजनीतिक उल्लू जिससे सीधा हो, दंगों के संबंध में वही नीति फैलाकर समाज में दंगे कराए जाते हैं नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है । ट्रेन्ड लोग हैं । श्रीमन्, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों की शुरूआत, और शुरुआत नहीं तो तीव्रता इन्हीं के शासनकाल में आयी है । जो कानून व्यवस्था ठीक करने का दावा आप करते हैं और कल मुख्य मंत्री जी ने बड़े दम्भ भरे शब्दों में कहा था कि कानून व्यवस्था सुधार दी है । उसमें तीव्रता आपके ही शासन में आयी है । श्रीमन्, हमारे एक प्रश्न में शायद ऊदल जी ने कहा था आतंकवाद के तह में जाना चाहिए । ये गतिविधियां क्यों तेज हो रही हैं, यह भी इस सरकार के कारण से तेज़ हो रही हैं ? अगर पीलीभीत में निर्दोष सिखों को न मारा गया होता

तो ये आतंकवादी घटनाएं न बढ़तीं । उसी के बाद बढ़ी हैं । जब उनको गिरफ्तार करने के कई दिनों के बाद मारा जाता है । क्या बड़े से बड़े आतंकवादी को पुलिस हिरासत में मारने का हक है ? लेकिन ऐसा हुआ । जो सिख धर्म हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ है, जो हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को दीवारों में चुनवाए जाने के लिए तैयार थे, वे आज अपने सम्मान के लिए बंदूक और तलवारें उठाने के लिए मजबूर हैं । धर्म के रास्ते पर चलकर आतंकवाद नहीं मिटाया जा सकता है । अन्य कारणों पर भी विचार करना होगा । वार्ता के और भी रास्ते निकालने होंगे । एक तरफा काम नहीं चलेगा । इसको सी0बी0आई0 के सिपुर्द कर दिया होता तो सारी बात सामने आ जाती । आज प्रदेश का जो बहुत बड़ा भाग आतंकवाद की चपेट में है, आज यह स्थिति हमारे प्रदेश में न होती श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी कहा था कि अराजकता, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक उन्माद, दंगा, राजनीति के अपराधीकरण और आर्थिक विपन्नता को विरासत में मिला है । पिछली सरकारों पर दोषारोपण करके उन्होंने अपनी अकर्मण्यता, अक्षमता और अज्ञानता पर पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है । एक मंत्री की पत्नी किसी के मकान पर कब्जा कर लेती है, एक न्यायाधीश की विधवा के मकान पर एक सांसद कब्जा कर लेता है । बिठूर थाना, कानपुर के एक गांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, एक दरोगा की बख्शी के तालाब में हत्या कर दी जाती है । अराजकता तब भी या अब, आप ही निर्णय करें ।

अकेले राजधानी के अपराधों की स्थिति की तुलना कर लीजिए, साफ हो जायगा कि अराजकता कब थी ? साधारण आदमी की बात छोड़ पिछले कुछ महीनों में राजधानी में कई थानेदारों की सर्विस रिवाल्वरें लूटी जा चुकी हैं । श्रीमन् कानून व्यवस्था तब जर्जर थी, कि अब जर्जर है ? मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसमें आज वृद्धि हुई है । श्रीमन् एक ओर भयमुक्त समाज का झूठा प्रचार और दूसरी ओर अपराधों के आंकड़ों में वृद्धि । मान्यवर, मण्डलों के अनुसार 1990 की तुलना में इस सरकार के समय में आगरा मण्डल में 52.30 प्रतिशत बरेली में 15.25 प्रतिशत, मेरठ में 32.15 प्रतिशत, गोरखपुर में 10.04 प्रतिशत, लखनऊ में 17.56 प्रतिशत, वाराणसी में 16.35 प्रतिशत, गढ़वाल मण्डल जहां भा0ज0पा0 की सबसे अधिक जीत हुई 114.20 प्रतिशत, कुमायूं में 65.20 प्रतिशत, रेलवे के अपराधों में 40.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अपराधों को घटाकर दिखाया गया है । कानपुर में 1.30 प्रतिशत की कमी आई है । तराई के आतंकवाद के अलावा वाराणसी हापुड़, जलालपुर (फैजाबाद) परसपुर (गोण्डा) दंगों के अलावा 3 दर्जन जिलों में जबर्दस्त साम्प्रदायिक तनाव है । श्रीमन् अपराधों की

यह स्थिति तब रही जबकि आपकी सरकार ने अपराध से संबंधित आंकड़े छिपाये। श्रीमन् ये प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं कि यह कानून-व्यवस्था बिरासत में मिली है। श्रीमन्, जातिवाद भी इनको विरासत में मिली है। श्रीमन्, मौजूदा सरकार ने जातिवाद के जहर को परत-दर-परत इस व्यवस्था को प्रवेश करा दिया है। मुझे अत्यधिक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राज्य में एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के साथ जातिवादी एवं साम्प्रदायवादी दृष्टिकोण से घोर अन्याय किया जा रहाहै। पुलिस में सिपाही से लेकर आई0पी0एस0 अधिकारी तक तथा नागरिक प्रशासन में चपरासी से लेकर कमिश्नर तक जाति एवं धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किये जा रहे हैं। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे दूसरे दर्जे के नागरिक हों। इस सरकार का यह व्यवहार दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार का अश्वेतों के प्रति व्यवहार जैसा है। जो व्यवहार श्री लंका में सिंहली लोग तमिल मूल के लोगों के साथ करते रहे वैसा व्यवहार यहां जाति एवं धर्म के आधार पर किया जा रहा है। इतने घटिया जातिवादी सोच की कोई भी सरकार इस प्रदेश में इससे पहले नहीं आई। श्रीमन् भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार में आम जनता जितनी भयभीत है, उतनी अतीत में कभी नहीं रही। हर सुबह, हर जिला मुख्यालय से मजिस्ट्रेटों और पुलिस का कारवां कूच करता है, सौ-सौ और दो-दो-सौ रुपये तक की आर0सी0 की वसूली के लिए और जो भी मिलता है, गांव में उसके घर पर ट्रक, मेटाडोर में भर लाता है। स्थिति इतनी भयावह है कि यदि कोई यह भी पता करने जाता है कि उस पर कितना देय है, कितना बकाया है तो पहले उसे तहसील की कोठरी में बंद कर दिया जाता है, बाद में उसे बताया जाता है कि उसे कितना देना है ? प्रतिदिन हजारों लोग अपमानित होते हैं, आम आदमी भय के कारण घर पर नहीं रह पाता है। अधिकारियों एवं पुलिस की गालियां सुनने को महिलायें विवश हैं। हां, अधिकारी अवश्य भयमुक्त एवं निरंकुश हो गये हैं।

अभी पिछले दिनों तक जिले के वरिष्ठ पुलिस कप्तान सत्ताधारी दल के तीन विधायकों सहित दो दर्जन लोगों को अपने कार्यालय में होमगार्ड्स एवं सिपाहियों द्वारा धक्का मार कर बाहर फेकवा दिया, सिर्फ इसलिए कि एक दरोगा की शिकायत करने का दुस्साहस इन विधायकों ने किया था। यही अधिकारी तराई क्षेत्र में तैनाती के नाम से थर-थर कांपते हैं। कभी कोई बड़ा अधिकारी और मंत्री उधर जाता नहीं है, यह है भयमुक्त समाज। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तरांचल प्रदेश बनाने की घोषणा की है। श्रीमन्, अभी आपने देखा है कि कावेरी जल विवाद से बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गयी है, इससे इनकी आंखे नहीं खुली है। एक उत्तर प्रदेश को हिमालय का आंगन और भारत के हृदय की संज्ञा देने वाले मुख्य मंत्री दूसरी ओर उत्तरांचल प्रदेश की घोषणा करके क्या हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह रोक कर हृदयगति रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि प्रदेश बंटा तो भारत को टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं अनुरोध

करूंगा कि प्रदेश के साथ-साथ देश को तोड़ने की कोशिश न करें । श्रीमन्, पिछले 11 महीने से ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जिस दिन मुख्य मंत्री या किसी दूसरे मंत्री ने प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति का रोना न रोया हो । मैं जानना चाहूंगा कि यदि आर्थिक विपन्नता थी तो कितनी बार ओवर ड्राफ्ट लिया गया और कितना गत शासन में कुछ साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा निरन्तर बाधायें डालने के बाद भी गांवों को बिजली मिली, निर्माण कार्य कराया गया । 1991-92 का बजट पूरा का पूरा छोड़ा था । बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया, इस सरकार के लिए पूरा बजट छोड़ने के बाद भी सरकार की अक्षमता के कारण पूरे प्रदेश के विकास की गति रोक दी गयी और इस बजट में भी कोई नयी योजना प्रारम्भ नहीं कीं । पिछली योजनायें जो स्वीकृत की उनमें से कुछ का या तो नाम बदल दिया गया है या ज्यों का त्यों रख दिया गया है या छोड़ दिया गया है । इन्होंने श्रीमन् नारी के सम्मान की बात कही है । (लाल बत्ती होने पर) 5 मिनट और लूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी की कविता मुझको पूरी की पूरी याद हो गयी है:-

गांव, गरीब, किसान,
झुग्गी झोपड़ी के इन्सान,
बेरोजगार नौजवान,
नारी का सम्मान ।

दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों और शोषितों का उत्थान । मैं कहना चाहता हूं कि नारी का सम्मान चूड़ियों से बिक्रीकर कम कर देने से नहीं बढ़ता है । इसके लिए नीति और नीयत दोनों साफ होनी चाहिए । भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव से प्राथमिकता दी जाती रही है । यहां तक कि राम, कृष्ण एवं शंकर के साथ सीता, राधा और गौरी का नाम जब जोड़ा गया तो सीता राम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर कहा गया। राम सीता, कृष्ण राधा या शंकर गौरी नहीं कहा गया। नारी को पहला स्थान दिया गया । किन्तु मुझे अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय संस्कृति के इन ठेकेदारों ने सीता के नाम को राम से जुदा करने का दुस्साहस किया है । हर देहाती ग्रामीण अंचलों से लेकर चारो धामों में संत महात्माओं द्वारा भी जय सिया राम का ही उद्घोष किया जाता रहा है, लेकिन इन लोगों ने उसके स्थान पर जय श्री राम कर दिया है । यह नारी का अपमान है या सम्मान ।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)-

वर्मा जी अपनी पत्नी का नाम बता दें तो हम लोग उनका नाम लेकर वर्मा जी का नाम लिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, इसके अलावा नारियों के उत्पीड़न, उनके साथ बलात्कार के दोषी पुलिसजनों तथा अन्य धन्नासेठों को मिल रहे राजकीय संरक्षण से भी यह बात साफ है कि नारी सम्मान की रक्षा करना इस सरकार के बस की बात नहीं । पथरदेवा में पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना को स्वयं मंत्रियों ने झूठा करार देकर जांच प्रभावित कर दी । इटावा में दो हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की जा सकी । श्रीमन्, इस सदन में हमने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि आपने थोड़ा सा सुधार किया था केन्द्र सरकार को खुश करने के लिए आपने बजट भाषण में आपने कहा था कि महात्मा गांधी को हम अपना प्रेरणा श्रोत मानते हैं । ईश्वर और अल्लाह को एक मानने वाले महामना महामानव महात्मा गांधी का जब इनके मुंह से नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वेश्या पतिव्रता का उपदेश दे रही हो ।

मान्यवर, सत्ता का सहारा लेकर आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 अधिकारियों से साजिश करके निरन्तर विपक्ष पर आधारहीन आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं चाहता हमारे पास सूची है मैं पढ़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं आप स्वयं देख लें कि सत्ता पक्ष के कितने सदस्य इस सदन में बैठे हैं जो हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी हैं । एक-एक आदमी पर तीन-तीन, चार-चार दर्जन गम्भीर मामले हैं । आप स्वयं निर्णय करें राजनीति का अपराधीकरण करने वाले कौन लोग हैं ? जिनके चेहरे पर गांधी की हत्या की कालिख आज भी दिख रही है वे दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवान में झांक कर देख लेते तो बेहतर होता । अभी कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने और हमारे नेता विरोधी दल ने जो हमारे नेता हैं उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति शेर से की है । इसलिए मैं भी एक शेर कहूंगा (शोर)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें काफी समय हो गया है ।

कृपया शांत रहें ? और माननीय वर्मा जी का एक शेर सुन लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, पहली बार मैं शेर पढ़ रहा हूं । कृपया सुन तो लें शेर से डर गये तो सरकार कैसे चालयेंगे ।

तूफान भी है सैलाब भी है, मल्लाह है कुछ दीवाना सा ।
जब ऐसी शकिस्ता किस्ती हो, साहिल की तमन्ना कौन करे ।।
ठोक सकते हैं ये लोग ईसा के बदन में कीलें,
ये लोग तो मंसूर को भी सूली पे चढ़ा सकते हैं ।
मेरी तो औकात ही क्या है,
ये लोग गांधी को भी गोली से उड़ा सकते हैं ।

*गृह राज्यमंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह तथा समान्य प्रशासन विभाग के विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय नेता विरोधी दल का, माननीय प्रमोद तिवारी, नेता कांग्रेस आई0 का, माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट में शिरकत की और अपने बहुमूल्य सुझावों से शासन को अवगत कराने की अनुकम्पा की । वैसे माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने हृदय से उन बातों को नहीं कह रहे थे । वैसे वे बोलने में प्रवीणता रखते हैं और जब कभी भी बोलते रहे तो उस समय लगता था कि हृदय से बोलते थे ।

श्री उपाध्यक्ष-

लगता है कि आप वर्मा जी से ज्यादा नजदीक रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पहले उन्हीं के नजदीक बैठता था ।

वे आज जब बोल रहे थे तो ऐसा अनुभव हुआ 90-91 के पूर्वार्द्ध समय की चर्चा कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण था । जनता का सरकार से विश्वास उठ गया था, सरकार का जनता से विश्वास उठ गया था, जनता राम मंदिर बनवाना चाहती थी, यह राम भक्तों पर गोलियां चलवाया करते थे । सारा उत्तर प्रदेश दंगों से ग्रस्त था, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में, मान्यवर यह विस्तृत नहीं बताना चाहता हूं, 33 जनपदों में कर्फ्यू लगा हुआ था, इस समय हम सत्ता के भीतर आये थे, इस चीज की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, चुनाव की जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही सरकार पर होती है, उस जवाबदेही का उस दायित्वपूर्ण कार्य का यह निर्वहन नहीं कर पाये थे । 22 विधान सभाओं के और 3 लोक सभा के हमारे आने के बाद चुनाव हुए थे, यह इनकी अकर्मण्यता थी । यह अव्यवस्था थी, यह अराजकता थी, उस अराजकता, अव्यवस्था और अशांति के वातावरण में अविश्वास के वातावरण में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हमने सरकार और सत्ता संभालने का काम किया इस संकल्प के साथ किया कि हम उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को दंगा रहित बनायेंगे जिस तरह से श्री राम ने वनवास के दौरान एक संकल्प लिया था-

'निश्चर हीन करहु महि ।
भुज उठाय प्रण कीन्ह ।।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उसी संकल्प के साथ हम उत्तर प्रदेश से भय आतंक का वातावरण खत्म करेंगे । मान्यवर, पहले क्या था, उन लोगों को लगता था, गुण्डों, माफियाओं, सरगनाओं को लगता था कि कानून के हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते, हम राजनीति प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में हत्या कराते रहे दंगा कराते रहे माफिया लोगों को संरक्षण देते रहे, उस राजनीति प्रभाव से शांति व्यवस्था की स्थिति को भंग कराते रहे, जनता के बीच में, सरकार के कुकृत्यों के कारण जो अविश्वास की भावना थी, हमने उस भाव को निर्मूल कर जनता में विश्वास पैदा किया अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो बड़े से बड़ा संरक्षण क्यों न उन्हें मिलता हो, सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है । इसलिए जनता में विश्वास का वातावरण जागा है । एक नया संचार जागृत हुआ है इसलिए इन्हें तकलीफ होती है, हम लोगों का दोष क्या है ? जब कोई राजनीतिक दल विशेष के लोग अपराधी हो जायं, तो क्यों चाहे वह किसी दल विशेष के सदस्य हों, हम कार्यवाही नहीं करेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, चाहे सत्ताधारी दल का हो, उसे जेल के सींखचे में रखेंगे, यह उदाहरण हमारा आजमगढ़ का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जेल के भीतर रखा है, यह सबक उनको लेना चाहिए कि किसी को राजनीति में यदि संरक्षण दे रहे हैं तो उसको छोड़े और सरकार पुलिस निगाह को उसके हाथ तक पहुंचने का अवसर दें । यह हमारा संकल्प है प्रदेश से भय और आतंक का वातावरण समाप्त करने का । भय मुक्त समाज और दंगारहित प्रदेश का हमने संकल्प लिया है और बड़ी ईमानदारी के साथ माननीय वर्मा जी ने स्वीकार भी किया कि नयी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगों की स्थिति में बहुत कमी आयी है मैं तो कहना चाहता हूं कि न्यूनता आयी है हमने दंगा रहित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है हम कह सकते हैं कि उस दिशा में हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जबकि हमारी सरकार के आने के पहले 14 वृहद दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे । मुझे दुख है कि दो घटनाएं हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में घटीं । हम यह नहीं चाहते थे कि कोई घटना घटित हो और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश से दंगे को समूल नष्ट करने का काम करेंगे यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और हमारे मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह जी का संकल्प है । आज प्रदेश का हर अपराधी भयभीत है, जो सफेदपोश अपराधी है उनको भी भय हो रहा है । पहले सफेदपोश अपराधियों पर हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया जाता था ...

श्री अवध पाल सिंह-

यह अपराधियों को अंगरक्षक दे रहे हैं ।

(गृह राज्य मंत्री के भाषण के मध्य 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें जब आपका मौका आयेगा तब आप बोल लीजियेगा ।

(दोनों पक्षों के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहे और माननीय शाही जी को अपना भाषण करने दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, एक समय था जब इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री सतीश शर्मा को जमीन में जिन्दा गाढ़ दिया गया था मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक कहावत है कि सूप तो बोले-बोले मगर चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं । तो मान्यवर, मैं कह रहा था ...

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह गृह राज्य मंत्री हैं लेकिन इनका भाषण बिल्कुल विपरीत हो रहा है,संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल यह व्यवहार कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक चीज मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । जो भी माननीय सदस्य स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं वह भाषण के बाद पूछें । भाषण के बीच में कोई व्यवधान न करें । मैं इसकी अनुमति आपको नहीं दूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

पूरी पार्टी को अपराधी कह देंगे, तो क्या आप इसे संगत मानेंगे ?

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार आपस में टोकाटाकी करते रहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने राम गोविन्द चौधरी जी का नाम नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष-

किसी राजनीतिक दल को पूरे का पूरा अपराधी घोषित न कीजियेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, किसी दल के अधिकांश सदस्य हो जायें

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

(इस पर सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खडे होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

भागवत पाल जी, आप मुझे अभी प्रमाण दीजिए, जो आपने आरोप लगाये हैं ।

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

नहीं मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा । पहले आप मुझे प्रमाण दें ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, आप मेरी पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुन लें । आपने जो आरोप लगाये हैं, मैं इस तरह हल्के तरीके से कार्यवाही नहीं चलने दूंगा । एक बार पहले भी इस तरह का प्रकरण आ चुका है । मैंने कहा था कि अगर किसी भी सदस्य पर कोई भी इस तरह के आरोप लगायेंगे तो मैं तत्काल उसका प्रमाण मागूंगा । आपने अभी कुछ आरोप लगाये हैं ।

नोट-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

पूरी पार्टी को अपराधी कह देंगे, तो क्या आप इसे संगत मानेंगे ?

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार आपस में टोकाटाकी करते रहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने राम गोविन्द चौधरी जी का नाम नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष-

किसी राजनीतिक दल को पूरे का पूरा अपराधी घोषित न कीजियेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, किसी दल के अधिकांश सदस्य हों जायें ...

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

(इस पर सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

भागवत पाल जी, आप मुझे अभी प्रमाण दीजिए, जो आपने आरोप लगाये हैं ।

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

नहीं मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा । पहले आप मुझे प्रमाण दें ।

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुन लें । आपने जो आरोप लगाये हैं, मैं इस तरह हल्के तरीके से कार्यवाही नहीं चलने दूंगा । एक बार पहले भी इस तरह का प्रकरण आ चुका है । मैंने कहा था कि अगर किसी भी सदस्य पर कोई भी इस तरह के आरोप लगायेंगे तो मैं तत्काल उसका प्रमाण मागूंगा । आपने अभी कुछ आरोप लगाये हैं ।

नोट-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री भागवत पाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

भागवत पाल जी के भाषण का कोई भी अंश लिखा नहीं जायेगा मंत्री जी, आप अपनी बात कहें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसे कार्यवाही से निकलवा दिया है । उसको संज्ञान में मत लीजिए ।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें-पहले यह माफी मांगे)

(आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके मंत्री जी का भाषण हो)

(श्री अवध पाल सिंह के पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

आपको मुझे सदन के बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

एक वह समय था जब अकेले मेरठ में ही महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा और एक समय यह है जब मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी कस्बे में और किसी भी गांव में कोई कर्फ्यू नहीं है यह उत्तर प्रदेश की सफलता है और कल्याण सिंह जी की सरकार की सफलता है कि हमने उत्तर प्रदेश से कर्फ्यू की धाराओं को अलग कर दिया है ।

(श्री स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री यादव जी आप कृपा करके बैठ जायं । पहले मंत्री जी के भाषण को आप पूरा होने दीजिए । आपको जो भी पूछना है उसे आप एक कागज पर लिखकर रख लें । इस समय स्पष्टीकरण की आवश्कता नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है । निश्चित ही आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है और एक राष्ट्रीय समस्या है । इसलिए हमने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आतंकवाद की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेकर एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाय । यह आरोप कतई सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री कल्याण सिंह जी की

नोटः-(× × ×) यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सरकार के आने के बाद आतंकवाद फैला। मान्यवर, मुझे भी उस समय इस सदन में सदस्य होने का सौभाग्य था जबकि इस सदन के आदरणीय सदस्य श्री कत्याल जी की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी । तो क्या उस समय से प्रदेश के अन्दर आतंकवाद की जड़ें शुरू नहीं हो गयी थीं । 6 फरवरी, 1990 को हल्द्वानी में आतंकवादियों द्वारा लक्ष्मी टाकीज में बम फेंका गया था जिसमें पांच लोग मारे गये थे और 61 लोग घायल हुए थे, परन्तु उस समय माननीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार नहीं थी । मेरठ में भी एक ऐसी ही घटना हुई । उस समय भी रेलवे स्टेशन पर आतंकवादियों द्वारा विस्फोट किया गया था और जिसमें पांच लोग मारे गये थे और 17 घायल हुए थे, परन्तु 1 मार्च 1990 को श्री कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी । 25 मार्च, 1990 को काशीपुर के सिनेमा हाल में आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया था इसमें 8 लोग मारे गये थे और 14 लोग घायल हुए थे, उस समय भी उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह जी सरकार नहीं थी। फरवरी, 1991 को 10 लोगों की हत्या कर दी गई और उसी फरवरी 1991 में गाजियाबाद में बस यात्रियों को उतारकर बम से मार दिया गया इसमें कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गयी थी परन्तु उस समय भी माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार नहीं थी ।....

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

यह कौन सी तारीख की घटना है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैंने इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया कि तत्कालीन सरकारों ने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की समस्या को आतंकवाद के रूप में नहीं लिया था । उन्होंने उसे साधारण कानून-व्यवस्था के विषय के रूप में लिया । वह इस बात को अन देखा कर रहे थे कि प्रदेश के अन्दर आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के अन्दर उसकी जड़ें गहरी होती गयीं और गहरी होती गयीं । जिस प्रकार से पंजाब में लगातार इसे अनदेखा करने के कारण आतंकवाद की समस्या उत्तरोतर बढ़ती गयी । मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री कल्याण सिंह जी की सरकार इस संकल्प शक्ति के साथ, जिसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद पर काबू व नियंत्रण पाने हेतु कठोर कदम उठाये हैं । हम यह केवल दावा ही नहीं कर रहे हैं अपितु हमने इसके लिए उपाय भी किये हैं । हमने बड़े साहस के साथ, श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने 10 महीने के अन्दर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए आधुनिकीकरण, वाहन मुहैया कराने के लिए वायरलेस सेट देने के लिए, थाने और चौकियों, से सुदृढ़ीककरण हेतु 11 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है और इस

सुदृढ़ीककरण को व आधुनिकीकरण को हमने केन्द्र बिन्दुओं पर व चौकियों पर पहुंचा दिया है । हमने मान्यवर, निवेदन किया था कि आतंकवाद एक राज्य सरकार की समस्या नहीं है चाहे वह हरियाणा हो, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो और चाहे वह आसाम हो केन्द्र को कहीं न कहीं उसमें साझीदारी रखनी होगी । हमने अनुरोध किया था जब भारत के कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आये थे और फरवरी में जब आतंकवाद से प्रभावित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई थी उस समय भी अनुरोध किया था कि हमने 36 करोड की एक कार्य योजना बनाई है उसमें आधी साझेदारी लेने के लिए राज्य सरकार तैयार है 18 करोड का अशदान देने के लिए हम तैयार हैं और 18 करोड की केन्द्र सरकार मदद करे । आज 9 महीने बाद अभी तक कोई रिस्पोंस नही मिला है । मैं सदन में माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हू कि आतंकवाद की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए मिलजुल कर केन्द्र से आग्रह करें और उससे निपटने के लिए आधा खर्च केन्द्र वहन करे तो मैं समझूगा कि विपक्ष के नेता भी ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील हैं ।

मै निवेदन करना चाहता हू पुलिस के सामने कठिनाईयां रहती हैं, पुलिस का काम जोखिम भरा काम है तो जहां उसकी आलोचना करते है वहीं अच्छे कामों की सराहना भी होनी चाहिए । तो हमने इन 11 महीनों में खूंखार आतंकवादी सतनाम सिह सत्ता को देहरादून/ऋषिकेश पुलिस ने जान से मार गिराया । इसी तरह से यादवेन्द्र सिंह यादू जो पजाब से आया जिसने पीलीभीत और नैनीताल में अनेक घटनायें की उसको पुलिस ने इनकाउटर मे मार गिराया । आप यहा पर कहते हैं पुलिस शाम को नहीं निकलती है तो अनेकों ऐसी घटनायें हैं जिनमें पुलिस ने रात में आतंकवादियो को मारा है । बिजनौर मे रात में पुलिस ने जाकर कांबिंग करके चार आतंकवादियों डेढ़ महीने पहले मार गिराया । बलबिन्दर सिंह जो अपने को लैफटिनेंट जनरल कहता था उसको इनकाउंटर में मारा । तो इसे स्वीकार करने में कोइ संकोच नही करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण आखिरी में होंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर अभी नेता लोक दल (अ) कह रहे थे (व्यवधान) जनता दल ही सही क्योंकि नाम इतने जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं कि याद रखने में कठिनाई होती हे । पहले लोक दल था अब परलोक दल हो गया तो मैं क्या करूं ।

तो वह माननीय मुख्य मंत्री से स्ट्रेटेजी बताने को कह रहे थे ?

श्री कैलाश नाथ सिह यादव-

मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में सवाल नहीं किया था मैंने कहा था कि आप सर्वदलीय मीटिग बुलाकर सब को साथ लेकर चलें । इसलिए यह सदन को गुमराह कर रहे है इसे वह वापस लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

हथियारों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा तो उसका संकेत स्ट्रेटेजी से ही है । तो ऐसे मामलों को जनहित में उजागर न करें इससे वह सहमत होंगे । तो मान्यवर, इन प्रयासों में 31 पुलिस कर्मी शहीद हुए । तो पुलिस का यह कोई साधारण काम नहीं है जान को जोखिम में डालकर यह कार्यवाही हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है । यहां विषम भौगोलिक परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं सैकड़ों मील के जंगल हैं पचीसों मील अंदर घुस कर इस तरह से मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की । मुझे अपनी पुलिस के ऊपर इन उपलब्धियों के लिए गर्व है । हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहते हैं उनके कार्यों के लिये उनका कठिनाइयों से भरा जौर जोखिम से भरा काम है और उसकी सराहना होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि शायद सभी नेता इस पर सहमत होंगे । इसलिये पुलिस कर्मियों की इन शहादत कि संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब उनकी शहादत यो ही नहीं जायेगी, हर शहीद कर्मी को एक लाख रुपये की अनुकम्पा राशि प्रदान की जायेगी, और इसके आलावा हमने ये भी सोचा है कि एक लाख की राशि कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिये तराई क्षेत्रों में यह भी व्यवस्था की है कि वेनावलेन फण्ड से भी उनके लिये एक लाख की भी व्यवस्था हो जाये । यह भी तय हुआ है कि इन शहादत कर्मियों के परिवार के आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाये, उनके भरण-पोषण की व्यवस्था कर दी जाये जिससे वह आतंकवाद की मजबूती और निर्भयता से सामना कर सकें ।

हरिद्वार कुम्भ हमारे लिये एक चुनौती था । सारे देश में यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि यह कुम्भ मेला कैसे सकुशल बीतेगा और हम स्वयं इसको लेकर चिन्तित थे क्योंकि हरि की पैड़ी को उड़ा देने की आतंकवादियों ने स्पष्ट चेतावनी मिली थी किन्तु यह कुम्भ निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुआ, जिसमें 35 लाख यात्री देश और विदेश से आये थे और वे सकुशल अपने घरों को वापस गये । यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन की सफलता रही है । लोग चर्चा कर रहे हैं वहां की सफाई की, वहां के इंतजाम की, वहां के पेयजल व्यवस्था की और वहां की रोशनी व्यवस्था की । नोडेल अधिकारी सचिव स्तर के नियुक्त करके मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने यह सब सम्भव कर दिखाया है । मुख्य सचिव वहां दो-दो बार भेजे गये । डी0जी0पी0 वहां तीन बार गये और हम सबने मिलकर हरिद्वार कुम्भ के संबंध में व्याप्त सारी आशंकाओं को निर्मूल करने का काम किया ।

मान्यवर, उत्तरकाशी में भूकम्प आया । यह उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व दैवी आपदा थी । किसी भी राज्य सरकार का उसको सहन करना बड़ा कठिन था, फिर भी उसको हमने चुनौती के साथ स्वीकार किया और उस चुनौती में पुलिस भी हमारी

सहभागी रही । मृतकों की लाशों को निकालने में और मलवे को साफ करने में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया और पुलिस कर्मियों को यह भी श्रेय जाता है कि अपने अल्प वेतन से कटौती करके उन्होंने 50 लाख रुपया मुख्य मंत्री राहत कोष में उन्होंने दिया है । मैं उसके लिये भी पुलिस का आभारी हूं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों पर अत्याचारों की चर्चा हुई है, उसके लिये एक सेल पहले से काम कर रहा था लेकिन अब तक वह अधिकार बिहीन था । उनके अधिकारों के संदर्भ में मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो पहले सेल बना हुआ था वह उन पर हुए अत्याचारो की जांच कर सकता था लेकिन विवेचना करने का उसको अधिकार नहीं था । यहां वे वह शक्तिहीन था लेकिन अब यह भी फैसला कल्याण सिंह जी की सरकार ने लिया है और उस सेल को विवेचना का भी सीधा अधिकार दे दिया है और उस आधार पर मैं कह सकता हू कि अब विवेचना मे कोई विलम्ब नहीं होने पायेगा जो विलम्ब अब तक इसमे होता था, और अब इसके द्वारा इस दिशा मे एक सकारात्मक और रचनात्मक उपलब्धि हो सकेगी ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, दहेज अपराधो के बारे मे अभी चर्चा हुई । आप कहते हो कि नौकरशाही बेलगाम हो गयी है, सुनती नही है, काम का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है । लेकिन मैं बताना चाहता हू कि हमारे मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिह को श्रेय जाता है कि उन्होने उत्तर प्रदेश के एक आई0ए0एस0 श्री महेन्द्र मोदी को दहेज हत्या में निलम्बित कर दिया है । इसके लिये विरोध पक्ष के नेता को बधाई देना चाहिये ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, बी0जे0पी0 सरकार के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने तय किया है प्रदेश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद नहीं किया जायेगा। और हमने तय किया है कि रामराज में हर नागरिक के जान की हिफाजत की गारंटी हमारी सरकार की होगी । फिर चाहे वह अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, चाहे अगडी जाति का हो या पिछडी जाति का हो सरकार के समक्ष अगड़े और पिछडे के आधार पर बटवारा नहीं होगा । बल्कि रामराज्य ऐसा राज्य है जिसमें जिस प्रकार राम चन्द्र जी के समय में धोबी के कहने पर राम ने सीता को दण्ड दिया था । तो उसकी प्रकार का काम हमारी मा0 कल्याण सिंह की सरकर कर रही है। मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है यह समस्या एक दिन की नहीं है बल्कि 45 वर्षों से चली आ रही है और हमें विरासत में मिली है । हमारा इरादा ठीक है और हम सकारात्मक नियंत्रण करना चाहते हैं और उस दिशा में हम चल रहे हैं और हम सदाशयता के साथ चल रहे हैं । इसलिये विरोधी लोगों को सरकार की सदाशयता के बारे में सहमति होनी चाहिये और सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये थी लेकिन इनके सोचने और देखने का नजरिया और इनका चश्मा अलग ही है ।

मान्यवर, अभी अपराधों के वृद्धि की चर्चा हुई और कहा गया है कि अपराधों में वृद्धि हुई । हमने तय किया है चाहे विधान सभा के अन्दर और चाहे बाहर जितनी भी आलोचनायें होगी उनको हम बर्दास्त करेंगे, लेकिन यदि अन्याय, उत्पीड़न और अपराध होते हैं तो उनका निश्चित रूप से पीजकरण होगा और किया है, इससे हो सकता है कि आंकड़े बढ़ जायें । लेकिन हमारी चिन्ता आंकड़े बढ़ने की नहीं है बल्कि चिन्ता यह है कि अपराधों में कमी हो । मान्यवर, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर पीड़ित व्यक्ति की एफ0आई0आर0 यदि वह थाने में जाता है तो अवश्य लिखीं जाये और इसलिये इस संबंध में शिकायतें कम हुई हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, डी0जी0, श्री सिन्हा के कहने पर मिर्जापुर में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसमें आप देखेंगे कि पहले रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई थी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

ठीक है इसको दिखवा लेंगे ।

मान्यवर, सुरक्षा के लिये लाइसेंस देने के संबंध में पिछले कई सदनों में लगातार चर्चा हुई । 1985 से 90 तक जब मैं उधर बैठता था और मुलायम सिंह जी के समय में भी मांग की जाती थी कि हथियारों के लाइसेंस जनता को मिलने चाहिये । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि लाइसेंस क्यों नहीं इश्यू किये गये ? लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी की पारदर्शी सरकार ने आठ श्रेणी जोड़कर यह प्रबन्ध कर दिया है कि हर जिले में लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति का यदि अपराधिक इतिहास नहीं होगा तो जिलाधीश से वह हथियार का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा । यह क्रान्तिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है हमारी एक समस्या है उत्तर प्रदेश की सीमा मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है । 793 किलोमीटर लम्बी नेपाल की सीमा देहरादून से शुरू होकर के हमारे महाराजगंज, देवरिया तक जाकर जुड़ती है और उस अन्तराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही केन्द्र सरकार की होती है। वहां पर चौकियां न होने के कारण, पोस्टें न होने के कारण इस बात को स्वीकार करने में मैं कोई संकोच नहीं समझता हूं कि नेपाल के रास्ते में भी आतंकवादियों का उत्तर प्रदेश से आवागमन हो रहा है, हथियारों की आपूर्ति हो रही है और इसलिये मान्यवर, हम लगातार केन्द्र से प्रयत्नशील हैं । गृह मंत्री, भारत सरकार के दौरे के समय और दिल्ली की बैठक में भी हम लोगों ने निवेदन किया कि नेपाल भारत सीमा की सुरक्षा के लिये आई0टी0बी0पी0 की फोर्स हमको दी जाय । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सर्वेक्षण हुआ कि किन्तु सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया है । अगर आई0 टी0बी0पी0 की फोर्स हमको मिलती है तो मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि नेपाल की ओर से आने वाले आतंकवादियों को हम रोक सकते हैं । वहां के प्रवेश द्वार को बन्द कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी गतिविधियों को रोक सकते हैं । मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । आतंकवाद की समस्या हमारी ही नहीं है। हम सबकी मिली-जुली समस्या है । इसके निराकरण के लिये हम सब का योगदान होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप थोड़ा संक्षिप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं कह रहा हू कि पुलिस का काम बड़ा जोखिम भरा होता है। रोज मर्रा मे पुलिस कहीं न कहीं लगी हुई है । कानून व्यवस्था के मामले में, सम्पत्ति के मामले में, जहां उनका अधिकार नहीं है, वहां भी हम अपेक्षा करते हैं उनसे कार्य लिया जाय । वह जो अच्छा काम करते हैं, वह छिप जाता है, उसकी चर्चा नहीं होती है और जहां अनुकूल परिणाम नहीं आता है, वहा उसकी आलोचना होती है । उनके सामने भी कठिनाइया है । उत्तर प्रदेश की पुलिस की जैसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जनसख्या के आधार पर, जैसा उसका भौगोलिक क्षेत्र है । यह पुलिस की समस्या आज की नही है । यह पिछले दिनो से विरासत मे मिली हुई हैं । गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुकाबले हमारे यहा कमी है। प्रति एक लाख के हिसाब से पुलिस फोर्स उपलब्ध होनी चाहिये । इसमे भी यह सातवें-आठवें स्थान पर है । हमने चर्चा की थी कि पुलिस 20-20 घण्टे काम करती है। इनके बारे मे भी कभी-कभी मानवीय दृष्टिकोण और ममता की एक खुराक आप लोगो के हाथ मे इनके लिये होनी चाहिये । ऐसा नहीं है कि हमने इन लोगों के प्रति कार्यवाही न की हो । हमने कठोर कार्यवाही भी की है। 1991 की अवधि मे 8348 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है जिसमे कुछ बर्खास्त किये हैं, कुछ सस्पेंड हुए है, किन्ही के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कुछ की पदोन्नति रोकी है, कुछ को रिवर्ट कर दिया है और कुछ को आतकवाद ग्रस्त क्षेत्र मे भेजा है ।

उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिये एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें अधिकारियों के रिकार्ड रखे जायेंगे । पुलिस में इस समय 1 लाख 75 हजार लोग कार्यरत हैं । इनकी सर्विस का रिकार्ड ठीक-ठीक से बनया जा सके इसलिये कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है। गजेटेड अधिकारियो के रिकार्ड उसमें रिकार्ड किये गये हैं । उत्तर प्रदेश पुलिस की आवास समस्या है । हमें 6 बटालियन मिली थी । इनके पास मुख्यालय तो हैं, आवास नहीं हैं । लगातार 365 दिन टेन्ट में रहती है यह आज की समस्या हमारे सामने नही है यह विरासत में मिली है। दो बटालियन के लिये आवास की व्यवस्था कर सकें इसके लिये पुलिस आवास निगम को लगाया गया है। भ्रष्टाचार की चर्चा होती है निगमों को खत्म करने की चर्चा होती है मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस आवास निगम मुनाफे में चल रहा है जो निगम लाभ में चल रहे हैं उनमें पुलिस आवास निगम भी है। इसके लिये नेता विरोधी दल का मुख्य मंत्र कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिये था । मान्यवर, जैसी विकट और भयावह स्थिति हमें मिली थी, हमें संतोष है कि अब उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है । भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन विश्वास बढ़ा है । कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में यह भावना बनी थी कि न्याय नहीं मिल सकता है उस भावना को हमने दूर किया है अल्प अवधि में सरकार ने कास्टेबिल से हेड कास्टेबिल, सब इंसपेक्टर डी0वाई0एस0पी0 से एस0पी0 जो कई वर्षों से प्रोन्नत नही हुए थे उनको प्रोन्नति दी गई है । अकेले उत्तर प्रदेश में 205 डिप्टी एस0पी0 कम हो गये, इंसपेक्टर कम हो गये, बिजलैंस, सी0आई0डी0, कोआपरेटिव सेल, कृषि सेल में इंसपेक्टर का अभाव होने के कारण यह सेल काम नही कर रहे थे । पुलिस के साथ-साथ सेलों की व्यवस्था भी ठीक कर सकें इसके लिय हमने सकारात्मक कदम उठाये हैं । श्रीमन् रामराज्य कहना तो बहुत आसान है लेकिन लाना कठिन है हमारा लक्ष्य रामराज्य का लक्ष्य है

जिसमें सभी न्याय चाहते है । हम सबके साथ समरता लाना चाहते हैं । स्वय भगवान राम ने शिवरी के घर जाकर झूठे बेर चख-चख कर खाये थे वह समरसता थी ।

मेजें थपथपाई गईं)

राम राज्य चाहते हैं तो "पारित्राणाम् च साधूनाम विनाश्चाय च दुष्कृताम्" दुष्टों के विनाश के लिये और सभ्य लोगों के संरक्षण के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कल्याण सिह जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है जिससे दंगा रहित प्रदेश बनाने मे रामराज्य की कल्पना साकार कर सकें ।

मेजें थपथपाई गईं)

श्री श्याम अली-

एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुन लें । उत्तर भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी का हो रहा है माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने बोला है उससे संबंधित एक आध स्पष्टीकरण चाहें तो पूछ सकते हैं मैं अनुमति दे दूंगा ।

श्री श्याद अली-

जिसका आपराधिक इतिहास नहीं है अगर उस वक्त...

(व्यवधान)

किसी ने लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दी है, और उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता है तो संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

क्या संभावनाओं पर प्रश्न किये जायेंगे ? यदि ऐसा तथ्य आयेगा तो देखेंगे ।

श्री सुखबीर सिंह गहलौत-

मै एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेगे कि गाजियाबाद जनपद मे एक महीने में जो 70 हत्यायें हुई हैं उसमें से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है । दूसरी जानकारी यह चाहता हूं कि मेरठ कमिश्नरी के जिलों, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियावाद, बुलन्दशहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 सालों मे हजारों लोगो को मारा होगा क्या उनमे से कोई अपराधी पकडा गया है । तीसरी बात मै यह जानना चाहता हूं कि जो गैंग मेरठ कमिश्नरी में काम कर रहे हैं क्या उनसे एक भी आटोमेटिक वीपेन पकड़ा गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय सदस्य ने एक हप्ते पहले यह तथ्य मेरे सामने दिये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अभियान के तौर पर गाजियाबाद से ऐसे तत्वों के समापन होने के लिये पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधपाल सिंह-

मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां का एक प्रदीप गुप्ता माफिया शराब का ठेकेदार जो बीसियों कत्ल और डकैती का मुल्जिम है जिसने मेरे पिता चौधरी लटूरी सिंह, जो 4 बार इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, उसने हाईकोर्ट में मेरे पिता के ऊपर प्राण घातक हमला किया था क्या उस प्रदीप गुप्ता, निवासी अलीगंज, जिला एटा को इस सरकार ने सरकारी खर्चे पर अंगरक्षक दे रखा है ? यह बताने का कष्ट करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हर मामले की हिस्ट्रीशीट हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं, अभी मैंने स्पष्टीकरण के लिये समय दिया है, बोलने के लिये आमंत्रित नहीं किया है ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, अभी राज्य मंत्री जी ने बहुत जोर से कहा था कि अनुसूचित सेल को जनपदों में अधिकार दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश में 63 अनुसूचित सेल हैं जिसमें 20 के इंचार्ज एलाउंस देते हैं जो बाकी 43 ऐसे जनपद हैं वहां पर जो अनुसूचित सेल में इंचार्ज हैं उनको एलाउंस नहीं देते हैं । एक तरफ आप कहते हैं कि हमने अधिकार दिया है और दूसरी तरफ आप अधिकारों से वंचित कर रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, एक तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हरिजन सेल को अधिकार दे रहे हैं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसको दिखवा लेंगे । इनकी कथनी और करनी में फर्क है ।

श्री मुन्ना चौहान-

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी कई वर्षों से नहीं बैठी है, जिसके कारण कई डी0एस0पी0 के पद खाली पड़े हैं । मेरी जानकारी है कि इन्सपेक्टर रैंक से डिप्टी एस0पी0 में प्रोन्नति का लाभ अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, जबकि उनका एक निश्चित कोटा है । डिपार्टमेंटल प्रोमोशन और डायरेक्ट भर्ती का अलग-अलग कोटा है । जो पद प्रोमोशन द्वारा भरे जाएंगे, डी0एस0पी0 के जो पद उसमें हैं, उसमें एक निश्चित अनुपात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इतने लिए जायेंगे । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अधिकारी इन्सपेक्टर से डिप्टी एस0पी0 में प्रोमोशन नहीं पाये हैं । इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि स्थिति क्या है, मंत्री जी कृपया अपने जबाव में बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रोन्नति के प्रकरण में आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है । यदि कमी होगी, मैं गम्भीरता से कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की कमी होगी तो पूरा कराएंगे । इस संबंध में तथ्य हमारे पास नहीं हैं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपके मध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार ।। करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है आतंकवाद को रोकने के लिए । मैं जानना चाहता हूं कि मथुरा के पुलिस अधीक्षक ने आपसे अलग से कुछ फोर्स की मांग की थी, जिप्सी की मांग की थी, वायरलेस सेट की मांग की थी, आधुनिकी हथियारों की मांग की थी, क्या ।। करोड़ रुपये में से एस0पी0 की उस डिमाण्ड को पूरा करने का प्रयास किया गया, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मथुरा में आतंकवाद की स्थिति नहीं है । यह सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता करती है, उसमें मथुरा भी है । कोई प्रकरण होगा तो दिखवा लेंगे ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, गैलेन्ट्री एवार्ड की बात मैंने की थी । हमारे कान्धत्मा मुजफ्फर नगर में एक राष्ट्रपति एवार्ड प्राप्त इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति का था, उसे लिया फिर हटा दिया, इसके बारे में बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

सभी प्रकरणों का केस हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के विचार सुन लीजिएगा ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, शाही जी के हंगामी भाषण के बाद मैं सोचता हूं कि यह दावा कि शांति व्यवस्था ठीक है और अपराधों पर नियंत्रण है, यह दावा सरकार का ठीक नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी का भी दावा ठीक नहीं है । क्यों कि हम समय नहीं लेना चाहते, अपराधों में सब जगह पूरे प्रदेश में वृद्धि हुई है और बनारस में तो 16 फीसदी वृद्धि लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि यह वृद्धि 20 फीसदी से ऊपर होगी । वाराणसी की जो शांति व्यवस्था है, बहुत ही खराब है । कल ही 7 तारीख को बी0एच0यू0 की कला संकाय में बम फटा जब इम्तहान हो रहा था । सिंगरा थाने के भीतर, चहार दीवारी के भीतर बम फटा जिसमें एक व्यक्ति मरा । कल 7 तारीख की बात बता रहा हूं और 3 और 4 मई को जहां सर्राफे का बहुत बड़ा बजार है वहां पर 3 को भी गोली चली और लूट हुई और 4 को भी लूट हुई । और आपसे मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि हजारों लोग चौक थाने पर 3 मई को और 4 मई को धरना दिये और प्रदर्शन किये । वहां का जन-जीवन सुरक्षित नहीं है और तो और यह मैं आपसे कहता हूं कि जहां हमारे जवान बहादुर हैं, जान को हथेली पर लेकर शहीद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस के लोग हैं, जो तेरह तिकड़म में लगे हुए हैं । अब मैं वह उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं पुलिस की निष्क्रियता मुगलसराय में पिछले वर्ष 91 में आपके शासन में एक माफिया गिरोह को पकड़ा गया और वहां पर एक हेड कांस्टेबिल उस माफिया गिरोह के साथ बैठाल दिया गया, मालूम होता है कि आपके पुलिस के एस0ओ0, एस0आई ये सबको घुरहू कतवारू समझते हैं हेड कांस्टेबुल को बैठाया और थोड़ी दूर बैठने के बाद हेड कांसटेबिल को मार दिया और थोड़ी दूर पर छोड़ने के बाद भाग गये । माफिया गिरोह इसी अप्रैल के आखिर में 28 या 29 अप्रैल को आपको सूचना आ गयी होगी । एक तरफ माफिया गिरोह के आदमी को पुलिस ने पकड़ा बुलेट पर और जो इन लोगों ने असावधानी मुगलसराय में बरती थी यहां भी बरत दिया उसी आदमी को मोटर साइकिल बुलेट पर उसको बैठाया इनको थाने ले चलो, पेशाब के बहाने रोका, तो उसी की बंदूक छीन करके आपके हेड कांस्टेबिल को मार दिया जान से । यह इसी अप्रैल की आखिरी की बात कह रहा हूं और तो और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बनारस में पहली बात तो नहीं डकैती पड़ जाय, कहीं आपसी तनाव में मर्डर हो जाय, यह तो क्षम्य है, लेकिन दिन दहाड़े गोली चले, लोग मारे जायं, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आपका कंट्रोल

चाहे वह लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे और बड़े-बड़े शहर हों, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सका है । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां आप भयमुक्त समाज का जो नारा देते थे, भयमुक्त समाज बनाना चाहते थे तो भयमुक्त तो हुआ नहीं इलाकों में भयमुक्त तो हुये नहीं जैसे बाराबंकी कोतवाली के बगल में एक बंकी मोहल्ला है और इसी 92 के वर्ष में 2-3 महीने के अन्दर 10 कत्ल बंकी के अगल-बगल हो गये, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई पुलिस के लोग द्वारा फर्जी बाराबंकी में थानों में रिपोर्ट हुई, उसको मैं पढ़ देता हूं । अपराध संख्या 40/92, धारा 8-21/22 मार्फीन ऐक्ट तारीख 29-2-92 का समय 7 बजे थाना सफदरगंज बाराबंकी आदमी को कचेहरी से पकड़ कर ले गये और उसको मार्फीन ऐक्ट में फर्जी दिखाकार बंद कर दिया। दूसरा मामला है जो अपराध संख्या 136 धारा 8/21, मार्फीन ऐक्ट के तहत दर्ज किया गया है, इसकी चिक सं0 64 है और 16-4-1992 को दर्ज किया गया है। वह आदमी ट्रैक्टर पर जा रहा था और उसको पकड़ लिया, थाना जैदपुर, बाराबंकी का है । मैं यह सारे कागजात आपके पास भिजवा दूंगा। आप कहते हैं कि अपराधों को लिखने की छूट दे दी है, इसलिए अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, ऐसी बात नहीं है । बहुत से लोग आज भी रिपोर्ट लिखाने में असमर्थ हैं । हमारे सामने एक केस है, हमारे थाने फूलपुर वाराणसी का है । यह मार्च 25/26 का है। तीन लोग एक घर में घुस गये, बुढ़िया को मार दिया, बूढ़े को मारा तो वह बेहोश हो गया, उसकी नातिनी को मारा। और जब पुलिस को मालूम हुआ, तो पुलिस उसके लड़के को थाने पकड़ ले गयी और अपने मन की रिपोर्ट लिखानी चाही और जिसका नाम वह लड़का बताना चाहता था, उसके नाम की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । उसने बाद जब ललई ने एस0एस0पी0 को लिखा डी0आई0जी0 को लिखा और आपको भी लिखा है । पुलिस कह रही थी कि ज्ञानपुर के लोगों का नाम डलवा दो, जौनपुर के मुसहरों का नाम डलवा दो, लेकिन जिन लोगों का नाम उसने बताया उनके नाम नहीं लिखे गये। तीन दिन के बाद सब ललइ बुढ़वे को होश आया, तब उसने पहली अप्रैल को दरख्वास्त दिया।

मैंने इसके बारे में डी0आई0जी0 से पूछा । मैंने पूछा कि जब मुगलसराय में इसी तरह की घटना हो चुकी थी, तो उसी प्रकार का काम क्यों किया गया, एस0ओ0 ने वैसा ही काम क्यों किया, जो कि हमारा एक हेड कांस्टेबिल मारा गया । उन्होंने दुख प्रकट किया और इसको स्वीकर किया । दूसरे मामले ललई वाही नेवादा फूलपुर वाराणसी में उन्होंने एस0एस0पी0 को लिख दिया और दूसरे थाने के एस0ओ0 से तफसीस करायी जाय । जिस व्यक्ति के घर पर डकैती पड़ी है, उसका नाम ललई है । आप उसकी दरखास्त मंगा लें और चिक डायरी मंगवा लें। जो बदमाश थे, उनकी जमानत हो गयी है और रोज वह उसको धमकाते हैं। एक बात

और कहना चाहता हूं । तराई के क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । आतंकवादी वहां हैं और तराई के इलाके में हैं । 1947 से 600 के करीब गूजर जो जानवर पालते हैं वहां पर बस गये, सरकार ने 79 में उनको वहां पर बसने का आदेश दिया था और वन विभाग को लिखा था कि इनके बारे में योजना बनायी जाये । 1979 की योजना बनी हुई । सरकार का पत्र है, वह हमारे पास हैं, तो गूजरों को बसाने की व्यवस्था करें, लेकिन हो क्या रहा है, तराई के क्षेत्रों में छिटपुट गूजर बसे हैं । आतंकवादी उनको धमकी देते हैं और उनसे रास्ता पूछते हैं मजबूर होकर उनको बताना पड़ता है, बंदूक को देखकर दूर से उनको बताना पड़ता है, बता देते हैं कि रास्ता सीधे गया है । उसके थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और कहती है कि तुम लोगों ने आतंकवादियों को इस रास्ते से जाने के लिए बताया था तो इतना वह आतंकवादियों से नहीं परेशान है जितना कि वह आपकी पुलिस से परेशान है वह प्रदेश में शांत रहना चाहते हैं । वह रो-रोकर मुझसे कह रहे थे इसको भी मैं आपके पास भेज दूंगा ।

मान्यवर, आप कहते हैं, दो बात के लिए मैं आपको बधाई दूंगा एक तो लाइसेंस का मामला था उसमें सरलीकरण कर दिया । लेकिन उसमें कुछ प्रतिबन्ध ऐसे लग गये हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के अन्दर भी अपना करोबार करते हैं, मौजिज लोग हैं उनको आप देख लीजिए तो इनको कम से कम प्रदेश के अन्दर का दे दीजिए आपने एक जिले का कर दिया, सीमा कर दी जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं जैसे हमारे यहां कालीन के कारोबारी हैं अच्छे-अच्छे लोग हैं, खराब भी नहीं है, न आतंकवादी हैं, न गुण्डा बदमाश हैं ऐसे लोग हैं जो लोग आपको सेल्सटैक्स लाखों में देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सरलीकरण करें ताकि लोग कारोबार कर सकें । यह जो सरलीकरण किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं खासकर माननीय कल्याण सिंह जी को लाइसेंस के सरलीकरण के बारे में और इसकी कटैगरी बनाने के बारे में धन्यवाद देता हूं । मैं चाहूंगा कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है उसको भी कर दें ।

दूसरी बात मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो माफिया गिरोह है उसका सफाया नहीं हो पाया है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं हो पाया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और मेरी बात बड़े तजुब की है । मैं समझता हूं कि जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तो आपका भी तजुरबा वहीं था । ये कितने जेबकतरे हैं सबको पुलिस जानती है ओर उनके सरगना द्वारा जेबकतरों से जेबें कटवाई जाती हैं और उनको पैसा पहुंचता है । जितने माफिया गिरोह के लोग हैं हमारी पुलिस जिस दिन मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देना चाहेगी उस दिन जितने माफिया गिरो है लोग

हैं मैं आपसे कहता हूं कि वे बच नहीं पायेंगे लेकिन चूंकि इनका सम्बन्ध वहां बना हुआ है और उनसे पैसा मिलता है इसलिए वह माफिया गिरोह के लोगों के साथ निपटना नहीं चाहते हैं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में छिनै का अपराध, औरतों को छेड़ने का अपराध बहुत बढ़ गया है बड़े-बड़े शहरों में तो मान्यवर, उनके गहने छीन लिये जाते हैं, छेड़खानियां होती हैं इसके अलावा दहेज को लेकर उनका जो उत्पीड़न हो रहा है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

यह "छिनै" द्विवेदी जी की समझ में नहीं आया ।

श्री ऊदल-

उनकी समझ में आ गया है ।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)-

मान्यवर, कैलाश नाथ सिंह यादव जी को सन् 1977 की अपनी याद आ रही है जब यह प्रदेश के मंत्री थे अभी इसलिए अपनी दर्द भरी बात कह रहे थे-

एक समय था जब पसीना गुलाब था, अब तो इत्र लगाने से भी खुशबू नहीं आती है ।

वह गलती से फंस गये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं-

मेरे पहलू में आ बैठो, लगाओं तेल मिट्टी का ।
बदन फिर से गुलाबी खुसबुओं से महक उठेगा ।।

श्री ऊदल-

मान्यवर, आज दहेज को लेकर कितनी बहू-बेटिया जलाई जा रही हैं आप पिछले वर्ष में देखेंगे उसके पिछले वर्ष में देखेंगे दहेज में जितनी हत्यायें बहू-बेटियों की हमारे प्रदेश हुई हैं, इतनी और कहीं नहीं हुई हैं, इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल होने की जरूरत है । मैं आपको बधाई देता हूं आपने एक आई0पी0एस0 अधिकारी को, पत्र भी आपको लिखे गये थे, मोदी को जो कानपुर में था आजकल लखनऊ में है, निलम्बित कर दिया । बहुत से माननीय सदस्यों की यह भावना है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं । आपने उत्तरांचल बनाने की बात की उसके लिए बधाइ देता हूं लेकिन वह बहुत आसान नहीं है, भारत सरकार से बहुत पैरवी करनी पड़ेगी तब उत्तरांचल वह बहुत आसान नहीं है, भारत सरकार से बहुत पैरवी करनी पड़ेगी तब उत्तरांचल राज्य को दिशा मिलेगी । ऐसे छोटे-छोटे सूबे देश के अंदर है जो बाद में बनाये गये हैं, जिनकी आबादी और क्षेत्रफल बहुत कम है, वह आज कामयाब हैं । भारत सरकार के द्वारा प्रदेशों का पुनर्गठन होना चाहिए, उसकी वजह से जितने विवाद हैं उन्हें हल होने में मदद मिलेगी । अभी बिहार में छोटा नागपुर का मसला है, मैं समझता हूं कि वह बन जायेगा, दार्जिलिंग में आपने देखा एक स्वायत्तशासी संस्था वहां बना दी गयी देश के लोगों की मंशा को देखते हुए, उनके विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए, अगर राज्यों के पुनर्गठन की बात हो, एक तरह की

भाषा बोलने वाले, एक तरह की संस्कृति में रहने वाले लोगों के लिए अगर अलग से प्रदेश बनाकर के उनको सारी सुविधायें दी जायं तो मैं समझता हूं कि यह काम बहुत अच्छा है । हरियाणा का बताना चाहता हूं, वह उत्तर प्रदेश से भी आगे है पहले वह पंजाब में था । मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा पुनर्गठन पूरे देश के पैमाने पर राज्यों का होना चाहिए ।

महाराष्ट्र जब संयुक्त महाराष्ट्र में था, तो हजारों लोग गोलियों से भून दिये गये थे, जब मोरारजी देसाई मुख्य मंत्री थे । ऐसा वक्त न लाया जो संयुक्त महाराष्ट्र के वक्त महाराष्ट्र में हुआ था । रामनुजम स्वर्गीय हो गये । कर्नाटक बना, ऐसा भारत सरकार को नहीं करना चाहिए । यह आतंकवाद की समस्या यह पूरे देश की समस्या है और इसकी तरह में आने की जरूरत है, इसमें जब तक भारत सरकार का सहयोग नहीं होगा और प्रदेश भी जो आतंकवाद से प्रभावित हैं उनका सहयोग नहीं होगा क्योंकि आतंकवाद सारे देश में पैदा हो रहा है, इसके कारणों को नहीं ढूंढा जायेगा तब तक आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटा जा सकता है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वे आतंकवादी बने, यह आतंकवादी बने, यह एक जटिल प्रश्न है । जब आपके मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो, आप तब आतंकवाद के मसले पर सबसे सहयोग लें, भारत सरकार पर दबाव डालें कि आतंकवाद की क्या समस्या है उसे समझकर रास्ता निकाला जाय तो भारत में आतंकवाद खत्म हो सकेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग यहां पर कल से बैठकर इन्तजार कर रहे हैं कि हमें भी बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास 35, 36 माननीय सदस्यों की सूची है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं । मैं उन सभी को सुन लूंगा लेकिन एक अनुरोध है, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें । मैं सबसे पहले श्रीमती बिमला राकेश को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

श्रीमती बिमला राकेश-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं, कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने की अनुमति दी । मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, कहना चाहूंगी कि "फरेब देकर मतदाता एक दफा लूट लिया, पुजारी बनके जय श्रीराम, हाय राम लूट लिया"

मान्यवर, धर्म के नाम पर अधार्मिकता फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि गांवों का विकास हो, यह सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़ लिखकर उच्च पदों पर जाये, पूंजीपतियों और व्यापारियों की यह सरकार नहीं चाहती हे कि किसान का बेटा सुखी हो, सम्पन्न हो, स्वाभिमानी हो स्वालम्बी हो । मान्यवर, अच्छा होता अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में किसानों की उपज का सही मूल्य देने की घोषणा करते, मजदूरों तथा किसानों का 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की घोषणा करते, आज प्रदेश भर में बढ़ रहे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार को समाप्त करने की बात करते, महिलाओं के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने की बात करते, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को हल करने की बात करते, मगर यह इन्होंने नहीं किया । मान्यवर, राम रोटी और इन्साफ के नाम पर आयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहूंगी-

"आबे जमजम की कसम, गंगा रवानी की कसम,
नाम गुरुबत का लिया और चमन लूट लिया"

अरे गरीब की रोटी ही नहीं धर्म के नाम पर उसका कफन लूट लिया । मान्यवर, धर्म के नाम पर अयोध्या में न केवल मन्दिरों को गिराया जा रहा है बल्कि हिन्दू संस्कृति के प्रतीक कहे जाने वाले पुजारियों को अपमानित करके, पुलिस द्वारा अपमानित करके हिन्दुओं के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचायी जा रही है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह अधार्मिकता फैलाने वाले राजनीतिज्ञों को मुंह तोड़ जवाब दें । मान्यवर, जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है, शान्ति व्यवस्था के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, फोर्स बढ़ायी जा रही है, आई0जी0 बढ़ाये जा रहे हैं, थाने खोले जा रहे हैं, परन्तु मान्यवर शान्ति व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है । मैं आपका ध्यान अपने जनपद सहारनपुर की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारे सांसद आदरणीय रसीद मसूद के साथ पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर जो गोलियां चलाईं गयीं, जो पुलिस का नंगा नाच हुआ, उसे देखकर मेरी आत्मा कांच उठती है, मेरा हृदय रो उठता है । मान्यवर, ऐसे अवसर पर ज़ब वहां गोली काण्ड हो रहा था, मैं मौजूद थी और वहां के एस0एस0पी0 नागर साहब द्वारा यह खुला काण्ड करवाया जा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ था । मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यदि गांवों में पुलिस जुल्मों पर, भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों पर, आतंकवाद को बढ़ाया देने वालों पर, अधर्म की राजनीति करने वालों पर रोक न लगाई गयी, तो आतंकवाद की यह आग, हिंसा की यह आग पूरे प्रदेश को जलाकर राख कर देगी । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, लाल बत्ती सामने है इन्हें शब्दों के साथ मैं पुनः नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करती हूं, धन्यवाद ।

श्री राम देव आचार्य-

मान्यवर, आपने मुझे गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हू । मान्यवर, मैंने एक चित्र देखा था, उस चित्र मे 3 बन्दर बने थे एक ने आख बंद कर रखी थी, एक ने कान बंद कर रखा था और एक ने मुह बंद कर रखा था । मान्यवर, आज विपक्ष के नेताओं की वही स्थिति हो रही है । विपक्ष के नेता मुंह तो खोले हुए हैं, लेकिन कान और आंख बिल्कुल बंद किये हुए हैं । प्रदेश में जो सुधार के कार्य हुए हैं, वह इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में जो खुल्लासा किया, उसको सुनकर विपक्ष के लोगों को समझ में आना चाहिए था, लेकिन सुनने के बाद भी सही स्थिति का आंकलन न करने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले यह केवल अंधे थे, अब विपक्ष के लोग बहरे भी हो गये हैं । पूरे प्रदेश में न तो कहीं तनाव है, न कहीं दंगा है न कहीं पूरे प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति दिख रही है, जिससे प्रदेश के गृह विभाग पर कोई अंगुली उठाई जा सके ।

मान्यवर, लोग कहते हैं कि प्रशासन चुस्त नहीं है । मैं कहता हूं मैंने अनुभव किया है कि अगर कहीं भय व्याप्त है तो वह माफिया सरगनाओं में व्याप्त है, माफिया गिरोहों में व्याप्त है, अपराधियों मे व्याप्त है । आज आम जनता प्रसन्नता का अनुभव कर रही है । आप एक साल पहले की स्थिति को देखे । उस समय प्रात 8 बजे जब कोई बच्चा शाम 4 बजे आने के लिए कहकर बाहर निकलता था और जब शाम 4 बजे वापस नही आता था, तो घर के लोग चिन्ता करने लगते थे । आज परिस्थितियां ऐसी है कि लोग इस तरह की चिन्ता से मुक्त हो गये है । मान्यवर, पता नही क्यों इन्हे राम के नाम से बडी एलर्जी है । मै कहता हू कि आप अल्लाह-अल्लाह करिये हमें तो कोई एलर्जी नही है । मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहाने से विपक्ष के लोग सैकडो बार दिन मे राम का नाम लेते है । इतिहास की जानकारी इन्हे होनी चाहिए । अगर राम चन्द्र जी को जिस समय राजगद्दी मिल रही थी, अगर उन्होने उसे उसी समय सभाल लिया होता, तो रामराज्य की कल्पना नही की जा सकती थी । लेकिन जब तक उन्होने आतंकवादी रावण, खरदूषण को समाप्त नही किया, तब तक उन्होने राजगद्दी नही मिली । मान्यवर, उसी प्रकार आतंकवाद को समाप्त करने का जो काम माननीय मुख्य मत्री जी ने हाथ मे लिया है, यह उसी रामराज्य की दिशा मे पहला कदम है, पहली सीढी है । इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हू और विपक्ष के लोगों के लिए एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हू--

"यह बात और है कि मुहब्बत न कीजिये,
लेकिन अच्छे कार्यों को देखकर नफरत न कीजिये"
इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का पुन: समर्थन करता हूं ।

*श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं आतंकवाद जिससे प्रभावित हूं और शाहजहांपुर का रहने वाला हूं। सरकार बहुत समय से दुहाई दे रही थी कि यह कर दिया, वह कर दिया। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। दिनांक 23-4-92 को मैंने नियम 311 व 301 में एक सूचना दी, जिस पर आपने सरकार को आदेशित भी किया था। उसमें कहा गया था कि अभियुक्तों के लाइसेन्स जब्त करा लिये जायें और उनको जेल भेजा जाये। गनेश, सियाराम, राजेश जो रायफल की गोलियों से भूने गये, जो जिला अस्पताल में मरणासन्न स्थिति में एडमिट थे परन्तु पुलिस ने जबरिया बयान हल्फी लगवा दी जबकि नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी। 10 दिन के बाद जब मैंने इस मामले को नियम 300 व 311 के अन्तर्गत यहां उठाया तो उसके बाद पुलिस ने बयान हल्फी लगवाई। श्रीमन् जहां तक आतंकवाद की बात है आप एक कमेटी बना दीजिये। आज भी वहां पर पुलिस के संरक्षण में आतंकवादी खुले-आम अवैध वसूली कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने 9 पृष्ठ का एक ज्ञापन दिया है जिसमें वहां के सभी जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। मैंने यह ज्ञापन मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव व डी0जी0पी0 को दिया है। जिस ज्ञापन में जनपद की पुलिस की क्षमता के बारे में उल्लेख किया गया है परन्तु आज तक उस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 जून को जो बाई एलेक्शन होने जा रहा है उसमें आपकी व आपके सरकार की क्षमता का पता चल जायेगा। आज मेरे जिले के 6 थानों- शेरामऊ, उत्तरी, खुटार, बंडा, फुवायां, सिंधौली, निगोही में जिस तरह से पक्षपात पूर्ण तरीके से इंचार्ज, क्षेत्राधिकारी, एस0आई0 व सिपाहियों की नियुक्ति की गई है, वह बिल्कुल गलत की गई है। 55-56 साल के लोगों को वहां पर नियुक्त किया गया है जबकि शासन के यह निर्देश हैं कि 40 साल के नवजवानों को वहां पर नियुक्त किया जाय। ये 55-56 साल के लोग आतंकवाद को कैसे रोक पायेंगे। जब से यह सरकार बनी है हमारे जनपद में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो भयमुक्त हुआ हो। वहां आये दिन राहजनी, डकैती आदि चीजें हो रही हैं। आप इसकी सूचना मंगाकर देख लीजिये। अवैध वसूलियां हो रही हैं, जिस्मफरोशी का धंधा वहां हो रहा है, जमाखोरी वहां हो रही है और जुएबाजी वहां हो रही है। माननीय श्री शाही जी यदि आप मेरी इस कम्पलेंट को सही मानने को तैयार नहीं हैं तो आप ही इसकी जांच करा लें। यदि मेरी बात सही निकल जाय तो आप मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दें अन्यथा मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। अभियुक्तों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि 8 जून को वहां की जनता इस सरकार को बता देगी कि यह सरकार कितनी सक्षम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भारत सिह रावत-

मान्यवर, जब गत वर्ष यह सरकार सत्तारूढ हुई थी तो उस समय नियम 56 के अन्तर्गत मैने आतकवाद के बारे में सारी बाते इस आदरणीय सदन में रखी थीं। आतंकवाद की काली छाया तराई व हमारे इलाके में सबसे ज्यादा पड रही है । एक प्रकार से यह इलाका मिनी पंजाब बन रहा है । 1984 में जब आतकवाद उत्तर प्रदेश में आया था तो उस समय शिवालिक आपरेशन हुआ था और आतंकवादी वहां से भाग गये थे । आतंकवादियों के शरणालय हेतु सबसे उपयुक्त भूमि तराई है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया है । वहां जंगल, शिवालिक रेंज हैं, जो आतंकवादी यहां बैठे हैं ....

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

रात को वह कार्यवाही करते हैं और दिन में भाग कर जंगलों में चले जाते हैं । मैंने कहा कि शिवालिक आपरेशन के आधार पर उसी तरह का शिवालिक आपरेशन यहां भी चलाया जाय तो उस दिन सरकार ने मेरी इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं आज वहीं से आ रहा हूं उस इलाके में भयंकर भय दिन में लोगों में है वह आतंकवादियों के संबंध में कुछ कह नहीं पा रहे हैं । आपके दो मंत्री हमारे यहां गये थे उनको 4 बजे से पहले ही पुलिस वालों ने वहां से बाहर कर दिया और कहा अगर नहीं जायेंगे तो मारे जायेंगे या प्राणघातक हमला हो जायेगा।

आज पुलिस का मनोबल टूट गया है क्योंकि पुलिस वाले उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं उनके हथियारो का वह मुकाबला नही कर पा रहे है । आप आकडे भले ही कुछ दे दें लेकिन आप इसकी जांच करा लें पुलिस वाले अपनी रक्षा नही कर पा रहे हैं । मै माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा पुलिस का मनोबल गिर गया है आप नैनीताल, बिजनौर, देहरादून चले जाइये वहां पुलिस वाले रात मे नही मिलते हैं ।

इसके अलावा जो वहा वसूलिया हो रही हैं उसका आपके पास कोई रिकार्ड नही है । आतकवादी वसूलिया कर रहे है सरकार का उस पर कोई नियत्रण नहीं है। इसी सदर्भ मे मैने सदन में एक बात कही थी पुलिस काबिंग मे एक नौजवान लडका रामनगर, जिला नैनीताल मे मारा गया अशोक कुमार उसका नाम है । उसका घर बरबाद हो गया उसको अभी तक कोई कम्पनसेसन नहीं दिया गया है । आतकवाद तब तक समाप्त नहीं हो सकता है जब तक इसको पुलिस के बजाय मिलेट्री को न सौंप दे । यह आतकवाद की समस्या आपकी ही नही है यह सब की है जब तक इसे मिलेट्री या इसी तरह की पैरा मिलेट्री फोर्स को नही देंगे तब तक यह समाप्त नही होगी क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास वह हथियार नही हैं । पुलिस को आप वही हथियार दीजिए जैसे एस0एल0आर0, ए0के0 47 या 56 जो भी अच्छे हथियार हों उनको दीजिये नहीं तो यह समाप्त होने वाली नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री भारत सिंह रावत-

आपको यह बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि आतंकवादियों की सही सूचना आपकी सी0आई0डी0 भी नहीं दे पा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को आप इसके लिए इनाम देने की घोषणा करें कि जो आतंकवादियों की सूचना देगा उसको इतने हजार रुपया मिलेगा तो आपको आतंकवादियों के बारे में सूचना मिल जायेगा ।

मैं आपको बधाई देता हूं आपने बंदूकों के लाइसेंस देने में थोड़ी उदारता बर्ती है लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे हैं । आपने इसमें कहा है कि एक बार 10 कारतूस देंगे उसमें जो प्रतिबंध था उसको आपने हटाया है ।

अब मैं पहाड़ों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं जिन लोगों के पास हथियार हैं, बंदूक हैं तीन दिन चलकर कलेक्ट्रेट आना पड़ता है जिनकी कोई अपराधी गतिविधियां नहीं हैं उनको तहसील में एस0डी0एम0 के यहां रिन्यूवल मिल जाना चाहिए । जैसे पहले प्राविधान था उसी के अनुरूप सुविधा मिल जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद हसन एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका मसकूर हूं कि आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है और जो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की तकरीर सुनी और माननीय शाही जी की तकरीर सुनी उससे वाकई ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है लेकिन मैं उनको शीशा दिखाना चाहता हूं कि असल तस्वीर बिल्कुल इसके वरअक्स है । ला एण्ड आर्डर कोलैप्स हो चुका है डकैती, मर्डर, राहजनी, बलात्कार, जमीनों पर नाजायज कब्जे, नाइंसाफी, जुल्म और औरतों के साथ अत्याचार की वारदातों में बड़ा इजाफा हो रहा है । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो यहां पर आंकड़े पेश किये गये हैं, उससे यह चीज बिल्कुल साफ है । सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है ? क्योंकि हमने पुलिस का सिस्टम नहीं बदला है, वहीं दो-ढाई सौ साल पुराना सिस्टम चला आ रहा है । आप पुलिस की तादाद बढ़ाते जायें, आप तादाद बढ़ाते जाइये एस0एस0पी0 की और डी0जी0पी0 की किन्तु इससे कोई काम होने वाला नहीं है । ला एण्ड आर्डर में कोई सुधार का काम होने वाला नहीं है । अगर आप पुलिस को मिसाली फोर्स बनाना चाहते हैं, तो आपको पुलिस का पूरा ढांचा और उसके सिस्टम को बदलना होगा । केवल पुलिस अधिकारी बढ़ाने से, जीपें और थाने बढ़ाने से वह कारगर नहीं होगा इसकी हालत नहीं सुधरेगी । एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत तेजी से मुसलमान हमारी तरफ आ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के लिये

हम अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में मुसलमानों का रिप्रेजेन्टेशन केवल 1.4 है । हमारे यहां सहारनपुर जनपद में 22 थाने हैं किन्तु वहां किसी भी थाने पर कोई भी एस0ओ0 या इंचार्ज मुसलमान नहीं है । वहां थाने ठेके पर दिये जाते है और उनको नीलाम किया जाता है । थानों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है । वहां पर अपराध की दफायें घटाई और बढ़ाई जाती है ।

मैं एक वाकिया आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं । अभी मेरे पास एक खत आया है चांदपुर जनपद बिजनौर से, वहां एक अजीज साहब हैं इत्तिफाक से उन्हीं के क्षेत्र थाना चांदपुर का एक दरोगा भी मुसलमान हैं जो उनके घर में नाजायज तरीके से तीन-तीन बार घुसा है । उनका कोई जुर्म नहीं था, घर में घुस कर उनकी औरतों की बेइज्जती की गयी, उनके नाबालिग लड़कों को थाने में ले जाकर बुरी तरह से मारा पीटा गया है तथा 5,000 रुपये भी उसके घर से शब्बीर मोहम्मद, एस0आई0 उठा ले गये हैं । आम लोगों की सुरक्षा की बात कौन कहे सांसदों तक की इनके राज्य में सुरक्षा नहीं है और वी0आई0पी0 की कोई सुरक्षा नहीं है । आज सांसदों और विधायकों पर भी अत्याचार और हमले हो रहे हैं ।

जैसा कि अभी बिमला जी ने बताया गंगोह की पुलिस ने रशीद मसूद, एम0पी0 साहब और जनपद के विधायकों पर लाठी चार्ज किया गोली चलाई किन्तु इसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों तथा एस0पी0 और एस0एस0पी0 के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । जबकि इन दोनों बड़े अधिकारियों के इशारे पर यह हुआ था । एक बात मैं करप्शन के बारे में बतलाना चाहता हूं । ऐसा मालूम देता है कि उत्तर प्रदेश में दो पैरलेल सरकारे चल रही हैं । एक तो पुलिस की है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और दूसरी भाजपा के लोगों की है । आज भाजपा के लोग थानों में बैठे रहते हैं, किसी दरोगा से कहते हैं कि तुम्हारा तबादला करवा देंगे और किसी से कहते हैं कि तुम्हारा तबादला रुकवा देंगे किसी मामले में तफतीश कराने की बात करते और किसी में बंद कराने की और किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवाने के लिए पैसा तय करते हैं । आप इस पर अंकुश लगवायें वरना हाल ये होगा जो माननीय प्रमोद तिवारी जी पार्टी का 1977 में हुआ था । आप देखिये कि आज आपके बछड़े बहुत तेज हो रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, और व्यवस्था में अफरातफरी मचा रहे हैं । इसमें आप सुधार नहीं लायेंगे, आम आदमी को इंसाफ नहीं देंगे तो आप कल उधर नहीं इधर बैठेगें ।

श्री बी0के0 गुप्ता-

अध्यक्ष महोदय आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बी0जे0पी0 सरकार के आने के पहले

किसी भी सरकार ने आतकवाद को समाप्त करने के लिए कोई कार्य नही किया लेकिन जबसे हमारी सरकार आई है और हमारे मुख्य मत्री, श्री कल्याण सिह, जो साहसी व्यक्ति है उन्होने साहस पूर्वक आतकवाद को स्वीकार किया और आतकवाद को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई, ऐसा उत्तर प्रदेश मे पहली बार हुआ है, इसके लिए मै मुख्य मत्री जी को बधाई देता हू । मान्यवर, मुख्य मत्री जी ने आतकवाद ग्रस्त क्षेत्रो मे नये-नये हथियार दिए, जीपे एव वायरलेस सेट उपलब्ध कराई, नयी-नयी चौकिया स्थापित की और नये-नये थाने खोले गये । मान्यवर, कुम्भ मेले में पुलिस का जो सहयोग और व्यवस्था थी वह सराहनीय रही है । जब से भा0ज0पा0 सरकार आई है तब से थानो मे दलाली की प्रथा समाप्त हो गई है । थानों मे आने और जाने वालों के नाम नोट किए जाते है ।

मान्यवर, हमारे जिले पीलीभीत मे पिछले 6 महीनो मे दो तीन आतकवाद की घटनायें हुई है । किन्तु सीमित संसाधनो के बाजवूद सरकार ने आतकवाद पर काफी हद तक नियत्रण किया है । मान्यवर, जब से भा0ज0पा0 सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था सही हुई है और अपराधों मे कमी आई है । इस सरकार ने माफिया गैगों को पकड़ा है और उनको दण्डित किया है ।

मान्यवर, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से दस्यु प्रभावित क्षेत्रों मे सडकें और पुल बनाये गये थे उसी प्रकार पीलीभीत और आतकवाद ग्रसित क्षेत्रों में सडकें और पुलों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मै मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, मै आपका आभारी हू कि आपने मुझे गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन मे बोलने का मौका दिया ।

श्रीमन्, निश्चित रूप से गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और यह प्रदेश की सरकारो को चलाने की धुरी है और इसे धुरी मानकर प्रदेश की जो भी सरकार हो उसके काम काज और उसके तौर तरीकों पर विचार किया जाता है । गृह विभाग की चर्चा है और इस सबंध मे माननीय गृह राज्य मंत्री जो भाषण दे रहे थे तो उसमे उन्होने ऐसा जिक्र कर दिया कि उसके बदले मे हमको भी कुछ कहना पडा, यदि उनको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मै खेद व्यक्त करता हू चूकि वह हमारे व्यक्तिगत मित्र भी है । लेकिन हाउस मे या हाउस के बाहर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा नही कहना चाहिए कि जो बिल्कुल असत्य हो और जिससे दूसरे के मन को ठेस पहुचती हो । मान्यवर, आज राजनीति मे एक ऐसा वातवारण व्याप्त हो गया है कि एक दूसरे को अपराधी बनाने मे तुले हुए है, यह दुखद पहलू है और ससदीय इतिहास मे यह खतरनाक मोड है कि एकदूसरे को अपराधी कहे । मान्यवर, एक अपराधियो की सूची भारतीय जनता पार्टी के श्री कलराज मिश्र ने प्रकाशित किया था उसमे मेरा नाम था कि मेरा अपराधिक इतिहास है मान्यवर, मै इस सदन का सदस्य हूं और आज से नहीं बल्कि 1977 से लगातार सदस्य हूं

और आपकी कृपा रही तो जब तक मैं रहूंगा तब सदस्य रहूंगा । मैं घमण्ड की बात नहीं करता हूं लेकिन बताना चाहता हूं कि आज तक मेरे ऊपर किसी भी थाने में किसी प्रकार की कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है । आज तक न तो मेरे पास कोई लाइसेंस है, न मेरे परिवार के पास लाइसेंस है और न मेरे गांव में किसी के पास हथियार हैं । आज तक न तो मैं किसी शैडो को लेकर चला हूं न बंदूक और रिवाल्वर वाले को लेकर चला हूं । मैं खाली हाथ राजनीतिक होने के नाते क्षेत्र में घूमता हूं, जनता की सेवा करता हूं । आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपके पास सी0आई0डी0 है और भी अन्य फोर्स हैं आप जांच करवा लें मेरे विरुद्ध एक भी एफ0आई0आर0 नहीं है । अगर निकल गई तो मैं विधान सभा ही नहीं राजनीति छोड़ दूंगा । इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं । इस तरह से विधायकों के ऊपर अनाप-सनाप, फर्जी, झूठे आरोप, चरित्र हनन करने की प्रक्रिया चालू हो जायेगी तो यह सरकार इस प्रदेश को कहां ले जायेगी ।

इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की बात है इस तरह से अगर हम लोग एक दूसरे को आरोपित करते रहे तो इस प्रदेश में बैठे लोग जो अधिकारी हैं, जो हमारे आपके बीच में अड़गे डालते हैं, परेशान करते हैं उनकी तो बन जायेगी । हम लोग एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे और इससे उनकी नाकाबलियत और अक्षमता है, वह मिट जायेगा । मेरा माननीय नेता सदन, गृह राज्य मंत्री व विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह है कि इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दें । मान्यवर, आप देख लें, इसकी शुरुआत भी श्रीमान्, सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है । माननीय नेता सदन भी इस बात को बार-बार कहते रहे हैं कि अपराध हमें विरासत में मिले हैं । मैं इन्हें अच्छा आदमी समझता हूं । इनसे मेरे अच्छे सम्बन्ध हैं । लेकिन लगता है, उस कुर्सी का दोष है, जो उस कुर्सी पर बैठता है वह अहम् भाव से घिर जाता है । माननीय नेता सदन भी अहम का शिकार हो गये हैं अगर उस अहम् भाव को निकाल दें तो एक सफल मुख्य मंत्री हो सकते हैं । मान्यवर, मैं पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूं । माननीय नेता सदन, माननीय गृह राज्य मंत्री व अन्य मंत्री लोग भी यह बात कहते रहते हैं कि अपराधों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, यह पहले सरकार की देन है । पहले की सरकार के समय में अपराध हुए थे, उसके पहले की सरकार में अपराध होते थे, उसके पहले की सरकार में अपराध होते थे । मान्यवर, पहले की सरकारों में अपराध हुए हैं, इससे हम इंकार नहीं करते परन्तु इसका मतलब यह तो नहीं कि अब आप पिछली सरकारों की ही बात करते रहें । अब आपकी सरकार है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपराध किस तरह से खत्म किये जायें । यह कोई बात नहीं कि पिछली सरकार के जमाने में मर्डर हुआ है, तो आपके समय में भी होगा । यह कोई अच्छे संकेत नहीं है । आपको स्वच्छ प्रशासन बनाना चाहिए ।

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दे दें। पुलिस प्रशासन की बात कौन नहीं जानता है । एक-एक सदस्य जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि थानों में क्या होता है । मैं एक अकेला आदमी हूं, आप पता लगा लीजिए । जब से मैं विधायक हुआ हूं मैं किसी भी थाने में नहीं गया किसी भी अपराधी की पैरवी नहीं की । आप के लोग ऐसा काम करते हैं, अपराधियों की पैरवी करते हैं, अपराधी को संरक्षण आपकी पार्टी के लोग देते हैं । थाने में जाकर पैरवी करते हैं । अपराधियों की पैरवी करना सत्ता पक्ष का आये दिन का काम हो गया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हिन्दुस्तान में सबसे बहादुर और सक्रिय पुलिस मानी गई है । लेकिन आज इसमें घूसखोरी, भ्रष्टाचार इस तरह से भर गया है कि यह एक लाइलाज बीमारी बन गया है । सड़कों के रास्ते से एक ट्रक कलकत्ता से सामान लेकर चलता है तो जब वह अपने यथा स्थान पर पहुंचता है तो उसे वहां तक पहुंचते-पहुचते रास्ते में पुलिस को उस सामान की कीमत से अधिक पैसा देना पड़ता है (× × ×) यह राम, रोटी और इंसाफ का नारा देने वाली सरकार पूरी तरह से विफल हो गयी है । मेरा एक सुझाव है कि आज पुलिस प्रशासन को चुस्त करने की आवश्यकता है । प्रदेश के जनता के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें न्याय दीजिए। कब तक प्रदेश सरकार से मांग करते रहेंगे। मेरा एक सुझाव है कि पुलिस प्रशासन के नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को केन्द्र से बात करके बटालियनों को बी0एस0एफ, सी0आर0पी0एफ0 में मिलिट्री में ट्रांसफर करा लें तथा मिलिट्री, बी0एस0एफ0 या सी0आर0पी0 से उस रैंक के जवानों को लेकर पुलिस प्रशासन की पुरः स्थापित कर दें तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन चुस्त-दुरुस्त हो जाएगा वरना इनका पुसिल प्रशासन चुस्त-दुरुस्त नहीं हो सकता है । मान्यवर, कभी बलिया में कोई धटना बलात्कार की नहीं हुई, लेकिन जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मेरे क्षेत्र में नगरा थाने के हरसनेपुर गांव के गरीब ब्रह्मणी जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, उसके साथ दो पुलिसवालों ने बलात्कार किया उसकी कोई सुनने वाला नहीं है । हमने 311 में और नियम 56 में सूचना दी तो माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया, ऐसे अपराध पुलिस वाले कर रहे हैं और आपने छुड़वा दिया । आपने उसमें कोई कार्यवाही की ? आप इस तरह से उनका मनोबल बढ़ायेंगे तो क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं आप उनको प्रोत्साहित करें, लेकिन जो गलत काम करें उनको दंडित करें वरना राम राज्य नहीं होगा इंसाफ नहीं होगा, अराजकता बढ़ेगी, लोगों को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए । मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

नोट- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

टूटे मंदिर, मिली न रोटी, हर इंसान उदास है,
बोलो-बोलो हे आडवाणी, यह कैसा इंसाफ है ।

अगर आप गलत काम करने वालों को दंडित नहीं करेंगे तो कैसे इंसाफ होगा, कैसे अराजकता दूर होगी । श्रीमन् बदले की भावना से जो राजनीतिक लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने झाऊ लाल जी को बुला लिया है ।

* श्री झाऊ लाल यादव-

मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । बड़े खेद की बात है कल और आज सामान्य प्रशासन जैसे विभाग पर चर्चा हो रही है मैं देख रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोग, अगर विपक्ष के लोगों को किसी गम्भीर स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं उस समय यह लोग ऐसी हास्यास्पद स्थिति बनाकर मजाक करते हैं । आपको मालूम है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अराजकता, आतंकवाद के नाम पर कानून और व्यवस्था के नाम पर सारे प्रदेश में तांडव हो रहा है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी आप बार-बार कहते हैं, आपकी पुस्तकों को हमने पढ़ा है आपने कहा है हम ममता पर आधारित समता चाहते हैं, तो यह ममता का संबंध हृदय से है, भावनाओं से है या धर्म से है ? माननीय मुख्य मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी कुर्सी पर हैं शिक्षक भी रहे हैं आज सारा प्रदेश आग में जल रहा है । गृह राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि जब वह सत्ता में आए तो आतंकवाद अंकुरित था । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको पहले से मालूम था कि आतंकवाद शुरू हो चुका है और जब आप सत्ता में आये तो उसका इलाज करना चाहिए था । आज पूरे प्रदेश की हालत बिगड़ गयी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, जंगल राज हो गया है । मैं कहना चाहता हूं डी0जी0पी0 प्रकाश सिंह के बारे में नेक और ईमानदार आदमियों के अधिकारों का सरकार ने हनन किया और जब आतंकवाद आपके रोके नहीं रुका तो आपने उनको जिम्मेदारी सौंपी और वह बहादुर हो गये इसी तरह से जैसा कि माननीय बाबू राम यादव कह रहे थे, आपने जातिगत भावना रखते हुए सारे अधिकारियों को सी0आई0डी0 में भेज दिया और जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आतंकवाद की समस्या आपके काबू में नहीं हो पायी तो फिर उन्हीं को जिम्मेदारी आपने सौंपी । मैंने सदन का सदस्य होने के नाते अध्यक्ष जी को लिखकर दिया है, अध्यक्ष जी ने मुख्य मंत्री को लिखा था मेरे यहां खुला तांडव हो रहा है । राजनीतिक लोग जेल भेजे जा रहे हैं । खुले आम लूट, डकैती, कत्ल हो रहे हैं शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । मुख्य मंत्री जी सब जानते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं । उनकी निगाह केवल विपक्ष पर है । विपक्ष के लिए उनके मन में नफरत की भावना है और वह ईर्ष्या, द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस भावना से कार्य करेंगे तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है । हम लोगों ने भी सोच लिया है:-

"कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें,
कातिलों के मुहल्ले में घर ले लिया ।"

आज सारे प्रदेश में जंगल का कानून हो गया है । अगर यही हालत रही तो मानवता समाप्त हो जायगी । मान्यवर, आखिर में मैं कहना चाहता हूं:-

"जीना चंद रोज है यह हम जानते हैं,
और इसकी बूंद की औकात को पहचानते हैं,
वह डरे, डरकर मरें और मौत से गाफिल रहे,
मौत के हर कदम की चाल को पहचानते हैं ।"

मान्यवर, हम लोग राजनीति में देश की सेवा के लिए उतरे हैं हम संघर्ष करेंगे । आपको विधायकों को सम्मान देने और उनकी सुरक्षा देने के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए । इसी के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री कासिम हसन सैय्यद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया और अपने ।। महीनों का विवरण पेश किया । मान्यवर, हाकिमों और प्रशासन के कार्यकलापों से हर जगह जनता भयभीत है । भयमुक्त समाज का नारा देने वाली भाजपा सरकार का यह नारा टोटली फेल हो गया है । आज गृह विभाग की हालत यह है कि पुलिस के बड़े अधिकारी तो थोड़ी सी इज्जत विधायकों को देते हैं लेकिन उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनमें इतना घमंड है कि किसी भी सम्मानित नागरिक की इज्जत करना नहीं जानते हैं । पुलिस विभाग शराब का आदी बन चुका है । यह लोग हमारे ही परिवारों से आते हैं लेकिन जब वर्दी पहन लेते हैं तो अपने को सबसे ऊपर मानने लगते हैं और दूसरों को इज्जत की निगाह से नहीं देखते, दूसरों की इज्जत इनकी निगाह में कुछ नहीं रहती ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज हर थानों में दलाली का आम रिवाज है । बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । पुलिस खुद गुण्डे पालती है, बदमाशों को बढ़ावा देती है । यही कारण है कि चार्जशीट में जो धाराएं लगाई जाती हैं, अपराधी छूट जाते हैं । मान्यवर, पुलिस प्रशासन इस देश की जनता से सीधा सम्बन्ध रखता है और जनता को राहत न मिले सुरक्षा न मिले और जान-माल की हिफाजत न हो, ऐसी पुलिस को हटा देना ही उचित होगा । मैं यह जानता हूं कि हर पुलिस अपराधी नहीं है । बहुत से अच्छे लोग भी हैं और चाहते हैं कि आवाम के बीच में अच्छा काम करें, लेकिन उनके कर्मचारी आवाम के बीच में पैसा लूटने के अलावा दूसरा काम नहीं करते । मैं आपका ध्यान फतेहपुर की ओर दिलाना चाहता हूं कि फतेहपुर में यह कहते हैं कि सबको सम्मान दिया है, अल्प संख्यकों को भी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि फतेहपुर में महाजिरी मुहल्ले में एक छोटी लेकिन बहुत पुरानी मस्जिद है । उसकी दीवार बरसात में दिनांक 9-3-92 को गिर गयी। उसकी दीवार बननी चाहिए थी । डी0एम0 ने इजाजत दी, दीवार बन गयी । लेकिन भाजपा, बजंरग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग शाही मस्जिद पर एक मंदिर का निर्माण करने लगे । माहौल गंदा हो गया है । तनाव हो गया। लाठी डण्डे चलने लगे, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल किया। अब हमारे जिले के 6 विधायकों ने डी0एम0 से बात की । डी0एम0 ने कहा कि यह मस्जिद की दीवार पुरानी है, गिर गयी थी, अपनी जगह बन रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाजपा सरकार ऐसी जगह न भेज दे कि काटने पर पानी तक न मिले वह मस्जिद की दीवार बननी चाहिए । शासन इजाजत दे । अब की रमजान में वहां पर कुत्ते बिल्ली चले गये थे । वह पर्दों की दीवार है । सरकार उस दीवार को बनाने की इजाजत दे ।

श्री घनश्याम शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज विपक्ष के नेतागण बार-बार एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि साम्प्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं, डकैती और आतंकवाद बढ़ रहा है लग रहा है कि लोग अपनी पिछली सरकार के इतिहास को भूल गये हैं इन्होंने उस समय आतंकवाद भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार तथा अपराध की जड़ को सींच-सींच कर कितना मजबूत बना दिया था यह सबको ज्ञात है हमारी कल्याणकारी सरकार ने जितना भी संसाधन उपलब्ध था, उसके अन्तर्गत अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हमारी सरकार का इनको आभार प्रकट करना चाहिए । हमारे पूर्व मुख्य मंत्री (× × ×) चारों तरफ से भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बढ़ावा तथा संरक्षण दिया।

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार लिखा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष-

नाम नहीं लिखा जायगा ।

श्री घनश्याम शुक्ल-

(× × ×) चाहे इटावा लखनऊ अथवा अन्य के गुण्डे रहे जिले हों सबको हेलीकाप्टर पर बैठाकर साम्प्रदायिक सद्भाव रैली के नाम पर टहलाया माननीय अध्यक्ष जी असामाजिक तत्वों की इस प्रकार से मजबूत की गई जड को हमारी सरकार धीरे-धीरे दूर कर रही है । हमारा प्रदेश दंगों से मुक्त हो गया है । आज प्रदेश में कहीं पर भी दंगे नहीं हो रहे हैं । प्रदेश में डकैतियां कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं । इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हू ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खडा हुआ हूं, श्रीमन् कल मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था । उन्होंने बडा स्पष्ट संकल्प लिया कि मैं भय मुक्त समाज की परिकल्पना लेकर इस सरकार में बैठा हुआ हू । श्रीमन् उत्तर प्रदेश सरकार मे जितने मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री है, मैने लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री को देखा इस्कोर्ट पुलिस की गाडी उनके आगे और पीछे दोनो तरफ लगी हुई थी । अगर आप भयमुक्त समाज की परिकल्पना करके बैठे हैं तो लखनऊ के अन्दर आपके मंत्रियो के ऊपर सिक्योरिटी की गाडी क्यों लगाई गयी है ? मै खुले दिमाग से कह रहा हू, आज यह स्थिति हो गयी है कि कोई भी मुकदमा कोई गरीब आदमी थाने में जाता है, बिना पैसे का कोई मुकदमा अंकित नही होता है और कोई भी चार्जशीट जब तक पैसा थाने में नहीं दिया जाता है, मुख्य मंत्री जी बडी स्पष्ट बात है, तब तक न फाइनल रिपोर्ट लगती है और न चार्जशीट लगती है । कल आपने घोषणा किया और आज गृह राज्य मंत्री जी ने भी कहा कि जो भी थाने मे जायगा, उसकी रिपोर्ट अंकित होगी । थाना मधुवन ग्राम बरामपुर मे हरिहर पाण्डेय के घर 2-5-92 को डकैती पडी लेकिन आज की तारीख तक एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की गयी । श्रीमन् मै कहना चाहता हू कि इन्ही की पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री प्रोफेसर राम जी सिंह की लडकी की शादी थी, माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के 12 मंत्री भी उसमें गये थे । वहां द्वार पूजा के समय आतिशबाजी के समय गोली चल गयी, जहां एक महिला मीरा को गोली लगी, वह वहीं मर गयी । उस समय वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे । सूचना मिलने पर जब जिलाधिकारी मौके पर गये, तो वहां पर एक उत्तर प्रदेश के मंत्री नर्तकी नाच देख रहे थे । जो लड़की मरी हुई थी, उसकी लाश को पहुचाने का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया । मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का मैनुअल बहुत पुराना हो

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार लिखा नहीं गया ।

गया है, उदाहरण के रूप में श्रीमन् अगर कहूं कि गेहूं की कटाई की चोरी की रिपोर्ट थाने में अगर दर्ज कराने जायं तो 426 का मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी तफ़तीश के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ता है और अगर वही गेहूं का एक बाल जल जाय, तो रिपोर्ट उपरान्त जांच तत्काल शुरू हो जाती है । तो श्रीमन् इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, इस प्रकार का जो पुलिस का पुराना मैनुअल है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसमें आप संशोधन करें, जिससे कमजोर वर्गों को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नवाब सिंह -

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने वाली यह सरकार शोषण और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है । जो नारा यह सरकार देती है, वह बिल्कुल झूठा नारा है, निष्पक्ष की बात समाप्त हो गयी है । यह सरकार संरक्षण अधिकारियों को दे रही है । इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मथुरा में एक सी0ओ0 हैं, वह बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है । उनका स्थानान्तरण किया गया था परन्तु कुछ समय के बाद फिर वह वहीं पर पहुंच गया है । एक आदमी 50 हजार रुपये लेकर आया और उसका स्थानान्तरण करवा कर ले गया । वह कप्तान की भी बात नहीं मानता है और मनमानी करता है और उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन उसका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, वहां पर मूर्ति चोरी का प्रकरण सामने आया था, उस कस्बे के लोग 7 दिन तक पड़े रहे और बच्चों को मारा, उसके अत्याचार से जनता परेशान है । जब तक उस सी0ओ0 को संरक्षण प्राप्त रहेगा, तब तक अपराधों की संख्या में कमी नहीं होगी । मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करायें । सी0ओ0 का वहां से ट्रान्सफर करें, जिससे जनता को उसके दुष्कर्मों से छुटकारा मिल सके ।

* श्री धर्मपाल यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । कल माननीय मुख्य मंत्री जी और आज राज्य गृह मंत्री की लच्छेदार भाषणों को सुना, मैं उन्हीं को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, इस सरकार ने भयमुक्त समाज की बात कही है, भयमुक्त समाज कहते-कहते और सुनते-सुनते जनता के कान पक गये हैं, लेकिन मान्यवर भयमुक्त कौन हुआ है, व्यापारी हुआ है, सत्ता में बैठे हुए लोग हुए हैं, अधिकारी हुए हैं और भयमुक्त वह लोग हुए हैं जो मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के मुंह की ओर तकते रहते हैं कि उनकी जबान से क्या निकलता है, उसको कर डालें । लखनऊ में बैठे हुए लोग भी भयमुक्त नहीं हुए हैं, क्या प्रदेश का हरिजन भयमुक्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ है, क्या अल्पसंख्यक भयमुक्त हुआ है, क्या किसान और मजदूर भयमुक्त हुआ है । भयमुक्त हुई है तो दफा 3/7 हुई है । पहले किसान और मजदूर जब अपनी बेटी के विवाह के लिए सामान खरीदने जाता था तो उसको यह यकीन रहता था कि सामान ठीक मिलेगा, और अगर कोई समान में धोखाधड़ी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, धारा 3/7 के तहत सजा मिलेगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी हटा दिया है । मान्यवर, दूसरा बिन्दु आतंकवाद का है ।

मैं मानता हूं कि आतंकवाद की समस्या है यह कौन करता है, आज घर-घर में आतंकवाद फैला हुआ है । आतंकवाद स्टेनगन लेकर दौड़ता है । श्री कुशलपाल त्यागी की हत्या हुई, लखनऊ में गोलियां चलीं । मान्यवर, मैं मौजूद था उस दिन गाजियाबाद के अंदर और मैं गया था और मेरे साथ कई विधायक गये थे मौके पर जहां बार के अध्यक्ष श्री कुशल पाल त्यागी का खून हुआ । वहां मैं पहले पहुंच गया था वहां जनता पहले पहुंच गयी थी लेकिन वहां के पुलिस अधिकारी बाद में आने वाले लोगों में थे ।

आप कौन से आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं । अभी एक साहसी और बहादुर इंस्पेक्टर थाना पूरनपुर में गया था । पूरनपुर थाना जहां 6 माह से ताला बंद था और कोई इंस्पेक्टर जाता था तो ड्यूटी के नाम पर केवल ऊंचे अधिकारियों को सलाम बजाता था लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर जितेन्द्र पाल यादव की आतंकवादियों द्वारा हत्या हुई ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या किसी पुलिस अधिकारी ने उसके परिवार को सांत्वना दी, उसकी बीबी उसकी लाश पर रो रही थी मैं और मेरे विधायक साथी वहां पर गये थे उसकी बीबी विलाप कर रही थी और सरकार के लिए गाली निकाल रही थी और एक शब्द भी उस बहादुर साहसी इंस्पेक्टर के लिए इस सरकार ने नहीं निकाला है । अगर आप आतंकवाद को जड़ से समूल नष्ट करना चाहते हैं तो बहादुर लोगों के लिए कोई कार्य करना चाहिए । एक लाख रुपया कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं होती है मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहादुर लोग जो लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपया भी कम पड़ेगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैसा तो जनता का है और संवेदना के शब्द तो आपके हैं कम से कम उसको तो दीजिए । इस तरह के लोगों के साथ आपकी संवेदना होनी चाहिए ।

मान्यवर, नारियों की बात करते हैं । हापुड़ के दंगे का मेरे पास प्रमाण है जहां औरतों के (× × ×) दिया गया था । अगर आप कहेंगे तो मैं प्रमाण आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा । मैं वहां गया था और मेरे दल के लोग वहां गये थे । मैं वह शब्द इस आदरणीय सदन में नहीं कहना चाहता हूं जो वहां की महिलाओं ने कहा था मेरे टेप में वह शब्द बंद है वह आवाज बंद है ।

नोट- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने माफियाओं का इलाज किया । आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपने तो माफियाओं को हाथ नहीं लगाया है, माफिया से डरते हो, वह सड़क पर घूम रहे हैं आपने तो स्वावलम्बी डी0पी0 यादव को बंद करने का काम किया है । अभी तक जहां किसी अपराध का ताल्लुक है मैं इस सदन के सामने कह रहा हूं और माननीय नेता सदन के सामने कह रहा हूं कि हम लोगों कार्यकलाप के इतिहास को उठाकर देखा जाय अगर हमारा किसी अपराध में कोई सहयोग रहा हो, केवल एफ0आई0आर0 से कोई अपराधी नहीं होता जिसे न्यायालय ने और पुलिस प्रशासन ने एफ0आई0आर लगाकर खत्म किया है उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता है ।

मान्यवर, इस सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का पर्दाफाश कर दूं । हमने अपने बारे में संसदीय कार्य मंत्री को एक पत्र यहां पर दिया जो गम्भीरतापूर्ण है मैंने उस पत्र को प्रेस को रिलीज नहीं किया है उसकी गम्भीरता से आप अवगत होंगे यह पत्र मेरी हत्या करने के बारे में है । मेरे बार-बार मांगने पर भी मुझे सुरक्षा गार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और सरकार नैतिकता की बात करती है और वह आपकी पीठ का भी अनादर करती है और मुझे आपके आदेश के बावजूद कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी है । इन शब्दों के साथ मैं अपने नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे गृह व सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं । मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आयी तो उससे पूर्व विगत वर्ष प्रदेश में कैसी स्थिति थी, कई जिले ऐसे थे जो साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त थे,चारों तरफ साम्प्रदायिकता फैली हुई थी । रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था वह एक दम आग उगल रहा था । साम्प्रदायिक दंगों के साथ साथ तराई में आतंकवादी हिंसक खेल खेल रहे थे, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली । अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण बोल रहे थे, उन्हें जितना भी ज्ञान था उस आधार पर उन्होंने आलोचना की पुलिस विभाग की । वें बताना भूल गये कि पुलिस विभाग जो कि हमारे प्रदेश की प्रगति का द्योतक है, हमारे इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जहां एक ओर प्रदेश के नौजवानों, गांव के किसानों और पुलिस के जवानों के बहुमुखी विकास का बजट रखा है, यह सराहनीय बजट है । इसके आधार पर पुलिस के मनोबल में बढ़ोत्तरी हुई है ।

---

* वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष

अब समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, इन्हें वह समय पता नहीं है जब हमारे समय में उप चुनाव हुए थे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों ने बेलेट पेपर नहीं देखा था, इन पुलिस के लोगों ने जान को हथेली पर रखकर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराये । जो प्राकृतिक प्रकोप से भूकम्प आया था उसमे हमारे पुलिस वालों ने कितनी राहत दी वहां की जनता की राहत ही नहीं दी, अल्प बजट में से 45 लाख रुपये देकर उन लोगों की सहायता की । हम लोगों ने पुलिस के लोगो का मनोबल बढ़ाने का काम किया । मान्यवर, हमारी सरकार के समय में जितने भी त्योहार हुए होली, ईद आदि इनमें कही कोई विवाद नहीं हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकार्ड है, कही कोई दंगा नहीं हुआ कुंभ मेले के अवसर पर जो आतंकवादियों ने चुनौती दी थी, हम सब घबरा रहे थे कि कही कुछ हो गया तो कितना बडा हादसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ ।

(माननीय विरोध दल के खडे होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कर दें । माननीय नेता विरोधी दल खडे हो जाते हैं तो बैठ जाते है ।

नेता विरोधी दल (कुवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मै सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होने इस महत्वपूर्ण बजट पर परिचर्चा की ।

(कई सदस्यों के बोलने का समय देने के अनुरोध पर)

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय नेता विरोधी दल से कहा था कि जिस समय वे चाहेंगे बोल लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि कुछ माननीय सदस्य जो बोलना चाह रहे हैं उन्हें 2-2 मिनट का मौका दे दे ।

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पाई थी ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप अपना वाक्य पूरा कर लें ।

श्रीमती गुलाब देवी-

विपक्ष ने अपनी आलोचनाओं में यह कहीं पर नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में मान्यवर, पुलिस के दो तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं एक आई0जी0 और सिपाही जी । सिपाही जी जो चौबीसों घटें खड़े होकर डयूटी देते हैं । उनका वेतन कम है उनको आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि सिपाहियों के वेतन में अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी करें जिससे

कि समाज मे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वह कम हो जायेगा क्योकि सिपाही के लिये रिश्वत का कोई स्थान नही है उसकी रिश्वत तो दो रुपये से शुरू होती है, वह ठेले वाले से मागता है, फल वाले से मागता है और जब वह नही देते है तो उन पर डंडे बरसाता है तो इससे समाज की स्थिति बिगडती है । मान्यवर, मै माननीय मुख्य मत्री जी से अनुरोध करूगी कि इनकी तनख्वाह मे वृद्धि की जाये ।

एक बात और कहना चाहूगी कि जो विधायको के लिये शैडो या गनर दिया जाता है, उनके लिये सेकेण्ड क्लास मे बैठने की परमीशन है । मान्यवर, विधायक तो ए0सी0 में बैठता है और उसका शैडो या गनर सेकेण्ड क्लास मे बैठता है अगर बैठना चाहे भी तो टी0सी0 बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन विधायको को शैडो या गनर दिया गया है उन्हें भी विधायकों के साथ बैठने की अनुमति दी जाये या फिर उन्हे भी फर्स्ट क्लास का फेयर दिया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहती हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक पार्टी और वह लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष व समाजवाद में विश्वास रखती है...

श्री अध्यक्ष-

अब आप काफी बोल चुकी हैं कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देबी-

मान्यवर, इन्होंने अल्पसंख्यकों की बात कही, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात कही हरिजनों की बात कही तो मैं यह कहना चाहूंगी कि न तो इन्हें समाज का ज्ञान है और न ही इन्हें देश का ज्ञान है यह लोग इन लोगों के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं...

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, इन्ही शब्दो के साथ मै बजट का समर्थन करती हू और अन्त मे केवल इतना ही कहना चाहती हू कि--

"क्या जरूरत है इनको गरदन झुकाने की,
इनके अरमा ही काफी हैं, हस्ती को मिटाने के लिये ।

श्री अध्यक्ष-

आज चार महत्वपूर्ण विभागो का बजट है इसलिये अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को ध्यान से सुना और आज माननीय गृह मंत्री जी के भाषण को

भी सुना । उन्होंने अपनी प्रशसा मे बहुत बाते कहीं । आज पूरे प्रदेश में चार हजार तीन सौ सत्तर अपराध हुए हैं । मै अपराधो के जाल में नहीं जाना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल ने कल इसके आकड़े रख दिये हैं । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी सन् 85 में जब इधर बैठते थे तो 24 अगस्त, 1985 को उन्होंने गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट पर कहा था कि कुर्सी का ऐसा असर है कि जब सत्ता पक्ष में लोग जाते हैं तो हमेशा अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और पुलिस प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । मैं मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं । जब मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया था और उसे जिला सेक्टर, जिला योजना लागू किया था । मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे इस योजना को और आगे बढ़ायेंगे ।

मान्यवर, मै यह नही कहना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिये लेकिन आज जो पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं जो पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है मै उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। जो महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनको दहेज के नाम पर जलाया जाता है या अन्य किसी मामले मे प्रताड़ित किया जाता है । चाहे वह गाजीपुर हो, गोण्डा हो या बांदा हो पूरे प्रदेश मे छात्रों का उनका उत्पीड़न हो रहा है । दगो के बारे में माननीय मुख्य मत्री जी ने कहा कि हमने दगो के ऊपर कन्ट्रोल किया है, तो मै यह कहना चाहता हू कि इसमें बिल्कुल भी कन्ट्रोल नहीं हुआ है । बनारस का दंगा इसका उदाहरण है । मैं मानता हू कि पुलिस के जवान इसमे शहीद होते है, इसमें जो आपने एक लाख रुपये की अनुकम्पा धनराशि देने का प्राविधान किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हू । मै माननीय मुख्य मत्री जी का ध्यान शासन और प्रशासन की जो स्थिति है उस ओर ले जाना चाहता हू आज इसमें ताकत और बल देने की आवश्यकता है । आतकवाद आज पूरे देश में है लेकिन उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र मे आतकवाद विशेष रूप से बढ़ गया है । मैं यह कहना चाहता हू कि इस आतंकवाद से निपटने के लिये विपक्ष के लोगों के साथ एक बैठक बुलाकर बातचीत करें तो इससे निपटने में आपको कुछ सहायता मिल सकती है । मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बनारस गाजीपुर तथा कुछ अन्य जिलों के अपराधों के बारे में कहा जिससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मुझे इनकी नीयत, निष्ठा के बारे मे कोई शका नहीं है, आपके प्रमुख सचिव, महानिदेशक पर भी कोई शंका नहीं है, लेकिन जो कार्यशैली सरकार की है, वह

ठीक नहीं है । अभी गृह राज्य मंत्री कह रहे थे, इतना काम किया है, उतना काम किया जिससे लगता है कि वह आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालनी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप केन्द्र सरकार के ऊपर मढकर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं ? मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि इतने राम भक्तों की हत्या हुई। इस सदन में कई बार प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया कि कितने रामभक्तों की हत्या हुई लेकिन यह उसका भी जबाब नहीं दे पाये कि कितने राम भक्तो की हत्या हुई आज मै काफी आकडे सदन में रखना चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं रख पाया। सामान्य प्रशासन की जो स्थिति है वह आपके सामने है। हर आदमी अपने क्षेत्र मे विकास के काम कराना चाहता है लेकिन माननीय मुख्य मत्री जी अतरौली क्षेत्र के है, सातवी बार जीतकर आये है यह खुशी की बात है, लेकिन इन्होने एक करोड मडी समिति मे वहा लगाया है । क्या हमारे गाव के क्षेत्र मे जिला प्लान मे कम धन होने से, सम्पर्क मार्ग बन पाना सम्भव नही हो पा रहा है तो ऐसे मामले मे क्षेत्र के विकास मे इस तरह की व्यवस्था करेंगे । इन्ही शब्दो के साथ नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हू ।

*श्री भोला शकर मौर्य-

मान्यवर, मै आपका आभारी हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मै कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हू । मान्यवर, मैं सक्षेप मे अपने जनपद बदायू के बारे में बताना चाहता हू । यह जनपद दस्युग्रस्त जनपद है वर्ष 88-89 में 16.5 करोड रुपये की एक योजना दस्यु उन्मूलन के लिये स्वीकृत कराई गई थी, वह योजना आज खटाई मे पड़ गई है जितने पुल स्वीकृत थे, उस पर भी यह कोई काम नहीं करा रहे हैं, मान्यवर, इसी तरह से बदायू शहर में ऊझानी, उगहैती, बिल्सी आदि कस्बों में पकड़ हो रही है, वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि यहा पर एटा के दस्यु पलायन करके आ रहे है। मान्यवर, बदायू में स्थिति बड़ी खराब हो गई है। गाही का समय है और यह लोग ट्रैक्टर पकड़कर ले गये कोई भी आदमी रात के समय काम करने को तैयार नहीं है। वहां के पुलिस अधीक्षक ने अपनी विरादरी के लोगों को 24 थानों में से 8 थानों मे इन्चार्ज बना रखा है । अभी ऊझानी में एक बहुत बड़ी डकैती हुई कोई भी मुलजिम उसमें पकड़े नहीं गये । इसी प्रकार उगहैती में 2/3 तारीख को 4 बजे रघुनाथ प्रसाद शर्मा के यहां भीषण डकैती पड़ी 396 हुआ और मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं, वहा के पुलिस अधीक्षक एक बार वहां गये थे लेकिन खुद उन्होंने मुलजिमों को देखा लेकिन पकडने के कोई आदेश नही दिये । यहां के जो थाने हैं, वह पूरी तरह नीलाम होते हैं । वहा 30 हजार से 50 हजार में थाने नीलाम हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी आय के श्रोत इतने ज्यादा हैं कि वह अपनी आय से बहुत ऊंचा जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरा जो बिलसी क्षेत्र है, वहां पर इस समय जबरदस्त पकड़ हो रही है । 24 पकड़ के मामले हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा एक भी बरामदी नही हुई है । कुछ लोग तो छोड़ दिये गये और कुछ भारी धन देकर अपनी जान बचा पाये हैं । आज बदायूं जनपद की जो स्थिति हो गई है, वह बहुत खराब है । वहां पर पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। वहां एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा थानों में बैठकर मनमानी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, जो बी0जे0पी0 के लोग है, वह सब थानों में जाकर बैठ जाते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा प्रभावित करते हैं । इस प्रकार वहां पुलिस का पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया है ।

मान्यवर, वहां स्थिति विस्फोटक हो गई है । अभी बदायूं नगर की जो मंडी थी वहां पर अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस के बल पर निकालकर फेंक दिया गया। आज वे लोग बेघर हो गये हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती उर्मिला राजपूत-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग व सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लियेह मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। इस सरकार के आने से पूर्व प्रदेश में अस्त-व्यस्त कानून व्यवस्था से काई भी अनभिज्ञ नहीं है । पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री के समय में माफिया सरगना खुलेआम धन का दोहन कर रहे थे डकैतियां कर रहे थे और साम्प्रदायिक दंगे फैला रहे थे । प्रदेश की जनता का ध्यान जन समस्याओं से हटाने के लिये प्रदेश को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया गया था । इस सरकार के नेता माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने भय के वातावरण को समाप्त करने, प्रदेश को साम्प्रदायिकता से बचाने व प्रदेश में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये जो जनादेश प्राप्त किया है उसके अनुरूप जो कदम उठाये गये हैं उसकी प्रशंसा भले ही माननीय नेता विरोधी दल न करे लेकिन प्रदेश की जनता ने उन कदमों की सराहना की है । पहले की जो सरकार थी उसने माफिया सरगनाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया था और उन्ही के बल बूते पर उन्हें यहां आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ करता था । आने वाले समय में भयमुक्त समाज बनाने हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उसमें प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को यहां दोबारा बैठने का अवसर नहीं देगी । भयमुक्त समाज हेतु जो कदम उठाये जा रहे हैं उनसे भले ही यह माफिया गिरोह, अपराधी व समाज विरोधी लोग चिन्तित हो, परन्तु आज समाज का हर वर्ग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है । सभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्प्रदायों के लोग अपने दिन शान्ति पूर्ण तरीके से गुजार रहे हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है । विभिन्न प्रकार की समस्याओं, आतंकवाद की बढ़ती हुई गतिविधियों पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से पुलिस की कार्य कुशलता, दक्षता और पुलिस का मनोबल ऊंचा उठाने हेतु पुलिस संगठन के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है । वैसे तो सरकार ने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये लगभग 300 वाहन व 57 चौकियां स्थापित की गई हैं तथा आतंकवाद से मरने वाले परिवारों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है । इसके बावजूद भी इस विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख की आबादी से ऊपर वाले क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया जाय । महिला उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाय और हर जिले में महिला प्रकोष्ठ की व्यवस्था की जाय ।

श्रीमन्, मैं अब सबसे छोटे कर्मचारी की बात करना चाहती हूं । हर थाने में व हर चौकी में एक सफाई कर्मचारी होता है जो पार्ट टाइम पर काम करता है परन्तु उसे 60 रुपया महीना मिलता है । इसी प्रकार गांव का जो चौकीदार होता है उसे मात्र महीने 100 रुपये मिलता है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे छोटे कर्मचारियों को फुल टाइम्स पर समायोजित कर उन्हें वेतनमान दिया जाय । इन्ही शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है इसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं ।

*श्री इजहार आलम खां-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में भयमुक्त समाज की बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि भयमुक्त समाज तभी हो सकता है जब सब को साथ लेकर आप चलेंगे, चाहे अल्पसंख्यक हो या दलित वर्ग के लोग हों, उनको साथ लेकर आप भयमुक्त समाज की बात कर सकते हैं । पुलिस के आपके उत्तर प्रदेश में 13 जोन हैं उसमें 8 सी0आई0डी0 के हैं इसमें कोई इन वर्गों के नहीं हैं एक डी0आई0जी0 दलित वर्ग का है अल्पसंख्यक वर्ग का कोई डी0आई0जी0 नहीं है तो यह अफसोस की बात है । जहां भयमुक्त समाज की बात होती है वहां अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को साथ लेकर चलने की बात नहीं होती ।

आपका एक पुलिस प्रशासन यहां लखनऊ से चलता है इसमें सचिव और डी0जी0पी0 होते हैं उनके अलावा इनके शासन काल मे एक प्रशासन जिलों में भी चल रहा है । जिलों में इनके कार्यकर्ता प्रशासन चला रहे हैं । चाय और पान की दुकान में आप देख लें वहां बैठकर वह कहते हैं कि कलेक्टर और एस0पी0 का तबादला कर देंगे । जिस दिन वह एलान कर देते हैं कि फलां एस0पी0 हट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जायेगा तो दूसरे दिन मालूम होता है कि एस0पी0 या कलेक्टर हटा दिया गया। तो असली प्रशासन वहां चल रहा है, लखनऊ में बैठे हुऐ लोगों के द्वारा प्रशासन नहीं चल रहा है । आप कहें तो मैं लिस्ट दे सकता हूं वहां पर डिक्लीयर कर देते हैं कि फलां कप्तान का 15, 20 दिन के अन्दर तबादला हो जायेगा । तो यह हैरत की बात है यहां से कोई फैसला हो रहा है और वहां कोई और फैसला हो रहा है। इनके जो कार्यकर्ता हैं वह चाय की दुकान और होटलों में नाम लिखकर टांग देते हैं कि फलां कप्तान फलां डी0आई0जी0 को हटवा दिया है। मैं समझता हूं कि यह सरकार कितने दिन चलने वाली है यह वक्त बतायेगा।

दूसरी समस्या हमारे उत्तर प्रदेश में उग्रवाद की है । उग्रवादी कभी भी सिक्खों के साथ मिलकर कार्यवाही नहीं करते हैं । उनका यह प्लान है कि भावना भड़कायें इतनी राहजनी करें कि सारे सिक्ख जो यहां रहते हैं वह पजाब चले जायं और एक जगह वे हो जायं ताकि वहां वह खालिस्तान बना सकें । हमारे यहां के एक मंत्री का बयान आया, अखबार में यह बात आई उसमें उन्होंने कहा कि हम वैलेंश करना चाहते हैं । तराई में जहां सरदार रहते हैं वहां हिन्दू भी बसाये जायं और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लें । लखीमपुर खीरी में यह वाकया हुआ भी है लोगों ने कब्जा किया है तो जो उग्रवादी चाहते हैं उसको हमारी सरकार और इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं । इसी बात के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पूरा बल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं ।

*श्री राम कृष्ण-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है उस पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज हम आलोचना न करके माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहते हैं यहां पर सभी अधिकारी और डी0जी0पी0 भी बैठे हैं, तो मैं सुझाव के रूप में बताना चाहता हूं यह सरकार भयमुक्त समाज की बात करती है जैसा सभी लोगों ने कहा तो उसमें इनकी पुलिस का दोष नहीं है क्योंकि पुलिस वैसा ही करेगी जैसा सरकार के द्वारा उनको करने के लिये कहा जायेगा । पुलिस सरकार के इशारों पर काम करती है । अवगुण सरकार चलाने वालों में है यह सब लोग जानते हैं । मान्यवर, इसी तरह चुनाव के पूर्व जिन भी आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी और दरोगा इंस्पेक्टर आदि की नियुक्तियां हुईं उसमें पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्ति किया गया था यह कार्य बड़ी कुशलता से किया गया था । जिस जाति के लोगों का वहां बाहुल्य था उसी से संबंधित प्रभावशाली अफसरों को नियुक्ति किया गया था । किन्तु चुनाव के बाद उनकी घोर उपेक्षा कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी गयी और उनको बेकार की जगहों पर भेज दिया गया । इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि चुनाव के समय जिन अधिकारियों ने जहां पर शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराया था उनको फिर से वहीं पर नियुक्त किया जाये । चुनाव के तुरन्त बाद इन अधिकारियों को वहा से हटा दिया गया था जिन्होंने बहुत सही काम किया था ..(व्यवधान).. अभी मेरा मानयवर, एक मिनट भी नहीं हुआ है । मैं मंत्री जी का ध्यान अपने जिला सीतापुर की ओर दिलाना चाहता हूं, वहां पर दो-दो हजार रुपये की एन0एस0सी बंदूकों के लाइसेंस के लिए गलत तरीके से जमा कराई जाती है और आज भी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक-एक दो-दो हजार के एन0एस0सी0 उनसे जमा कराये जाते हैं . (व्यवधान) मैं अपने क्षेत्र की एक बात और कहना चाहता हू

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम कृष्ण-

मान्यवर, सुन तो लें वह क्षेत्र हरदोई से जुडा हुआ है हमारे यहा जो क्षेत्र है उसमे हमारे जिले का थाना सदना एक तरफ पडता है और दूसरी तरफ जिला हरदोई का थाना अतरौली पडता है । यह पूरा क्षेत्र अपराधियो से पूरी तरह त्रस्त है । वहा पर बदमाशो का बडा आतक है जिसे मान्यवर, आप भी जानते होंगे । वहा पर दिन दहाडे लोग सही सलामत नही गुजर सकते है । लूट और डकैती तो वहा प्राय नित्य की घटनाए है साथ ही और तरह-तरह के अपराध वहा हुआ करते है । यह क्षेत्र हरिजन बाहुल्य है और इससे वहा के कमजोर और हरिजन लोगो में भय और रोष व्याप्त है । इस क्षेत्र मे 20 मील के क्षेत्र मे शान्ति स्थापना के लिए तीन चौकिया प्रस्तावित है, जो शासन मे विचाराधीन हैं । मै मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस क्षेत्र में पुलिस चौकियां शीघ्र स्थापित करने का कष्ट करें और इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि हरिजनों में सुरक्षा की भावना लाने के लिए जो नये लाइसेंस जारी किये जायें उसमें अनुसूचित जाति के लोगो को 50 परसेंट लाइसेंस जारी किये जायें ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप लाइन मे हैं नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, कल से चर्चा चल रही थी, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण बडे ध्यान से सुना-उन्होंने जितनी बातें कहीं । आज माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ विचार व्यक्त किये, उन दोनों में केवल दम्भ था । मैं सूत्र रूप में कुछ बातें आपकी अनुज्ञा से रख रहा हूं । कल उन्होंने बताया था कि प्रत्येक थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की व्यवस्था कर दी गयी है और इसके लिए हर थाने

के बाहर एक डिब्बा टांगने की बात कही गयी है किन्तु वही डिब्बा तो पहले से ही टंगा हुआ है । जब कांग्रेस की सरकार थी और जिस समय मैं भी सदन का सदस्य था उस समय से डिब्बा टांगने की व्यवस्था हुई थी उसके बारे में उसी समय मैंने कहा था, एक सवाल पूछा था कि थाने के बाहर जो डिब्बा टंगा हुआ है उनमें कितने शिकायती पत्र जनता ने डाले हैं, तो सरकार की ओर से जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी डिब्बे में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं डाला गया है । फिर भी मुख्य मंत्री जी को डिब्बे से प्रेम है तो इस पर मुझे कानूनी आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष-

दीक्षित जी आपका समय यों ही न गुजर जायें, उसके पक्ष में बोलें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

तो मैं कह रहा था जब कोई आदमी एफ0आई0आर0 लिखाने जाता है और वहां नहीं लिखी जाती है तो किसकी क्या विसात कि वह डिब्बे में अपनी शिकायत डाल दे क्योंकि गेट पर भाला लिये संतरी खड़ा होता है फिर कोई थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाता है और डिब्बे में डालता है तो कोर्ट उसका नोटिस नहीं लेगा, वह इसे गलत मानेगा ।

मान्यवर, अपराध बढ़े हैं, सदन में मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था हमारे विधान सभा प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि नवम्बर, 91 और जनवरी 92 में अपराध बढ़े हैं । दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना करने पर मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हत्याओं की संख्या में केवल 17 की वृद्धि हुई है पुरानी और इस सरकार के तुलना में । जबकि पिछली सरकार के समय में अयोध्या में कथित नरसंहार भी हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गये थे । मान्यवर, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि यही विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि राजधानी लखनऊ में मात्र आंशिक वृद्धि अपराधों में हुई है । मान्यवर, मेरा सरकार पर आरोप है कि इन ग्यारह महीनों में इस सरकार ने केवल एक काम किया है और वह है अपराधियों को संरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया है ।

मान्यवर यही विधान सभा में एक सवाल आया था जिसका मैं सदंर्भ देना चाहता हूं कि मैं मेरे जनपद उन्नाव में थाना गंगाघाट है वहां एक अपराधी को धारा 25 में पकड़ा गया, उसके पास कट्टा था लेकिन उसे छुड़ाने के लिए आपके पार्टी के एक सांसद ने थाने में धरना देकर उसे छुड़वाया जबकि उस अपराधी पर कई अपराध दर्ज हैं । मैं जहां से जीत कर आया हूं, वह पुरवा का क्षेत्र है, पुरवा कोतवाली में एक अपराधी पकड़ा गया जिसके विरुद्ध 23 अपराध दर्ज है जिनमें से चलती बस को लूटना, हत्यायें करना आदि तमाम अपराध उसके खिलाफ हैं लेकिन उसको छुड़वाने के लिए मोहन लाल गंज के एक माननीय सांसद थाने पहुंचे और कहा था मैं थाने को तालाब बनवा दूंगा । माननीय सांसद थाने में तालाब बनवा देंगे तो आप डिब्बा कहां लगाएंगे ?

मान्यवर, मैं जहां से जीत कर आया हूं, वह पुरवा क्षेत्र है, वहा मेरे खिलाफ जो हारे हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं उन पर 9 मुकदमें हैं, इस बात को यही सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जबाव दिया गया है लेकिन उनको इस सरकार ने गनर दे रखा है । इसी तरह से श्री मूल चन्द्र निवासी झड्सी पर 21 मुकदमे हैं उन पर बलात्कार, हत्या और बदले के मुकदमे कायम हैं लेकिन इनको भी सरकार ने गनर दे रखा है । श्री अवध पाल जो यहां बोल रहे थे उनके पिता पर जिसने गोली चलाई थी जिसका नाम प्रदीप है उसको भी सरकार ने गनर दे रखा है । तो मेरा कहना है कि गनर आप अपराधियों को बांट रहे है और कह रहे है कि हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे । मुख्य मंत्री जी ने अपने रिश्तेदारो को गनर दे रखा है लेकिन मान्यवर, हम भी उनके रिश्तेदार हैं कोई दुश्मन नही है । माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा अगन लाल पुत्र सहाय ग्राम डरौली थाना धनारी जिला बदायू को शैडो सहित तमाम पुलिस फोर्स व बृजपाल सिंह, चदौसी, जिला मुरादाबाद को एक से अधिक शैडो व पुलिस बल दिया गया है ।

मान्यवर, हम तो अपने कर्तव्यो का पालन करके सरकार की मदद करते हैं । मै माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र की बात बता रहा हू वहा पर पी0ए0सी0 तैनात है । उन्होंने वहीं गाव की महिलाओं के साथ बलात्कार किया है । रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं जाने दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें । (व्यवधान)

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, पश्चिम के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है । हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है । मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(ठाकुर वीरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में कहर ढा रखा है । आप कहते हैं कि सरकार जाति और मजहब पर विचार नहीं करती है मगर मान्यवर, आजमगढ़ में यादवों के ऊपर कहर हो रहा है । यादवों की हत्यायें हो रही है । पिछले कुछ महीनो में ग्राम सिधारी के सरपंच श्री श्याम करन यादव की हत्या हुई । (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

बमरौली के एक यादव को मारा गया । रानी सराय मे एक यादव को जान से मार दिया गया । इसी प्रकार से ग्राम बगवार मे घमण्डी यादव व ग्राम खानपुर, जगत पुर में खिचरू यादव की हत्या हुई ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करे । माननीय सदस्य मै अनुमति नही दे रहा हूं । माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कह रहे है लिखा नहीं जायेगा ।

(कई सदसयो के बोलने पर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जिस तरह से एक डी0जी0पी0 सुरेश चन्द्र दीक्षित को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सासद बनाया है उसी तरह से एक और डी0जी0पी0 प्रकाश सिंह हैं, जो मुझे इटावा मे मिले थे । मैने उनमे यह पाया था कि उनका व्यवहार थाने मे बैठने वाले समान्य हैड मोहरिर का भी नही है । इतने गरज कर बात करेंगे । मान्यवर, मै पढा लिखा आदमी हू, मै तो डर कर भाग गया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मुझे तो लगता है कि उसी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का प्रोत्साहन दे रहे है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री महक सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा गृह विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आज प्रदेश में भयमुक्त समाज के स्थान पर चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त है । आकड़े देने की जरूरत नही है । आज पूरे प्रदेश मे डकैती हो रही है, हत्याये बढ रही हैं । आज अल्पसंख्यक अपने आप को प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । दहेज हत्यायें बढ़ रही हैं । विधायक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । सांसदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है तो आम जनता की सुरक्षा की गारन्टी का क्या होगा ? आज उत्तर प्रदेश में आतकवाद की काली छाया फैली हुई है जिसमे डरकर आम नागरिक जी रहा है । पंजाब और हरियाणा से आज आतकवाद उत्तर प्रदेश में भी आ गया है । सरकार आतकवाद से निपटने के लिए दृढ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दे रही है । अभी हरद्वार से पहले 10 किलोमीटर दूरी पर बस से उतारकर 13 लोगों को गोली से भून दिया गया । 24 अप्रैल को रुद्रपुर थाने के अन्तर्गत छत्तरपुर गाव में 6 लोगों को एक लाइन मे खडाकर के मार दिया गया जिसकी जिम्मेदारी भिण्डारावाला टाइगर फोर्स ने ली है । महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नरसंहार के बाद आतंकवादी वहीं गाव मे छिपे रहे । पुलिस को सूचना दिये जाने के बाद भी पुलिस वहा नही पहुची । होराम सिह सिरोही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था उसका लडका और पोता भी मारा गया । गाव में जो लोग मारे गये हैं, सरकार ने उनके परिवार को 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने के लिए कहा है । मेरा निवेदन है कि उन्हे 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय और होराम सिह के एक पुत्र को राजकीय सेवा मे लिया जाय । गाव मे पुलिस चौकी स्थापित की जाय । मुझे बहुत दुख है कि सरकार अभी तक अपराधियो का पकड नही पाई है । मेरठ से आज उ0प्र0 मे सबसे अधिक आपराधिक घटनाए हुई है । इस बजट में, मै देख रहा था कि जो

आर्थिक अपराध करते है उनकी ओर कोई ध्यान नही दिया गया है । क्या माननीय मुख्य मत्री जी बताने का कष्ट करेगे कि मिलावट करने वाले कितने लोगो के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? कितने जमाखोरो के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? कितने बिजली चोरी करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष-

समाप्त करे ।

श्री महक सिह-

जो घी में मिलावाट करते है आटे में मिलावट करते हैं । मसालों में मिलावट करते हैं उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयो मे मिलावट करते हैं नकली जीवन रक्षक दवाई बेचते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री उपाध्यक्ष:-

समाप्त करें ।

श्री महक सिह-

मेरे क्षेत्र मे एक घटना हुई है किशनपुर बराल में उसमें पुलिस की सक्रिय भूमिका थी मुख्य मंत्री जी को लिखकर भी दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई एक अबोध बालक मारा गया एक अन्य व्यक्ति की हत्या हुई मस्जिद को क्षति पहुचाई गई । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री महक सिह-

इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हू और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

*श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, यह तो सब हिसाब से आभारी है लेकिन मैं आपका हिसाब से ज्यादा आभारी हू । मान्यवर, विरोधी दल लोगो ने, इन लोगों ने कई बाते कही है, विरोध करना और समर्थन करना यह तो अलग बातें हैं, अभी रेवती रमण सिंह भी बोल रहे थे मै कहना चाहूगा कि -

जेठ का गीदड आषाढ मे जल बरसा, उसने पानी को देखकर सोचा जल भरन हो गया । सूखे में जन्म लेकर उसको लगा प्रलय हो गयी है । तो हमारे विरोधी लोगो को ऐसा ही लग रहा था जैसे सूखे मे इनका जन्म हुआ हो । बरसात होने पर इनको लग रहा है डूबेगे, तो बरसात मे यह डूबेंगे नही । मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कल से मुझे यह बात खटक रही है कि मुसलमानों की कब्र को हमारी सरकार दाब रही है तो मैने उदाहरण देना चाहूगी पहले मुसलमानी राज्य मे, इसलिए ब्राहमण क्वार के महीने मे कबर खोदने चले गये, क्योकि उस समय जमीन गीली थी उन्होने सोचा कि कबर जल्दी खुद जाएगी । उनहे कबर खोदना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देखकर मुसलमानों ने पूछा क्या कर रहे हो तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम कबर खोद रहे हैं क्योंकि जब तुम मरोगे तो भी खोदनी पड़ेगी, तो तब से मुसलमानों ने उनसे कबर खुदवाना बन्द कर दिया ।

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा है कि कबरों को दाब रहे हैं तो हम उन जगहों को दाब सकते हैं, जो यहां से मुसलमान छोड़कर चले गये हैं तो इनका आशय क्या है कबर की जगह ज्यादा छोड़ने से, अगर किसी मस्जिद या किसी दरगाह के लिए जमीन छुड़वाते तो हम मान जाते । (व्यवधान)

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान कहते हैं हमारे डी0आई0जी0, एस0पी0 अल्पसंख्यको के नहीं बनाए तो "गांव तो बसा नही मांगने वाले आ गये" हमारी सरकार को दस महीने हुए हैं इनके डी0आई0जी0 एस0पी0 कहां से बना दें यह हमारी सरकार बीस साल तक बनवा दे तो इनको बनवाया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोहममद रिजवानुल हक-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । मान्यवर, मैं तीन बातों में अपनी समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, जो गृह एवं सामान्य प्रशासन का बजट आज प्रस्तुत किया गया है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे 36 करोड़ रुपया जो आतंकवाद से निपटपने के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर आपत्ति है । काश यह धन विकास कार्यों पर व्यय होता आतंकवाद तो प्यार, मोहब्बत से अपने बच्चों को समझाने से खत्म होगा । जो मुख्य धारा से अलग हो गये हैं आज हालात यह है कि टेलीविजन पर बिलखते हुए बच्चे और छाती पीटती महिलायें देखकर दिल फटा जाता है । पाकिस्तान सरकार अपनी हार का हमसे बदला लेने के लिए कम खर्च का युद्ध भारत के साथ छेड़े हुए है वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर यहां गृह युद्ध आरम्भ कराना चाहता है । मान्यवर जनता के जानमाल की हिफाजत की गारंटी सरकार की है । हर आम, आदमी यह अपेक्षा करता है कि जब उस पर कोई मुसीबत आयेगी तो सरकार उसे बचा लेगी । लेकिन आज हर तरफ हत्यायें ही हत्यायें हो रही हैं और इंसानियत का खून हो रहा है । मुख्य मंत्री जी भी एक इंसान हैं और उनके अंदर भी एक रहम दिल इंसान का दिल है वह इसे गम्भीरता से लें अल्पसंख्यकों को यहां पर बैठकर रोज कोसा जाता है उनके ईमान पर शक किया जाता है यह ठीक नहीं है ।

कुरान में साफ लिखा है कि जिस देश में रहो उसके इतने वफादार होकर रहो कि अपने बीबी बच्चों तथा जानमाल को सबको देश के लिए कुरबान कर दो । यहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो बातें कहीं जाती हैं उनको सुनकर बड़ी पीड़ा और दुख होता है । मान्यवर, मैंने फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ पढा था और जब सरकार ने नौकरी नहीं दी तो सार्वजनिक जीवन मे आ गया । हार्ट का मरीज हू आप लोगो ने एक सूची जारी की जिसमे मेरा भी नाम सम्मिलित किया है । मैंने कभी न अपहरण किया है और न मेरे खिलाफ कोई 302 का मुकदमा चला है लेकिन मुझे उस सूची में शामिल किया गया है यह शर्म की बात है तीसरी व अन्तिम बात मुरादाबाद के जो एस0एस0पी0 हैं उनको वहा के दो दरोगा इतना परेशान किये हुए है कि उनकी जिंदगी तबाह कर रखी है । दरोगा सियाराम और एक त्यागी दरोगा हैं जिन्होंने कई-कई रिट कर रखी हैं जब वह उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वह जाकर रिट कर आते है । मैं आतकवाद के सिलसिले मे मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सारे दलों को साथ लेकर, सारे नेताओं को साथ लेकर, मिलकर आतकवाद को समाप्त करने की कोशिश करे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

बजट साहित्य समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव-

मानयवर, सोमवार को परिवहन, आबकारी का बजट है कल सेकेंड सटरडे और परसों संडे है । सचिवालय बन्द है, लाइब्रेरी बन्द रहेगी । साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है । जिनको कटौती पेश करनी है वह जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे ? साहित्य समय पर मिल जाना चाहिये । साहित्य न मिलने से तैयारी नहीं हो पाती है । आप इस पर निर्देशित करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय स्वामी नाथ यादव ने जो प्रश्न उठाया है उस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हू ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

श्री राम प्रसाद सिह -

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है इसके लिए मै आपका आभारी हू । मै कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हू । अभी मुख्य मत्री जी ने और राज्य गृह मत्री जी ने कानून और व्यवस्था की बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की । आकड़े बताते है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है

और अपराध बढे है । इसके अलावा आतकवाद की समस्या और अलग से हो गयी है और यह समस्या बडी भीषण है । मै तथ्यो के आधार पर बताना चाहता हू कि हमारे जनपद बादा की जो समस्यायें है, वहा सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों के कारण अपराध है । वहा पर बधुआ मजदूरी, सामाजिक उत्पीड़न, सामतवाद की समस्याये है । अभी एक महीने पहले का किस्सा है गपतेलहा गाव मे अनुसूचित जाति की 20 औरतो को गाव से बाहर अपराधी ले गये और रात भर उन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । इस घटना की रिपोर्ट भी थाने पर नही लिखी गयी घनश्याम ब्लाक प्रमुख मऊ कचन सिह को पुलिस पकड़कर ले गई वर्षो से पता नही उनके दुश्मनों को जलाकर मार डाला गया । जनवरी के महीने में गदाखाने के एक व्यक्ति, रैपुरा के एक व्यक्ति, बीतापुरवा के दो व्यक्तियों तथा कल्यान पुर के 2 व्यक्तियों का अपहरण किया गया और वह महीनों अपराधियों की पकड़ में रहे । फिरौती देकर छूटे पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। यह सब एक ही जाति के ही कमजोर वर्गों का उत्पीड़न हो रहा है शासन सम्वेदनशील हो तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं डी0आई0जी0 कमिश्नर एक ही वर्ग के नही करते । इसका भी बड़ा प्रभाव है ।

मै यह बताना चाहता हू कि ये जितने अपराध हुए हैं इसमें पुलिस की भी सह थी । इसी प्रकार पहाड़ियापुर के ऊपर काण्ड हुआ बांदा में दवाइयों की थोक दुकान थी अपने रेंज के आई0जी0 उनके सगे बहनोई के बहनोई हैं पांच छः लाख की चोरी की संदेह में रपट लिखाई गई कोतवाली पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी । अपराधियों से 25 हजार रुपया लिये थे कह रही थी बीमा के लिए धरना दे रहे है अपराधियों के घर से सामान हट रहा था वादीगण घर की देखरेख में थे पुलिस से कहा वह नही जा रहे थे । रात्रि मे आई0जी0 इलाहाबाद को टेलीफोन किया उन्होंने एस0पी0 बादा को टेलीफोन किया बड़े कठिनाई से चार सिपाही एक सब इसपेक्टर दिया पाच लाख की चोरी का माल बरामद हुआ । यदि आई0जी0 के रिश्तेदारों की अनसुनी है तो साधारण से क्या आशा की जा सकती है इतना ही नही अपराध का बाप बडा अफसर है । अपराध बचाओ के बहाने लाखो की वसूली की थी फिर भी गैर सवदेनशील पुलिस को दड के बजाय आई0जी0 ने पुरस्कृत किया ।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री राम प्रसाद सिह को आगे बोलने की अनुमति न दिये जाने पर भी श्री राम प्रसाद सिह के साथ अन्य माननीय सदस्य बोलने हेतु अवसर की माग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें । मैं अनुमति नही दे रहा हू । जो माननीय सदस्य बहुमूल्य सुझाव देना चाहते हों, लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें । माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर विचार कर लेगें । अब मै किसी को अनुमति नहीं दूगा । कृपया माफ करें, मैं अनुमति नहीं दूंगा । माननीय राम प्रसाद सिंह जी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया समाप्त करें । आप जो कुछ बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा । माननीय नेता विरोधी दल कृपया उत्तर भाषण दें । मै आप लोगों से क्षमा चाहता हूं । अब अनुमति नहीं दे पाऊंगा । मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा । आप सब कृपया बैठें । माननीय राम प्रसाद सिंह जी आप कृपया बैठें । आप जो कुछ बोल रहे हैं । लिखा नहीं जा रहा है । कृपया बैठ जायं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट और पुलिस प्रशासन पर जो सम्मानित सदन के नेता, गृह राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य और सम्मानित कांग्रेस-ई के प्रमोद तिवारी जी, जनता दल अ के कैलाश नाथ सिंह जी, सजपा के बेनी प्रसाद वर्मा जी, सी0पी0आई0 के ऊदल जी ओर सत्ता पक्ष के जितने सदस्यों ने अब तक बोला है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं मान्यवर, कि उन्होंने बड़ी निर्भीकता से सही ढंग से अपनी बातें प्रस्तुत की । ज्यादातर सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी हमारी बात को ताईद किया और ताईद करने में अन्त में उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का वे समर्थन करते हैं । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी हालात कुछ और हैं आज बेचारे आपके दल में हैं, बंधुवा मजदूर हैं, जो कहेंगे मजबूरी में कहेंगे । लेकिन हालात अगर पूछे जायं तो आपको बैसाख के महीने में हरियाली भले ही नजर आ रही हो, लेकिन आज हालत यह है कि स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत बदतर है । यह कोई राजनीति से प्रेरित बात नहीं कह रहा हू । न तो अतिरंजना कर रहा हू । अभी गृह राज्य मंत्री जी ने स्वय कुबूल किया, आप भी कुबूल करेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, आप भी कहेंगे कि आपने आदेश दे रखे हैं कि जितने भी एफ0आई0आर0 हैं, दर्ज की जाय और दर्ज की जा रही हैं । मैं अभी आपको थोड़ी सी एफ0आई0आर0 जहां दर्ज नहीं की जा रही है, उन मामलों को लिख कर दूंगा लेकिन मानयवर, एक बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज आप सत्ता में हैं, कल विपक्ष में होंगे, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि ये पुलिस आज से नहीं हैं । पुलिस मैनुअल हमारे साथी ने कहा था । सम्मानित सदस्य ने कहा था कि यह पुलिस मैनुअल इतना पुराना हो गया है कि उसमें परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है ।

मान्यवर, वह जो कैदी बेचारे गिरफ्तार होकर जाते हैं, उनको 6 आने या 50 पैसे ऐसे ही कुछ उनको खाने को दिया जाता है अब आप बतावें कि 6 आने या 50 पैसे में वह कैसे खायेगा ? जितने सिपाही लगा दिये जाते हैं वे फार्मल रूप में

लगा दिये जाते हैं । उनके मान प्रतिष्ठा की कोई फिक्र नहीं की जाती है । मान्यवर, मुझे एक रिटायर्ड इंसपेक्टर 10 साल पहले मिला था, उसने कहा कि पहले अगर ऊपर से डिप्टी एस0पी0 भी जांच में चले जाते थे, तो पूरा थाना एक बार घबड़ा जाता था कि कैसे मेरे खिलाफ कार्यवाही हो रही है । आज आई0जी0, डी0आई0जी0 जाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है । मैं उनके ऊपर कोई लांच्छन नहीं लगा रहा हूं । मान्यवर, आज से 10 साल पहले पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत हो जाती थी, तो कार्यवाही हो जाती थी लेकिन आज आप सवाल करते रहिये, मानसिकता ऐसी बन गयी है, चाहे वह कोई सरकार हो, इस मानसिकता को बदलना होगा । जब तक यह आम जनता नहीं महसूस करेगी वह महफूज है तब तक आप भयमुक्त समाज कैसे कह सकते हैं । पंजाब में तो आतंकवादी एक विचारधारा से प्रेरित होकर वहां पर आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं । वहां से पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की सीमा बहुत लम्बी लगी हुई है, जिसे रोका जाना संभव नहीं है और आन्ध्र प्रदेश की आपने चर्चा की । जमीन की मुराद से लेकर उनका एक लक्ष्य है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या लक्ष्य है, जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आपने कबूल किया, साल में 26 घटनाएं हुई, मेरे आकड़े के अनुसार 450 आतकवादियों के शिकार हुए हैं । आज उन 12 जिलों में स्थिति क्या है ? कितनी भी आप सफाई दें, लेकिन आज वहां पर आतंकवादियों का ही साम्राज्य है, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है । आप क्या प्रयास कर रहे हों, क्या नहीं कर रहे हों, आप सदन में बैठते हों, हम आपकी बात मान लेते हैं अभी साल भर तक अखबारों में लगातार आतंकवाद का जिक्र होता रहा है, रोज आतंकवाद की घटनाएं घटित होती रही हैं । अब राज्य मंत्री ने कह दिया कि एक साल पहले, दो साल पहले घटित हुई । शासन बदलता रहा है, आतंकवाद नहीं रुक पाया, तो आप अपनी अक्षमता कबूल करते हो कि आप नहीं रोक पा रहे हैं, वह घटनाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं, कारण कुछ भी हो, उन कारणों की विवेचना और उनका उपाय करना आपका दायित्व है ।

आज जनता ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं । जिस दिन आप उस कुर्सी पर नहीं रहोगे, कोई आपसे नहीं कहने जायगा । इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं विरोध पक्ष से बोल रहा हूं । यह कह कर आप अपने दायित्व से वंचित नहीं हो जायेंगे । आतंकवाद की घटना आज पूरे देश में है । आसाम में है, कश्मीर में है, पंजाब में है, आज जो शासन है प्रदेश का वह अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता । आपने कितना प्रयास किया, उसका क्या नतीजा हो रहा है और कब तक आप काबू में कर सकते हैं ? हर बात में आप कह देते हैं कि केन्द्र सरकार नहीं कर रही है, मान्यवर, सत्ता में आप हैं । आप अपने

दायित्व का निर्वहन करें । भयमुक्त समाज के बारे में कल मैंने बहुत ब्योरे से बताया था । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । बदायूं में रिछपाल धीमर गैंग का सफाया कर दिया है । यह आपकी जो किताब बटी है, उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण 1-1-1991 से 31-12-91 तक उसी से बता रहा हूं । आपने बताया है कि उसको मार दिया गया है और पुलिस ने इनाम भी ले लिया है और आप उनको साधुवाद देते जा रहे हैं, लेकिन रिछपाल धीमर आज भी जिन्दा है, वह दूसरे जिलों में घूम रहा है । पुलिस ने बीरपाल यादव को मार दिया, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, कोई एफ0आई0आर नहीं थी और पुलिस ने कह दिया कि धीमर के गैंग का सफाया कर दिया गया है, तो यह देख लीजिए, काम कैसे होते हैं, मारा जाता है कौन और कह देते हैं कि इन-काउन्टर में मारा गया है एक और उदाहरण देना चाहता हूं, रमेश सिंह को पाकेटमारी में रसड़ा बलिया में पकड़ा गया, पुलिस ने उसको इतना मारा और जब वह मरने वाला हो गया, तो उसको छोड़ दिया, वह दूसरे ही दिन घर पर मर गया । रईसुद्दीन की हत्या हुई, 302 में एफ0आई0आर0 हुई, लेकिन उस पर कार्यवाही हुई, कुछ नहीं कार्यवाही हुई । गाजियाबाद में 70 लोग कत्ल कर दिये गये एक महीने में । नई दिल्ली में एक महीने में 12 लोग मारे गये ।

मैं टेलीविजन देख रहा था, सत्यदेव सिंह ने इस सवाल को उठाया और उस पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है । गाजियाबाद की आबादी को देख लें और दिल्ली की आबादी को देख लें । आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है । मान्यवर, उन्होंने अपने हथियार ईजाद कर लिये हैं, पुलिस किसी गैंग को पकड़ नहीं पायी है । एक विधायक के भाई की हत्या हुई, उसका मामला मैंने कल उठाया था । बदायूं में 70 घटनायें हुई हैं । नागरिकों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आपने कहा कि आदेश कर दिया है, आप यह भी तो देखें कि आपके आदेशों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, यह भी तो देखें, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, अगर रिपोर्ट सही ढंग से दर्ज कर ली जाये तो अपराध दुगुना हो जायेंगे, केवल लखनऊ से ऐलान कर देने से काम होने वाला नहीं है । आगरा के जैदपुर के ब्लाक प्रमुख के बारे में कोई मिला, आप कहते हैं कि आपराधिक मामलों को सी0आई0डी0 को नहीं सौंपा जायेगा और इस मामले में सोबरन सिंह भदौरिया के बारे में कोई एफ0आई0आर0 नहीं है जिस व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या की दो आदमियों की और एक सिपाही की, उसमें पुलिस मौके पर जाकर उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल ले जाती है लेकिन उसमें आपने सी0आई0डी0 की इन्क्वायरी करा दी, मुझे मालूम है कि क्यों करा दी क्यों आपकी पार्टी के लोगों ने जोर डाला और इतना साहस आप बटोर नहीं पाये या तो आप सच्चाई को कबूल करते और कहते हैं कि हमने वसूल बनाया है कि सी0आई0डी0 की

की इनक्वायरी नहीं करायेगें लेकिन ऐसा नहीं कर पाये । मान्यवर, सी0आई0डी0 ने इन्क्वायरी की और सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है क्यों नहीं हुई क्यों कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वह आपकी पार्टी से सीधे जुड़ा हुआ है उसका पहले भी आपराधिक चरित्र रहा है और वह आपराधिक गैंग से जुड़ा हुआ है अगर यह बात सही है तो आप कह दीजिए इसी सदन में एस0पी0आर0ए0 और ए0डी0एम0 आर0ए0 ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें कहा गया है या नही कि वह अभियुक्त है । लेकिन मैं जानता हूं कि आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे । आगरा के बारे में अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था कि पूरे साल भर आपने स्थानान्तरण किये हैं यही नई स्थानान्तरण नीति बनाई है आपने । आगरा मे आपके सांसद ने एक मकान पर कब्जा कर लिया मकान हड़पो नीति के तहत तो उस एस0पी0 ने ईमानदारी से मकान को खाली करा दिया तो 24 घण्टे के अन्दर उसका आपने बिस्तर गोल कर दिया डी0एम0 इटावा बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं भला व्यक्ति है लेकिन आपके लोगों में हां में हां नहीं मिला सकता, आपके लोग इतने दिन झेल नहीं पाये क्योंकि ईमानदारी से वह काम करता था उसका ट्रान्सफर हो गया । तो मान्यवर, यह जाल जो आप बिछा रहे हैं, बड़ा आपने मनोबल बढ़ाया है मैंने कल बहुत से सुझाव दिये हैं कि आपके डी0एम0 है मुजफ्फर नगर के उन्होंने लोक मंच के माध्यम से एक वहां पर स्टार नाइट बनवाया है यह एक अभूतपूर्व घटना है । प्रमोद तिवारी जी ने सम्भवतः इसे कल दिया था, 12 लाख रुपये इकट्ठा हुए कोई डी0एम0 का यह अधिकार है कि वह इस तरह का काम करें ? मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने इसकी कोई परमीशन ली थी । आप जो सुधार करना चाहते है वह जब तक आमूल परिवर्तन करने के लिए आपके मन में संकल्प नहीं होगा तब तक आप इसी तरह की घिसी पिटी बातें इस सदन में बताते रहोगे असल बात तो यह है कि अगले साल आपको मौका मिलेगा तो बताओगे लेकिन मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह आप बताओगे, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सही में उन घटनाओं पर रोक लगाना चाहते हों तो सीधे जिले के एस0एस0पी को जिम्मेवार ठहराओ कि अगर एक थाने मे 5 डकैतियां पड़ गयीं तो वहां के दरोगा के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी । कल मैंने आपको काफी सुझाव दे दिये है एक बात का और अनुरोध करूंगा कि सिपाही की भर्ती की उम्र आप 20 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दें क्यों कि जितनी नौकरियां हैं उसमें 32 साल हो गयी है सिपाही भर्ती की उम्र पता नहीं कितने दिनों से 20 साल ही है अगर ज्यादा कर न सके तो इसके लिए 25 साल उम्र कर दें इसके लिए न तो आपको डी0जी0पी0से पूछना है और न होम सेक्रेट्री से पूछना है यह तो आप मुख्य मंत्री की हैसियत से स्वयं घोषित कर सकते हो इसमें नागपुर से भी नहीं पूछना है । इसके साथ ही आपको बधाई दूंगा कि जो बात मैंने कही है उनको कबूल करेंगे । आप अगर कहेंगे, सही बोध अगर आपके

मन मे है, अपराध बढा है, अपराध बढने का कारण आप बता सकते हो लेकिन यह भी चाहूगा कि आज अल्पसख्यक, आज पिछडे वर्ग के लोग जो सहमे और डरे हुए है उनके मन मे भी आत्म विश्वास पैदा होना चाहिए । इन्ही शब्दो के साथ मै आपसे यह विनम्र आग्रह करूगा कि हमारे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगे ।

(इस समय 7 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन पीठासीन हुए)

*मुख्य मत्री (श्री कल्याण सिह)-

श्रीमन्, मै माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता काग्रेस दल, माननीय नेता जनता दल (अ), माननीय नेता जनता दल (ब), माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्ष के अन्य माननीय नेताओं

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने सजपा का नाम नही लिया ।

श्री कल्याण सिह-

मैने सभी के लिए कहा माननीय नेता सजपा के लिए कहा अब वह जनता दल के ध्यान मे रहता है, कभी सिमट जाते है, कभी कुछ होता है ।

मान्यवर, मै सभी माननीय नेताओ, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यो के प्रति आभार प्रकट करता हू कि गृह विभाग सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा मे भाग लिया, सुझाव आये, मैने कल भी कहा था आज इस बात को दोहराना चाहता हू कि जितने भी भाषण हुए है उन सभी भाषणो की प्रतिया अलग निकलवा लेगे और जो कुछ भी उसमे करणनीय है करना चाहिए उसमे अवश्य ध्यान देगे .गम्भीरता से ध्यान देगे । श्रीमन् मै इस समय इन अनुदानो पर उत्तर देने मे अधिक समय नही लेना चाहता हू क्योकि इसके पश्चात् आवास के बारे मे, लोक निर्माण विभाग के राज्य सम्पत्ति के बारे मे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभागो पर चर्चा होनी है । इस नाते से श्रीमन् मै 2-3 बाते प्रारम्भ मे कहना चाह रहा हू मोटे तौर पर यदि सभी भाषणो का मै निष्कर्ष निकालू, जिन घटनाओ की चर्चा की गयी अवश्य देखूगा कि कहा-कहा क्या मामला हुआ है, एक प्रश्न उठाया गया कि प्रदेश प्रशासन मे अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसख्यको का प्रतिनिधित्व नही है या महत्वपूर्ण पदो पर नही रखे जा रहे है, कुछ विशेष घटनाओ का उल्लेख किया गया एक घटना के बारे मे कहना सभव नही है परन्तु कुछ ऐसी बाते है जिनके बारे मे सही स्थिति सदन के सामने आनी चाहिए जनता के सामने जाये अन्यथा भ्रम पैदा होगा । कुछ अपराधो की वृद्धि के बारे मे सभी की चिन्ता है अपराधो को कम करने के लिए सरकार क्या सोचती है क्या करने जा रही है क्या उपाय कर रही है ? आतकवाद के ऊपर इतनी चर्चा हो चुकी है कि कुछ कहना शेष नही रहा, कल मैने भी प्रकाश डाला था आज आपने भी कहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

पुलिस प्रशिक्षण के बारे मे चर्चा आयी कि अल्पसंख्यकों या पिछड़े वर्गों में कुछ अविश्वास की भावना है उनके मन में कुछ आतंक की भावना व्याप्त हुई है ऐसी कुछ बातें आयी हैं । बाकी कुछ घटनायें जिलों के हिसाब से थानों के हिसाब से बतायी गयी हैं सबका सकलन करके जरूर देखेंगे कि कहां क्या हुआ है । मैं प्रारम्भ मे बड़ी गम्भीरता के साथ 4-5 बातें कहना चाहता हूं । विषय पर आने के पूर्व जिस बात की चर्चा बहुत हो रही है, हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं, हम इस बात को स्वीकार करें कि राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण यह लोकतंत्र के लिए कैन्सर का काम कर रहा है, इससे लोकतंत्र मिट जायेगा अगर बैलेट के स्थान पर बुलट चलना शुरू हो जायेगा यह एक ऐसा तथ्य है जिसको सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि एक दल ने क्या आरोप लगाया है और प्रत्युत्तर में दूसरे दल ने क्या कहा है । मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर खुली बहस होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए । सब दल एक साथ मिलकर बैठें और एक सामान्य आचार संहिता का विकास करें । मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर बड़ी गम्भीरता से चिन्तित हूं कि कोई आचार संहिता राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए । स्वस्थ परम्पराएं राजनीति को स्वस्थ दिशा देंगी और आज यह आपके देश के लिए आवश्यकता बन गयी है, लोकतंत्र के लिए महती आवश्यकता बन गयी है कि एक आचार संहिता सब दल मिलकर के तय कर लें कि जो कोई भी अपराधी है या आपराधिक चरित्र वाला व्यक्ति है उसे कोई अपने दल में सदस्य नहीं बनायेगा । मैं किसी एक राज्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, यह राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली बात है, जिस तरह से आतंकवाद लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है उसी तरह से यह भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है । तो हम सब यह तय कर लें कि किसी भी अपराधी को या आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को दल का सदस्य नहीं बनायेंगे, सभी दल इस बात का फैसला कर लें कि इस प्रकार के व्यक्तियों को कोई चुनाव का टिकट नही देगा, सभी दल इस बात का फैसला कर लें कि इस प्रकार के व्यक्तियों को कोई प्रश्रय नहीं देगा, सहारा नहीं देगा ।

एक सदस्य-

निर्दलीय के रूप में जीतकर आ जायेंगे ।

श्री कल्याण सिह-

पहले सब दल मिलकर तय कर लें, निर्दलीय की समस्या ज्यादा नहीं है । सब दल यह मिलकर तय कर लें कि अपराधी को या आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को हममें से कोई समर्थन नहीं देगा या प्रोत्साहन नहीं देगा । हम सब यह मिलकर

तय कर लें कि इस प्रकार के व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर या सार्वजनिक तौर पर कोई सम्मान नहीं देंगे और न ही कोई पहचान देंगे । मेरे मन का कष्ट यह है कि मैं बड़ी अजीबो गरीब बदल देख रहा हूं । एक जमाना था जब अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संरक्षण के लिए किसी न किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास जाते थे चाहे वह किसी भी दल का हो मगर आज क्या है कि राजनीतिक में काम करने वाले बहुत से लोग अपराधियों की शरण में जाते हैं कि चुनाव में हमको जिता देगा या बूथ कैपचरिंग करा देगा । एक बात श्रीमन्, मुझे इस बारे में और कहनी थी, मैं चाहता था कि बहस छिड़े । आलोचना प्रत्यालोचना के लिए नहीं, राजनीति को स्वच्छ दिशा देने के लिए मैं इसकी महती आवश्यकता मानता हूं । आतंकवाद के बारे में भी एक बात कहनी है, वैसे चर्चा बहुत हो गयी है, अब ज्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं । इधर से भी काफी दिया गया है, उधर से भी काफी प्रकाश डाला गया है । परन्तु मैं इसके बारे में 3 बातें कहना चाहता हूं । पहली, हम आतंकवादियों की उस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, जो साजिश हिन्दू को, बाकी समाज को, सिखों को बांटने का खेल खेलती है । जिस दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया, यह देश कमजोर हो जायेगा । आतकवादियों की यह साजिश हो कि कुछ ऐसे झगड़े कराओ, कुछ ऐसे अपहरण करो कुछ ऐसी हत्यायें करो कि प्रतिक्रिया में कुछ लोग सिखों के साथ कुछ कर बैठें ।

श्रीमन् हम वह गलती नहीं दोहरायेंगे, न दोहराने देंगे, जो 1984 में प्रतिक्रिया स्वरूप सिखों के खिलाफ हो गयी थी । मैं मांग करता हूं कि जो भी रिपोर्ट आई है, उसमें किसी का दोष सामने आया है, निर्दोष सिखों की हत्या के लिए, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । दूसरी बात श्रीमन् जब हम आतंकवाद के ऊपर चर्चा करें, तो उस कठिनाई को हम सभी ध्यान में रखें कि जो आतंकवादी है, जो किसी से मूहूर्त नहीं पूछता, स्थान नहीं पूछेगा, प्रक्रिया नहीं पूछेगा, समय नहीं पूछेगा, वह जब चाहे, जहां चाहे, जितनों को चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस समय चाहे मार देता है, कहीं अपहरण करता है, पैसे की खातिर और कहीं हत्यायें करता है, आतंक पैदा करने के लिए । हमारी कठिनाई यह है कि हमें अंधेरी कोठरी में भरे हुए भूसे में से सुई खोज कर कार्यवाही करनी पड़ती है । अब जो कार्यवाही हुयी है, उसके बारे में हमारे गृह राज्य मंत्री ने प्रकाश डाला है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । पीलीभीत में 10 लोग मारे गये, अब मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मामला न्यायिक जांच में पहुंच गया है, परन्तु मैं माननीय प्रमोद जी, माननीय प्रधान मंत्री जी, भारत सरकार के एन0आई0सी की पिछली मीटिंग के भाषण के उस अंश को उद्धृत करना चाहता हूं, जिसकी मैंने वहां भी प्रशंसा की थी । उन्होंने कहा था कि जब कभी पुलिस कुछ कार्यवाही

करती है, तो मानवतावादी सगठन, ह्यूमन राइट्स के सगठन और न जाने कौन-कौन आकर हाय तोबा कर देते है, नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन जब निर्दोष लोग मारे जाते है, पुलिस का व्यक्ति मारा जाता है, तो सबकी जुबान पर ताले पड जाते हैं यह जो प्रधान मत्री जी ने कहा है, उसे मै कह रहा हू । मै उसकी तारीफ करता हू । किसी भी घटना पर विचार व्यक्त करते समय, खासकर आतकवादी घटनाओ पर विचार व्यक्त करते समय कोई ऐसी बात नही कहनी चाहिए, जिससे अगर हमारे पुलिस के जवान जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हों तो उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे । पीलीभीत मे जो कुछ हुआ, उसके गुण-दोष के बारे मे मै कुछ नही कहना चाहता हू पर इतना अवश्य कहना चाहता हू कि उस घटना की जिस तरह से आलोचना की गई और जिस तरह से पुलिस को कटघरे मे खडा कर दिया गया, उससे निश्चित ही पुलिस के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पडा है । फिर भी हमने उनसे कहा है कि हिम्मत हारने की आवश्यकता नही है । हम आतकवाद से निपटने के लिए कटिबद्ध है । हम इसमे समाज का भी सहयोग लेगे । हम हर वर्ग का सहयोग भी प्राप्त कर रहे है । आतकवाद के बारे मे तीन प्रमुख बाते मुझे कहनी थी, जिन पर मैने प्रकाश डाल दिया है ।

श्रीमान् दगो की यहा पर बडी चर्चा हुई । मै स्पष्ट करना चाहता हू कि दगा समाज के लिए और देश की प्रगति के लिए घातक है । मै जोर देकर कहना चाहता हू कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सरकार दगो की राजनीति मे विश्वास नही करती । हम उसकी भर्त्सना करते है । श्रीमन् इस सबध मे मे 4-5 बाते कहना चाहता हू । हमारा पूरा प्रयास है कि प्रशासन को हम जनता के प्रति सवेदनशील बनाये और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाये । हमारा पूरा प्रयास है कि हम अच्छा शासन और स्वच्छ प्रशासन प्रदेश की जनता को दे । यह भी हमारा पूरा प्रयास है कि प्रशासन तत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाये और भ्रष्टाचार मुक्त बनाये । मै जानता हू कि जो कुछ बात हम कर रहे है, उन सब कामो को स्विच आन व स्विच आफ की तरह से नही किया जा सकता है परन्तु शासन की नीति स्पष्ट है और उसकी नियत स्पष्ट है । इस मार्ग मे कुछ कठिनाइया अवश्य आयेगी, परन्तु यह हमारी दिशा है और इस पर हम चलने का प्रयास कर रहे है और मै चाहूगा कि इसमे हमे सभी का सहयोग मिले । हमने प्रशासनतत्र मे भी स्पष्ट कर रखा है कि हर अच्छे अधिकारी/कर्मचारी को हम पूरी शाबासी देगे परन्तु हर उस अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित भी करेगे जो गलत काम करेगा । इस 10 महीने मे हमने उस प्रक्रिया से काम भी किया है ।

श्रीमन् तीसरी बात भी मै साफ करना चाहता हू । हम जातीयता व मजहब के आधार पर नियुक्तियां, प्रोन्नतिया व पदस्थापनायें नही करेगे और न ही हमने किया है । हमारा एक ही सूत्र है कि अच्छे उपयुक्त अधिकारी के लिए उपयुक्त स्थान और हर उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त अधिकारी । कही असतुलन हो सकता है परन्तु हम उसे फिर देखेगे । यदि कहीं कोई अच्छा अधिकारी अच्छी

पोस्टिंग पाने में रह गया हो तो उसे हम देखेंगे । इन 10-11 महीनों में हमने अच्छे-अच्छे अधिकारियों को खोजा जो किन्हीं कारणों से कबाड़खाने में फेंके गये थे । आज जिनके कारण से परिणाम भी अच्छे रहे हैं । उनके टूटे हुए मनोबल को हमने साधा है । लेकिन श्रीमन् कुछ समय लगता है । लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनहित में, प्रशासनिक हित में और अनुशासन को बनाये रखने के हित में सरकार स्थानान्तरण नीति अपनाती है उसमें किसी जाति का कोई है या मजहब का कोई है वह आधार स्थानान्तरण का नहीं होता है । पदोन्नतिं में कहीं कोई भेदभाव नही किया गया है अंकगणितीय अहेता के आधार पर, अर्थमैटिकल मैरिट्स के आधार पर 10 साल की चरित्र पंजिका को देखते हुए, उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए उत्कृष्ट प्रविष्टि है तो इतने नम्बर दिये जायेंगे उत्तम है तो इतने नम्बर दिये जायेंगे, प्रतिकूल है तो इतने नम्बर माइनस किये जायेंगे डी0पी0सी0 बैठकार पदोन्नतिया की जाय और पदोन्नतिया जिन-जिन विभागों में हुई है इसी आधार पर की गयी हैं । उसमें कही से हमारे पास सिकवा शिकायत नहीं आई है । अगर किसी को लगता है कि अन्याय हो गया है तो उसमें सरकार खुले दिल से विचार करेगी, खुले दिमाग से विचार करेगी ।

अब मैं उन तीन चार बिन्दुओ की ओर ध्यान आकृष्ट कर अपनी बात पर विराम दूंगा क्योंकि अभी अगले बजट सामने हैं (व्यवधान) एक-एक मिनट में कहूंगा ।

स्थानान्तरण के संबंध में बताना चाहता हूं पिछली सरकार के समय में कितने हुए और हमारे समय में कितने हुए ? पिछले बता रहा हूं हमारे से पहले आई0ए0एस0 के स्थानान्तरण हुए थे 508 ।

श्री प्रमोद तिवारी-

पिछले साल की ही बतायें ।

श्री कल्याण सिंह-

पिछले साल की ही बता रहा हूं, हमारी आपकी तो यह मिली भगत है कहते हैं तो हमने मात्र 279 किये हैं आई0ए0एस0 के, अब आई0पी0एस0 आफिसर पिछले साल 900 स्थानान्तरित हुए और हमारे समय में 577 हुए । अब स्थानान्तरण का समय आ रहा है उसमें भी नीति सुनिश्चित करने की बात है उसमें भी वही पैमाना होगा अच्छे स्थान पर अच्छे अधिकारी यानी उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त अधिकारी ताकि संवेदनशीलता आये । (व्यवधान) कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाबू राम जी आप भी आगे हैं । वाकई में कई मामलों में हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं । ईश्वर से प्रार्थना है हम बराबरी करना भी नहीं चाहते हैं । हम

बराबरी नहीं कर सकते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन में बराबरी नहीं कर सकते हैं, यह हमारी कमजोरी है और ऐसे मामलों में कमजोर रहना ही पसंद है।

अब प्रश्न आया था कि अनुसूचित जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखा गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं दिनांक 1-5-91 को, हमारी सरकार आने के पहले की गणना है, प्रमुख सचिव थे 10 इस सरकार में अनुसूचित जाति के प्रमुख सचिव पदों पर 13 लोग हैं सचिव के पद पर पिछली बार 34 थे अबकी बार 35 हैं, कुछ और बढ़ेंगे। आयुक्त के पद पर, जिसमें बाबू राम के समान नहीं आ पाये हैं, 13 पहले थे और 13 इस बार भी कर दिये हैं.. (व्यवधान) अगर 13 की फीगर अशुभ है तो इसको बदल देंगे। 13 को लेकर आप आये थे और 13 में आपकी यह हालत हुई तो हम 13 को बदल देंगे। इस अच्छे सुझाव को देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमन् इसी प्रकार एम0डीज0 के पद पर और विभागाध्यक्ष के पद हैं, इसके आकड़े भी सारे मौजूद हैं, उनको बताने में समय बहुत लग जायेगा।

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक दूसरी बात आयी थी-परसपुर काण्ड की चर्चा आई थी। मैं कई बार कह चुका हूं कि वह बहुत दुखद् गोलीकाण्ड हुआ और छात्र उसमें मारे गये थे। लेकिन कदाचित् यह आप अपने मन से स्वीकार करते होंगे कि जितने त्वरित और अपने में व्यापक ऐक्शन हुए उतने कदाचित् ही कोई सरकार करती होगी। उसमें हमने एस0पी0 को हटाया, एस0डी0एम0 को हटाया और सी0ओ0 को हटाया और दो-दो एस0आई0 गिरफ्तार किये और उनको जेल भेजा गया। उनको मुलजिम बनाया गया। राहत के नाम पर, जो मैंने कहा था कि जान की कोई कीमत नहीं होती है, फिर भी वह भी किया। कल नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं कहा कि एस0पी0 को हटाया, अब न हटाते तो शिकायत होती कि नहीं हटाया। उसे सीतापुर भेज दिया, यह भी कह दिया। तो मैं उनको सही कर दूं कि वह सीतापुर नहीं झांसी गये हैं। आपने कहा था कि सीतापुर में उसे अच्छी पोस्टिंग देकर उसके लिए और अच्छा कर दिया है। आप इसे सही कर लें....

कुंवर देवती रमण सिंह-

मैंने जो कहा था उसमें आप भी सुधार कर लीजिए सम्भवतः श्री राम सिंह, जो एस0पी0, गाजियाबाद (सिटी) थे, उनके बारे में मैंने कहा था। उनको आप लखनऊ लाए है।

श्री कल्याण सिंह-

तो श्रीमन्, कार्यवाही में कहीं गलती रह गयी होगी। मैं कार्यवाही के ही अंश से पढ़ रहा हूं। इसमें आखिरी वाक्य आपने एक यह कह दिया कि इस

गोली काण्ड में एक पिछडी जाति और एक अनुसूचित जाति को जेल भेज दिया । अगर 302 के वह मुलजिम थे तो हमने पकड़ कर जेल भेज दिया तो हमारी उसके लिए तारीफ करनी चाहिए । मैं न भेजता तो आप हम पर आरोप लगाते कि 302 के मुलजिम हैं फिर भी आपने उनको जेल नहीं भेजा । किसका कसूर है, उसको अगर जातियों के दायरे में बांध कर देखना शुरू कर देंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आयेंगे । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेता विरोधी दल ने कैसे ऐसी अजीबो-गरीब बात कह दी । वह तो बंद रहेंगे ही ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

यह सब मैंने कहां कहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री कल्याण सिंह -

उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा जब आपके पास आपका भाषण जाये । मैं तो उसी से पढ़कर बता रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

आप कहां से उल्लेख कर रहे हैं, यह बता दें, यह हमने कहा ही नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह -

प्रोसीडिंग साइक्लोस्टाइल मेरे पास है उससे मैं कह रहा हूं ।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने हेम चन्द्र, पुलिस निरीक्षक, सीतापुर का था उसके न रहने पर उसके परिवार को सहायता नही दी गयी है । तो मै जानकारी देना चाहता हू कि 25 हजार रुपये की सहायता मुख्य मंत्री कोष से और 30 हजार रुपये की सहायता अलग से भुगतान कर दी गयी है और बाकी देय के लिए आदेश जारी हो गये है और उसके परिवार मे कोई लड़का या लड़की जो होगी उसकी योग्यता के अनुसार सरकार रोजगार देगी ।

श्रीमन्, सीतापुर के श्री बाबू राम एडवोकेट की हत्या का मामला यहां उठाया गया और नेता विरोधी दल ने कहा कि इसमे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । मैं जानकारी देना चाहता हू कि इसमें दो की गिरफ्तारी हो गयी है और अदालत में जाकर समर्पण कर दिया है । यह भी कहा गया कि सी0ओ0 ने रिपोर्ट दिया है कि वरिष्ठ मंत्री के दबाव के कारण ऐसा हुआ है । मैंने छान-बीन कराया तो इस आरोप का मैं जोरदार शब्दों में खण्डन करता हूं । सी0ओ0 ने यह नहीं कहा है कि किसी मंत्री का दबाव था ।

श्रीमन् पथरदेवा काण्ड की चर्चा अनेक बार हो चुकी है दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों से हम राजनीतिक लाभ उठाने की भावना से अपने को दूर रखें । यह उचित नहीं है कि बलात्कार कहकर और सच में मैं कहता हूं कि ऐसा करके एक प्रकार से नारी समाज के सम्मान और अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं । आपने गलत आरोप लगाए हैं, यदि आरोप सही

हैं तो कार्यवाही की जाएगी । लेकिन राजनीतिक कारण और आलोचना के फैशन के कारण इस तरह के सवाल नहीं उठाना चाहिए । श्रीमन् कहा गया कि गृह राज्य मंत्री के इशारे पर यह सब हुआ है, यह बेबुनियाद आरोप हैं जिसका मैं खण्डन करता हूं ।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने दो तीन बातें कही हैं । एक तो रायबरेली के किसी कब्रिस्तान की जमीन का उदाहरण दिया । हमने जानकारी किया तो मालूम हुआ कि लगभग 25-30 साल पुराना यह आपसी विवाद है जिसका समाधान पिछले 25-30 सालों में कई सरकारें आई और गई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका, कोशिश हो रही है कि आपसी समझौते के साथ इसका हल निकल आए । मुझे यह जानकारी मिली है उभय पक्षों को समझौता कराकर उसका हल निकाल लिया गया है । इस प्रकार जो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया था उसको इस सरकार ने कर लिया जिसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

आपको सम्भवतः सही जानकारी नही दी गई है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है अली मियां, जो-जो हमारे प्रदेश, देश और दुनिया के एक प्रतिष्ठित सूफी संत और विद्वान व्यक्ति हैं, यह उनसे संबंधित है और हमने डी0एम0 से स्वयं बात किया है और डी0एम0 ने कहा था कि हमने फैसला कर दिया है और फैसला करने के बावजूद भी वहां उनको दीवार नहीं बनाने दी जाती है । आपने कहा कि सुलह करा दी जायेगी मान्यवर, सुलह हो चुकी थी उसके बाद भी दीवार नहीं बनाने दी । आप जानकारी करा लें । आपको गलत सूचना दी गई होगी ।

श्री कल्याण सिंह -

माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो मैं उनकी बात के अनुसार पुनः जानकारी करा लूंगा । त्रुटि रह गई होगी तो सही हो जायेगी । कोई झगड़ा नहीं है । मैं उसमें प्रतिवाद और विवाद कहां कर रहा हूं । इसी प्रकार श्रीमन्, जो जलालपुर में भी बात कही गई झगड़े की और बार-बार मस्जिद गिराने की भी बात हुई है । तो मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां झगड़ा दो पक्षों का है और न्यायालय में पहुंच गया है इसके बारे में भी गलत कहा जा रहा है कि साम्प्रदायिक दंगा है । यह कोई सांम्प्रदायिक दंगा नहीं है न वहां साम्प्रदायिक तनाव है । दीवार का झगड़ा था और चूंकि यह न्यायालय में पहुंच गया है इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे किसी न किसी

पक्ष के हित में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । दो पक्षों के बीच का झगड़ा है । कुछ लोग कहते थे हमारा है, कुछ कहते थे हमारा है । किसी ने दीवार बनाने को कहा तो किसी ने रोक लगाई, इस तरह से दो पक्षों का मामला था और न्यायालय में पहुंच गया तो उसमें हमारा प्रशासन कहां है । इसी प्रकार से लखनऊ में शास्त्री नगर, कर्बला वाली मस्जिद के सम्बन्ध में कुछ बात कही गई । पिछले दो सालों से यह चल रहा है 24 जून, 1991 से नहीं है । दो साल पहले से चल रहा है । हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं निपटारा हो जाय, सामंजस्य बना रहे हैं कि आगे कोई झगड़ा न होने पाये । हमारा प्रशासन सर्तक है । एक बात और कही गई है कि अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा कर रहे है । लखनऊ के अशोक मार्ग की जमीन पर कब्जा करने का जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया है । हमने उसके बारे में जानकारी की है ।आप जिस स्थान पर कब्जा किये जाने की बात कर रहे हैं यह साम्प्रदायिक मामला नहीं है । एक सहकारी समिति के प्लाट के आवंटन का मामला है । संयोग की बात है कि उस समिति की एक सदस्या हैं श्रीमती सुमन गुप्ता और उसी समिति के अध्यक्ष हैं श्री बशीर अहमद । प्लाट मिलने में कोई अनियमितता हुई है जिससे झगड़ा हो गया है । संयोग की बात है कि अध्यक्ष श्री बशीर अहमद हैं और उसी समिति की सदस्या हैं श्रीमती सुमन गुप्ता । इसमें कोई साम्प्रदायिकता का मामला नहीं है । यह गलत बात कही गई है इस तरह से सरकार को दोष मढ़ दिया है साम्प्रदायिकता का नाम देकर । यह तथ्य सही नहीं है जो माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है । अब मैं अपराधियों की बात करता हूं । मैंने पहले भी कहा था फिर दोहराना नहीं चाहता कि हमने कड़े निर्देश दिये हैं कि कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराता है तो दर्ज होनी चाहिए । कहीं भी माननीय विधायकों के क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायत हो कि एफ0आई0आर0 न लिखाई गई हो तो मैं अपने प्रति आपका सबका सहयोग मानूंगा यदि आप मुझे लिखकर देंगे अगर एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है तो हम उस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेंगे । अब हमारे सामने दो रास्ते हैं । अगर कागज पर अपराध घटाने हों तो मैं परसों कह दूंगा कि चौथाई अपराध रह गये हैं जैसा कि पिछली सरकार करती रही है । क्राइम होते रहे और एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो पाई है । हमने कहा कि अपराध को छिपायेंगे नहीं । अगर फाइल में छिपायेंगे तो सड़क पर होने वाले अपराध तो जनता देखती है । आंकड़े तो कुछ समय के लिए ऊपर चले जाते हैं कुछ समय के लिए नीचे चले जाते हैं इससे बचने के लिए यह रास्ता हम समझते हैं कि अपराधों को

छिपाया न जाए । इसलिए यह निर्णय लिया है जिसका हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं । मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जो चर्चा हो रही है उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूं । अपराध के ग्राफ कहां-कहां कैसे बढ़े हैं । उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली हरियाणा और पंजाब में भी अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

मैं यह बता रहा हूं कि इस ग्राफ को नीचे लाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं । विपरीत और विषम परिस्थितियों के बावजूद अपराधों पर नियंत्रण करना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम निभायेंगे ।

(मेजें थपथपाई गई)

श्रीमन् कैसे-कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे-कैसे औद्योगीकरण हो रहा है कैसे-कैसे मादक द्रव्यों का प्रचलन बढ़ रहा है । कैसे सिनेमा में हिंसा के दृश्य देखकर जवानों के खून में हिंसा प्रवेश कर रही है आदि । मान्यवर, कारण बता कर हम जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं । हमें जिम्मेदारी निभानी है । मादक पदार्थों के विरोध में अभियान छेड़ रखा है । नारकोटिक्स के बारे में हमने अभियान चलाया है । सामाजिक अपराधों के रोकथाम की कोशिश की जा रही है । दस्यु उन्मूलन के लिए हमने योजना बनाई है । मैं कह सकता हूं एक जमाना था जब दस्यु आतंक था और यह आतंक पूरे प्रदेश में था । दस्यु के कितने ही गिरोहों का सफाया किया गया है और अभी भी है ? शासन की हिट लिस्ट में हैं । यहां दसियों गिरोह हैं इनसे भी निपटेंगे । अब श्रीमन् कुल मिलाकर हमारे पास भी राज्य के आंकड़े हैं मैं पढ़कर समय नहीं लेना चाहता हूं । यह एक दिन की बात नहीं हैं । मान्यवर, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रति दस हजार की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स कम है । बिहार और उत्तर प्रदेश में अन्तर कितना है ? उत्तर प्रदेश में प्रति दस हजार पर 8.96 प्रतिशत है । बिहार में 8.99 प्रतिशत है तो कहीं 20 प्रतिशत है कहीं 24 प्रतिशत है कहीं 84 प्रतिशत है । हमने इसीलिए इसी वर्ष 67।। पुलिस की भर्ती कराई है ।

यह नयी भर्ती है और यह जो 67।। लोग भर्ती किये गये हैं इनके लिए सूचियां नहीं भेजी गयीं । जैसे कि पहले लम्बी-लम्बी सूचियां भेजी जातीं थीं, चाहे योग्य हों या अयोग्य हों, अक्षम हों या सक्षम हो लेकिन लेना है तो लेना है, इस प्रकार से अब भर्ती नहीं हुयी है । यह भर्ती भ्रष्टाचार से मुक्त करके की गयी है भर्ती में किसी प्रकार का पक्षपात या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह -

गोरखपुर में क्या हुआ, यह बता दें ?

श्री कल्याण सिंह -

माननीय सदस्य मुझे लिखकर जरूर दे दें, मैं जांच करा लूंगा ।

श्री बलराम यादव -

आप कह रहे हैं कि स्लिप भेजकर किया गया था, ट्रेनिंग से कितने लौटा दिये गये हैं यह बता दें ?

श्री कल्याण सिंह -

इस विषय की चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता बहुत समय लग जायगा । पुलिस को प्रशिक्षण देने की बात जो उठायी गयी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात उठायी गयी है । पी0टी0सी0 (।) मुरादाबाद, पी0टी0सी0 (।।) मुरादाबाद, पी0टी0सी0 (।।।) सीतापुर में जो पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र हैं इनका हम सुदृढीकरण कर रहे हैं । हम सुरक्षाबलों का विस्तारीकरण और सुरक्षाबलों का सुदृढ़ीककरण कर रहे हैं । आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं । टी0टी0पी0सी0 का आज तक प्रदेश में कभी कोर्स चालू नहीं हुआ था, यह कोर्स हमने प्रारम्भ किया है । हैंडलिंग आफ लेटेस्ट वीपन्स का कोर्स चालू किया गया है । अगर हथियार मिल जायं, उनको चलाने की ट्रेनिंग न दी जाय तो पुलिस उन हथियारों का क्या करेगी ?ऐसे हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है । आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा ।

आई0पी0एस0 या नीचे के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आरोप होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । हमारे पास इसका पूरा विवरण है । जो दोषी व्यक्ति हैं चाहे वह कोई क्यों न हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । शस्त्र लाइसेंसो के बारे में ।8 जिलों में जांच करायी गयी । जिनमें से 8 जिलों के बारे में सूचना आयी है । पिछली बार 3988 लाइसेंस जारी किये गये हैं उनमें से ।,979 पर अनियमिततायें पायी गयी हैं । श्रीमन, इसी प्रकार से 265 ऐसे मामले हैं जिन मामलों में शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाने चाहिए थे । बिना शासन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लाइसेंस जारी कर दिये गये । मैनपुरी, कानपुर, रामपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी में 265 ऐसे मामले निकले हैं जो आयुध अधिनियम है उसके अनुसार पहले पुलिस आख्या प्राप्त करने का प्राविधान है । लेकिन ।0 मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस आख्या नहीं मांगी गयी और लाइसेंस दे दिये गये तो कैसे लोग वह होंगे उसका अंदाजा लगा लीजिए । इसी प्रकार 85 ऐसे लोग हैं जिनका अपराधिक इतिहास है लेकिन उनको लाइसेंस दे दिये गये है ।

हमने जब जांच कराई तो रिकर्ड निकल कर आ रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -
क्या किया है ?

श्री कल्याण सिंह -
इस पर दो घंटे की चर्चा अलग से रख लीजिए, बात सामने आ जायगी ।

श्री बाबू राम यादव -
राम सेवक बनारस पर 32 मुकदमे कायम हैं ।

श्री कल्याण सिंह -
होगा । इसी प्रकार से 85 में आपराधिक इतिहास था रिपोर्ट में अंकित नहीं होने दिया और 16 में रिपोर्ट में अंकित है कि आपराधिक इतिहास है, लेकिन लाइसेंस दे दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -
माननीय मुख्य मंत्री जी, जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से लाइसेंस दिये गये आपराधिक चरित्र के लोगों को, तो उन अधिकारियों, डी0एम0 और एस0एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं जिससे इस तरह के लाइसेंस दिये गये ।

श्री कल्याण सिंह -
श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल तो कानून के ज्ञाता हैं । हमने सब चीजें एकत्र की है । अब निलम्बन होगा या और कार्यवाही होगी । एक प्रकिया है, कमीशन में मामला जाता है, विधिक दृष्टि से क्या करना आवश्यक है, क्या किया जा सकता है, देखना होगा । मैं बता रहा था कि इस प्रकार से जब लाइसेंस दिये गये और अपराधियों को दिये गये तो अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे । कौन जिम्मेदार है । लेकिन श्रीमन्, हम इस बात से सहमत हैं और सबका सहयोग अपेक्षित है कि प्रदेश में अपराधियों पर नियंत्रण हो यह हमारी सरकार का संकल्प है कि अपराधियों पर नियंत्रण लगाएंगे । माननीय नेता विरोधी दल और कई माननीय नेताओं ने एक बात कही, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, श्रीमन्, यह स्वतंत्र भारत में एक सर्वेक्षण छपा है उसमें लिखा है कि मुसलमान नहीं चाहते कि कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो और क्या चाहिए । यह श्रीमन्, 19 अप्रैल . . . ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आप नियमों के ज्ञाता हैं । यह सदन नियमों के अन्तर्गत चल रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता हैं । आप जानते हैं कि सदन में कोई भी ऐसी चीज प्रदर्शित नहीं की जा सकती । माननीय नेता के द्वारा यह काम होगा, मैंने कल भी कहा था और आज पुनः दोहरा रहे हैं । माननीय नेता सदन को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए । यदि प्रदर्शन किया जाता है तो यह नियमों के विपरीत है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए ।

श्री कल्याण सिंह-

यह 19 अप्रैल, 1992 का अखबार है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अखबार का हवाला दिया है, तो यह अमर उजाला है जिसमें छपा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने से कोई काम न हो तो किसी के कहने से न हो दूसरे मान्यवर, जो थानों में भ्रष्टाचार है, एवं जो थाने ठेके पर बेचे जाते हैं उनकी वसूली के बारे में कुछ बता दें ।

श्री अध्यक्ष-

अखबार की बातों के आधार पर बात नहीं होगी । समाचार पत्र में छपी बातों को संज्ञान में नही लिया जायगा ।

श्री कल्याण सिंह-

एक सर्वे के बारे में बता रहा हूं । यह 19 अप्रैल, 1992 का सर्वे है, उस दिन के स्वतंत्र भारत को देख लीजिएगा । सर्वे मैंने नहीं कराया मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं और जिस समाचार का उल्लेख कर रहा हूं, मेरे गांव में किसी पी0ए0सी0 के व्यक्ति ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया, समाचार छपते ही मैंने जांच कराई तो यह रिपोर्ट आई कि यह आरोप मनगढ़ंत है और असत्य है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

अल्प संख्यक कब आपकी सरकार बरख्वास्त कराना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है, सबको सुरक्षा की गारंटी देगी, कोई भी जाति होगी, कोई भी वर्ग होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जायगा । यह हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए इस सरकार के प्रति किसी वर्ग को अविश्वास पैदा नहीं होता है । मैं जब माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था, तो कुछ माननीय सदस्यों के

बड़े गर्म-गर्म भाषण सुन रहा था । हमारे एक माननीय सदस्य ने बड़ी गर्मी में बात की । मैं आपकी सेवा में दो पंक्तियां अर्ज करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, जो पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है तथा जो पुसिल अधीक्षक के माध्यम से थाने बेचे जा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, कृपया आप उसे सदन में बता दें ।

श्री कल्याण सिंह -

केवल दो पंक्तियां आपकी सेवा में निवेदित हैं ।

न तुम्हारी शान घट जाती, नहीं रुतवा घटा होता,
जो गुस्से में कहा तुमने, वही हंसकर कहा होता ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, अब तो नेता विरोधी दल को अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपराधिक इतिहास के लोगो को लाइसेंस दिये गये है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार में क्या किन्हीं अपराधिक इतिहास के लोगों के आर्म लाइसेंस, दो को, तीन को, चार को दिये है या बिल्कुल नहीं दिये हैं । आप वह कहते है कि नहीं दिया, तो मैं जहां से चुनाव जीतकर आता हू एक कृष्ण दत्त शुक्ला, निवासी ग्राम मौरावां, जिला उन्नाव को आपने लाइसेंस दिया है, उनका अपराधिक इतिहास है और उनके ऊपर 9 मुकदमें हैं ।

श्री कल्याण सिंह -

श्रीमन्, आप जरूर-जरूर हमको बता दीजिएगा, जो भी आपकी जानकारी में कोई मेरा हो, तो आप बता दीजिएगा ।

श्री अवध पाल सिंह -

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को सुरक्षा की गारंटी देंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से 27 जनवरी, 92 को मिला था और मैंने अपनी तथा अपने पिता श्री लटूरी सिंह यादव, भूतपूर्व विधायक एवं अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी लेकिन मेरे पिता जी को अंग रक्षक नहीं दिया गया, जब कि मेरे पिता इस सदन के 4 बार सदस्य रह चुके हैं और इस समय 65 वर्ष के हैं मुझे एक अंगरक्षक दिया गया है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे पिता जी की और मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी देंगे ।?

श्री कल्याण सिंह -

मैंने अवध पाल जी को शैडो या गनर दिया है ।

श्री अवध पाल सिंह -

मैं अपने पिता की बात कह रहा हूं । उनकी उम्र 65 वर्ष की हो गयी है ।

श्री कल्याण सिंह -

घर पर हथियारों की कमी नहीं है ।

श्री अवध पाल सिंह -

मान्यवर, मेरे पिता श्री लटूरी सिंह यादव, इस सदन के चार बार सदस्य रह चुके हैं और लोक सभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत थोड़े वोटों से हार गये मेरे पिता को एक लाख पच्चीस हजार बोट मिले थे । क्या उनकी सुरक्षा की गारन्टी देंगे, आप तो मीठा-मीठा बोल रहे हैं, आप हमारे पिता की सुरक्षा की गारंटी देगें ।

श्री कल्याण सिंह -

मैंने कहा कि अवध पाल जी को शैडो दिया गया है, मेरी जानकारी है । आपके यहां तो पर्याप्त हथियार हैं, आपकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है ।

श्री अवध पाल सिंह -

मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री लीलाराम शर्मा -

कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि आप का जो पुलिस विभाग है, सी0आई0डी0 है, विजिलेंस है और रेगुलर पुलिस है, इसका अलग-अलग कैडर बनाया जाये, इस सिलसिले में आपने कुछ आश्वासन नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष -

अलग-अलग कैडर बनाने पर आपका उत्तर चाह रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, यह नीतिगत मामला है, इस पर मैं तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको देखूंगा । इतने दिनों से यही व्यवस्था चल आ रही है तत्काल कैसे कह दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह -

कल लक्ष्मेश्वर विधायक को गनर देने के लिए कहा गया था, और कहा गया था कि 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध हो जायेगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है

और इसके साथ ही साथ जो आर्म्स लाइसेंस देंगे क्या आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे तो स्मरण है कि माननीय सदस्य ने कहा था कि मुझे गनर की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था, अगर आप देना चाहते हैं, तो दे दें और नहीं देना चाहते हैं तो मना कर दें । 24 घंटे बीत गये हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

शैडो या गनर उनको उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार भयमुक्त समाज की बात करते हैं और माफिया गिरोह के सफाये की बात करते हैं, मैंने कल कहा था कि मेरे जिले में शिवराज सिंह, जो आपकी पार्टी के हैं, उन पर 32 आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं, उनके भाई पर चले रहे हैं और भतीजे पर चल रहे है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं । क्या माननीय नेता विरोधी दल, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी मेरे कटौती के प्रस्ताव को मानेंगे । हम लोगों ने जो भी सुझाव दिये, एक भी सुझाव को इन्होंने नहीं माना और निरर्थक इन्होंने इस सदन का समय व्यर्थ किया है तो ऐसे में मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर और बल देता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि वे इसे मानें ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,30,96,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 2-आवास विभाग

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,67,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान इस समय माननीय सदन में चर्चाधीन है और चूंकि इस समय साढ़े आठ बज रहे हैं, मैं इस विषय पर ज्यादा विस्तार से न

जाकर उसमें जो प्रमुख-प्रमुख बाते हैं आपके सामने रखना चाहता हूं । श्रीमन्, हम जानते हैं कि आवास, जो पांच बुनियादी आवश्यकता है इंसान की, उसमें से एक है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई । परन्तु अपने प्रदेश के अन्दर आवासों का अभाव है । एक तो मोटे अनुमान के अनुसार 1981 तक ग्रामीण क्षेत्रों 24.5 लाख आवासों का अभाव था, नगरीय क्षेत्रों में 7.06 लाख आवासों का अभाव था और कुल मिलाकर 31.56 लाख आवासों का अभाव था ।

(व्यवधान)

मैं अनुरोध करूंगा नेता विरोधी दल से कि 20 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

किस दिन की सजा दे रहे हैं, साढ़े आठ बजा है और आप आवास विभाग का बजट रख रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह-

मुल्जिम कभी-कभी तो फंसा करता है, इतनी सजा नहीं देगे तो कैसे काम चलेगा ? तो श्रीमन् 81 में 669 नगरीय क्षेत्र थे, वह कुल बढ़कर के 1991 में 702 हो गये । इसका तात्पर्य यह है कि इस समय मोटे तौर पर 30 लाख या 35 लाख आवासों का आज भी अभाव है । अब इसके लिए कुल मिलाकर करके जो निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास तैयार किये जायें तो उनके लिए 2 हजार दो सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । निर्बल वर्ग के लोगों के 11 लाख आवास बनाने के लिए हमें दो हजार दो सौ करोड़ रुपये की धनराशि चाहिए, वह है ही नही । इसलिए श्रीमन्, आज की स्थिति यह है कि जितने भी आवास बनते हैं चाहे वह सहकारी समितियों के माध्यम से बन रहे हैं या जो क्षेत्र के माध्यम से बन रहे हैं, आज भी 6% आवास सहकारी समितियों व ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से निर्मित होते हैं । यह आंकड़े देने के पीछे एक तात्पर्य यह है कि आवास की समस्या के समाधान के लिए निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा । केवल स्लोगन के आधार पर आवास की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है । इसलिए शासन की रणनीति है, आवास के बारे में कुछ दो तीन मोटी-मोटी बातें हैं, हम अधिक से अधिक आवास उपलब्ध कराना चाहते हैं, उनकी अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता रखना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि वह कम से कम कीमत में बन जायें । और इसलिए श्रीमन् इस नई सरकार ने आवास के बारे में कुछ नीतियां निर्धारित की हैं । अब इसमें ग्रुप हाउसिंग योजना में आवासी योजनाओं के लिए, विभिन्न अभिकरणों द्वारा जो भूमि अध्याप्ति की जाती है निजी क्षेत्र को या ग्रुप हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, मकानों की समस्या का समाधान करने के लिए हमने यह तय किया है कि 50% तक विकास प्राधिकरण के द्वारा अध्याप्ति

की गई भूमि में से हम ग्रुप हाउसिंग के लिए देंगे । इसी प्रकार श्रीमन् सहकारी समिति के 60 सदस्यों के कम से कम एक एकड़ भूमि, इससे कम न हो, इसलिए यह किया है कि एक एकड़ से कम रहेगा तो बाकी और सुविधाएं नहीं आ सकती हैं, कन्जस्टेड हो जाएगा । परन्तु, इसी के साथ-साथ समिति को 4 एकड़ से ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो वे भूमि पर कब्जा कर लेंगे या मोनोपोली बना लेंगे । समिति को जो भूमि देंगे वह 10 साल की लीज पर देंगे । परन्तु जब वह आवास उसमें बन जायेंगे तो वह लीज ट्रान्सफर हो जायेगी जिसके नाम से मकान बना है । इसी प्रकार श्रीमन् हमने यह भी तय किया है, मैं ब्योरे में नहीं जा रहा हूं मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निकाल रहा हूं । जो निजी निर्माता हैं जब यह मकान बनवायेंगे तो उन पर यह प्रतिबंध होगा कि निर्मित मकानों में से 30% मकान वह विकास प्राधिकरण को देंगे और वह विकास प्राधिकरण उन 30% मकानों को निर्बल वर्ग के लोगों को आवंटित कर देंगे यह इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि वह कुछ भी कर लें इसलिए 30% की शर्त लगा दी । इन शर्तों के बारे में ध्यान रखा जायेगा ।

मानयवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो मानक होंगे, गुणवत्ता के मानक मूल्य के मानक, यह हडको के द्वारा जिस तरह से निर्धारित किये जाते हैं, यह उसके अंदर मानक रखने की शर्त लगा दी है । और श्रीमन्, हमने यह भी कर दिया है कि ग्रुप हाउसिंग के लिए जो न्यूतनम क्षेत्रफल होगा वह एक हजार वर्ग मीटर होगा वह इसलिए कि अगर दो तीन या चार मंजिल का मकान बन रहा है अगर एक हजार वर्ग मीटर का टुकड़ा है तो जो ग्राउन्ड फ्लोर को सुविधा है वह फस्ट या सेकेन्ड फ्लोर को नहीं मिल पायेगी । इसी प्रकार से निजी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कुछ नियंत्रण भी उस पर लगाये गये हैं । निजी निर्माता शोषण न कर पाये इसके लिए हमने यह किया है कि सहकारी आवासीय समिति द्वारा आवासीय भवन को विकसित करने का कार्य किया जायेगा क्योंकि आवंटन का कार्य समिति द्वारा होता है परन्तु उसके अंदर सहकारी आवास का एक निबंधक रखा जायेगा । अभी तक ऐसा नहीं था । आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी भी हम सौंप रहे हैं और एक और परिवर्तन किया है पंजीकरण को लेकर, नो ओबजेक्शन को लेकर, नक्शे को लेकर कठिनाई रहती है, हमने यह किया है कि दो सौ वर्ग मीटर का कोई भूखण्ड जिसके पास है वह स्वयं नक्शा बनाये किसी आर्किटेक्ट के द्वारा फिर उसे प्राधिकरण में दे दे वहां पर केवल यह देखना है कि जिस टुकड़े का नक्शा वह दे रहा है वह इसका मालिक है कि नहीं, यह देखना है कि जो वहां पर मास्टर प्लान बना हुआ है उस मास्टर प्लान के लिए भूमि जिस काम के लिए आरक्षित है उसके अनुसार है कि नहीं ।

अभी तक नक्शे को लेकर शोषण चलता था मगर अब हम इसको देख रहे हैं श्रीमन्, जहां हम दे रहे हैं, हाऊसिंग योजना के अंतर्गत जो निर्माता होगा क्योंकि हमारा कहना यह है कि जो विकास प्राधिकरण है वह अपने मूल उद्देश्य को भूल गया है, वह अब व्यवसायिक हो गया है । इसलिए अब हम उसकी भूमिका को तय कर रहे हैं । हमने पंजीकरण की शर्तों को सरल इसलिए किया कि हम ग्रुप हाऊसिंग योजना को आगे लाना चाहते हैं । उसमें हम देखगें कि उनके इन्डीजेन्ट्स कैसी है, तकनीकी अनुभव है कि नहीं, वित्तीय स्थिति ठीक है कि नहीं और सबसे बड़ी बात यह भी देखेंग कि उनका अपराधिक चरित्र तो कही नहीं है । वह इसलिए कि आज जिस तरीके से ठेकों में माफिया किस्म के लोग आ जाते है और वह जिस तरीके से कार्य करते हैं, चाहे वह उसमें 1/6 का मसाला लगाये या 1/10 का मसाला लगाये तो उसमें किसी की क्या हिम्मत कि वह जबान खोले ? तो जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखा जायेगा । एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने ग्रुप हाऊसिंग में मानचित्र के संबंध में यह तय कर दिया है कि अब चार मंजिल से अधिक के जो मकान उसमें बनेंगे उसके लिए प्राधिकरण के बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी होगी । पहले होता क्या था कि अधिशासी अभियन्ता ने उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने चाहा तो स्वीकृति दे दी, नहीं चाहा तो लटका दिया, तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता था । तो इसलिए हमने नक्शे के निस्तारण के लिए यह कर दिया है कि चार मंजिले से अधिक के मकान होंगे, ग्रुप योजना के अंतर्गत तो उसमें बोर्ड की मीटिंग में उसे रखा होगा और इसमें अवधि भी तय कर दी है कि साठ दिन के अन्द अन्दर ऐसे नक्शों का निस्तारण हो जायेगा ।

अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं होने देगें । हम आवास की समस्या का हल निकालना चाहते है और इसी परिप्रेक्ष्य में विकास प्राधिकरणों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ ।

अभी तक एक एजेन्सी आवास विकास परिषद है और दूसरी एजेन्सी है, विकास प्राधिकरण । कुल 26 विकास प्राधिकरण है। श्रीमन् मैं सच कहता हू कि जिस क्षेत्र मे नजर उठाता हू, उसी में अनियोजित, अनियंत्रित, अव्यवहारिक निर्णयों को देख रहा हू । इस प्रकार कुल मिलाकर 26 विकास प्रधिकरण है और अब उनके लिये 130 नगर अभिसूचित कर दिये गये हैं, काम वह 78 मे कर पा रहे है । इसमे कुछ ऐसे भी है, जो अधिष्ठान का खर्चा तक नही निकाल पा रहे हैं । हमने निर्णय लिया कि इस तरह के जो अनार्थिक हैं, जो अधिष्ठान का खर्चा नहीं निकाल पा रहे है, हम उनका सविलियन अन्य विकास प्राधिकरण के साथ कर उसकी संख्या को घटा दें, ताकि जो अभिसूचित कर दिये गये हैं नगर और वहा

पर वे काम कर नहीं सकते, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, इसलिए हम उनको निजी क्षेत्रो में देकर विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद प्रोत्साहक के रूप में काम करते हुये, भवनों का निर्माण करते हुये, भवनों के अभाव को दूर करने की कोशिश करें ।

अब श्रीमन् हमने यह भी किया है कि किसानों के हितों का ध्यान रखा जाय अभी तक क्या हो रहा है किसान इतने असहाय हैं, उसकी जमीन ले ली जाती है और मुआवजा भी ढंग से नहीं मिलता । हम यह करने जा रहे हैं कि पहले नगरों के अन्दर जो भूमि पड़ी है, उसका विश्लेषण करायेंगे और हम उसका उपयोग करना चाहते हैं और जब किसान से जमीन ली जायेगी तो उसको बाकायदा सुनिश्चित तौर पर बाजार भाव के हिसाब से उसकी भूमि का समुचित मुआवजा दिया जायेगा । हम 2-3 काम और करेंगे । किसानों के हित की 3 प्रमुख बातें और हमारे ध्यान में हैं । हमारा पहला मत है, किसानों का व्यापक हित संरक्षित रहे । दूसरा यह है कि किसान को भी, जो भूखंड विकसित किये जा रहे हैं, उन विकसित भूखन्डों में से उस किसान से ली जाने वाली भूमि के अनुपात में भूखण्ड विकसित करके दिया जाय । तीसरी बात यह है कि किसान की जब भूमि ली जाय तो उसके लिये भी आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाय । सामान्य रीति से जिस कीमत पर भवनों का आवंटन किया जायेगा, उसमें जिस किसान की भूमि ली जायेगी, उस किसान को मकान बनाकर कन्सेशनल रेट पर आवास दिया जायेगा इसकी मैं घोषणा करता हू और एकमुश्त नकद मुआवजा भी दिया जायेगा ।

अब श्रीमन् विकास और पर्यावरण इन दोनों का भी हम ध्यान रखेंगे । पर्यावरण भी एक समस्या है और ऐसा विकास करेंगे, जिससे की पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे लेकिन पर्यावरण के नाम पर हम विकास की गति को भी नहीं रुकने देंगे । आजकल यह एक फैशन भी बन गया है परन्तु हम उसकी व्यवहारिकता के पक्षधर हैं । जिन-जिन स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है या फिर निजी व्यक्तियों ने भी भूमि को खरीदा है वहां पर महायोजना के अंतर्गत अगर हरितपट्टी के लिए जमीन छोड़ी गई है तो वह हरितपट्टी के लिए ही रखी जायेगी ताकि आगे संतुलित विकास हो सके और पर्यावरण को भी संतुलित बनाया जा सके । एक अकेले गाजियाबाद में कुछ निजी निर्माताओं ने 295 एकड़ भूमि खरीदी थी । महा योजना के अंतर्गत समुचित विकास दृष्टि से जो भूमि हरितपट्टी के लिए छोड़ी गई है, श्री वर्मा जी इस समय यहां से चले गये हैं, उन्होंने निजी निर्माताओ के प्रति बड़ी उदारता दिखाई थी और कहा था कि हम उस भूमि के उपयोग को बदल देंगे, जब वह फाईल मेरे पास आई तो हरित पट्टी के लिए जो

भूमि छोड़ी गई थी, जिसके भू उपयोग को बदलने का निर्णय इन्होंने ले लिया था उस निर्णय को हमने निरस्त कर दिया । इस प्रकार हम गलत काम करने की अनुमति नहीं देंगे । एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिस पर यहां बहुत चर्चा भी होती है । यह कहा जाता है कि जो मकान बन रहे हैं , उनका आवंटन नहीं हो रहा है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 में हमने 23 हजार 500 मकानों का आवंटन कर दिया है और अकेले फरवरी, मार्च में हमने 10 हजार मकानों का आवंटन कर दिया है । मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि जितने मकान अब शेष रह गये हैं, उनका आवंटन भी 31 मई, 1992 तक पूरा कर दिया जायेगा । कोई भी मकान शेष नहीं बचेगा । इसके आगे भी जो मकान बनते जायेंगे, उनको भी हम उसी प्रकार आवंटित करते जायेंगे ।

श्रीमन् मैं एक विशेष बात का उल्लेख इस आदरणीय सदन में करना चाहता हूं । जो कुछ भी यहां पर गलत काम हो रहे थे और जो भ्रष्टाचार के मामले थे, उन पर भी हमने कार्यवाही की है । मैं अब एक मुख्य बात की ओर आ रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि नई आवास नीति के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी । अभी हाल ही में 27 अप्रैल, 1992 को उस समिति की रिपोर्ट हमको मिल गई है । शासन स्तर पर हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं । हम आवास नीति को इतना व्यावहारिक बना रहे हैं, इतना तर्कसंगत बना रहे हैं । जिसके द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में आवास की जो समस्या है उसका समाधान हो सके । हम टुकड़ों में इसे नहीं ले जाना चाहते हैं । हम एक सर्वांगपूर्ण नीति को लाना चाहते हैं जिससे आवास की समस्या का समाधान हो सके । सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । मान्यवर, सड़क बनेगी तो जमीन पर बनेगी, आवास बनेगा तो जमीन पर बनेगा और विकास का कार्य भी धरती पर ही होगा, परन्तु जमीन तो उतनी ही रहेगी । इसलिए नजूल की भूमि के बारे में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । मोटे तौर पर हमने जो सूचना प्राप्त की है, उस हिसाब से 28592 हैक्टेयर जमीन नजूल की है । अब श्रीमन् इसमें तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी मे चालू पट्टे देंगे जो हर 30 साल के बाद नवीनीकरण किये जाते हैं, दूसरी श्रेणी में शास्वत पट्टे देंगे उन्हें नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु स्वामित्व का अधिकारी नहीं है वह उसे बेचना चाहे, हस्तांतरण करना चाहे या विभाजन करना चाहे तो उसके लिये उसे शासन की अनुमति आवश्यक है ।

तो जो नजूल की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिये हैं उनके लिये शासन ने यह निर्णय लिया है । दोनों ही श्रेणी के पट्टों चालू पट्टों और शास्वत पट्टों में आवासीय पट्टा भी है और व्यावसायिक पट्टे भी हैं । जो चालू पट्टे हैं और शास्वत पट्टे वाले हैं जो विधिवत हैं उनको उसका स्वामी बनाया जाय तो उसमें भी

दो तरह की बात रखी है जिसने सारी शर्तें पूरी की हैं और जिसने शर्तों का उल्लंघन किया है उसमें फर्क रखा है जिसने कुछ उल्लंघन किया है उससे बढ़ कर लेंगे जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उनको यह रियायत नहीं दी जायेगी । उदाहरण के तौर पर जो शास्वत पट्टे हैं अगर 50 वर्ग मीटर का है तो उससे बाजार भाव का 25 फीसदी यानी रियायत पर जमीन का मालिक बना देंगे लेकिन किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है तो फिर उससे 50 फीसदी लेंगे । 51 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक बाजार दर का 35 फीसदी और अगर उल्लंघन शर्तों का किया है तो 60 फीसदी लेगे 201 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर के जो शास्वत पट्टे है उससे बाजार भाव का 45 फीसदी लेकर और अगर शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो उससे 75 फीसदी लेंगे और 500 वर्ग मीटर से ऊपर वालों से 75 फीसदी के हिसाब से लेगे तो यह रियायत देगे । अगर शर्तों का उल्लंघन किया है तो बाजार भाव का 125 फीसदी लेगे । तो श्रीमन्, इसमें व्यवहारिकता कुछ की है। शास्वत पट्टे वाला जमीन का विक्रय या हस्तातरण या उसके डिविजन का अधिकार चाहता है पूर्ण स्वामित्व चाहता है सारे अधिकार तो उसे हैं ही लेकिन उसे यह भुगतान करना पड़ेगा अन्यथा यह तीन काम वह नहीं कर सकता है, बाकी स्वामित्व तो उसका है ही । हम चाहते हैं कि शासन को कुछ राजस्व प्राप्त हो और उसे भूमि का स्वामित्व मिल सके । जो चालू पट्टे हैं, जो आवासीय है 50 वर्गमीटर तक के हैं । तो बाजार भाव का 40 फीसदी अगर शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो बाजार भाव के बराबर लेंगे यानी 100 फीसदी लेंगे 51 से 200 वर्ग मीटर में 75 फीसदी लेंगे शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो 125 फीसदी लेंगे और 201 से 500 वर्ग मीटर के पट्टों पर बाजार दर का 90 फीसदी और शर्तों का उल्लंघन कर दिया होगा तो 150 फीशदी लेंगे । 500 से ऊपर वालों से 100 फीसदी यानी बाजार भाव पर लेंगे और यदि शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो 175 फीशदी लिया जायेगा ।

(इस समय 8 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अब जो व्यावसायिक पट्टे हैं उसमें भी इसी प्रकार से श्रेणियों के हिसाब से किया गया है । जो चालू हों या शाश्वत हों, उनमें बाजार दर का 200 प्रतिशत लेंगे यानी दुगुना लेंगे । लेकिन यह सब चीजें, जो उत्तर प्रदेश मलिन बस्तियां अधिनियम, 1962 है, उसके अन्तर्गत जो मलिन बस्तियां घोषित की जा चुकी हैं उन पर हम यह लागू नही करेंगे । वह सुरक्षित रहेंगी । जो नजूल भूमि होगी उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं । यह सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपयोग के लिए 15 प्रतिशत उसमें से हम बचाकर रखेंगे और शेष सार्वजनिक स्थानो पार्क आदि के लिए छोड़ेगे । उसके बाद जो जमीन बचेगी उसको हम फूल प्रूफ विधिवत नीलमी की प्रक्रिया से निस्तारित करेंगे और इस प्रकार जो धनराशि इकटठा होगी उसके लिए भी हमने सोचा है ।

जहां यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों मे विशेष बल दे रही है, वही नगरीय समस्याएं भी हैं, हम उसके लिए एक फण्ड बनायेगे । [illegible] आधार पर नगरीय समस्याओ के समाधान की दृष्टि से आगे की [illegible] बनेगी और इसीलिए हमने पट्टों पर रोक लगा रखी है । जिन्होने नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे है, उनके खिलाफ [illegible] कानूनी कार्यवाही की जायेगी । यह सारी रियायते नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने वालो पर हमने लागू नही की है, केवल चालू और शाश्वत पट्टों पर यह है, श्रीमन् जैसा मैने पहले कहा था मेरा अनुमान है कि 28,592 हेक्टर कुल जमीन नजूल की है, इसमे से यह भी छट रही है । कितनों पर चालू पट्ट दिये गये और फिर शाश्वत पट्टे कितनी [illegible] पर है और कितनी जमीन अवैध कब्जे मे है ? इसमे जहां हम एक तरफ आवास की समस्या को हल करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध करायेंगे वहीं चालू और शाश्वत पट्टे इन शर्तों पर विनियमित करके उन पर उनका स्वामित्व दे देंगे । इससे हमारा राजस्व बढ़ेगा । इससे हमें दोहरी उपलब्धि होगी । इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है । नजूल की भूमि का इस प्रकार निस्तारण करने का काम उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार द्वारा हो रहा है । जैसा मैंने पहले कहा था अब मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ इस अनुदान को प्रस्तुत कर रहा हूं । यह बड़े जनहित का फैसला है, आशा है कि विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा और कटौती के प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है । वह बोलें, लेकिन बाद में कह दीजिएगा कि कटौती का प्रस्ताव हमने वापस ले लिया । आप इसको एक मत से पास करियेगा।

(श्री सुरेन्द्र नाथ का नाम पुकारे जाने पर और उनके खड़े होने पर)

एक सदस्य-

अवस्थी जी आपसे एक निवेदन है कि यदि आप घर से ऊबे न हों तो जरा जल्दी समाप्त कीजिएगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय अवस्थी जी को आप अपनी श्रेणी में क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र नाथ-

उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, नेता सदन सभवतः 1967 के अपने घोषणा पत्र को देखें जब उ0 प्र0 में चुनाव हुआ था, उस समय बी0जे0पी0 का नाम जनसघ होता था,

उस समय मैं राजनीति में नही था, लेकिन जो इतिहास पढ़ा हू जिससे आज के राष्ट्रीय नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने प्रस्ताव किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो प्रदेश का मुख्य मंत्री बनेगा, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से, जैसा कि आपने भाषण के शुरू मे कहा तो वह व्यक्ति के सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भांति रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की भांति हम हर व्यक्ति को छत देने का आश्वासन देते है ।

श्रीमन्, आपने नई आवास नीति की घोषणा की । यह आवास नीति वैसी ही है जैसे नई बोतल हो और उसमें पुरानी ही शराब भर दी जाए । आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों के निर्माण की ग्रामीण अंचल एवं शहरों में बड़ी आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुरूप हम आवास नहीं उपलब्ध करा पाये हैं । मान्यवर, आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि आप मेरी बातों को सुनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना नहीं करेंगे । सदाचार और भ्रष्टाचार की कहानी नहीं खड़ी करेंगे । मैं अपेक्षा करूंगा कि जो प्रश्न हम उठायेंगे उनका आज के परिप्रेक्ष्य में जो सारगर्भित सिद्ध होती हों उन पर आप जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे जितनी जिम्मेदारी से नई आवास नीति की आपने घोषणा की है ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का उत्पादन और माफिया संघर्षों से जो नई कड़ियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं यदि आप विचार करें तो आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में माफिया गिरोहों को जन्म देने वाली सबसे बड़ी गंगोत्री है जिसका कारण इनमे अथाह धन है । सरकार जब यह कहती है कि हम सस्ते दामों पर अधिग्रहीत जमीन को निजी क्षेत्र मे 50 प्रतिशत देंगे । आपके सचिव, श्री रवीन्द्र शंकर माथुर, का आलेख मैं पढ़ना चाहता हू जिसका गजट जारी हुआ है । यह गजट 19 नवम्बर, 1991 का है, इसके पैराग्राफ दो में लिखा है:- "प्राधिकरण/आवास विकास परिषद अर्जित भूमि का 50 प्रतिशत तक निजी निर्माताओं को आरक्षित रख सकेंगे, किन्तु इस शर्त के साथ कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए के अन्तर्गत यदि भविष्य में प्रतिकर बढ़ता है तो ऐसी धनराशि संबंधित निजी निर्माताओं द्वारा देय होगी ।"

यह आपने एक उचित बात कही है लेकिन क्रियान्वयन में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की आवास एवं विकास परिषद् ने जिस हिसाब से जमीन लिया है और जिस हिसाब से अधिग्रहण किया, जिस हिसाब से मुआवजा अदा किया है उस हिसाब से क्या इस कार्य में प्रगति हुई है । आवास विकास परिषद् में जितना पंजीकरण खोला गया है उसमें कम से कम आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के लोगों को आवासों की उपलब्धता नहीं हो सकी ।

अगर आप उदाहरण चाहे तो नैनीताल, शाहजहापुर, बनारस, अमेठी, सुल्तानपुर, कन्नौज, कोटद्वार, रामनगर, शाहबाद आदि शहर है जो आवास विकास परिषद् के अन्दर आते हैं जिनमे भूमि का अधिग्रहण हुआ है जिनके सैट-अप पर लाखों रुपया साइट एण्ड सर्विस के नाम पर रसीदो पर दिखाया गया है कि इतना रुपया खर्च हुआ है । लेकिन आवास नहीं बनाये गये हैं । इसी तरह से लखनऊ में तेलीबाग योजना और देवपुर योजना के लिए भूमि अर्जन का कार्य भी पूर्ण हो गया था लेकिन आवास विकास परिषद् ने 4 वर्ष बीत गये इन दोनों योजनाओ को छोड़ दिया । भूमि अर्जित करने के बाद भी छोड दिया । कोई अर्जित भूमि इस तरह से छोडी जायेगी तो निश्चित रूप से आपकी सब को घर देने की योजना पूरी नहीं हो पायेगी ।

मान्यवर, एक तरफ आप ऐसी बात करते है लेकिन बडे दुर्भाग्य की बात है कि आज रिसर्च एण्ड प्लानिंग विभाग खोल दिया और कहते हैं इकोनोमिकली वीकर सैक्शन को सस्ती दरो पर आवास उपलब्ध करायेगे । क्वालिटी कन्ट्रोल करेगे । क्वालिटी कंट्रोल नाम का कोई सैल आपके आवास विकास परिषद् मे नहीं है । आपको जानकारी होगी तो आपको आश्चर्य होगा । हो सकता है कि न हो क्योंकि आपको जानकारी पहले से ही होगी । आप के विभाग के विशेष सचिव श्री शारदा प्रसाद जी ने उच्चतम् न्यायालय मे एक एफीडेविट दिया है कि सरकार की क्वालिटी कट्रोल सैल खोलने की कोई मशा नही है । मान्यवर, इस तरह से कैसे क्वालिटी, कट्रोल हो सकती है ? क्या कोई ऐसा डिवीजन आपने बनाया है । मान्यवर, आपके विभाग के अधिकारी जो आवास 40 हजार, 50, हजार, 35 हजार मे इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए तैयार करते हैं यदि कोई सामान्य आदमी अपने हिसाब से इतना ही बनाता है तो उसकी लागत इनके बराबर नहीं आती । आपके विभाग के अन्दर सबसे बडी बात यह है कि वहा पर अधिकारी ज्यादा हैं और काम कम फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता है । जितने आवास बनाये जाने चाहिए उतने भी नही बनाये जाते हैं । निर्धारित लक्ष्य करने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है । स्टाफ हद से ज्यादा बढता जा रहा है । जहा एक सहायक लेखाधिकारी से काम चलता था, आपने डिस्टेन्ट्रलाइजेन आफ सर्विसेज करके वहा पर 29 सहायक लेखाधिकारी को रख दिया । जो काम एक सहायक लेखाधिकारी कर लेता था वह 29 लोगों द्वारा लिया जाने लगा । सम्पत्ति प्रबधक के पद पर सात सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी, तीन लेखाधिकारी, दो सेलेक्शन ग्रेड स्टेनोज । इनकी प्रोन्नति कैसे हुई ? किसने की ? मान्यवर, आपने एक बात बडी जिम्मेदारी से कही कि हम सदाचार की पृष्ठभूमि में स्वच्छ और पारदर्शी सरकार के रूप में काम करेगे तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आवास विकास परिषद् की जांच ढंग से करवा ले । निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का यह विद्युत विभाग के बाद सफेद

हाथी है । एक तरफ आप यह कहते है कि हम नई आवास नीति जारी कर रहे हैं । आपने किस आवास नीति की घोषणा की थी ? सरकार में आने के बाद 9 अगस्त, 1991 को आपने प्रमुख सचिव आवास को 20 अगस्त को निर्देश दिया कि 9 वर्किंग ग्रुप बना दिये गये लेकिन मान्यवर, आपकी आवास नीति कहा है । वह नीति सदन के पटल पर तो नहीं आई । आपके पास आ गई होगी, हमको तो नहीं देखने को मिली । आपने 30 दिन का समय निर्धारित किया था कि हम तीस दिन के अन्दर आवास नीति घोषित कर देंगे । हमने एक आवास नीति अखबार के माध्यम से देखी है । उसकी कुछ बाते आपसे सुनने को मिली, लेकिन मान्यवर जैसे आवास नीति का कार्यान्वयन आवास निगम से कराने जा रहे है । मान्यवर, पिछले 15 वर्षो से निरतर फायदे मे रहने के बावजूद घाटे का निगम कहकर जाच करने के शासनादेश किए गये । जिन निगमो की आपने जाच कराई है उसमे आवास विकास परिषद् भी है । मान्यवर, एक सवाल उठाना चाहता हू आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहते है करें, लेकिन इसके आपको सबके पहले नगरीय भूमि सीमा रोपण के सबध मे प्रबध करना होगा । मान्यवर, मै बताना चाहूगा कि 1945 मे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन मे नगरीय भूमि सीमा रोपण का जो स्वरूप था उसे 1956 मे अगीकृत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने 1973 मे इसे अगीकृत किया । दोनो मे कितना अन्तर है। पैरा 5 से 11 तक भारत सरकार का दिल्ली नगर विकास अधिनियम है उत्तर प्रदेश की सरकार का पैरा 6 से 12 हो गया है ।

इसमे न तो शब्द बदले है और न स्वरूप बदला है । मान्यवर 1973 से 1992 तक धरती का स्वरूप कितना बदला है ? रहने वालो की सख्या कितनी बदली है ? नगररीय भूमि सीमा रोपण मे सशोधन मे प्राविधान नही है । निजी क्षेत्रो को भूमि देने की बात कही गई नगरीय भूमि सीमा रोपण अधिनियम को बदलने का प्रयास करे । आपके वित्त मत्री ने 12 मार्च, 1992 को यह कहा था कि 'सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शासनादेशो के विरुद्ध इन्होने कहा, सम्मिलित रूप से, आपके वित्त मंत्री का भाषण है । सम्मिलित रूप से सहकारी समितिया निजी निर्माताओं की सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन का एक अश ही दें आप कहते है आधी जमीन देगे । आपके वित्त मत्री और आपके भाषण में अतर हो गया है । मान्यवर, 1966 मे नगरीय क्षेत्र में आवास विकास कार्यरत है । 1969 से सहकारी आवास संघ कार्यरत है । विकास प्राधिकरण 1973 से प्रारम्भ हुआ इसके अलावा मान्यवर समाज कल्याण विभाग के अदर निर्बल अनुसूचित जाति के लिए निर्बल आवास निगम 1976 में बनाया । मानयवर, पुलिस फोर्स को आवास उपलबध कराने के लिए पुलिस आवास निगम 1976 में बनाया गया । 1983 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती गाधी ने निर्णय लिया था । भारत के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की गम्भीर समस्या है । ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद का गठन किय गया । यह सारे निगम तब सक्षम सिद्ध हो पायेगे जब इनकी नियोजन नीति निर्धारण के समन्वित क्रियान्वयन की नीति निर्धारण हो । आज विडम्बना क्या है कोई संस्था किसी दूसरी

सस्था के साथ सहयोग नही कर रही है जिससे एक दूसरे के कार्यो मे अवरोध उत्पन्न हो रहा है इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नही है । प्रदेश स्तरीय नियोजन क्रियान्वयन समिति आप बना दे जो आवासो के संबंध मे कार्य करे । ताकि समन्वय आपस मे स्थापित हो सके । मान्यवर मै 1965 के आवास विकास अधिनियम की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हू । माननीय चतुर्भुज शर्मा ने कहा था परिषद् का निर्माण स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप मे किया जाएगा जबकि स्वायत्तशासी स्वरूप समाप्त हो चुका है । तीन लाख परिवारो को आवास देने के लिए 350 करोड रुपये के खर्च पर 57 हजार घर तैयार खडे है जनता को उपलब्ध नही कराए जा रहे है । आपने वायदा किया था इसको उपलब्ध करा देगे आपने एक माह का समय दिया था । यह घर 3 वर्षो से बने पड़े हैं, आप इनको एक महीने मे उपलबध करा दें । आपने कहा है कि निजी निर्माताओं को जो भूमि दे रहे हैं उसमे यह ध्यान रखेंगे कि निर्बल वर्ग के लोगो को स्थायी और मजबूत आवास दिये जायं और हरित क्षेत्र का ध्यान रखा जायगा ताकि पर्यावरण को क्षति न हो । मै सिर्फ दो उदाहरण राजधानी के संबंध मे देना चाहता हू ।

मै सिर्फ दो उदाहरण राजधानी के संबंध मे देना चाहता हू । आपको आमंत्रित किया गया है कि आप लखनऊ मे एक बड़ी परियोजना का स्थल निरीक्षण करें । मेरा भी मानना है कि आप निरीक्षण करने जायं । आपने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है कि हरित क्षेत्र किसी तरह से प्रभावित न हो । आपने लखनऊ मे असल भवन निर्माता जो है उनको 500 या 550 एकड़ जमीन दी है । मेरे पास नक्शे मौजूद है, ओरीजनल मैप्स है जो एल0डी0ए0 ने पास किये है, यह नक्शे तीन बार बदले गये है । आपको मै यह नक्शे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हू, आप इसको देख लें । (माननीय सदस्य ने सदन मे एक नक्शा दिखाया) इसमे जिस क्षेत्र को हरित क्षेत्र दिखाया गया है उस क्षेत्र के संबंध मे वाद लंबित हैं और मुकदमे चल रहे हैं । जब नक्शे पास कराये गये तो यह क्षेत्र उसमें नही थे । इसमे बिजली पासी का किला है और वह पुरातत्व के महत्व की चीज है । हरित क्षेत्र को बदल दिया गया है । भूमि के मूल्याकन मे भी परिवर्तन किये गये है । आप आई0आई0टी0 या रुडकी इंजीनियरिंग कालेज की एक टीम को बुला लीजिए और असल की जाच करा लीजिए । मै सारे साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार हू ससदीय कार्य मत्री जी यहा नही हैं, मुख्य मत्री जी जरा आप गौर कीजियेगा । मै आपको एग्रीमेंट जो किया गया है उसके बारे मे बताना चाहूगा । (माननीय सदस्य ने एक फाइल सदन मे दिखायी) यह मान्यवर, एग्रीमेंट है, यह यनीटेक बिल्डर्स की फाइल से किसी प्रकार से मै लाया हू । इसके ऊपर दिवाकर त्रिपाठी के दस्तखत हैं । इस सारे दस्तावेज मे कहीं पर मूल्य नही लिखा गया है कि कितने की जमीन है ? यह कितना बड़ा फ्राड हो रहा है इसको आप देखें । रेलवे और पी0डब्ल्0डी0

की जमीन भी यूनीटेक बिल्डर्स ने बेच ली है और बहुत सारे लोग आज भागते फिर रहे हैं । साउथ सिटी इन्हीं की योजना है । 130 एकड जमीन है । आवास बनाने के लिए एक मानक निर्धारित है । जो आप प्राइवेट भवन निर्माताओं को जमीन देते हैं उसका एक मानक निर्धारित है कि इतने क्षेत्रो में भवन होंगे, या हरित क्षेत्र होगा । जब कोई कालोनी डेवलप की जाती है तो 50 प्रतिशत रेजीडेंशियल एरिया होता है । 10 प्रतिशत पार्क होते हैं । 5 प्रतिशत एरिया कम्युनिटी सेंटर्स, पोस्ट आफिस, पुलिस फोर्स के आफिस आदि के लिए होता है । 5 प्रतिशत स्कूल के लिए होता है और 3 प्रतिशत कामर्शियल कांपलेक्स के लिए एरिया होता है . . . . .

(समय 9 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, यह एक मानक है किसी भी नयी कालोनी को डेवलप करने का । आप जांच करा लें । अन्सल्स, आशियाना और यूनीटेक की कालोनियों का क्या वह इन मानकों के अनुरूप होगा, जो सजा आप देंगे, सहने के लिए तैयार हूं । वरना आप मेरे ये साक्ष्य ले लें और यह भी अनुरोध है कि जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण से न करावें, वरना जांच प्रभावित हो जायगी और वास्तवितकता सामने नहीं आएगी । मैंने जैसा कि पहले कहा, आप आई0आई0टी0 से जांच करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप थोड़ा संक्षेप कर दें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

आपकी अनुमति न हो तो यह भी न कहूं । मै पूरी बात साक्ष्य के आधार पर कह रहा हू ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने केवल इतना ही निवेदन किया है कि संक्षेप कर दें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

संक्षिप्त कर रहा हूं । लेकिन सत्य आने के बाद । दूसरी तरफ इस लखनऊ शहर के दो उदहरण दिये । तीन रुपये तो जो आप दे रहे है, जिसके बारे में आप भूमि के उपयोग के परिवर्तन की बात कह रहे हैं । गाजियाबाद में गंगासागर कृषि वाटिका है । वर्ष 1990 में प्लान सब्मिट किया जाता है, बाद में खरीदा जाता है । दिल्ली का एक बहुत बडा उद्योगपति है सूरी सागर, उसकी निजी योजना है । मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने उनका भू उपयोग नहीं परिवर्तित होने दिया । मैं व्यक्तिगत रूप से सदन में यह कहने की बधाई देता हूं कि आपने एक और सितारा अपने ऊपर जड़ा है कि सच्चाई और ईमानदार का साथ दिया है । लेकिन एक मामला आपकी जानकारी में आ गया लेकिन दूसरे मामले, आपसे मैं

अनुरोध करता हूं, आगरा की ओर ध्यान ले जायं । आगरा विकास प्राधिकरण ने इतना बड़ा काम किया, क्षमा कीजियेगा, नाम नहीं लूंगा, मेरा आरोप भी नहीं है, आपके दल के एक राष्ट्रीय नेता की बात है, उनके रिश्तेदार इस स्कैन्डिल में शामिल हैं । जांच करा लें । एक ओबेराय होटल ग्रुप है । ताज नगरी आगरा में ए0डी0ए0 ने किसानों से भूमि अधिग्रहीत की थी । आपके नहीं कांग्रेस के शासन में की गयी थी । उस होटल ग्रुप को एलाटमेंट के लिए जमीन का आवंटन किया । अभी आवास नीति पढ़ी है कि 1500 वर्ग गज से बड़ा कोई भी प्लाट एलाटमेंट नहीं किया जा सकता है, तो हैक्ट्यर्स में उनकी जमीन का एलाटमेंट हुआ । कौन सी जमीन का हुआ, जिसका उस समय विक्रय मूल्य 664 रुपये प्रति वर्ग मीटर था । इसको 323 रुपये प्रति वर्ग मीटर में हमारे ख्याल से आवटन हो गया । दुख होता है कि कांग्रेस सरकार में उस जमीन में भ्रष्टाचार खुला तो 4 वर्ष तक प्रकरण लम्बित रहा, लेकिन कुछ लोग हैं, इसके पीछे कौन अधिकारी है, इसकी जांच करावें । कुछ लखनऊ में बैठे अधिकारी है । एक गरीब आदमी कोई ज़मीन खरीदता है एल0डी0ए0 से, भूमि का मुआवजा नहीं देते है, कब्जा नहीं मिलता, ले आउट प्लान स्वीकृत नहीं होता, कब्जा नहीं मिलता, लेकिन 1991 के जून के बाद आधा होटल बनकर तैयार है न ले आउट प्लान सेंक्शन है, न जमीन की कीमत जमा है । मात्र पांच रुपये के एग्रीमेंट की कीमत पर ओबेराय ग्रुप को 2-3 करोड़ में दिया जा रहा है । इसके साथ-साथ 15 होटल ग्रुप हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े जो इस स्केण्डिल में हैं, उनकी जानकारी मिल जायेगी । एक बात और कहना चाहता हूं । मैं नहीं कहता कि इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, न कोई मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, मैं यह नहीं कहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से वह अधिकारी जरूर जिम्मेदार होंगे, जिसकी नाक के नीचे इतना बड़ा स्केंडिल हो रहा हो । आपने गाजियाबाद में जांच कराने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कहूंगा, केवल दो फ्लैटों का नम्बर दे रहा हूं, कौशाम्बी योजना में 1006 और 302 । इन दो फ्लैटों के मालिकान कौन हैं, सारे भ्रष्टाचार की जो जांच कर रहे हैं, वास्तविकता भी आपके सामने आ जायेगी, जब आप चोर को ही चौकीदार की जगह बैठाल देंगे, तो क्या होगा ? मान्यवर वह कौन हैं, और किसके नाम का फ्लैट है ?

मान्यवर, एक बहुत ईमानदार अधिकारी थे, परसों आपने उसका स्थानान्तरण किया, मालूम होता है, उसकी ईमानदारी को देखकर या उसका कोई पर्दाफाश हुआ हो । मान्यवर, तीन वित्तीय वर्षों में 32 करोड रुपये की चोट इसलिए पड़ी है कि योजनाएं स्वीकृत होकर फाइलें 6-6 महीने तक पड़ी रहीं । 9 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट

आपके पूर्व उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पड़ा रहा । यह आरोप मेरा नहीं, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में किसी व्यक्ति ने, किसी सक्षम व्यक्ति ने अफेडेविट दाखिल किया और वह व्यक्ति उसी प्राधिकरण का उच्च अधिकारी है । मान्यवर, मैं और लम्बा नहीं जाता हूं, ठेका होता है कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत स्टाम वाटर ड्रेन का, मुख्य अभियन्ता, नगर नियोजन के हस्ताक्षर से, उपाध्यक्ष के पास जाता है, उपाध्यक्ष को शक होता है, वह जांच के लिए भेज देते हैं 20 लाख रुपये उसकी कीमत जांच के लिए देते हैं, और वह जब लौट कर आती है, तो उसकी कास्ट साढ़े 4 से सवा पांच करोड़ हो जाती है और उसके बाद 6 करोड हो जाती है, तो खाली 2 करोड का घाटा सरकार का होता है । मान्यवर, ललितकला अकादमी तो कलाकारों के लिए बनी हुई थी, उसके प्लाट काट दिये जाते हैं, आवंटित के पूर्व प्रार्थना पत्र भी नहीं पड़े हैं । ललित कला अकाडमी की जमीन जो आज भी ललितकला अकाडमी के नाम से थी, लोगों के नाम से बांट दी जाती है । एक ही व्यक्ति के 12 रिश्तेदार हैं, और वह व्यक्ति परसों ही विकास प्राधिकरण से हटा है । मान्यवर, हरदोई रोड योजना आपकी है, पांच वर्षों से लम्बित है, किसानों को मुआवजा । करोड़ रुपया बांट दिया गया । कैसे बांटा गया, ए-सेक्टर वहां, तो बी-सेक्टर वहां और सी-सेक्टर वहां, न सड़क बन सकी है, न नाला बन सका है । 50 लाख रुपये देकर विवाद रहित मुआवजा भी करने का बना दिया है, फिर पेंडिंग पड़ी आती है, वह जमीन लम्बित थी, फिर आप देख लीजिए कि कितने दिन तक अभी लम्बित रहेगी । यह एक व्यक्ति का क्रियाकलाप है । मान्यवर, गनशेगंज लखनऊ की सबसे महंगी योजना है, यहां आर0टी0ओ0 कम्प्लेक्स बना 4 साल हो गये, 4 करोड रुपये मुआवजा दे दिया गया, अगर 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ लीजिए, तो लगभग एक करोड़ रुपया हो जाता है । वहां पर आज तक काम नहीं शुरू किया जा सका । आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपकी जानकारी में नहीं है । काल्विन ताल्लुकेदार्स कालेज की जमीन विकास प्राधिकरण ने 8 रुपये पर एक्वायर की और पैसा भी जमा कर दिया । कौन नहीं चाहेगा कि वहां पर जमीन मिले, वहां के प्लाट आम आदमी को चले जायेंगे तो विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों का क्या होगा, उनका आवंटन इसलिए नही किया गया, जिनके प्रार्थना पत्र वर्षो से लम्बित है और इस प्रकार से 4 करोड़ रुपया इसमें फंस गया ।

मान्यवर, इन्होंने एक योजना बनायी है कि 500 रुपये में गरीबों को मकान एलाट कर देगे । अगर किसी को जापलिग रोड पर मकान मिल जाता है, तो वह कितना भाग्यशाली होगा । 500 रुपये मे प्लाट का एलाटमेंट, तो वह लाटरी वाला इन्तजार कर रहा है और पता चला कि इसके स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है और कुछ बडे आदमियो को इस योजना के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है और कुछ बडे आदमियो को इस योजना के स्वरुप परिवर्तन का लाभ दिय गया ।

मान्यवर, आप जाच करा लें, विकास प्राधिकरण के पास अपनी सम्पत्ति की कोई सूची नहीं है । मुख्य मत्री जी मै केवल 24 घटे मे आपको मकान 1984 के रेट पर दिला सकता हू । आदेश कैसे जारी होते हैं, कोई नया आदेश जारी नही होता है, मेमो जारी होता है, मेमो सख्या फ्ला-फ्ला के अनुसार, वह 84 के मूल्य पर मकान पा सकता है । सुरेन्द्र अवस्थी मकान पा सकते है और अगर आप क्लर्क को डील कर ले तो 1980 और 1982 के रेट पर मकान मिल सकता है । मान्यवर, इसको आप रोक नही पायेगे, जब तक कि विकास प्राधिकरण की सेवाओ को केन्द्रीकृत नही करेगे, प्राधिकरण के कर्मचारियो की नियमावली नही बनेगी, प्राधिकरण में छोटे स्तर से बडे स्तर तक ट्रान्सफर नही होगे, तब तक यही होता रहेगा । 1200 रुपये पाने वाले कर्मचारी के 60-70 लाख रुपये की लागत का मकान है । मान्यवर, विकास प्राधिकरण पिछले साल 200 दिन बंद रहा । एक तो कर्मचारियों की नीति थी और दूसरे जो भू माफिया थे उनकी राजनीति थी और 130 फाइलें प्रापर्टी की गायब हो गयीं और ज्यादा नहीं लगभग 30 000 वर्ग गज जमीन गायब हो गयी, वह फाइल गायब हो गयी है , आप कहां तक खोजवायेंगे, वह कब आवंटित हो गयी, आप जान नही पायेंगे । आप मान्यवर क्वालिटी कट्रोल की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की कोई बात नहीं है । हाईकोर्ट में आपके विभाग के विशेष सचिव शारदा प्रसाद ने हलफनामा लगाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल सेल की स्थापना की शासन की कोई मंशा नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि गुणवत्ता पर आधारित मकान न बनें । मान्यवर, आज तक राष्ट्रीयकृत बैकों के माध्यम से फार्म बिकते थे, लेकिन नक्खास में एक बैंक है, अवध सहकारी बैंक है लखनऊ विकास प्राधिकरण में आपने पंजीकरण का अधिकार इस सहकारी बैंक को दे दिया, राष्ट्रीयकृत बैकों को छोडकर अब सहकारी बैंक पंजीकृत करेगा ? इसको इसलिए शायद आप गम्भीरता से न लें क्योंकि इस प्रशासक मंडल में आपके दल के सारे लोग शामिल हैं। लेकिन यह बहुत ही गम्भीर मामला है नेहरू इनक्लेव योजना, गोमती नगर योजना फेज-2, अलीगंज योजना इन सारी योजनाए के हम अगर आप चाहेंगे तो सारे डिटेल्स दे दे । इसके बाद मे इलाहाबाद में आता हू ।

यह मैं जिनके पत्र भेज रहा हू यह इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की इनकी कहानी है, यह सरकार कैसी है ?

वित्त, सस्थागत वित्त, ससदीय कार्य एवं नियोजन मत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मेरा निवेदन है कि वर्ष बताते जाय तो नोट करने मे आसानी होगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मै श्री दिनेश राय के कार्यकाल का बता रहा हू इसी तीन साल के अन्तराल की बात बता रहा हू इसके पहले नहीं गया हूं । मान्यवर, इलाहाबाद प्राधिकरण

मे एक मुख्य लेखाधिकारी हैं जो किसी जमाने मे अपना कैरियर क्लर्क से शुरू किये थे और आज 25 करोड के आदमी है यह विजिलेंस की रिपोर्ट है और विकास प्राधिकरण मे लम्बित हैं जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, दबी पडी हुई है । यह मैं आपके पास भेज रहा हू यदि उचित समझे तो कार्यवाही करें । ऐसे ही मान्यवर,एक मुख्य अभियन्ता श्री सुरेन्द्र सिंह का मामला लम्बित है विजिलेंस की इन्क्वायरी हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

जिस प्रति को आप देना चाहते हैं उसे हमारे पास भेज दीजिएगा मैं उसे नियमानुसार भेज दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मेरा आशय यह नहीं है कि मैं आलोचना करना चाहता हूं, मेरा आशय मात्र इतना है कि यह सारी चीजे क्यों हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है, सदन में होता तो हम मंत्री जी पर आरोप लगा देते कि मंत्री जी दोषी हैं । मान्यवर, मंत्री को मालूम ही नहीं होगा कि नीचे क्या हो रहा है ? हमारे पास कोई चारा नहीं है हम मंत्री जी पर आरोप लगा देते हैं तो मंत्री जी झल्ला जाते हैं और कुछ बोल देते हैं । मान्यवर, यह मैंने चार उदाहरण दिये हैं और यह चार जगहों के हैं और किस-किस जगह की बात करूं । मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि कटौती का उद्देश्य सुझाव देना है । आपने बार-बार एक बात कहीं भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने की ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो रिपोर्ट लम्बित है, यह कब की है ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय अवस्थी जी अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, बिल्कुल समाप्त कर रहा हू । मैं पहले कह चुका हूं कि कोई व्यक्ति नहीं दोषी है । माननीय शुक्ल जी प्रश्न चिह्न व्यवस्था पर है यह लोकशाही अगर रहेगी तो मै भी रहूंगा और आप भी रहेंगे, यह सरकार, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आता रहेगा जाता रहेगा, सरकार का मुखिया कौन है, विरोध पक्ष में कौन बैठा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लोकशाही का स्वरूप क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्तापक्ष के जमाने में पाप हुआ या प्रतिपक्ष के जमाने में पाप हुआ, अगर पाप है तो कार्यवाही स्वीकृत करें ।

माननीय उपाध्यक्ष जी बार-बार कह रहे हैं कि छोटा करे, मैं भी छोटा करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण में जूतों के बिल से लेकर कार के, टी0वी0 और वी0सी0आर0 ठीक करने के लिए बिल तक विकास प्राधिकरण के खर्चे में जाता है । आवास तो विकास प्राधिकरण नहीं दे पाते हैं, लेकिन लखनऊ में जब-जब आई0ए0एस0 एसोसियेशन की बैठक होती है तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार है कि आई0ए0एस0 एसोसियेशन के लंच और डिनर का खर्चा लखनऊ विकास प्राधिकरण सरकारी रूप में अदा करें । अगर यह अधिकार नहीं है, तो इस अधिकार को प्रदत्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही नहीं होगी । यह सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, न इसमें शिष्टाचार की बात है बात है व्यवस्था परिवर्तन की । कुर्सियां बदलती रहेगी, चेहरे बदलते रहेंगे । इसलिए जितनी भी कटौतियां हैं किसी की भाषा नहीं बदली । आप सरकार की तारीफ करेंगे, हम तो विरोध करने की मानसिकता लेकर आये, तो आने के उद्देश्य का औचित्य समाप्त हो जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा आप पर कुछ विश्वास है, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता उस विश्वास के तहत यह बात कही है, न कटौती वापस लूंगा और श्रीमन्, मै यह भी चाहूंगा कि जो कुछ भी करना चाहे, वह अच्छी तरीके से हो, लेकिन श्रीमन् संरक्षण में सदन की उस सर्वोच्च कुर्सी से चाहता हूं वहीं सत्ता पक्ष के नेता और इस सदन के नेता के रूप में आप यहा बैठे हैं । यहां जो निर्णय प्रतिपादित करेंगे तो उससे हमारे समूह का चरित्र समाज के समाने जायेगा अखबार में खबर छपने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं तो उसका असर होगा । आप अकुश लगाकर कार्यवाही करेगे, यह मैं माननीय नेता सदन आपसे कह रहा हूं । यह नारों की बात नहीं है अगर व्यक्तित्व मर्यादित आचरण को देखते हुए कहा जाय तो एक बार फिर मर्यादित आचरण का आप मान्यवर परिचय दें ।

मै व्यक्तिग रूप से चाहता हूं कि आप संरक्षण दें । जो मैंने तथ्य रखें हैं जिस तरीके से चाहे कार्यवाही करें । कुछ और तथ्य आपके समक्ष फिर रखूंगा । आज जांच की घोषणा करें, तब आवास नीति पर बल दें । तब कहें कि आवास नीति लागू करने जा रहे हैं इसमें प्रतिपक्ष का सहयोग चाहिए, तब आप बेघर को घर देने का सपना पूरा करेंगे । आप निजी निर्माताओं को प्रोत्साहन मत दीजिये क्योंकि यह निजी निर्माता जो चेहरे पर नकाब लगाये हैं यह भेड की खाल में भेड़िये हैं यह आपके सामने बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करेंगे । यह बड़े लोग हैं । गरीब आदमी का हाथ इनकी गिरेबान तक नहीं पहुच सकता है यह गरीब आदमी की दौलत को

लूट कर उड़ जायेंगे । मेरे पास टेण्डर के तथ्य हैं, वीकर सेक्शन का जो काम है, जिसके लिए एक लाख बिक्र ए-क्वालिटी की दी जायेगी । मान्यवर, मेरे पास जो तथ्य हैं जो वर्क आर्डर में लिखा है भवन निर्माताओं ने वह सी-क्लास की बात वर्क आर्डर में दी हुई है यह आपकी नीति को फेल कर देंगे । यह सपना आपका थोथा सपना साबित होगा । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा । पहले आप इन पर अंकुश लगाने की नियंत्रण लगाने की नीति निर्धारित कीजिए । पहले क्वालिटी कंट्रोल सेल स्थापित कीजिए । मान्यवर, पहले प्राधिकरण में स्थानान्तरण नीति लागू कीजिए । मान्यवर, पहले विकास प्राधिकरणों की सेवा नियमावली लागू कीजिये मान्यवर इनके बड़े-बड़े अधिकारियों को बेनकाब कीजिए जिनके पास लखनऊ में व अन्य जगहों पर बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां हैं । मान्यवर, आज कोई भी आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी ऐसा नहीं है जिनके पास गोमती नगर, अलीगंज, या विभिन्न योजनाओं से आवास न हों ।

राजनीतिज्ञ लोगों पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के । आप जांच करा लें, नोयडा, गाजियाबाद, लखनऊ में किन-किन राजनीतिज्ञ लोगों के आवास हैं तो मुश्किल से 5-7 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनके पास आवास हैं । यह जो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस, चीफ इंजीनियर फ्लाना-डिमाका इनकी स्थिति की जांच करा लीजिए । जब यह नौकरी में आये थे तब इनकी औकात क्या थी और जब नौकरी से जाते हैं तब उनकी औकात क्या थी ? और आपके लोकायुक्त के यहां, केवल विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों का, और मान्यवर, दूसरी एक मजेदार बात यह बताना चाहता हूं कि जो आन डेप्युटेशन मे आवास विकास परिषद् में आते हैं, तीन महीने रहते हैं, आवास विकास परिषद् से सस्ती दर का आवास लेते, हमारी आपकी सिफारिश करते हैं और फिर उड जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे सविनय अनुरोध करूंगा कि मेरे समस्त इंगित बिन्दुओं पर कृपा पूर्वक जांच करायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

* श्री राम किशन ददाजू-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आवास एवं विकास परिषद् के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो इन्होंने बड़ाई तो की नहीं केवल आलोचना की है । मान्यवर, पंजीकरण व्यवस्था ऐसी थी कि पंजीकरण के माध्यम से जो आवन्टी पैसा चाहता था तो वह उसे लखनऊ से मिलता था मगर अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि आवन्टी आपना पैसा अपने क्षेत्रीय स्तर से ले सकता है । दूसरा जो आपने विधवाओं को जो निशुल्क व्यवस्था की है यह बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है । इसके अंतर्गत वह किश्तों के आधार पर भी आवास ले सकती हैं । मान्यवर, हमारा फिरोजाबाद जिला एक नव निर्मित जिला है । यहां पर विकास प्राधिकरण की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर न तो ड्रेनेज की व्यवस्था है और न ही बाई पास है, इसलिए वहां पर विकास प्राधिकरण होना चाहिए । मान्यवर, ट्रांसपोर्ट नगर मेरा जिला है, यहां पर भी विकास प्राधिकरण बनाया जाये, यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर भी बन सकता है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आवास एवं विकास परिषद् में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है । यह सही बात है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए । मान्यवर, फिरोजाबाद मे ए0सी0 और सेकेन्ड ए0सी0 दो प्लाट आवंटित हुए और दोनों में 16 लाख रुपये का अंतर है जबकि दोनों करीब-करीब एक ही हैं तो आप इसकी जांच कराये कि इसमें इतना अंतर क्यों है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि इस बजट पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े ही विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और माननीय अवस्थी जी ने भी कटौती के प्रस्ताव में सभी सदस्यों के भावनाओं को अवगत करा दिया है अगर आप सहमत हों, तो माननीय मुख्य मंत्री जी, तो आप अवस्थी जी से कटौती प्रस्ताव को वापस करने के लिए अनुरोध कर लें ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने नजूल भूमि पर कब्जा कर रखा है तो मान्यवर, हमारे जनपद में बांदा में करीब 60 परसेंट आबादी ऐसी है वह अनुसूचित जाति की है, शेष आबादी गरीब लोगों की है, उनके पट्टे का मामला था । शासन से कुछ आदेश भी गये, लेकिन किन्हीं कारणों वश पट्टे नहीं हो पाये । वह लोग 30 वर्षों से भवन कर दे रहे हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करवा दें कि उनके पट्टे हो जायें और जो उचित नजराना हो, वह ले लिया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि मेरे कटौती प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए और प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उसी के साथ संदर्भित करते हुए, जो मैंने कहा है कि सम्पूर्ण बजट की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, तो इसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लें, जिससे यह पता चले कि वास्तव में इस भ्रष्टाचार की समाप्ति के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी कितना चिन्तित हैं और इसी के साथ मैं पुनः आपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कल्याण सिंह -

श्रीमन्, मैं श्री सुरेन्द्र अवस्थी को इस बात के लिए बधाई देता हू कि उन्होंने अपने इस कटौती के प्रस्ताव को बहुत तैयारी के साथ, बिन्दुवार तरीके से इस सदन में रखा । जो कुछ भी सुरेन्द्र जी ने कहा है, उसके लिए मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हू कि शासन उनकी इन बातों को पूरी गम्भीरता से लेगा और मैं चाहूंगा कि आप अलग से भी मुझे इन तथ्यों को जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपका भाषण सुनते समय मुझे ऐसा जरूर लगा कि आप आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सही चीजें हैं, उनकी ओर इंगित करा रहे हैं, जहां गन्दगी है, वह गंदगी दूर हो, चाहे वह कहीं भी क्यों न हो । जो बेईमानी कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अफसर हो, हमारी सबकी इस माननीय सदन के सदस्य होने के नाते सामूहिक जिम्मेदारी है, कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा हम सही तरीके से करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ें । बेईमानी अगर कोई करता है तो उसको किसी और से कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा न सत्ता पक्ष से और न अन्य किसी माननीय सदस्य की तरफ से । आपके सारे भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगा, न तो इसमें किसी के ऊपर आक्षेप है, न सरकार पर, न किसी मंत्री पर, न किसी पार्टी पर और न किसी भूतपूर्व सरकार पर । हम चाहते हैं कि इस तरह का सहयोग हमें प्राप्त हो और इस तरह की चीजें उजागर हों, बहुत सी चीजों की जानकारी हमें इसी तरह से प्राप्त होती है, फीड बैक मिलता है । मैं आपके इस सहयोग के लिए आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं । दो-तीन बातें और हैं जैसे नक्शे के पारित होने के संबंध में हमने व्यवस्था बता दी कि नक्शे के पारित होने में अब कहीं किसी तरह का शोषण न होने देंगे । बाकी पूरी व्यवस्था आवास नीति के बारे में आ गयी है, जो इस बारे में सुझाव आये हैं, उनका समावेश कर दूंगा इसी प्रकार से आवंटन के संबंध में जो गड़बड़ियां होती थीं, उसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि अब लाटरी कम्प्यूटर द्वारा निकाली जायेगी ताकि आवंटन में कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये । . . .

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, दो बिन्दुओं पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का व्यू जानना चाहता हूं । एक तो यह कि प्राधिकरणो की सेवा को केन्द्रीयकृत करने के लिए व सेवा नियमावली बनाने के लिए शासन कोई कार्य कर रहा है ? दूसरा, विभिन्न प्राधिकरणों की सम्पत्ति के अंकन हेतु क्या कोई रजिस्टर बनाया जायेगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपका चाहे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जाये, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ पायेगा । आज तक जिस प्रकार नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, वह होते जायेंगे । उसे आप नहीं रोक पायेंगे ।

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, मैंने जब श्री अवस्थी जी को उनके भाषण के लिए बधाई दी और उन्होंने जिन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया, उन सबको ध्यान में रखकर ही मैंने उनको बधाई दी । माननीय श्री अवस्थी जी ने कुछ प्रश्न भ्रष्टाचार व अनियमितताओ के संबंध में उठाये है, मैं चाहूंगा कि वह उन्हें लिखकर दे दे तो बडी कृपा होगी । हम खुद चाहते है कि कार्य प्रणाली में सुधार हो। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने का तो सवाल ही नही होता है । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कितना ही बडा आदमी क्यों न हो, चाहे वह कितना ही दबाव मे फंसाने की कोशिश करे, परन्तु परमात्मा की कृपा से उसका पेंच नही फंस पायेगा । मैने जैसा कि पूर्व में ही कहा कि आवंटन के संबध में हमने कम्प्यूटर द्वारा लाटरी खोले जाने का निर्णय लिया है । हमने एक फैसला और लिया है कि जैसे ही आवास का कार्य प्लिन्थ तक आ जायेगा, हम उसका आवंटन कर देंगे । ताकि जिसे वह आवंटित किया गया है, वह स्वयं जाकर देखे कि जो भवन उसे आवंटित किया गया है, उस पर सीमेंट ठीक हिसाब से लग रही कि नहीं लग रही । वह ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ताकि आगे जाकर किसी प्रकार से आवंटन में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो । यह एक प्रक्रिया हमने अपनाई है। इसको हम ज्यादा से ज्यादा अपनायें ताकि अनियमिततायें दूर हों । हमारा यह दावा नहीं है कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वह आज ही सारा का सारा फूल-पूव कर दिया है । परन्तु हमारी सरकार उस दिशा में सोच रही है । हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं । श्री अवस्थी जी ने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें हमने स्वस्थ्य मन से लिया है ।

श्री अवस्थी जी ने केन्द्रीय अधिनियम में कुछ संशोधन की बात कही । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम, 1976 केन्द्र सरकार का अधिनियम है । उसमें संशोधन केन्द्र सरकार से ही होगा । उसमें संशोधन हेतु प्रदेश सरकार सुझाव दे चुकी है । हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार हमारे प्रस्तावों पर व संशोधनों पर विचार करे । मैं भी इस बात को महसूस करता हू कि 1976 के इस अधिनियम में व्यवहारिक दृष्टि से आज की परिस्थिति में कुछ

संशोधनों की आवश्यकता है और वे संशोधन अपेक्षित भी हैं । श्रीमन्, श्री अवस्थी जी ने एक आगरा, व ओबरा की बात कही । मेरे पास कई चीजों की सूचना तो है, परन्तु मैं यहां पर नहीं कहना चाहता हूं । श्री अवस्थी जी ने संकेत किया था कि हमारी पार्टी के किसी राष्ट्रीय नेता का हाथ उसमें है । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ओबरा वाला काण्ड इस सरकार में नहीं हुआ है । वह पिछली सरकारों का मामला रहा होगा । इसलिए यह आरोप निराधार है कि भा0ज0पा0 के किन्हीं का हाथ है मै इस आरोप का खण्डन करता हू मैंने कहा कि माननीय सुरेन्द्र नाथ जी की बातों को मैंने गम्भीरता से लिया है इसलिए वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सुरेन्द्र नाथ जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मै अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-2-आवास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,67,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान-अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या 87 सैनिक कल्याण विभाग

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसके बाद 3 बजट हैं मैं आग्रह करूंगा तीनों को एक साथ ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं अगर तीनों को एक साथ ले लें तीनों एक साथ प्रस्तुत कर दें । अगर उचित समझें तो तीनों एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

ठीक है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय राजनाथ सिह जी प्रस्तुत कर रहे हैं, तीनो एक साथ प्रस्तुत कर दें।

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एव प्रौद्योग मत्री (श्री राजनाथ सिह)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9, 59,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करताहू कि 31 मार्च, 1993को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87- सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,14,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री विजय पाल सिह तोमर-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान सख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान सख्या 86-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान सख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

श्री विजय पाल सिह तोमर-

नही, दो मिनट बोल लेने दे। मान्यवर, मैने सूचना, सैनिक कल्याण और राज्य सम्पत्ति विभागो पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर सक्षेप मे अपनी बात कहना चाहूगा । सूचना विभाग के द्वारा सरकार की नीति और उसके कार्यो के बारे मे जनता को अवगत कराया जाता है । यही इसका मुख्य काम है । लेकिन आज कल इस सूचना विभाग का सरकारी पक्ष द्वारा दुरुपयोग हो रहा है । यह केवल सरकारी तंत्र के प्रचार का माध्यम बनकर रह गया है । सूचना विभाग मे सन् 85-86 से भ्रष्टाचार राज गिरावट शुरू हुआ है जब 3 करोड के भ्रष्टाचार का प्रकाशन सबधी मामला सामने आया था और उसके बारे मे समाचार पत्रो मे आया था और सब जगह उसका भण्डाफोड हुआ था । आज इस विभाग मे कुशल और प्रतिभाशाली कर्मचारी बेगुनाह दण्डित हो रहे है और चापलूस व भ्रष्ट लोग आज तरक्की पा रहे है । मान्यवर, मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूगा कि आज सचना विभाग मे जो जिला सूचना अधिकारी है वह जिले मे जिलाधिकारी के चपरासी के रूप मे काम कर रहे है । उनकी अपनी कोई स्वतत्र कार्य शैली नही है, क्योकि जो जिले मे स्थायी कमेटी बनी हुयी है उसके जिलाधिकारी अध्यक्ष है । जब तक जिला सूचना अधिकारी को उसका स्वतत्र अधिकारी नही होगा तब तक वह पुलिस विभाग और अन्य विभागो से कैसे सूचना प्रभावशाली रूप मे प्राप्त कर सकता है । उस स्थायी कमेटी मे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी है तब जिला प्रशासन के विरुद्ध कोई सूचना कैसे दे सकता है इस स्थायी कमेटी मे जिला न्यायाधीश आवश्यक रूप से रखा जायं । यह बिल्कुल इन्डिपेनडेन्ट होनी चाहिए । स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत जी के काल मे यही इसमे व्यवस्था थी और यह स्वतत्र अलग था । जितने विज्ञापन अखबारो को दिये जाते है, उनको दिये जाते है जो सत्ता पक्ष के चापलूस लोग होते है और पूजीपतियो के अखबार है । इसके लिए एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष कमेटी का गठन होना चाहिए और उस कमेटी के जरिये यह विज्ञापन देने का काम होना चाहिए । जिससे छोटे और सरकार के आलोचक अखबारों को भी विज्ञापन मिल सके । विज्ञापनो मे अखबारो के अनुसार 50,30,20 का अनुपात होना चाहिए उर्दू के अखबारों के साथ भी भेदभाव नही होना चाहिए । अखबारों को मान्यता जिलाधिकारी की संस्तुति पर सूचना निदेशक के यहा से मिलती है । इस पर भी कमेटी बननी चाहिए, क्योकि बिना पैसा दिये यह काम होता नही है । कुम्भ मेले मे इस विभाग ने बडा प्रचार किया किन्तु वहां पर प्रचार हुआ भारतीय जनता पार्टी का । सूचना विभाग ने वहां बहुत रूपया खर्च किया और बी0जे0पी0 का प्रचार किया । मै निवेदन करना चाहता हू कि सूचना विभाग की 1992 की आज जो डायरिया मिली है उनमे बहुत से मानीय सदस्यों के नाम और पते गलत लिखे है । सूचना विभाग की इससे बडी अक्षमता और क्या हो

सकती है ? जो 1993 का कलेण्डर है उसमें सितम्बर का महीना 31 दिन का लिखा हुआ है । नेता विरोधी दल का नाम भी सूचना पंचांग में गलत लिखा हुआ है, यह इनकी अक्षमता का परिचायक है । मान्यवर, सरकारी धन का अपव्यय इस सीमा तक हो गया है कि अधिकारी राजकीय कार्यों के लिए 46 लाख रुपये तक अग्रिम लेकर वर्षों तक उसका समाधान नहीं करते हैं । और साल भर उसका सूद खाते हैं । इस अनियमितता पर गम्भीर आपत्ति आडिट रिपोर्ट में लिखी है । मैं चाहूंगा सर्तकता विभाग से इसकी जांच आप करायें ।

इस विभाग मे कोई दीर्घ कालीन योजनाएं नहीं हैं, फिर भी पी0एल0ए0 की व्यवस्था की गई है जिसमें 63 लाख रुपया विगत चार वर्षों से जमा है जिसको नियमानुसार वर्षवार सरकार को वापस न करके वित्तीय अनियमितता की गई है । और आडिट में भी इस पर आपत्ति किया है । इस ओर भी आप ध्यान दें । मान्यवर, सूचना विभाग का सबसे संगीन मामला उत्तर प्रदेश पाक्षिक को बिना छापे उसके बजट पत्र को 4 वर्षों तक जारी दिखाकर आहरित किया जाता रहा है और इस पर एक करोड़ रुपये का गोलमाल किया गया है । यह मामला मुख्य मंत्री जी ने सदन में उठाने पर लीपा-पोती करके टाल दिया है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर इस विभाग में 100 से अधिक मुकदमे हैं करीब एक दर्जन मुकदमें वर्तमान सूचना निदेशक के समय के हैं । इन्हे आपसी समझौते से निपटाये जा सकते है इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए मान्यवर, विधान सभा में सदस्य जो सूचना मांगते है वह उन्हें सही नहीं उपलब्ध करायी जाती है और जो पत्रकार सूचना मांगते हैं वह उन्हें भी सही नहीं उपलब्ध कराई जाती है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय मान्यवर, इस प्रजातंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता की बहुत जरूरत है और इसके लिए पत्रकारों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है । लेकिन आज पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । हमारे वहां एक पत्रकार श्री राजेन्द्र मोर्य ने खतौली थाने के इन्सपेक्टर के खिलाफ संगीन अपराधों के थाने में पंजीकृत न करने की पोल खोली तो वहां के इन्सपेक्टर ने उस पत्रकार पर हमला करा दिया । मेरी माग है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वाहनों की

व्यवस्था की जाय और उनके लिए बीमा पालिसी की भी व्यवस्था की जाय तथा आवास की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सूचना ब्यूरो मुख्यालय को प्रदेश के मुख्यालय से फैक्स सेवा से जोड़ा जाय । दूसरा सुझाव है कि सूचना विभाग की निरीक्षा शाखा के तालमेल से जनता की प्रतिक्रिया सरकार की नीति एवं कार्यों के बारे में क्या है इसको जानने की व्यवस्था हेतु एक "जन प्रतिक्रिया सर्वेक्षण प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाये तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग के मंत्री व सचिव को भेजी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री कल्याण सिह-

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि चूकि कार्य सूची लम्बी है और आज की ही तारीख के लिए है इसलिए बारह बजे तक सारी कार्यवाही पूरी हो जाय इसको ध्यान में रखकर काम करे ।

श्री उपाध्यक्ष-

बारह बजे से पहले ही कार्यवाही पूरी करने का हम प्रयास करेगे ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

जहां तक राज्य सम्मति विभाग का सवाल है यहा के विधायक निवास सख्या-4 (रायय होटल) तथा दारुलशफा के ब्लाक ए के सर्वेन्ट क्वाटर पर साढ़े नौ लाख रुपये का खर्चा दिखाया गया है जबकि वहां कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है और सब फर्जी बिल और बाउचर बनाकर दे दिये गये । विधायक निवास मे हालत यह है कि पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है । आप दिल्ली जाइये यू0पी0 निवास और यू0पी0 भवन में सारे आवास भरे मिलेंगे । नेता लोग एसेम्बली में भाग ले रहे हैं और वहां और लोगों को रखा हुआ है । हमने माननीय अध्यक्ष जी को सुझाव दिया था कि उ0प्र0 भवन में खाने के पैसे बढ़ा दिये जायें परन्तु खाना अच्छा दिया जाय मान्यवर, पैसे तो बढ़ गये । 15 रुपये कर दिये गये परन्तु क्वालिटी नहीं बदली गई । कलकत्ता के गेस्ट हाउस की व्यवस्था सुधारी जाय तथा यू0पी0 का एक गेस्ट हाउस बम्बई में बनाया जाये । आज यहां पर विधायकों के जो गैरेज है वहां पर अनर्गल रूप से गाड़ियां खड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है । लिफ्ट सही हैं पर उसमें लिफ्टमैन नहीं मिलते । इन सब परेशानियों का सामना रोज यहां विधायकों को करना पड़ रहा है डालीबाग मंत्री आवास में सात-सात दिन तक सफाई वाला नहीं आता है ठंडे पानी के लिए कूलर नहीं है न कोई कन्टीन है । इस ओर ध्यान देना चाहिए । इसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सैनिक कल्याण के बारे में दिलाना चाहता हूं । सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास का मामला है जो जमीन बजर या ऊसर है ऐसी जमीन पड़ी हुई है । मैं आपसे

निवेदन करूंगा भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जाये । अपंग लोगों को दी जाय । विधवाओं को दी जाय । यही नहीं आपके जो विश्वविद्यालय हैं उनमें बी0एड0, एम0एड0 में एक प्रतिशत ही सही उनके लिए आरक्षण किया जाय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मे चार प्रकार के अधिकारी पुनर्योजित है ।

(क) भू0पू0 आपात कालीन अधिकारी (ख) भू0पू0 सेवा कमीशन अधिकारी (ग) स्थाई पेशन अधिकारी जो दिनाक 1-1-86 के पहले सेवानिवृत्त हुए (क) स्थाई पेशन अधिकारी जो दिनाक 1-1-86 के बाद सेवानिवृत्त हुए क श्रेणी को छोडकर । सैनिक कल्याण विभाग मे अन्य सभी नियुक्तिया सविदा मे अनुसार हुई है लेकिन फिर भी सबके लिए सुविधाये अलग-अलग हो जो समस्त कार्य के लिए समान वेतन के नियम के प्रतिकूल है ।

मेरा निवेदन है कि श्रेणी ख,ग, व घ वर्ग के कर्मचारियो का एक समान का वेतनमान होना चाहिए । मैं इन्हीं शब्दो के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हू ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय विजय पाल जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे है कि नहीं ? मै प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण मे कुछ कहना चाहें तो एक मिनट में कह दें ।

(गृह राज्य मत्री श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

माननीय शाही जी उत्तर भाषण आप दे रहे हैं क्या ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय सदस्य की सूचना के लिए कुछ कहना चाहता हू । इन्होंने विज्ञापन के सम्बन्ध मे आरोप लगाया है । उसके संबंध में स्पष्ट करना चाहता हू कि यहां पर सूचना निदेशक की अध्यक्षता में पत्रकारों की समिति बनाई गई है उसमें सूचना निदेशक के अलावा सारे सदस्य मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं । वही विज्ञापन का एलाटमेंट करते है । इन्होंने जो विज्ञापन के संबंध में आरोप लगाया है वह निराधार है । दूसरा एक उल्लेखनीय कार्य पहली बार इस सरकार ने किया है । श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की है । एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना बनाई है और इसके अलावा उनके उत्तरदायी को एक लाख बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था जीवन बीमा निगम द्वारा की गई है । इस कार्यक्रम के बारे मे केन्द्र सरकार ने जिज्ञासा प्रकट की है । उन्होंने हमारी योजना की जानकारी चाही है कि वह भी अपने यहा इस योजना को लागू करेंगे । प्रमोद तिवारी जी और रेवती रमंण सिह जी की सरकारे जहा-जहा है उन सरकारो ने भी इसे अपने यहा लागू करने के लिए सोचा है ।

मैं समझता हूं कि जब इसकी सब जगह तारीफ हो रही है, कि हमने यह सराहनीय कार्य किया है तो अवश्य ही यह एक अच्छा काम है । मैं चाहता हूं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी एक मिनट में अपना उत्तर भाषण दें दे ।

(समय 10 बजकर 20 मिनट)

माननीय शिक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग का जो दायित्व है कुछ बिन्दुओ की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हू । राज्य सम्पत्ति विभाग और राज्य सम्पत्ति निदेशालय है इसने बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह किया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया एक मिनट बैठ जाय । शाही जी बोल चुके है । श्रीमन् जी चाहे तो एक मिनट मे बोल ले ।

श्री विजय पाल सिह तोमर-

मै अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हू । 6 महीनो के बाद इन्होने डायरिया देकर अनावश्यक पैसा खर्च किया है ।

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जो अध्यासी आवासीय भवन हैं उसमे अनावश्यक रूप से लोग रह रहे थे । इसमें हमने एक अभियान चलाकर अनधिकृत रूप से रहने वाले लोगों से आवास खाली कराने का काम कराया है । अनधिकृत रूप से जो लोग रह रहे थे उसमें किराए की वसूली के लिए प्रभावी अभियान चलाया है ।

(व्यवधान)

एक आंकड़ा देना चाहता हू 1990-91 में किराये के द्वारा 45 लाख 18 हजार रुपया वसूल किया गया था । वहीं 1991-92 में 53 लाख 54 हजार रुपया वसूल किया गया । (मेजे थपथापाइ गई)

एक अभियान हमने चलाया, 135 लोग ऐसे थे जो अवैध रूप से रह रहे थे । अब 60 लोगों ने स्वय किराया जमा किया है । न्यायालय में बहुत सारे वाद चल रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिए अनुरोध कर ले ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिह-

लम्बित वादो का निस्तारण तेजी के साथ किया गया है । 1990-91 मे 379 दायर वादो मे 281 का निस्तारण किया गया । 1991-92 मे 721 मे 635 वादो का निस्तारण हुआ । इसी तरह से राज्य सम्पत्ति निदेशालय की उपलब्धियो

रही है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुमन्य सेवायें शासन द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है इतनी बात कहकर मै अपनी बात को समाप्त करता हू और निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजयपाल सिह तोमर -

मै अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वर्ष 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान सख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वर्ष 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,59,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान सख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,14,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान सख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

गृह राज्य मत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान सख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्ययो) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

गृह राज्य मत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या, 20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान सख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,21,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान सख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

गृह राज्य मत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग

गृह राज्य मत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वले वर्ष मे अनुदान सख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,97,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अतर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,97,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या-39-नियुक्ति विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

गृह राज्य मत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मै आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या 46-प्रशासनिक सुधार विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या 46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,06,56,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,06,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष-1992-93 को आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,58,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान सख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,58,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाए

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनाक 8-5-1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाए प्राप्त हुई जिसमे पहली सूचना श्री लाखी राम जोशी की प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के राजकीय हाई स्कलो तथा इण्टर कालेजों मे अशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को शासनादेश के तहत नियुक्ति न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया, दूसरी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की जनपद फैजाबाद मे जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण द्वारा ट्रेजरी रुल्स-27 के अन्तर्गत अनियमित रूप से पैसा निकालकर वित्तीय अनियमितता किये जाने के सबंध में है इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया, तीसरी सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी के अरबी मदरसों मे राजकीय अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापकों का वेतन रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया, चौथी सूचना श्री हरिवश सहाय की जनपद देवरिया में हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजो से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयो में फर्जी नियुक्तिया करने के सम्बन्ध मे है इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया पांचवी सूचना श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री मोहम्मद मुकीम की जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम बेलवा के ग्राम प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से थानाध्यक्ष थाना मिसरौलिया का सहयोग लेकर किसानो के गेहू की मडाई रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे है इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किय गया, छठी सूचना श्री छत्रपाल वर्मा की श्री हरपाल सिह फिटर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, परियोजना अलीगढ का बकाया वेतन का भुगतान एव सेवा मे समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबध मे है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, सातवीं सूचना श्री स्वामी नाथ यादव के जनपद सहारनपुर आवास विकास परिषद् योजना न0-2 पठानपुरा की भूमि साजिशन हडपने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, आठवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के अन्तर्गत दोहरीघाट पम्प कैनाल के सुचारु रूप से न चलने से किसानो की फसलो से हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, नवी सूचना श्री गिरधारी लाल

की जनपद बलिया के थाना रसडा की पुलिस की पिटाई द्वारा कथित रूप से जनपद श्री रमेश सिह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, दसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह श्री महक सिंह की जनपद मेरठ और मुजफ्फर नगर के चोगामा क्षेत्र में बनते रेगिस्तान के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अगली सूचना संत श्री राम द्विवेदी की, श्री सुरेन्द्र सिंह की, श्री रमेश पोखरियाल की, श्री मो0हसन की, श्री विजय सिंह राणा और श्री विजय पाल सिंह की, श्री पूरन प्रकाश की, श्री मातवर सिंह कण्डारी की, श्री भोला सिंह की, श्री अकबर हुसैन की और श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की है, इन सूचनओं को निरस्त किया जाता है ।

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना से संबंधित सूचनाओं पर अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है -

1-डा0 बृज भान यादव द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21-2-92
2-श्री विजय सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत सूचना जो दिनाक 26-2-92 को प्राप्त हुई ।
3-श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 12-3-92 ।
4-श्री विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत सूचना जो, दिनाक 16-3-92 को प्राप्त हुई है ।
5-श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 23-3-92 ।
6-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनाक 1-4-92 ।

उपरोक्त सभी मामलो मे विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाये अग्राह्य पर दी गयी है । उक्त सूचनाओ पर माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयो को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायगा ।

(उक्त निर्णय कार्यवाही के अग माने गये ।)

डा0बृजभान यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा परगनाधिकारी हंडिया इलाहाबाद के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(डा0 बृजभान यादव, सदस्य, विधान सभा ने परगनाधिकारी हंडिया, जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 21-2-92 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि वे दिनांक 22-1-92 को अपने विधान सभा क्षेत्र हंडिया, के तहसील कारागार में कर्ज वसूली के सिलसिले में बंद एक व्यक्ति के संबंध में परगनाधिकारी, हंडिया से जानकारी

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेने गये तो उक्त अधिकारी ने अत्यन्त अभद्रता का व्यवहार करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे विधायक को यहां आने की जरूरत नहीं है । ऐसे विधायक मैंने बहुत देख लिये हैं । माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि उक्त अधिकारी अपनी कुर्सी से उठा भी नहीं तथा उक्त जानकारी देने से इकार कर दिया ।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी गयी। शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 के पत्र दिनांक 31-3-92 द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार मानीय सदस्य डा0 बृजभान यादव तहसील की राजस्व कारागार में बंद एक व्यक्ति को छुडाने के लिए दिनाक 21-1-92 को परगनाधिकारी, हंडिया के कक्ष मे जिलाधिकारी से मिले तो जिलाधिकारी ने कुछ संतोषजनक धनराशि जमा कराने पर छोड़ने के लिए कहा । माननीय सदस्य धनराशि जमा नहीं करा सके एवं सायंकाल 6 00 बजे लगभग 20 अवांछित तत्वों को लेकर तहसील हवालात पर गये और बाकीदार को न छोड़ने के कारण परगनाधिकारी और तहसीलदार को डराने-धमकाने लगे । उक्त पत्र में आगे यह उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार जांच मे ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि परगनाधिकारी द्वारा माननीय विधायक के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया हो तथा यह भी कहा गया है कि माननीय विधायक को बार-बार कुर्सी पर बैठने का आग्रह्य किया गया, परन्तु उन्होंने बैठने से इंकार कर दिया ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर मैंने सम्यक रूप से विचार किया है । माननीय सदस्य द्वारा सूचना में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि शासन की आख्या से नहीं हो सकी । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सदस्य का परगनाधिकारी, हंडिया से मिलने जाना सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से संबंधित नहीं था । इसके अतिरिक्त दिनांक 22-1-92 की घटना के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 22-2-92 को अभिसूचित की गयी है और विलम्ब से सूचना देने का कोई कारण भी नहीं दिया गया है । इस प्रकार सूचना विलम्बित भी है । प्राग्दर्शन में इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।)

श्री विजय सिंह राणा, सदस्य विधान सभ द्वारा कृषि मंत्री श्री गंगा भक्त सिंह के विरुद्ध की गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ने माननीय कृषि मंत्री श्री गंगा भक्त सिंह

नोट - ( )यह अंश पढा हुआ माना गया ।

के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है जो, दिनाक 26 फरवरी, '1992 को प्राप्त हुयी । माननीय सदस्य का कथन है कि भारतीय संविधान के प्रविधानों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ ग्रहण करके अपने शासन का कार्यभार संचालित करती है । माननीय कृषि मंत्री ने दिनांक 23-2-92 को आगरा में टर्मिनल रजवाहा नहर की पटरी पर सड़क डालने का फर्जी उद्घाटन किया है क्योंकि यह सड़क किसी भी विभाग से स्वीकृत नहीं है । माननीय सदस्य के अनुसार उन्होंने उक्त फर्जी कार्य करके अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ को तोड़ा है और वे नियम-63 के अंतर्गत विशेषाधिकारी हनन के दोषी हैं । इस संबंध में माननीय सदस्य ने माननीय कृषि मंत्री को दिये गये अपने प्रश्न तथा समाचार पत्र "आज" (आगरा) की कटिंग + भी सूचना के साथ संलग्न की है ।

मैंने प्रश्नगत मामले में माननीय कृषि मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया । अपने पत्र दिनाक 17 मार्च, 1992 में माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिये गये तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय सदस्य श्री राणा की सूचना में दिये गये तथ्यों का कोई संबंध सदन के कार्य के संबंध में किये गये किसी कृत्य से नहीं है और न ही उसमें सदन की किसी समिति के सदस्य की हैसियत से उनके किसी कार्य में बाधा पहुंची है । विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न संसदीय परम्परा के अनुसार तथा अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार उसी समय उत्पन्न होता है जब किसी सदस्य को सदन अथवा सदन की किसी समिति से संबंधित किसी कार्य के निर्वहन के संबंध में बाधा उत्पन्न की जाय ।

अतः वर्णित परिस्थिति में प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, और मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री किशोरी श्याम, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध दी गई सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य विधान सभा ने माननीय सदस्य श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 12 मार्च, 1992 को दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 10-3-92 को सदन में देवरिया जनपद के पथरदेवा में कथित बलात्कार काण्ड के संबंध में हुयी चर्चा के अवसर पर जब वे अपने दल की ओर से बोलने खड़े हुए तो माननीय सदस्य श्री किशोरी श्याम ने तीन बार टोका-टाकी की और बाहर निपट लेने की धमकी दी । माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि श्री किशोरी श्याम के इस आचरण से सदन की अवमानना हुई है ।

+ छापी नहीं गयी ।

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत मामले मे माननीय सदस्य, श्री किशोरी श्याम का अभिकथन प्राप्त किया गया । अपने पत्र दिनाक 30-3-92 मे उन्होने कहा है कि दिनांक 10-3-92 की पथरदेवा, देवरिया के कथित बलात्कार काण्ड को लेकर समूचा विपक्ष उत्तेजित था । बार-बार सदन के फ्लोर मे आकर सदन को स्थगित कराया गया तथा मंत्रियों के प्रति असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया गया । सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होते देख उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई तब उन्होंने भावनावश में इतना कहा कि "लडना है तो बाहर जाकर लडो, सदन लड़ाई का केन्द्र न होकर विचार व्यक्त करने का केन्द्र है ।"उनका यह भी कहना है कि यह बात सम्भवत त्रुटिपूर्ण टंकित की गयी है । उक्त अंश का उन्होंने पुनर्वीक्षण नहीं किया अन्यथा वे उसको शुद्ध कर देते । इसके अतिरिक्त माननीय श्री किशोरी श्याम ने आगे यह भी कहा है कि उनकी मंशा सदन या उसके किसी सदस्य के अवमान की कदापि न थी, परन्तु श्री हृदय नारायण दीक्षित जी सम्भवत: उनकी भावना को समझ नहीं पाये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना तथा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री किशोरी श्याम के अभिकथन पर सम्यक रूप से मैंने विचार किया है । माननीय सदस्य श्री किशोरी श्याम ने भावना में कुछ शब्द कहे जिसके संबंध में उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा यह भी कहा है कि उनकी मंशा सदन या उसके किसी सदस्य के अवमान की कदापि नहीं थी । इसके अतिरिक्त श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दिनाक 10-3-91 को सदन में दी गयी कथित धमकी के संबंध मे श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध अवमानना की नोटिस को दो दिन बाद अर्थात दिनांक 12-3-92 को दी है, जबकि यह तत्काल ही दी जानी चाहिए थी ।

वर्णित परिस्थितियो मे प्रश्नगत मामला सदन की अवमानना की परिधि के अन्तर्गत आता प्रतीत नहीं होता है । अत मैं इसे विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप मे उठाने की अनुज्ञा नही देता हू ।)

श्री विश्वनाथ, सदस्य विधान सभा द्वारा न्याय एव सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(श्री विश्वनाथ, सदस्य विधान सभा ने माननीय न्याय एवं सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 16-3-92 को दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि प्रथम सत्र 1992 के पहले मंगलवार (दिनाक 10-3-92) को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 120 के उत्तर में माननीय मंत्री ने "जी नहीं" कहा है जब कि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के मुख्यालय लखनऊ में शोध अधिकारी प्रकाशन के

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्थायी पद पर कार्यरत श्री राधेश्याम उपाध्याय की उप संपादक के पद पर नियुक्ति तथा उसी पद पर स्थायीकरण, सूचना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति तथा तदुपरान्त शोध अधिकारी (प्रकाशन) के पद पर नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 7, 8, और 10 में वैधानिक और संवैधानिक तर्कों के आधार पर अनियमित एवं अनुचित कहा है । इस प्रकार माननीय न्याय मंत्री ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह किया है, जो विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्न में माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही थी कि श्री राधे श्याम उपाध्याय, शोध अधिकारी, प्रकाशन को माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15-11-90 के निर्णय द्वारा उनके मौलिक पद उप संपादक के पद पर नियुक्ति को अवैध एवं अनियमित करार दिया तथा उनकी सूचना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति एवं तदुपरान्त शोध अधिकारी के पद नियुक्ति को भी अनियमित एवं अवैध ठहराया है और यदि हां, तो उनकी नियुक्ति अभी तक निरस्त क्यों नहीं की गयी ?

प्रश्नगत मामले में माननीय न्याय एवं सिंचाई मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया है वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित है और जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह नहीं किया गया है और न ही विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी । शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 7,8, और 10 में याची द्वारा दिये गये तथ्यों की विवेचना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारणा मात्र की गयी है कि याची के कथन में कुछ बल है । प्रतिवादी सं0-5 (श्री राधे श्याम उपाध्याय) की उप सम्पादक के पद पर नियुक्ति/स्थायीकरण तथा सूचना अधिकारी एवं शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नति/ नियुक्ति में अनियमितता हुयी है । तथापि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त नियुक्ति/स्थायीकरण एवं प्रोन्नति को अवैध नहीं घोषित किया है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के प्रस्तर 10 में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी संख्या 5 की उप सम्पादक के पद पर नियुक्ति/स्थायीकरण एवं सूचना अधिकारी तथा शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति पर याची के अनुरोध के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में याची को इस आधार पर किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त शासन ने यह भी उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की व्याख्या हेतु न्याय विभाग का भी परामर्श प्राप्त किया गया उनका भी यह मत रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उप सम्पादक की नियुक्ति/स्थायीकरण/प्रोन्नति को अवैध करार नहीं दिया गया है तथा याची के अनुरोध के कारण उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकेगा ।

माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना तथा माननीय न्याय एवं सिंचाई मंत्री के पत्र एव शासन की टिप्पणी का अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सदर्भित प्रश्न पर सदन में दिया गया उत्तर वास्तविक तथ्यों पर आधारित है और उसमें जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह करने वाली कोई बात परिलक्षित नहीं होती है । वर्णित परिस्थितियों में मैं विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की उक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं।)

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा तथा विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा की हमलावारों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनाक 23-3-92 को दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनाक 17-3-92 को सायकाल ग्राम बधौच, जनपद देवरिया मे श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा के ऊपर कुछ हमलावरों ने यह कहते हुए कि इसी ने पथर देवा काण्ड विधान मे उछाला है, जान से मारने की नीयत से हमला किया, जो सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

उक्त सूचना पर विचार करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि कथित घटना से सबंधित माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ की ओर से विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की कोई सूचना मुझे प्राप्त नही हुई है । इस प्रकार के मामले मे पूर्व दृष्टान्तों मे भी घटना से संबंधित सदस्य की ओर से विशेषाधिकार हनन की सूचना न प्राप्त होने के कारण अध्यक्ष पीठ से इस प्रकार की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना को अस्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा ने प्रश्नगत सूचना मे इस तथ्य का उल्लेखनीय नही किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित थे ।

अतः मै उपर्युक्त कारणों से उक्त सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप मे अग्राह्य घोषित करता हू ।)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा सहकरिता मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने माननीय सहकारिता मत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनाक 1-4-92 को अभिसूचित की है ।

नोट - ( ) यह अश पढा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्य का कहना है कि मै दिनाक 1-4-92 को लगभग 10-40 बजे पूर्वाह्न माननीय सहकारिता मत्री के कक्ष में गया था । माननीय मत्री जी कक्ष मे बैठे थे । परन्तु उनके अंगरक्षक द्वारा उन्हे रोक दिया गया । विधायक होने की सूचना देने पर भी माननीय मत्री जी उनसे नही मिले, जिससे उन्होंने माननीय सदस्य की मानहानि की एव उनके अधिकारो का हनन किया है ।

प्रश्नगत मामले मे माननीय सहकारिता मत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया माननीय सहकारिता मत्री ने अपने पत्र दिनाक 18 अप्रैल, 1992 मे यह उल्लेख किया है कि दिनाक 1-4-92 को वे अपने कक्ष में एक बैठक मे व्यस्त थे और ऐसी स्थिति मे माननीय सदस्य से स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा प्रतीक्षा करने का निवेदन किया गया तथा उसकी सूचना उन्हें भी दी गई । थोड़ी देर बाद ही जब माननीय सदस्य को बुलाया गया, तो वह कक्ष से जा चुके थे । माननीय मत्री ने आगे यह भी कहा है कि माननीय जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए निर्धारित समय अपराह्न 3.30 बजे से 4.30 बजे के अलावा कार्यालय कक्ष में होने पर, वे उनसे बराबर मिलते हैं । माननीय जन प्रतिनिधियों को उनसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं है । माननीय मंत्री ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि फिर भी वर्णित परिस्थितियों मे माननीय सदस्य की भावना को जो ठेस पहुंची है उसके लिए उन्हें खेद है ।

माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति एवं उनके खेद प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है और तद्नुसार मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।)

जनपद टिहरी गढ़वाल में देव प्रयाग में गंगा नदी पर अर्द्ध निर्मित पुल का निर्माण पूरा कराये जाने के संबंध में श्री लाखी राम जोशी की सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

शासन के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कीर्तिनगर जखोली, देव प्रयाग के कतिपय ग्रामों मे पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध मे नियम 51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)-

मान्यवर, विकास क्षेत्र देव प्रयाग

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढा हुआ माना गया)

(जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम डोब, सादपा, कान्डी, गोली, गुरछोली, टकोली जाबर, डडवा ग्राम हिण्डोलाखाल हिनसरियाखाल पम्पिग पेयजल योजना से लाभान्वित है ।

योजना मे प्राक्कलन के अनुसार दो पम्प एक साथ चलाये जाने प्रस्तावित हैं परन्तु वर्तमान मे विद्युत क्षमता कम होने के कारण दो पम्पों के स्थान पर एक पम्प ही चलाया जा रहा है जिसके कारण इस योजना में सम्मिलित ग्रामों को आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावित 33 के0वी0ए0 ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण के लिए जल निगम द्वारा विद्युत परिषद् को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा विद्युत परिषद् द्वारा इस पर द्रुतगति से कार्य किया जा रहा है । विद्युत परिषद् द्वारा यह कार्य जून, 1992 तक पूर्ण करना बताया गया है इस ट्रान्समिशन लाइन के पूर्ण हो जाने पर 2 पम्प एक साथ योजना मे चलाये जाने सम्भव हो सकेंगे, जिसके फलस्वरूप ग्रामों को आवश्यक जल उपलब्ध हो सकेगा ।

कीर्तिनगर ब्लाक के ग्राम जवाड़ी, रौठिया, सिल्काखाल, रणकण्डियाल, न्यूली नाण्डी पाव तथा विकास खण्ड जखोली का ग्राम काण्डा विभिन्न ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में सम्मिलित है । इन योजनाओं के स्रोतों का स्राव कम अवश्य हो गया है परन्तु फिर भी इन ग्रामो में 20 से 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक औसत जलापूर्ति की जा रही है । केवल काण्डा में स्रोता का स्राव नगण्य हो गया है में न्यूली, नाण्डी व पाव तथा काण्डा हेतु पुनर्गठन का प्रस्ताव है जिसके लिए इस वर्ष क्रमश । 00 लाख व 0 50 लाख रुपये का प्राविधान है ।

ग्राम चुन्नी राजस्व ग्राम नही है । ग्राम टोला व लेक, ताके है जो अभी पेयजल से लाभान्वित नही है । इन ग्रामो को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाई जा रही है ।

मूल लागत एव रख-रखाव के दृष्टिकोण से अत्यधिक हेड की पम्पिग योजना का निर्माण मितव्ययी नहीं है तथा इसे साधनो की उपलब्धता पर अन्तिम विकल्प के रूप मे ही लिया जा सकता है ।)

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद इलाहाबाद की नगर महापालिका सीमान्तर्गत कतिपय मोहल्लो में सीवर पेयजल एवं सडकों की खराब स्थिति के कारण श्री दिनेश चनद्र सोनकर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जनपद इलाहाबाद के ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(नगरमहापालिका के सीमान्तर्गत बमरौली, मुंडेरा एवं सुलेमसराय आदि मोहल्लों में सीवर, पेयजल एवं सड़कों की खराब स्थिति एवं उक्त जन सुविधाओं का जनता तक पहुंचाने एवं उनके निर्माण तथा रख-रखाव हेतु विभागीय दायित्व निर्धारण में नगरमहापालिका, इलाहाबाद, विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग में आपसी विवाद के कारण क्षेत्रीय जनता में व्यापक असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद की सीमा में बमरौली, मुंडेरा एवं सुलेमसराय आदि मुहल्ले आते हैं । इन क्षेत्रों में महापालिका सडक प्रकाश एवं सफाई की व्यवसायी सुनिश्चित करती है । इन क्षेत्रों में सड़कों/लेन्स की लम्बाई लगभग 100 किलोमीटर है और नगर के अन्य भागो की समस्यायें भी इस क्षेत्र की समस्याओं के साथ महापालिका द्वारा हल की जाती हैं । सीमित संसाधन के अनुरूप ही सड़क अनुदान दिया जाता है । पालिका के अंशदान को सम्मिलित करते हुए इन सडको का अनुरक्षण निर्धारित स्तर तक ही सम्भव है । सडकों तथा गलियों की भली प्रकार से मरम्मत करके उपयोग हेतु जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा दिया गया है । इस क्षेत्र मे अनियंत्रित बस्तियो भी अनधिकृत रूप से कहीं-कहीं बन गयी है । ऐसे क्षेत्र मे विकास-व्यय अदा किये बिना और निर्धारित मानक का विकास पूरा किये बिना आबादी बन गयी है, जिससे खराब सड़को, नालियों ड्रेनेज आदि की समस्यायें बनी है फिर भी महापालिका द्वारा इस क्षेत्र को अच्छी सेवायें प्रदान की जा रही है । गत वर्ष विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र की 12 बस्तियों मे रु0 25.22 लाख व्यय करके यहा की सार्वजनिक सुविधाओं मे सुधार किया गया है तथा किया जा रहा है । जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1-गयासुद्दीनपुर

2-भोला का पुरवा

3-लाल बिहारा ।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4-अधूतकालोनी,
5-रम्मन का पुरवा (पसियाना),
6-रम्मन का पुरवा,
7-सुलेमसराय नई बस्ती,
8-ताड़बाग हरिजन बस्ती,
9-हरवारा फेज-1,
10-हरवारा फेज-2,
11-महिला ग्राम सूवेदारगंज,
12-सुलेमसराय हरिजन बस्ती ।

उक्त क्षेत्रों में कुछ में कार्य पूर्ण हो चुका है कुछ में कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त शेष 13 बस्तियां जिनका विवरण निम्नवत् है

1-भोला का पूरा (पसियाना),
2-खट्टूमल हरिजन बस्ती,
3-नीमा भगताना,
4-उमरपुर,
5-मेयरगज (खरिया),
6-नीवा,
7-बूचड़खाना ताडबाग,
8-जयन्तीपुर,
9-मीरा पट्टी,
10-शिवपुर होली,
11-मुंडेरा,
12-नीमसराय ।
13 कन्धईपुर

के लिए रुपया 59.35 लाख की सुधार योजना प्रस्तावित है । मलिन बस्ती के रूप में आबादी बन जाने के कारण ड्रेनेज की समस्या इस क्षेत्र में है । जल निकासी हेतु रुपया 86.25 लाख की योजना भी प्रस्तावित है । स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होते हुए भी इस क्षेत्र की वर्तमान सड़कों, नालियों, प्रकाश एवं सफाई की व्यवस्था अनुरक्षण कर देना ही एक उपलब्धि है । इन परिस्थितियों में व्यापक असंतोष का आरोप उचित प्रतीत नहीं होता । महापालिका इस क्षेत्र की सुविधाओं को अच्छे स्तर पर बना कर रखने का पूरा प्रयास कर रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इस क्षेत्र में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की नीमसराय, सुलेमसराय, परिवहन नगर एवं प्रीतमनगर योजनायें भी है । इन योजनाओं में सुविधायें एक उचित स्तर तक विकसित हैं और आगे भी विकसित की जा रही है । इन क्षेत्रों में मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सीमित संसाधनों के आधार पर कार्य किया जा रहा है । बमरौली, मुंडेरा एवं सुलेमसराय आदि क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा पांच नलकूपों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है । वर्तमान में एक नलकूप का डिस्चार्ज कम हो जाने तथा अन्य नलकूपों पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण प्रश्नगत मोहल्लों में यदा-कदा पेयजल की समस्या हो जाती है । विश्व बैंक की परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में एक नलकूप का निर्माण कराया गया है जिससे पेयजल समस्या मे आंशिक सुधार हुआ है । एक अतिरिक्त नलकूप हेतु विश्व बैंक योजना हेतु धन आवंटित किया जा चुका है ।

वर्तमान मे बमरौली तथा सुलेमसराय मुहल्लों मे सीवर व्यवस्था नहीं है । नगर की समुचित सीवर एव पेयजल व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा के अतिरिक्त जल को वैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी में अवशोषित कराकर भूगर्भ जल सम्पदा बढ़ाने संबंधी श्री हृदय नारायण दीक्षित के प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

महंगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा ऐक्शन प्लान बनाने संबंधी श्री श्याम नारायण आदि के प्रश्न पर नियम 49 के अंतर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

मद सं0 23 और 24 को स्थगित किया जाता हैं ।

जनपद रामपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी आदेशों के अनुपालन में सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्धारित राशन न देने संबंधी श्री मोहम्मद आजम खां के प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत व्यपगत होना

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद आजम खां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह व्यपगत हुई ।

अब हम उठते हैं 11 मई को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, दिनांक 11-5-1992 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है ।)

लखनऊ:
दिनांक 8 मई, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये नियम 27 (4) के ता0 प्र0स0 2 का उत्तर पीछे पृ0स0 6पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के लिये निर्धारित श्री बनवारी लाल दोहरे, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या-2 का सलग्नक-।

1-उ0 प्र0 सहकारी बैंक, लि0 ।
2-उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक लि0 ।
3-उ0 प्र0 सहकारी सघ लि0
4-उ0प्र0 सहकारी यूनियन लि0 ।
5-उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी सघ लि0 ।
6-उ0प्र0 श्रम सविदा सहकारी सघ लि0 ।
7-उ0प्र0 विधायन एव शीत गृह सघ लि0 ।
8-उ0प्र0 सहकारी प्रक्रियण एव तिलहन विकास सघ लि0 ।
9-ऐसी केन्द्रीय तथा प्रारम्भिक सहकारी समितिया जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक जनपद/प्रदेश मे हो ।
10-समस्त जिला सहकारी बैंक ।
11-समस्त जिला सहकारी विकास सघ लि0 ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के लिए निर्धारित श्री बनवारी लाल दोहरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या क-2 का संलग्नक-।।

1-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियां ।
2-ब्लाक यूनियन/सीड स्टोर ।
3-सहकारी क्रय विक्रय समितिया ।
4-केन्द्रीय एव प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितिया ।
5-अन्य गैर कृषि सहकारी समितिया ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये नियम 38 (2) के ता0प्र0सं0 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 18 पर)

संख्या 5377 सेक-14/पाच-174/84

प्रेषक,

श्री राम निवास,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-14 लखनऊ दिनांक सितम्बर, 1991

विषय-प्रदेश के एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 छात्रों के स्थानान्तरण के सबंध में नीति निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किये गये शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि प्रदेश के विभिन्न कालेजों में एम0बी0बी0एस0 छात्र/छात्राओं को प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्थानान्तरण के सबंध में निम्नलिखित नीति अपनाई जाय :-

1- प्रदेश के बाहर एम0बी0बी0एस0 या समतुल्य कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों अथवा छात्राओं का स्थानान्तरण प्रदेश के एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में न किया जाय ।

2-प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से दूसरे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मतें ही परस्पर छात्र एवं छात्रा के स्थानान्तरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय -

(क) प्रश्नगत स्थानान्तरण छात्र या छात्रा के प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही अनुमन्य किया जाय ।

(ख) प्रदेश के किसी एलोपैथिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से ऐसे स्थानान्तरण उस महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 के प्रथम सत्र में निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा प्रदेश के जिस चिकित्सा महाविद्यालय में इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश दिये जायेंगे वह भी उस चिकित्सा महाविद्यालय के एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में निर्धारित प्रवेश परीक्षा क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । तद्नुसार प्रश्नगत स्थानान्तरण तभी किया जायेगा जबकि उस महाविद्यालय में, जहां स्थनान्तरण किया जा रहा है, स्थान रिक्त हो ।

(ग) प्रश्नगत स्थानान्तरण का आधार प्रथमत सबंधित सी0पी0एम0टी0 परीक्षा की मेरिट और द्वितीय छात्र या छात्रा की च्वाइस होगा ।

(घ) प्रधानाचार्यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रतिबन्ध न रखा जाय परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो स्थानान्तरण आदेशित किया जा रहा है, उसमे निर्धारित शर्ते पूरी होती है ।

2-आपसे अनुरोध है उक्त नीतिगत निर्णयो को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का कष्ट करे ।

भवदीय,
राम निवास,
संयुक्त सचिव ।

सख्या 5377(1) सेक-14/पांच-174/84, तद्दिनाक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उत्तर प्रदेश के समसत मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य ।

(2) गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या 4/2/18/91, सी-एक्स (1), दिनाक 21 दिसम्बर, 1991 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,
राम निवास,
संयुक्त सचिव ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

संख्या 5775-सेक-14/पाच-174/84

प्रेषक,

श्री राम निवास,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा मे,

(1) निदेशक,
होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश,
468, चादगंज गार्डेन, लखनऊ ।
(2) निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-14 लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 1991

विषय:- प्रदेश के होम्योपैथी/आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 छात्र/छात्राओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किये गये शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये है कि विभिन्न राजकीय होम्योपैथी/आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों मे बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 छात्रों को प्रथम प्रोफेशनल प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्थानान्तरण के संबंध में निम्नलिखित नीति अपनाई जाय -

(1) प्रदेश के राजकीय होम्योपैथी/आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयो मे अन्य प्रदेशो के छात्र/छात्राओं को किन्हीं भी परिस्थितियो में स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

(2) प्रदेश के एक राजकीय होम्योपैथी/आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय से दूसरे संबंधित पद्धति के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ही परस्पर छात्र एवं छात्रा के स्थानान्तरण निम्न प्राविधानो के अधीन किया जाय -

(क) प्रश्नगत स्थानान्तरण बी0एच0एम0एस0 (होम्योपैथी) छात्रो/छात्राओ के प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा बी0ए0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 छात्र या छात्रा के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही अनुमन्य किया जाय ।

(ख) प्रदेश के किसी होम्योपैथिक /आयुर्वेदिक एव यूनानी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे ऐसे स्थानान्तरण उस महाविद्यालय मे बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 के प्रथम सत्र मे निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नही होंगे तथा प्रदेश के जिस चिकित्सा महाविद्यालय में इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा प्रवेश दिये जायेंगे वह भी उस चिकित्सा महाविद्यालय के बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 प्रथम वर्ष मे निर्धारित प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । तदनुसार प्रश्नगत स्थानान्तरण तभी किया जायेगा जबकि उस महाविद्यालय में, जहां स्थानान्तरण किया जा रहा है, स्थान रिक्त हो ।

(ग) प्रश्नगत स्थानान्तरण का आधार प्रथमतः संबंधित सी0पी0एम0टी0 परीक्षा की मेरिट और द्वितीयतः छात्र या छात्रा की "च्वाइस" होगा ।

(घ) प्रधानाचार्य के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का प्रतिबन्ध न रखा जाय परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो स्थानान्तरण आदेशित किया जा रहा है, उसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं ।

2-आपसे अनुरोध है कि उक्त नीतिगत निर्णयों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
राम निवास,
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0 सं0 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 117 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर जनपद बलिया में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	नाम	पद	तैनाती की तिथि
1	डा0 एस0सी0 श्रीवास्तव	चिकित्साधिकारी	14-9-89
2	डा0 मो0 अयूब	"	1-10-90
3	डा0 मुक्ति नाथ सिंह	"	13-2-86
4	श्री बरखू राम	वार्ड ब्वाय	2-3-84
5	" वीरेन्द्र चौबे	"	7-3-85
6	" अजनी कुमार सिंह	चौकीदार	18-10-79
7	" नैपाली राम	स्वीपर	6-10-81
8	" अनिल कुमार राय	फार्मेसिस्ट	6-6-89
9	" सुरेन्द्र सिंह	चेचक पर्यवेक्षक	3-9-75
10	" राजेन्द्र प्रसाद	वेक्सीनेटर	23-4-71
11	" राम नक्षम	"	12-7-73
12	" यदुनन्दन सिंह	एफ0आई0	8-8-58
13	" दीन दयाल श्रीवास्तव	एच0ई0ओ0	30-8-83
14	" सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	"	3-7-86
15	" अमर नाथ वर्मा	स्वास्थ्य सहायक	16-6-88
16	" नरेश मिश्र	"	10-7-90
17	" पारस नाथ सिंह	"	7-8-74
18	" कैलाश यादव	"	1-5-72
19	" सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव	कम्प्यूटर	22-8-87
20	" राम शंकर मिश्रा	यू0डी0सी0	1-10-86
21	" बिजुली प्रसाद	स्वास्थ्य सहायक	12-7-78
22	श्रीमती सूर्यमुखी देवी	"	29-1-74
23	" विमला देवी	"	28-6-86
24	" मनोरमा जायसवाल	"	20-8-90
25	श्री ब्रह्मा नन्द सिंह	एच0आई0	13-7-74
26	" हरी राम	"	28-6-90
27	" सूर्यभान	"	अनुपलब्ध
28	" असगर अली	"	3-5-69
29	" अखिलेश त्रिपाठी	एल0टी0	1-5-73
30	" विन्ध्याचल राय	बी0एच0 डब्लू	3-12-62

उत्तर प्रदेश संवाद

क्र0सं0	नाम	पद	तैनाती की तिथि
31	श्री समशाद अख्तर	बी0एच0डब्लू	15-12-60
32	„ राजदेव राम	„	22-11-62
33	„ भूग प्रसाद	„	15-3-61
34	„ अशरफअली	„	6-10-75
35	„ एम0 जाफरी	„	28-12-70
36	„ मुस्तफा हुसैन	„	6-1-81
37	„ गिरिजा राय	„	26-4-71
38	„ विशम्भर मिश्रा	„	8-90
39	„ राम कोकिल मिश्र	„	13-9-76
40	„ सुरेन्द्र कुमार राय	„	26-6-90
41	श्रीमती सोनपती देवी	ए0एन0एम0	9-4-81
42	„ सुशीला देवी	„	9-11-78
43	„ कान्ति देवी	„	21-2-75
44	„ जयवन्ती देवी	„	21-2-75
45	„ ऊषा श्रीवास्तव	„	4-10-80
46	„ सुभावती देवी	„	9-11-78
47	„ विमला सिंह	„	8-2-83
48	„ कलौजी देवी	„	18-5-69
49	„ प्रेमा सिंह	„	31-3-69
50	„ चन्द्र देई देवी	„	1-1-84
51	„ होसला देवी	„	10-2-83
52	„ लीलावती देवी	„	16-2-83
53	„ सावित्री देवी	„	7-4-83
54	„ सितारा पाण्डेय	„	30-10-83
55	„ होसला सिंह	„	18-2-83
56	„ मजू सिह	„	12-6-86
57	„ भागमनी देवी	„	20-6-86
58	„ रमावती देवी	„	16-6-86
59	„ निर्मला सिह	„	17-7-86
60	„ सुधा देवी	„	11-2-87
61	„ किरन गुप्ता	„	6-12-88
62	„ ज्ञानी देवी	„	3-2-87

उत्तर प्रदेश गजट

क्र0सं0	नाम	पद	तैनाती की तिथि
63	श्रीमती ऊषा सिंह	ए0एन0एम0	1-7-87
64	„आशा देवी	„	1-7-87
65*	„भानुमती सिंह	„	3-11-83
66	„विद्यावती सिंह	„	19-10-82
67	„सुमन पाण्डेय	„	8-10-88
68	„विमला देवी	„	9-2-88
69	„ सोना यादव	„	3-7-84
70	„शैल कुमारी	„	7-7-87
71	„आशा सिंह	„	20-12-89
72	„कान्ती यादव	„	1-7-88
73	„ कलावती यादव	„	16-3-88

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर

क्र0सं0	नाम	पद	तैनाती की तिथि
1	डा0 ए0एन0 सिंह	चिकित्साधिकारी	19-12-87
2	„ए0के0 सिंह	„	9-10-90
3	श्री जगदेव प्रसाद	फार्मासिस्ट	20-5-76
4	„मुक्तेश्वर लाल श्रीवास्तव	„	7-11-79
5	„केदार राम	वार्ड ब्वाय	1-7-55
6	„मोहउद्दीन	„	4-7-87
7	„जुमराती	स्वीपर	29-3-75
8	„रनी रावत	„	16-12-87
9	„रजरकिया	ए0एन0एम0	3-7-84
10	„लीलावती पाण्डेय	„	7-7-87

पी0एस0यू0पी0 एल0-220-(370) 26-9-92-813 (इ0टी0) 1